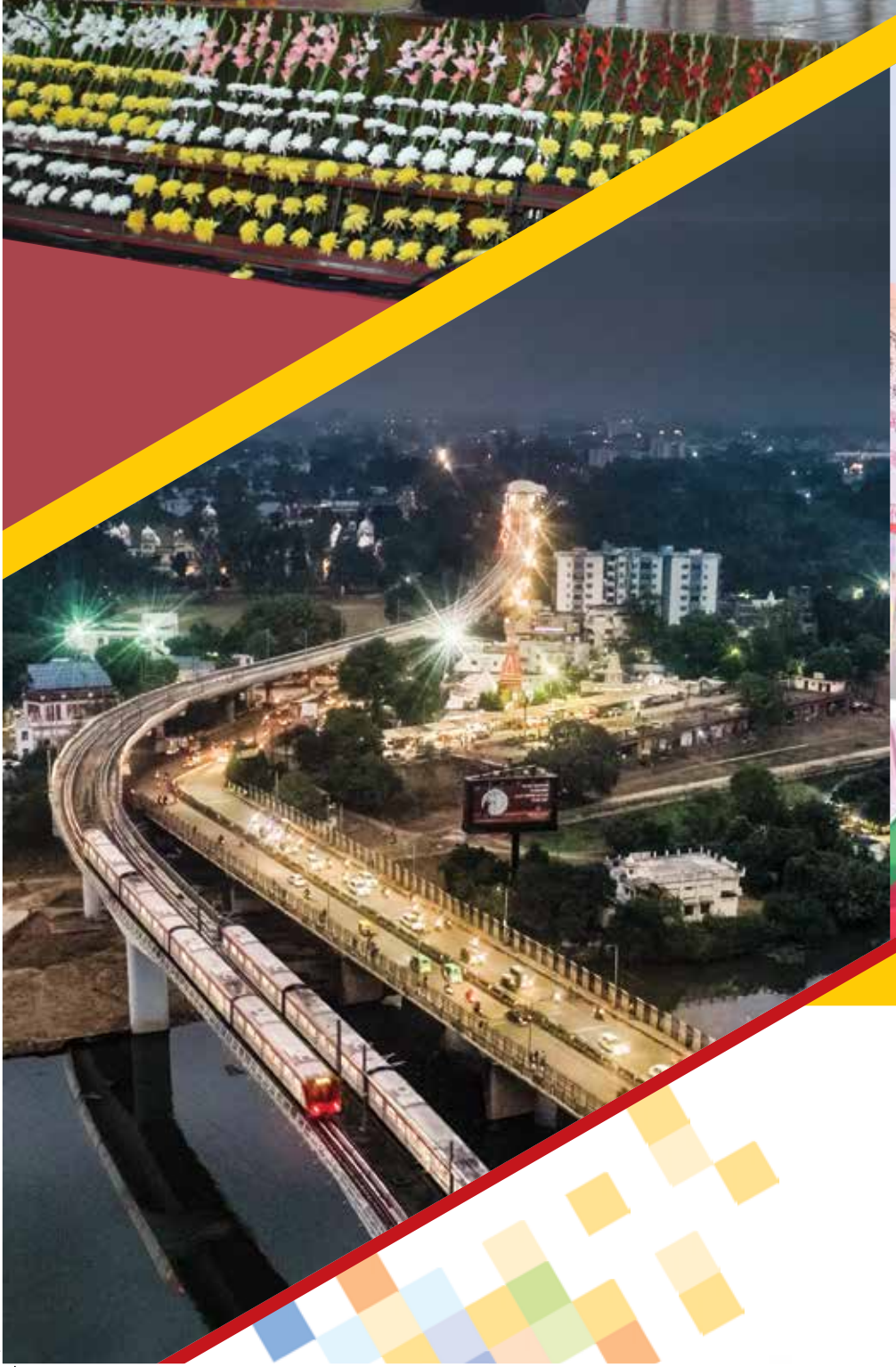

वार्षिक विवरण
Annual Report
2019–20

यूपीएमआरसी

उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड

UTTAR PRADESH METRO RAIL CORPORATION LTD.

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	निदेशक मंडल	3
2	शेयरधारकों हेतु चेयरमैन महोदय का संदेश	4
3	शेयरधारकों के नाम प्रबंध निदेशक महोदय का संदेश	6
4	2019–20 के प्रमुख घटनाक्रम	8
5	निदेशकों का प्रतिवेदन	13
6	कॉर्पोरेट अभिशासन पर प्रतिवेदन	32
7	वार्षिक रिटर्न का सारांश	38
8	सचिवीय लेखापरीक्षक प्रतिवेदन	45
9	स्वतंत्र लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन	51
10	वर्ष 2019–20 के लिए वित्तीय विवरण	61
11	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखाओं पर टिप्पणियां	82
12	नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन	113

पंजीकृत कार्यालयः

प्रशासनिक भवन, विपिन खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ–226 010, फोन : 0522–2304011
ईमेल : cslmrcl@gmail.com, वेबसाइटः www.upmetrorail.com

सांविधिक लेखापरीक्षक

मेसर्स डी. एस. शुक्ला एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
जी.एफ.–2 एकता अपार्टमेंट,
125, चंद्रलोक, अलीगंज,
लखनऊ–226 024

आंतरिक लेखापरीक्षक

मेसर्स एन.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

सचिवीय लेखापरीक्षक

मेसर्स दिलीप दीक्षित एंड कम्पनी
कम्पनी सचिव

कम्पनी सचिव

पुष्पा बेलानी

हमारे बैंक

भारतीय स्टेट बैंक
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड

निदेशक मंडल

नाम	पदनाम
श्री दुर्गा शंकर मिश्रा	चेयरमैन एवं आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव
श्री कुमार केशव	प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.
श्री श्याम सुंदर दुबे	नामिती निदेशक, भारत सरकार, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (एमओएचयूए)
श्री विनय कुमार सिंह	नामिती निदेशक, भारत सरकार, प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड
श्री दीपक कुमार	नामिती निदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार, प्रधान सचिव, आवास और शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. सरकार
श्री मुकेश कुमार मेश्राम	नामिती निदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार आयुक्त, लखनऊ
श्री शिवदास मीणा	नामिती निदेशक, भारत सरकार, अपर सचिव, एमओएचयूए
श्री प्रदीप एम. सिकदर	नामिती निदेशक, भारत सरकार, ईडी/एसआईजी (विकास), रेलवे बोर्ड
श्री आलोक कुमार	नामिती निदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार, अपर मुख्य सचिव, आवास और शहरी नियोजन विभाग
श्री संजय मिश्रा	पूर्णकालिक निदेशक (कार्य एवं अवसंरचना), उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन
श्री सुशील कुमार	पूर्णकालिक निदेशक (परिचालन), उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन
श्री अतुल कुमार गर्ग	पूर्णकालिक निदेशक (चल स्टॉक एवं प्रणालियां), उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन

*निदेशक (वित्त) का पद दिनांक 31.03.2020 तक रिक्त था
*उत्तर प्रदेश सरकार के नामिती निदेशक के एक पद का नामांकन 31.03.2020 को रिक्त हुआ था

शेयरधारकों हेतु चेयरमैन महोदय का संदेश

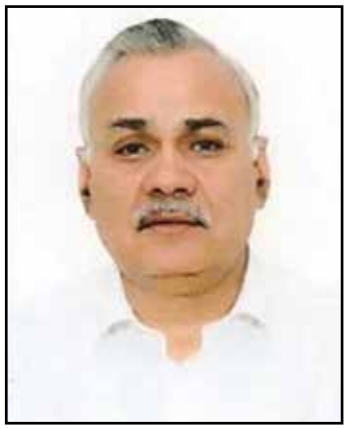

प्रिय शेयरधारको,

आपकी कंपनी की 7वीं वार्षिक आम बैठक में आप सबका स्वागत करना, मेरा गौरवपूर्ण सौभाग्य है। आज आपकी उपस्थिति एवं कंपनी की सफलता के लिए महत्वपूर्ण आपके सतत सहयोग हेतु, मैं आपसभी का आभार प्रकट करता हूं। वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए निदेशकों के प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित खाते, सांविधिक लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन एवं उनपर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के साथ, आपसभी को पहले ही उपलब्ध करा दिए गए हैं और आपकी अनुमित से, मैं उन्हें पठित मानता हूं।

आपकी कंपनी, वर्तमान में लखनऊ मेट्रो परियोजना फ़ेज़ 1–ए के अंतर्गत 22.878 किमी. लंबे संपूर्ण उत्तर–दक्षिण कॉरिडोर पर 9 मार्च, 2019 से मेट्रो यात्री सेवाओं का परिचालन कर रही है। लखनऊ मेट्रो के यात्रियों द्वारा मेट्रो सेवाओं को बहुत ही उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया मिली है तथा सेवाओं को सभी के द्वारा सराहा जा रहा है। संपूर्ण उत्तर–दक्षिण कॉरिडोर पर मेट्रो सेवाओं के शुभारंभ से ही औसत दैनिक राइडरशिप लगभग 70 हज़ार रही है।

भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोविड–19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु देशव्यापी लॉकडाउन लागू किया गया, जिसका कंपनी के परिचालन एवं राजस्व पर प्रभाव पड़ा। 23 मार्च, 2020 की रात्रि से लेकर 6 सितंबर, 2020 तक मेट्रो सेवाएं स्थगित रहीं और परिणामस्वरूप लॉकडाउन की अवधि में कंपनी को फ़ेयर बॉक्स से शून्य राजस्व प्राप्त हुआ। कंपनी ने 7 सितंबर, 2020 से भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हुए मेट्रो सेवाओं का पुनरारंभ किया। कंपनी मेट्रो सेवाओं के पुनरारंभ से ही इन दिशा–निर्देशों का क्रियान्वयन कर रही है और अपने कर्मचारियों एवं यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।

कानपुर मेट्रो परियोजना के दोनों प्रस्तावित कॉरिडोर्स के लिए भारत सरकार ने अनुमोदन प्रदान कर दिया है, जो शहर के सभी घनी आबादी वाले इलाकों एवं सार्वजनिक यातायात के अन्य माध्यमों को आपस में जोड़ेगा और बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। तद्नुसार, आपकी कंपनी द्वारा कानपुर एवं आगरा मेट्रो परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। कंपनी को भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के 50:50 संयुक्त स्वामित्व वाले विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के रूप में पुनर्गठित करते हुए, कंपनी का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. किया गया (23 अक्टूबर, 2019 से प्रभाव में)।

मा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं श्री हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की गरिमामय उपस्थिति में कानपुर मेट्रो परियोजना के सिविल निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ। कोविड–19 संक्रमण की रोकथाम हेतु लगाए गए लॉकडाउन के कारण कुछ महीनों के लिए परियोजना के निर्माण कार्य बाधित हुए, लेकिन अब परियोजना का काम पूरी गति के साथ आगे बढ़ रहा है।

चूंकि आगरा शहर, ताज ट्रैपीज़ियम ज़ोन के अंतर्गत आता है, अतः निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिए मा. उच्चतम न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता थी, तद्नुसार कंपनी ने आगरा मेट्रो परियोजना का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए मा. उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका दाखिल की, जिसे मा. न्यायालय द्वारा अनुमोदन प्रदान कर किया गया, जिसके बाद 7 दिसंबर, 2020 को मा. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आगरा में मेट्रो के सिविल निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया।

आपकी कंपनी को इंटरनैशनल रॉयल सोसायटी फ़ॉर द प्रिवेंशन ऑफ़ ऐक्सिडेंट्स (आरओएसपीए) द्वारा लखनऊ मेट्रो परियोजना के फ़ेज़ 1–ए हेतु प्रोजेक्ट/इन्फ्रास्ट्रक्चर श्रेणी के अंतर्गत साल 2019 के लिए 'गोल्ड' पुरस्कार प्रदान किया गया। आपकी कंपनी को, 12वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन एवं प्रदर्शनी के दौरान नवंबर, 2019 में लखनऊ मेट्रो परियोजना के लिए 'बेस्ट अर्बन मास ट्रांज़िट परियोजना' का पुरस्कार प्रदान किया गया। कंपनी को, ऊर्जा एवं शक्ति संरक्षण हेतु नवोन्मेष के लिए ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा प्रतिष्ठित 'राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार–2019' से सम्मानित किया गया।

इस उपलक्ष्य पर मैं, यूपीएमआरसी के प्रति सहयोग प्रदान करने के लिए भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों, निदेशक मंडल, विभिन्न शेयरधारकों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं, कंपनी के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कर्मचारियों की कर्तव्यनिष्ठा एवं गंभीर प्रयासों की सहृदय सराहना करता हूं, जिनकी बदौलत सर्वोच्च सुरक्षा–संरक्षा एवं गुणवत्ता के मानकों के साथ कंपनी बहुत ही दुष्प्राप्य समय–सीमा के अंतर्गत अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकी। कंपनी का रूपांतरण एक सतत प्रक्रिया है एवं यह भी संज्ञान में लेना चाहिए कि अपेक्षित परिणाम रातों–रात प्राप्त नहीं होते। हमने असाधारण प्रगति की है, लेकिन अभी भी एक लंबा सफ़र है, जो हमें तय करना है।

मैं लखनऊ एवं संपूर्ण उत्तर प्रदेश की जनता के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने अपना संरक्षण एवं प्रोत्साहन बनाए रखा, जिसकी बदौलत कंपनी अपने निर्धारित दृष्टिकोण एवं मुहिम के साथ आगे बढ़ सकी। अंत में, मैं यूपीएमआरसी के प्रबंध निदेशक एवं पूरी टीम को कंपनी के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु एवं कंपनी को एक प्रतिष्ठित संगठन के रूप में विकसित करने की दिशा में किए गए उनके अथक प्रयासों, अमूल्य योगदान एवं निष्ठा हेतु बधाई देता हूं। हमने बहुत ही कम समय में कई लक्ष्य प्राप्त किए हैं और अब आम जनता की हमसे अपेक्षाएं और भी बढ़ गई हैं, जिनकी हमें निश्चित रूप से प्रतिपूर्ति करनी है। मैं सर्वथा आश्वस्त हूं कि हम यूपीएमआरसी को एक ऐसी कंपनी के रूप में रूपांतरित करेंगे, जो अपने शेयरधारकों के लिए सकारात्मक मूल्य का सृजन कर सके।

सधन्यवाद,

ह0/–

(दुर्गाशंकर मिश्रा)
चेयरमैन, यूपीएमआरसी
सचिव, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

शेयरधारकों के नाम प्रबंध निदेशक महोदय का संदेश

प्रिय शेयरधारको,

आपकी कंपनी की 7वीं वार्षिक आम बैठक में आप सबका स्वागत करना, मेरा गौरवपूर्ण सौभाग्य है। 5 सितंबर, 2017 को लखनऊ मेट्रो परियोजना के अंतर्गत, ट्रासंपोर्ट नगर से चारबाग़ के बीच 'प्रयॉरिटी कॉरिडोर' पर वाणिज्यिक सेवाओं का शुभारंभ हुआ, जिसके बाद 8 मार्च, 2019 को सीसीएस एयरपोर्ट और मुंशीपुलिया के बीच निर्मित संपूर्ण उत्तर–दक्षिण कॉरिडोर पर मेट्रो परिचालन की शुरुआत हुई। यूपीएमआरसी को प्रत्येक दिन, यात्रियों का भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ।

अपने यात्रियों का भरोसा बनाए रखना, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनकी सुरक्षा एवं संरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च रूप से प्राथमिक है। लखनऊ मेट्रो, शहरवासियों को सरकार की ओर से दी हुई एक सुंदर सौगात है और साथ ही, यह सार्वजनिक यातायात का सबसे सुरक्षित साधन है। कोविड–19 की वैश्विक महामारी के इस समय में, जब लोग सार्वजनिक यातायात के साधनों के प्रयोग के प्रति संदेह में हैं, हम अपने यात्रियों को आश्वस्त करते हैं कि लखनऊ मेट्रो उन्हें एक पूर्णरूप से सुरक्षित एवं बाधारहित यातायात का साधन उपलब्ध कराता है। हम समझते हैं कि ग्राहकों के साथ हमारा संबंध पुनीत है और इसलिए, हम अपने यात्रियों से यह निवेदन करते हैं कि वे हमारे बीच के संबंध और भी प्रगाढ़ बनाने के लिए दैनिक यात्रा हेतु मेट्रो सेवाओं का उपयोग करें।

मुझे यह घोषणा करते हुए बहुत ही हर्ष महसूस हो रहा है कि लखनऊ मेट्रो ने समीक्षाधीन वर्ष के अंतर्गत विभिन्न उपलब्धियां हासिल कीं, जिनमें लगभग 23 किमी. लंबे संपूर्ण उत्तर–दक्षिण कॉरिडोर पर मेट्रो सेवाओं के परिचालन के दौरान अच्छे स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन के प्रदर्शन हेतु प्रोजेक्ट/इन्फ्रास्ट्रक्चर श्रेणी के अंतर्गत, 'इंटरनैशनल सेफ़्टी अवॉर्ड–2019' का पुरस्कार; ऊर्जा एवं शक्ति संरक्षण हेतु नवोन्मेष के लिए भारत सरकार के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा प्रदत्त प्रतिष्ठित 'राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार–2019'; 12 वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया प्रदर्शनी एवं सम्मेलन, 2019 में लखनऊ मेट्रो परियोजना को' मास रैपिड ट्रांज़िट प्रोजेक्ट' पुरस्कार एवं रेल इन्फ्रा ऐंड मोबिलिटी बिज़नेस डिजिटल अवॉर्ड्स, 2020 समारोह के दौरान 'ग्रीन मोबिलिटी प्रोजेक्ट ऑफ़ द इयर' का सम्मान शामिल हैं।

लखनऊ की जनता को एक सार्वजनिक यातायात का सबसे सुरक्षित साधन उपलब्ध कराने के साथ, हम आने वाले सालों में पूरी कर्तव्यपरायणता के साथ कानपुर और आगरा मेट्रो परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु भी प्रतिबद्ध हैं। यूपीएमआरसी, कानपुर एवं आगरा मेट्रो परियोजनाओं के सिविल निर्माण को सुदृढ़ बनाने एवं निर्धारित समय–सीमा के अंतर्गत अपेक्षित प्रगति की लक्ष्य प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है।

मा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं श्री हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की गरिमामय उपस्थिति में कानपुर मेट्रो परियोजना के सिविल निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ। कोविड–19 संक्रमण की रोकथाम हेतु लगाए गए लॉकडाउन के कारण कुछ महीनों के लिए परियोजना के निर्माण कार्य बाधित हुए, लेकिन अब परियोजना का काम पूरी गति के साथ आगे बढ़ रहा है।

हाल ही में, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को आगरा मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु भी मा. उच्चतम न्यायालय की ओर से अनुमोदन प्राप्त हुआ, जिसके बाद मा. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिनांक 7 दिसंबर, 2020 को आगरा में मेट्रो रेल परियोजना के सिविल निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ।

मैं, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार, विभिन्न सरकारी एजेंसियों, हमारे आपूर्तिकर्ताओं, कॉन्ट्रैक्टरों एवं यात्रियों समेत सभी शेयरधारकों के गंभीर प्रयासों एवं कर्तव्यनिष्ठा को संज्ञान में लेते हुए, उनकी सराहना करता हूं। मैं इस अवसर का संपूर्ण लाभ उठाते हुए, इस साल हमारा मार्गदर्शन करने वाले सभी लोगों एवं इकाईयों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही, मैं निदेशक मंडल के अपने सभी साथियों को उनके सतत समर्थन एवं मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देता हूं। कंपनी का रूपांतरण एक सतत प्रक्रिया है एवं यह भी संज्ञान में लेना चाहिए कि ऐच्छिक परिणाम रातों–रात प्राप्त नहीं होते। हमने असाधारण प्रगति की है, लेकिन अभी भी एक लंबा सफ़र है, जो हमें तय करना है। मैं सर्वथा आश्वस्त हूं कि हम यूपीएमआरसी को एक ऐसी कंपनी के रूप में रूपांतरित करेंगे, जो अपने शेयरधारकों के लिए महत्वपूर्ण मूल्य का सृजन कर सके।

सधन्यवाद

ह0/–
(कुमार केशव)
प्रबंध निदेशक

2019–20 के प्रमुख घटनाक्रम

अप्रैल, 2019

यूपीएमआरसी ने मनाया 'विश्व पृथ्वी दिवस'

'ग्रीन मेट्रो, क्लीन मेट्रो' के अपने दृष्टिकोण के साथ, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (यूपीएमआरसी) ने 22 अप्रैल, 2019 को विश्व पृथ्वी दिवस (वर्ल्ड अर्थ डे) मनाया और इस अवसर पर कंपनी द्वारा हज़रतगंज मेट्रो स्टेशन पर विद्यार्थियों एवं बच्चों के लिए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं गतिविधियों का आयोजन किया गया। सीएमएस, गोमती नगर के विद्यार्थियों ने 'अवर मदर अर्थ' की थीम पर एक नाटक का मंचन किया, जिसमें वनों एवं पनबिजली ऊर्जा के संरक्षण को रेखांकित किया गया।

यूपी मेट्रो द्वारा शिक्षण संस्थानों में विमर्श सत्रों का आयोजन, मेट्रो यात्रा से जुड़े फ़ायदों के संबंध में किया जागरूक

मेट्रो यात्रा एवं इससे जुड़े फायदों के बारे में जागरूकता के प्रसार के उद्देश्य के साथ उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने एक खास मुहिम चलाई, जिसके अंतर्गत यूपी मेट्रो की टीम ने लखनऊ शहर के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में विशेष विमर्श सत्रों का आयोजन किया, जिस दौरान विद्यार्थियों एवं शिक्षकों आदि को मेट्रो के उपयोग से जुड़े फायदों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। इस मुहिम के दौरान यूपी मेट्रो को शानदार प्रतिक्रिया मिली और सिर्फ 10 दिनों के समय में 4000 से भी ज्यादा विद्यार्थी इस मुहिम का हिस्सा बने।

मई, 2019

आ□जीबीसी ने यूपीएमआरसी को एक 'ग्रीन मेट्रो रेल सिस्टम' के रूप में प्रमाणित किया

इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आईजीबीसी)– भारत में किसी प्रणाली को ग्रीन सिस्टम के रूप में रेटिंग देने और प्रमाणित करने के लिए सर्वोच्च निकायों में से एक– ने यूपीएमआरसी को एकबार फिर 'ग्रीन मेट्रो रेल सिस्टम' के रूप में प्रमाणित किया एवं सीसीएस एयरपोर्ट से मुंशीपुलिया तक निर्मित कंपनी के संपूर्ण उत्तर–दक्षिण कॉरिडोर के सभी मेट्रो स्टेशनों को 'प्लैटिनम' प्रमाणपत्र प्रदान किया।

ब्रिटिश सेफ़्टी काउंसिल द्वारा यूपीएमआरसी को 'इंटरनैशनल सेफ़्टी अवॉर्ड 2019' प्रदान किया गया

ब्रिटिश सेफ़्टी काउंसिल ने उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. को लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के फ़ेज़ 1–ए (उत्तर–दक्षिण कॉरिडोर) हेतु प्रोजेक्ट/इन्फ्रास्ट्रक्चर श्रेणी के अंतर्गत, 'इंटरनैशनल सेफ़्टी अवॉर्ड 2019' से सम्मानित किया।

यूपीएमआरसी ने तनाव प्रबंधन (स्ट्रेस मैनेजमेंट) पर विमर्श सत्र का किया आयोजन

यूपीएमआरसी ने ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो डिपो में 7 मई, 2019 को 'कार्यस्थल पर तनाव' विषय पर, तनाव प्रबंधन विमर्श सत्र का आयोजन किया। अपोलोमेडिक्स हॉस्पिटल से संबद्ध जाने–माने मनोविशेषज्ञ डॉ. उमर मुशीर ने सत्र का संचालन किया और तनाव के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा करते हुए कई अहम मुद्दों पर बात की।

जून, 2019

'नैशनल डे ऑफ़ रेल इन हॉलैंड' में यूपीएमआरसी पर हु□ चर्चा

उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की उपलब्धियों की फ़ेहरिस्त में एक और उपलब्धि जुड़ गई, जब 27 जून, 2019 को 'नैशनल डे ऑफ़ रेल इन हॉलैंड' में यूपीएमआरसी पर चर्चा हुई। उक्त कार्यक्रम में, कंपनी के प्रबंध निदेशक, श्री कुमार केशव ने विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लखनऊ मेट्रो परियोजना पर केस स्टडी प्रस्तुत की।

यूपीएमआरसी ने मनाया 'पर्यावरण सप्ताह, 2019'

पर्यावरण सप्ताह के उपलक्ष्य पर, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने 3 जून, 2019 से लेकर 9 जून, 2019 तक विभिन्न कार्यक्रमों एवं गतिवधियों का आयोजन किया। सप्ताह की शुरुआत, कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री कुमार केशव ने अन्य वरिष्ठ अधिकारियों एवं कर्मचारियों समेत शपथ ग्रहण समारोह के साथ की। इस उपलक्ष्य पर, प्रबंध निदेशक श्री कुमार केशव ने सभी कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा, "पर्यावरण के अस्तित्व पर ही हमारा अस्तित्व निर्भर है। एक बेहतर वर्तमान और बेहतर कल के लिए स्वच्छ पर्यावरण अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है।"

जुलाई, 2019

प्रबंध निदेशक ने हज़रतगंज पर पहली कला प्रदर्शनी "मूविंग एक्सप्रेशन" का किया उद्घाटन

कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री कुमार केशव ने 17 जुलाई, 2019 को हज़रतगंज मेट्रो स्टेशन पर पहली कला प्रदर्शनी 'मूविंग एक्सप्रेशन्स' का शुभारंभ किया। 25 जुलाई, 2019 तक चले इस 9 दिवसीय कार्यक्रम में विभिन्न रचनात्मक कलाकृतियों एवं मूर्तिकला इत्यादि का अविस्मरणीय प्रदर्शन हुआ।

यूपीएमआरसी द्वारा मेट्रो पुस्तक मेले का आयोजन

यूपीएमआरसी ने भारत विमर्श फ़ाउंडेशन और प्रतिष्ठा फ़िल्म्स एवं मीडिया के साथ मिलकर, 3 जुलाई, 2019 से लेकर 7 जुलाई, 2019 तक पांच दिवसीय लखनऊ मेट्रो पुस्तक मेले का आयोजन किया। इस दौरान, यूपी मेट्रो के प्रबंध निदेशक श्री कुमार केशव ने कहा पुस्तकें हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं।

यूपीएमआरसी ने हेपेटाइटिस जागरूकता मुहिम का आयोजन किया

उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. (यूपीएमआरसी) ने 28 जुलाई, 2019 को होप इनिशिएटिव नाम के एक गैर–लाभकारी संगठन के साथ मिलकर हेपेटाइटिस जागरूकता मुहिम का आयोजन किया। इस अवसर पर हज़रतगंज मेट्रो स्टेशन पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसके दौरान आम जनता, मेट्रो यात्रियों एवं कंपनी के कर्मचारियों को अपने विचार एवं दृष्टिकोण प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य के साथ एक सिग्नेचर कैंपेन का भी आयोजन हुआ।

अगस्त, 2019

यूपीएमआरसी को प्रतिष्ठित 'टेक्नॉलजी सभा पुरस्कार 2019' प्राप्त हुआ

उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. (यूपीएमआरसी) को लब्धप्रतिष्ठ 'टेक्नॉलजी सभा पुरस्कार 2019' से सम्मानित किया गया। इंडियन एक्सप्रेस समूह ने लखनऊ मेट्रो की मोबाइल ऐप के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया। यूपी मेट्रो को एंटरप्राइज़ मोबिलिटी श्रेणी के अंतर्गत यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। जयपुर में 10 अगस्त, 2019 को आयोजित एक समारोह में श्री प्रकाश कुमार, सीईओ, जीएसटीएन (वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क) के कर–कमलों द्वारा यह सम्मान प्रदान किया गया।

आधिकारिक–कार्यालयी क्रियाकलापों में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए यूपीएमआरसी ने कार्यशाला का आयोजन किया

29 अगस्त, 2019 को, कंपनी ने अपने गोमती नगर (लखनऊ) स्थित प्रशासनिक भवन में वरिष्ठ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति में आधिकारिक–कार्यालयी क्रियाकलापों में 'राजभाषा' हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य के साथ एक कार्यशाला का आयोजन किया। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की एक टीम ने यूपीएमआरसी के विभिन्न परिसरों का दौरा किया और आधिकारिक दस्तावेज़ों, फ़ाइलों एवं पत्राचार का विश्लेषण किया, जिसमें यह पाया गया कि कंपनी इन सभी क्रियाकलापों को हिन्दी एवं अंग्रेज़ी दोनों ही भाषाओं में तैयार करती है।

सितम्बर, 2019

यूपीएमआरसी ने 5 सितंबर, 2019 को दूसरा 'मेट्रो दिवस' मनाया

उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. (यूपीएमआरसी) ने 5 सितंबर, 2019 को सफलतापूर्वक मेट्रो परिचालन के उत्कृष्ट दो वर्ष पूरे किए। इस उपलक्ष्य पर यूपीएमआरसी ने ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो डिपो में लखनऊ मेट्रो दिवस के दूसरे संस्करण का आयोजन किया, जिस दौरान उत्तर प्रदेश के उप–मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा; श्री दीपक कुमार, प्रमुख सचिव, आवासन एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन एवं कुमार केशव, प्रबंध निदेशक, यूपीएमआरसी उपस्थित रहे।

यूपीएमआरसी ने जीता अंतरराष्ट्रीय 'रॉयल सोसायटी फ़ॉर द प्रिवेंशन ऑफ़ ऐक्सिडेंट्स (आरओएसपीए)– गोल्ड पुरस्कार'

यूपीएमआरसी ने लखनऊ मेट्रो परियोजना के अंतर्गत संपूर्ण उत्तर–दक्षिण कॉरिडोर के लिए प्रोजेक्ट/इन्फ्रास्ट्रक्चर श्रेणी के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय 'रॉयल सोसायटी फ़ॉर द प्रिवेंशन ऑफ़ ऐक्सिडेंट्स (आरओएसपीए)– गोल्ड पुरस्कार' जीतकर, एक और असाधारण उपलब्धि अपने नाम की। लखनऊ मेट्रो परियोजना को यह पुरस्कार, ग्लासगो, यूके में 12 सितंबर, 2019 को आयोजित एक समारोह के दौरान प्रदान किया गया।

अक्टूबर, 2019

मेमफिस एरिया ट्रांज़िट अथॉरिटी (एमएटीए), यूएस के शिष्टमंडल ने किया यूपीएमआरसी का दौरा

मेमफिस एरिया ट्रांज़िट अथॉरिटी (एमएटीए), यूएस के शिष्टमंडल ने 21 अक्टूबर, 2019 को यूपीएमआरसी का दौरा किया। श्री गैरी रोज़नफ़ील्ड एवं उनकी टीम ने ट्रासंपोर्ट नगर मेट्रो डिपो में स्थित वर्कशॉप कम इन्सपेक्शन बे लाइन का दौरा किया, जहां पर उन्होंने लखनऊ मेट्रो के रोलिंग स्टॉक्स (मेट्रो ट्रेनों) के लिए स्थापित विश्वस्तरीय अनुरक्षण सेवाओं का जायज़ा लिया। श्री गैरी रोज़नफ़ील्ड ने निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कंपनी के प्रबंध निदेशक को बधाई दी।

यूपीएमआरसी के प्रबंध निदेशक को मिला 'कन्सट्रक्शन वर्ल्ड– पर्सन ऑफ़ द इयर–2019' सम्मान

16 अक्टूबर, 2019 को कन्सट्रक्शन वर्ल्ड ग्लोबल अवॉर्ड्स, 2019 कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. (यूपीएमआरसी) के प्रबंध निदेशक श्री कुमार केशव को 'कन्सट्रक्शन वर्ल्ड–पर्सन ऑफ़ द इयर' पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नई दिल्ली में आयोजित हुए इस कार्यक्रम का यह 17वां संस्करण था।

महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य पर यूपीएमआरसी द्वारा एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन

महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर, यूपी मेट्रो ने हमारे प्यारे 'बापू' की स्मृति में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया, जो महात्मा गांधी के स्वच्छता, दयाशीलता एवं सत्यवादिता के सिद्धांतों के अनुक्रम में थे। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के दिन एक विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य, एक स्वस्थ एवं सुंदर समाज के निर्माण के लक्ष्य के साथ महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने के लिए प्रोत्साहित करना था।

नवम्बर, 2019

उप–मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश ने 'बेस्ट अर्बन मास ट्रांज़िट प्रोजेक्ट' की ट्राफ़ी यूपी मेट्रो के एमडी को प्रदान की

यूपीएमआरसी को 12वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया प्रदर्शनी एवं सम्मेलन में 'बेस्ट अर्बन मास ट्रांज़िट प्रोजेक्ट' का पुरस्कार प्रदान किया गया। यूपीएमआरसी को, देश में सबसे तेज़ी के साथ पूरी होने वाली लखनऊ मेट्रो परियोजना के लिए, निर्धारित समय सीमा से पूर्व परियोजना के क्रियान्वयन, ऊर्जा संरक्षण, प्रसार एवं जागरूकता कार्यक्रमों, रूटों के निर्धारण एवं लास्ट माइल कनेक्टिविटी के बिंदुओं के मद्देनज़र, यह पुरस्कार प्रदान किया गया। डॉ. दिनेश शर्मा, उप–मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश द्वारा 15 से 17 नवंबर, 2019 के बीच लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में इस पुरस्कार की ट्राफ़ी, कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री कुमार केशव को प्रदान की गई।

यूपीएमआरसी ने कानपुर मेट्रो परियोजना के सिविल निर्माण कार्य का उद्घाटन भूमि पूजन के साथ किया

उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. ने कानपुर मेट्रो परियोजना के अंतर्गत चिह्नित 8.728 किमी. लंबे प्रयॉरिटी कॉरिडोर (आईआईटी से मोतीझील) पर सिविल निर्माण कार्य का शुभारंभ 15 नवंबर, 2019 से किया। सिविल निर्माण का शुभारंभ, आईआईटी, कानपुर के मुख्य गेट पर भूमिपूजन के साथ किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने रिग मशीन का बटन दबाकर निर्माण कार्यों की शुरुआत की।

'अंतरराष्ट्रीय बाल दिवस' के अवसर पर यूपीएमआरसी ने मेट्रो स्टेशनों पर चला 7 दिवसीय मुहिम

अंतरराष्ट्रीय बाल दिवस के अवसर पर, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. (यूपीएमआरसी) ने यूनिसेफ़ (यूनाइटेड नेशन्स इंटरनैशनल चिल्ड्रेन्स एमरजेंसी फ़ंड) के साथ मिलकर मेट्रो स्टेशनों पर 7 दिवसीय मुहिम का आयोजन किया। 'बाल अधिकारों पर सम्मेलन' की 30वीं वर्षगांठ पर इस मुहिम का आग़ाज़ किया गया।

दिसम्बर, 2019

यूपीएमआरसी को बीईई द्वारा 'राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार, 2019' प्रदान किया गया

लखनऊ मेट्रो (वर्तमान में उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. का हिस्सा) को राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 'राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, 2019' से सम्मानित किया गया। लखनऊ मेट्रो को अपनी परिचालन प्रणाली में प्रयुक्त की गईं ऊर्जा एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु विभिन्न व्यवस्थाओं के मद्देनज़र यह पुरस्कार प्रदान किया गया। लखनऊ मेट्रो, देश की पहली ऐसी मेट्रो परियोजना है, जिसमें मेट्रो स्टेशनों, डिपो एवं मेट्रो ट्रेनों में 100% एलईडी लाइटिंग की व्यवस्था की गई है।

यूपीएमआरसी ने 'निर्भया चेतना दिवस' के रूप में जागरूकता कार्यक्रम का किया आयोजन

उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. ने रेड ब्रिगेड, लखनऊ– एक गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ) के साथ मिलकर 16 दिसंबर, 2019 को 'निर्भया चेतना दिवस' का आयोजन किया।

जनवरी, 2020

यूपीएमआरसी ने कानपुर में यू-गर्डर्स की कास्टिंग का किया शुभारंभ

यूपीएमआरसी ने 20 जनवरी, 2020 से कानपुर मेट्रो के कास्टिंग यार्ड में यू–गर्डर्स की कास्टिंग की प्रक्रिया शुरू की। कानपुर में, लखनऊ मेट्रो परियोजना की अपेक्षा लगभग 2.5 महीने पहले यू–गर्डर्स की कास्टिंग शुरू हुई। प्रबंध निदेशक श्री कुमार केशव ने विधिवत पूजा–अर्चना के बाद यू–गर्डर्स की कॉन्क्रीटिंग की प्रक्रिया का शुभारंभ किया।

राजभवन के कर्मचारियों, स्कूली बच्चों एवं अध्यापकों के एक समूह ने मेट्रो यात्रा का आनंद लिया

राजभवन स्थित विद्यालय के लगभग 100 बच्चों ने अपने अध्यापकों एवं राजभवन कर्मचारियों के साथ मिलकर 19 जनवरी, 2020 को लखनऊ मेट्रो की यात्री सेवाओं का आनंद लिया।

फरवरी, 2020

यूपीएमआरसी ने राज्य शाक-भाजी, फल एवं पुष्प प्रदर्शनी, 2020 में प्रतिभागिता कर जीते पुरस्कार

यूपीएमआरसी ने राजभवन परिसर में आयोजित हुई, राज्य शाक–भाजी, फल एवं पुष्प प्रदर्शनी, 2020 में प्रतिभागिता की एवं विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत पुरस्कार भी प्राप्त किए। 'फूलों के साथ शादी के मंडप की कलात्मक सज्जा' की श्रेणी में कंपनी ने प्रथम पुरस्कार और 'मौसमी फूलों से सज्जित पात्र एवं सिनरारिया पॉट्स' की श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया।

यूपीएमआरसी ने मेट्रो पुस्तक मेले–2020 का किया आयोजन

यूपीएमआरसी एवं रेपर्टवार ने संयुक्त रूप से हज़रतगंज मेट्रो स्टेशन पर 'मेट्रो पुस्तक मेला–2020' का आयोजन किया। यह आयोजन 16 फ़रवरी, 2020 से 1 मार्च, 2020 के बीच हुआ।

मार्च, 2020

लॉकडाउन अवधि में यूपीएमआरसी ने संचालित किया कम्युनिटी किचन

यूपीएमआरसी ने लॉकडाउन अवधि के दौरान, प्रवासी श्रमिकों के लिए नियमित भोजन की व्यवस्था करने के उद्देश्य के साथ ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो डिपो की कैंटीन में कम्युनिटी किचन स्थापित एवं संचालित किया।

केयर फ़ाउंडेशन की ज़रूरतमंद महिलाओं ने किया हज़रतगंज मेट्रो स्टेशन का भ्रमण

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर, केयर फ़ाउंडेशन की 45 ज़रूरतमंद महिलाओं ने हज़रतगंज मेट्रो स्टेशन का दौरा किया, जहां पर उन्होंने माहवारी से संबंधित स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं एवं स्वच्छता के साथ–साथ महिला सशक्तिकरण के विषय पर विशेषज्ञों के विचार जाने। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान (सीडीआरआई) के एक वैज्ञानिक ने एक सकारात्मक विमर्श के माध्यम से उक्त के संबंध में महिलाओं को जागरूक किया।

यूपीएमआरसी ने संपूर्ण उत्तर–दक्षिण कॉरिडोर पर मेट्रो यात्री सेवाओं के परिचालन का सफलतापूर्ण एक वर्ष पूरा किया

यूपीएमआरसी ने 8 मार्च, 2020 को संपूर्ण उत्तर–दक्षिण कॉरिडोर (सीसीएस एयरपोर्ट से मुंशीपुलिया) पर मेट्रो यात्री सेवाओं के परिचालन का सफलतापूर्ण एक वर्ष पूरा किया। इस अवसर पर, यूपीएमआरसी ने सभी पंजीकृत गो–स्मार्ट धारकों को निःशुल्क यात्रा कराई एवं शीर्ष 10 गो–स्मार्ट कार्ड उपभोक्ताओं को सम्मानित भी किया।

यूपीएमआरसी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह, 2020 का आयोजन किया

यूपीएमआरसी ने 2 मार्च, 2020 से 7 मार्च, 2020 तक 'राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह' का आयोजन किया। यूपीएमआरसी के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने गोमती नगर स्थित प्रशासनिक भवन एवं ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो डिपो में आयोजित 'सुरक्षा शपथ समारोह' में हिस्सा लिया।

निदेशकों का प्रतिवेदन

सेवा में,

सदस्यगण
उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि0

आपके निदेशकों को आपके समक्ष, 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित लेखाओं, लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन और उनपर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित कंपनी का 7वाँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है।

1. वित्तीय परिणाम एवं कार्यप्रदर्शन

31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की वित्तीय स्थिति

(लाख रुपए में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु	वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु
कुल आय	14815.16	10890.14
घटाएं: परिचालन व्यय	6775.24	2813.63
घटाएं: मूल्यह्रास	24496.50	8582.34
घटाएं: वित्तीय व्यय	626.00	211.46
घटाएं: अपवाद स्वरूप मद	(124.38)	(344.82)
कर से पूर्व लाभ (हानि)	(25026.85)	(7211.16)
जोड़ें/(घटाएं): कर व्यय	-	-
कर के पश्चात शुद्ध लाभ (हानि)	(25026.85)	(7211.16)
सामान्य आरक्षित निधि में अंतरण	-	-
तुलन पत्र में अग्रेनीत किया गया लाभ	-	-

सामान्य आरक्षित निधि में अंतरण:

बोर्ड ने सामान्य आरक्षित निधि में कोई राशि अंतरित करने की अनुशंसा नहीं की है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु लाभांश

समीक्षाधीन वर्ष यानी 2019–20 के दौरान कंपनी को हानि हुई, अतः निदेशक मंडल ने कंपनी के इक्विटी शेयरों को लाभांश घोषित करने की अनुशंसा नहीं की है।

2. कंपनी का नाम 'एलएमआरसी' से बदलकर 'यूपीएमआरसी' किया जाना

कंपनी, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का एक संयुक्त उपक्रम है, जिसे उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में इंटीग्रेटेड रैपिड मास पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के क्रियान्वयन हेतु कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत गठित किया गया। चूंकि, कंपनी को उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में रेल परियोजनाओं एवं इंटीग्रेटेड रैपिड मास पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अन्य साधनों के क्रियान्वयन हेतु विश्वसनीय पाया गया, अतः भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने आपसी सहमति के साथ लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. करने का निर्णय लिया, ताकी कंपनी का नाम, उसकी गतिविधियों को बेहतर ढंग से परिलक्षित कर सके। कंपनी के नाम में परिवर्तन हेतु, कंपनी को कंपनी रजिस्ट्रार, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 23 अक्टूबर, 2019 को प्रमाण पत्र जारी किया गया।

3. यूपीएमआरसी की विभिन्न मेट्रो परियोजनाओं की मौजूदा स्थिति

(i) कानपुर मेट्रो रेल परियोजना

कानपुर मेट्रो परियोजना के अंतर्गत दो मेट्रो कॉरिडोर्स प्रस्तावित हैं; पहला कॉरिडोर–आईआईटी, कानपुर से मोतीझील के बीच, जिसकी कुल लंबाई 23.785 किमी. है और इसके अंतर्गत 21 मेट्रो स्टेशन आते हैं, जिनमें से 14 स्टेशन उपरिगामी (एलिवेटेड) और 7 स्टेशन भूमिगत (अंडरग्राउंड) हैं। दूसरा कॉरिडोर, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय और बर्रा–8 के बीच बनना है, जिसकी कुल लंबाई 8.60 किमी. है और जिसके अंतर्गत 4 उपरिगामी एवं 4 भूमिगत स्टेशन निर्धारित हैं। संपूर्ण परियोजना की अनुमानित लागत 11,076.48 करोड़ रुपए है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना का वित्त–पोषण, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समान इक्विटी के आधार पर संयुक्त रूप से किया जाएगा और आंशिक रूप से वित्त–पोषण की आपूर्ति बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय वित्त–पोषण संस्था/संस्थाओं से सुलभ ऋण के रूप में की जाएगी।

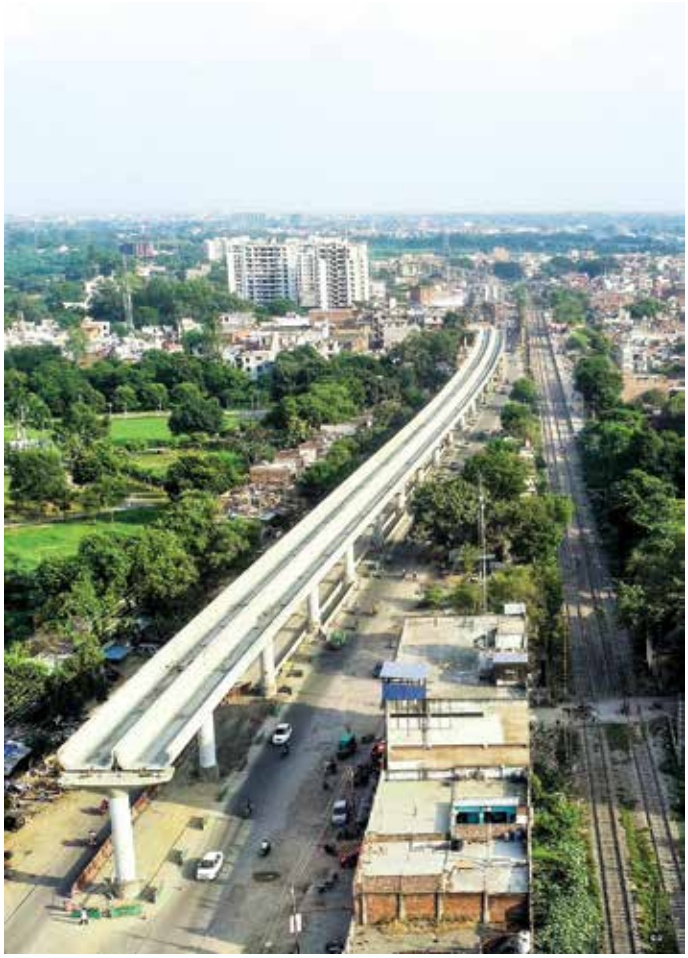

यह परियोजना, शहरवासियों को एक किफ़ायती, भरोसेमंद, सुरक्षित एवं बाधारहित सार्वजनिक यातायात का साधन उपलब्ध कराएगी, जिससे शहर के सतत विकास हेतु भूमि के उपयोग एवं शहरी विस्तार पर नियंत्रण के साथ–साथ शहर में दुर्घटनाओं, प्रदूषण, यात्रा के समय, ऊर्जा उपभोग और असामाजिक घटनाओं में भी कमी आएगी।

आईआईटी, कानपुर से नौबस्ता के बीच बनने वाला परियोजना का पहला कॉरिडोर, शहर के बीचोंबीच, प्रमुख शिक्षण संस्थानों, रेलवे और बस स्टेशनों जैसे कि आईआईटी, कानपुर; सीएसजेएम विश्वविद्यालय, जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज, झकरकटी बस अड्डा और कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन आदि से होता हुआ गुज़रेगा।

कृषि विश्वविद्यालय से बर्रा–8 के बीच बनने वाला मेट्रो कॉरिडोर, शहर के घनी आबादी

वाले क्षेत्रों जैसे कि काकादेव और गोविंद नगर आदि तक सुलभ यातायात का साधन उपलब्ध कराएगा। मेट्रो, शहरवासियों, औद्योगिक कामगारों, आगंतुकों एवं यात्रियों को एक पर्यावरण के अनुकूल और सतत सार्वजनिक यातायात का साधन मुहैया कराएगी। अनुमान के अनुसार, वाणिज्यिक सेवाओं के प्रारंभ के समय, कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के माध्यम से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से लगभग 50 लाख लोग लाभान्वित होंगे।

प्रस्तावित कॉरिडोर्स में रेलवे स्टेशनों के साथ बहुविध एकीकरण होगा और साथ ही, इनके साथ बसों का फ़ीडर नेटवर्क, इंटरमीडिएट पब्लिक ट्रांसपोर्ट (आईपीटी) और नॉन–मोटराइज़्ड ट्रांसपोर्ट (एनएमटी) भी उपलब्ध होगा। कानपुर मेट्रो परियोजना, किराए और विज्ञापनों के साथ–साथ ट्रांज़िट ओरिएंटेड डिवेलपमेंट (टीओडी) और ट्रांसफ़र ऑफ़ डिवेलपमेंट राइट्स (टीडीआर) के ज़रिए वैल्यू कैप्चर फ़ाइनैंसिंग (वीसीएफ़) माध्यम से नॉन–फ़ेयर बॉक्स रेवेन्यू उत्पन्न करेगी।

आईआईटी से मोतीझील के बीच चिह्नित प्राथमिक सेक्शन (प्रयॉरिटी कॉरिडोर) का निर्माण कार्य जारी है और ऐसी अपेक्षा है कि कोविड–19 के कारण निर्माण कार्य के प्रभावित होने के बाद भी प्राथमिक सेक्शन निर्धारित समय–सीमा के अंतर्गत ही पूरा हो जाएगा। मेट्रो डिपो का निर्माण कार्य भी अच्छी गति के साथ जारी है।

(ii) आगरा मेट्रो रेल परियोजना

आगरा मेट्रो परियोजना के अंतर्गत दो मेट्रो कॉरिडोर्स निर्मित होंगे, जो शहर के सभी प्रमुख स्थलों को आपस में जोड़ेंगे। पहला कॉरिडोर, सिकंदरा से ताज ईस्ट गेट के बीच निर्मित होगा, जिसकी कुल लंबाई लगभग 14 किमी. होगी, जिसके अंतर्गत 13 मेट्रो स्टेशन (6 उपरिगामी और 7 भूमिगत) होंगे। दूसरा कॉरिडोर, आगरा कैंट और कालिंदी विहार के बीच बनेगा, जिसकी कुल लंबाई लगभग 15.4 किमी. होगी और इसके अंतर्गत 14 मेट्रो स्टेशन (सभी उपरिगामी) होंगे। परियोजना की कुल अनुमानित लागत 8,379.62 करोड़ रुपए है।

ये कॉरिडोर्स, शहर के सभी प्रमुख सार्वजनिक स्थलों, पर्यटन स्थलों और शहर के भीड़–भाड़ वाले इलाकों को आपस में जोड़ेंगे। यह परियोजना शहरवासियों को एक किफ़ायती, भरोसेमंद, सुरक्षित एवं बाधारहित सार्वजनिक

यातायात का साधन उपलब्ध कराएगी, जिससे शहर के सतत विकास हेतु भूमि के उपयोग एवं शहरी विस्तार पर नियंत्रण के साथ–साथ शहर में दुर्घटनाओं, प्रदूषण, यात्रा के समय, ऊर्जा उपभोग और असामाजिक घटनाओं में भी कमी आएगी।

सिकंदरा से ताज ईस्ट गेट के बीच बनने वाला पहला कॉरिडोर, शहर के बीचोंबीच से होकर गुज़रेगा और प्रमुख पर्यटन स्थलों जैसे कि ताज महल, आगरा फ़ोर्ट, सिकंदरा, आईएसबीटी, राजा की मंडी रेलवे स्टेशन, मेडिकल कॉलेज आदि को आपस में जोड़ेगा। आगरा कैंट और कालिंदी विहार के बीच बनने वाला दूसरा कॉरिडोर; आगरा कैंट रेलवे स्टेशन, कलेक्टरेट, संजय प्लेस और आस–पास के घनी आबादी वाले रिहाइशी इलाकों को जोड़ेगा। मेट्रो सेवाएं, शहरवासियों, औद्योगिक कामगारों, आगंतुकों एवं यात्रियों को एक पर्यावरण के अनुकूल और सतत सार्वजनिक यातायात का साधन मुहैया कराएगी।

आगरा मेट्रो परियोजना, ताज ट्रैपीज़ियम ज़ोन (टीटीजेड) के अंतर्गत आती है, अतः मा. सर्वोच्च न्यायालय ने ताज ट्रैपीज़ियम ज़ोन में औद्योगिक गतिविधियों एवं पेड़ों की कटाई पर सामान्य प्रतिबंध लगाए हैं। तद्नुसार, कंपनी ने एक याचिका दाखिल की और आगरा मेट्रो परियोजना का निर्माण कार्य आरंभ करने की अनुमानित मांगी। मा. सर्वोच्च न्यायालय ने आगरा मेट्रो परियोजना का निर्माण कार्य शुरू करने की अनुमति प्रदान कर दी है। तद्नुसार, परियोजना का निर्माण कार्य कुछ समय में प्रारंभ होगा।

(iii) लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना

सीसीएस एयरपोर्ट से मुंशीपुलिया के बीच, लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के लगभग 23 किमी. लंबे संपूर्ण उत्तर–दक्षिण कॉरिडोर पर 8 मार्च, 2019 से मेट्रो रेल का वाणिज्यिक परिचालन हो रहा है।

4. चल स्टॉक (रोलिंग स्टॉक)

31 मार्च, 2020 तक, कंपनी के पास कुल 80 मेट्रो कोच हैं, जिनकी अधिकतम गति क्षमता 90 किमी./घंटा है और निर्धारित गति सीमा 32–35 किमी./घंटा है, जिसमें प्रति स्टेशन रुकने/ठहराव के लिए 30 सेकंड और 100 सेकंड का डिज़ाइन हेडवे शामिल है।

यूपीएमआरसी की ट्रेनें यात्री गुणवत्ता, कम शोर स्तर और पर्यावरण अनुकूलता के संबंध में ऊर्जा सक्षम, विश्वसनीय एवं सुविधाजनक हैं। स्टेनलेस स्टील से बनीं मेट्रो कोचों की बॉडी हल्के वज़न की है। ऊर्जा संरक्षण में सक्षम ये मेट्रो ट्रेनें, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के दौरान ओवरहेड विद्युत ऊर्जा प्रणाली को संचित ऊर्जा वापस करती रहती हैं। ट्रेन की सभी प्रणालियों की निगरानी और आंशिक तौर पर नियंत्रण एक माइक्रोप्रोसेसर आधारित ट्रेन कंट्रोल ऐंड मैनेजमेंट सिस्टम (टीसीएमएस) द्वारा किया जाता है।

कंपनी ने मेसर्स बॉम्बार्डियर ट्रांसपोर्ट इंडिया प्राइवेट लि. और मेसर्स बॉम्बार्डियर ट्रांसपोर्टेशन जीएमबीएच के समूह को 201 कारों हेतु रोलिंग स्टॉक और सिग्नलिंग का एकीकृत कॉन्ट्रैक्ट प्रदान किया है। मौजूदा चुनौतीपूर्ण समय में, रोलिंग स्टॉक और सिग्नलिंग का एकीकृत कॉन्ट्रैक्ट, तर्कसंगत लागत में एक योग्य प्रदाता को दिया जाना, एक अच्छी उपलब्धि है। कानपुर और आगरा मेट्रो परियोजनाओं के लिए मेट्रो कोच, कॉन्ट्रैक्टर के गुजरात के वड़ोदरा में स्थित सावली प्लान्ट में निर्मित होंगे, जो भारत सरकार की 'मेक इन इंडिया' मुहिम के तहत एक बड़ी उपलब्धि है।

कंपनी ने कानपुर और आगरा मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए रोलिंग स्टॉक और सिग्नलिंग का कॉन्ट्रैक्ट संयुक्त रूप से दिया है, जिसके परिणामस्वरूप.

- सर्वोत्तम मालसूची प्रबंधन के ज़रिए सबसे किफ़ायती प्रति कार दर पर ख़रीद तथा परिचालन एवं अनुरक्षण में बचत के बल पर अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में योगदान;
- दोनों ही परियोजनाओं के पूर्ण होने की समान और चुनौतीपूर्ण समयावधि को देखते हुए परियोजना के तीव्र क्रियान्वयन में योगदान;
- समय और लागत की पर्याप्त बचत के साथ–साथ आरडीएसओ, रेलवे बोर्ड और सीएमआरएस से संयुक्त रूप से अनुमोदन का लाभ;
- चूंकि, दोनों परियोजनाओं में एक ही सिग्नलिंग सिस्टम होगा, इसलिए भविष्य में अतिरिक्त कोचों की ख़रीद के बजाय राइडरशिप को ध्यान में रखते हुए मेट्रो कोचों को एक शहर से दूसरे शहर स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

यात्री सुरक्षा हेतु रोलिंग स्टॉक में मौजूद फ़ीचर्स:

- एटीपी/एटीओ: मेट्रो परिचालन के दौरान यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रोलिंग स्टॉक कॉन्टीन्युअस ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन (एटीपी) और ऑटोमैटिक ट्रेन ऑपरेशन (भविष्य में) प्रणालियों से लैस है। यह एक स्थापित तथ्य है कि 60–70% दुर्घटनाएं मानवीय त्रुटियों के कारण होती हैं। उपरोक्त प्रणालियों के फलस्वरूप मानवीय त्रुटियों की भूमिका न के बराबर हो जाती है। रोलिंग स्टॉक में मौजूद कम्प्यूटरीकृत एटीसी प्रणाली, ट्रेन पर संपूर्ण नियंत्रण के लिए गति इत्यादि के डेटा की निरंतर समीक्षा एवं सत्यापन करती रहती है।

- अग्निः रोलिंग स्टॉक में इस्तेमाल हुई सामग्री, अग्निरोधक है और इनका फ़ायर लोड और ऊष्मा अवमुक्ति दर कम होते हैं तथा इनसे धुएं का उत्सर्जन भी कम होता है और फलस्वरूप मेट्रो कोच के अंदर जहरीली गैस फैलने की आशंका नहीं होती। बिजली के जिन तारों का इस्तेमाल किया गया है, उनमें हैलोजन की मात्रा शून्य है और इस वजह से आग लगने की स्थिति में इन तारों से कम धुएं का उत्सर्जन होगा और यात्री पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे।
- आपातकालीन द्वारः रोलिंग स्टॉक में आपातकालीन निकास की व्यवस्था की गई है ताकी आग लगने या ऐसी अन्य आपात–स्थितियों में यात्रियों को सुयोचित ढंग से ट्रेन से बाहर निकाला जा सके।
- क्रैश से बचाव हेतु फ़ीचर्सः रोलिंग स्टॉक में इंटर–कार कपलर्स लगाए गए हैं, जिनमें क्रैश (भिडंत) के प्रभाव को कम करने के लिए ज़रूरी फ़ीचर्स मौजूद हैं और जिनकी बदौलत ट्रेन दुर्घटना की स्थिति में यात्रियों पर न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा।
- गैंगवेज़ः मेट्रो कारों के बीच में चौड़े गैंग–वेज़ बनाए गए हैं ताकी आपात–स्थिति में यात्री सुरक्षितरूप से कारों के बीच से होकर गुज़र सकें।

5. सिग्नलिंग और ट्रेन नियंत्रणः

कॉन्टिन्युअस ऑटोमैटिक ट्रेन कंट्रोल सिस्टम (सीएटीएस) के साथ "संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण" (सीबीटीसी) पर आधारित अत्याधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। कोडेड ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रैक सर्किट, ऑटोमैटिक ट्रेन ऑपरेटिंग सिस्टम (एटीओ), ऑटोमैटिक रूट सेटिंग और ऑटोमैटिक ट्रेन रेग्युलेशन सहित ऑटोमैटिक ट्रेन सुपरविज़न सिस्टम (एटीएस) के माध्यम से ट्रैक से ट्रेन संचार सहित कैब सिग्नलिंग के साथ ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन (एटीपी), लखनऊ एमआरटीएस के ट्रेन कंट्रोल ऐंड सिग्नलिंग सिस्टम की प्रमुख विशेषताएं हैं।

सीसीटीवी प्रणाली, विश्व की नवीनतम तकनीक पर आधारित है। इसमें हाई–एंड रेज़ॉलूशन कैमरा, आईपी आधारित और इन्फ्रारेड सक्षम कैमरे शामिल हैं। यह सुदूर स्थान से भी कैमरा ऐक्सेस करने में मदद करता है। सीसीटीवी रात में भी निगरानी करने में सक्षम है। सिंगल पॉइंट पर सभी कैमरों की निगरानी के लिए डिपो कंट्रोल सेंटर (डीसीसी) बिल्डिंग में एक बड़ी विडियो वॉल स्थापित की गई है।

यात्रियों की मदद के लिए प्लैटफ़ॉर्म के बीच में एक हेल्पफ़ोन लगाया गया है। यदि कोई भी यात्री हेल्पफ़ोन उठाता है, तो स्टेशन कंट्रोलर की सीसीटीवी स्क्रीन में एक सीसीटीवी पॉपअप दिखाई देगा और कंट्रोलर उस यात्री से बात करने के साथ–साथ उसे देख भी सकेगा।

आपकी कंपनी द्वारा अपनाई जा रही संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली (कम्युनिकेशन बेस्ट ट्रेन कंट्रोल सिस्टम), मूविंग–ब्लॉक परिचालन सिद्धांत पर आधारित है, जो मेट्रो ट्रैक पर परिचालन के दौरान पूरी तरह से ट्रेन से संचार स्थापित रखता है और प्रणाली के प्रदर्शन की गुणवत्ता को बढ़ाता है (उदाहरणस्वरूप कम से कम हेडवे)।

यह सिग्नलिंग सिस्टम, प्रभावी ट्रेन नियंत्रण और ट्रेन के परिचालन के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने में बेहद कारगर है। साथ ही, यह सिस्टम मेट्रो के सुयोचित ढांचागत निवेश और मेट्रो नेटवर्क पर प्रभावी और किफ़ायती रूप से ट्रेनों के परिचालन में भी सहयोग प्रदान करता है। सिग्नलिंग सिस्टम की विशेषताएं:

- 90 सेकंड का डिज़ाइन हेडवे और 120 सेकंड का ऑपरेशनल हेडवे (ट्रेनों की आवृत्ति का समय)
- ड्वेल टाइम (स्टेशन पर रुकने का समय): अधिकतम 45 सेकंड और न्यूनतम 15 सेकंड
- परिचालन प्रणालीः GOA2.
- संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली (सीबीटीसी) आधारित कॉन्टीन्युअस ऑटोमैटिक ट्रेन कंट्रोल सिस्टम (सीएटीएस), जिसमें ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन (एटीपी), ऑटोमैटिक ट्रेन ऑपरेशन (एटीओ) और ऑटोमैटिक ट्रेन सुपरविज़न (एटीएस) सिस्टम शामिल हैं।

सिग्नलिंग सिस्टम सभी ट्रेनों की सटीक तात्कालिक स्थिति की निगरानी करता है, जो बहुत ही भरोसेमंद है। साथ ही, उपरोक्त प्रणाली की बदौलत ट्रैक के किनारे लगने वाले हार्डवेयर उपकरणों की संख्या कम हो गई है, जिसके फलस्वरूप इस प्रणाली के अनुरक्षण (मेंटेनेंस) की लागत भी काफ़ी कम है।

6. स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली (ऑटोमैटिक फ़ेयर कलेक्शन सिस्टम)

स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली, यूपीएमआरसी द्वारा अपनाया गया, एक अभिनव क्रियान्वयन मॉडल है। एचडीएफ़सी बैंक ने ईवीएम मानकों के सह–ब्रांडेड स्मार्ट कार्ड जारी किए हैं, जिनका उपयोग लखनऊ मेट्रो के टिकट और अन्य पॉइंट ऑफ़ सेल्स (PoS) पर असॉर्टेड वैल्यू कार्ड के रूप में किया जा सकता है। सीसीएस हवाई अड्डे से मुंशीपुलिया तक सभी स्टेशनों पर साइट और क्लाउड दोनों पर एएफ़सी उपकरण स्थापित और चालू किए गए हैं।

7. परिचालन और ग्राहक सुविधाओं में वृद्धि

कंपनी का उद्देश्य ग्राहकों के यात्रा के अनुभव को सुविधाजनक बनाना है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत, कंपनी ने लखनऊ मेट्रो के सभी यात्रियों को कंपनी के सभी स्टेशनों पर मुफ़्त में टॉयलट (शौचालय) ब्लॉक उपलब्ध कराए हैं। आसपास में सफ़ाई और स्वच्छता बनाए रखने के लिए; ट्रेन के अगली यात्रा शुरू करने के पहले टर्मिनल स्टेशनों पर मेट्रो कोच की सफ़ाई की जाती है। सफ़ाई और स्वच्छता के महत्व के बारे में यात्रियों को जागरूक करने के लिए स्टेशनों पर नुक्कड़ नाटक (स्ट्रीट प्ले) का मंचन भी किया गया।

8. वैकल्पिक राजस्व हेतु उठाए गए कदम:

अपने आधार को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य के साथ, आपकी कंपनी वैकल्पिक आय के लिए परोक्ष लाभार्थियों और अन्य स्रोतों का संतुलन बनाने के तरीक़े खोज रही है। नॉन–फ़ेयर बॉक्स रेवेन्यू के आयामों की पहचान और तलाश की गई है, जिनमें निम्नलिखित को शामिल किया गया है:

- विज्ञापन
- वाणिज्यिक विकास कार्य और स्टेशन परिसर का खाली स्थान किराए पर देना
- संपत्ति का विकास
- ऑप्टिक फ़ाइबर केबल्स को लीज़ पर देना
- टावर स्पेस लीज़ पर देना
- पार्किंग

कंपनी विज्ञापन, वाणिज्यिक विकास और किराए, पार्किंग और टावर स्पेस को लीज़ पर देकर राजस्व अर्जित कर रही है। कई प्रतिष्ठित ब्रैंड जैसे कि डॉमिनोज़, अमूल, जंबो किंग, नेस्ले, बन मक्खन चाय, गोली वड़ा पाव, मिस्टर ब्राउन, ए–वन फूड्स ऐंड बेकर्स ने लखनऊ मेट्रो के विभिन्न स्टेशनों पर अपने स्टोर/आउटलेट खोले हैं, जिससे कंपनी को संपत्ति विकास के रूप में लाभ मिल रहा है।

9. विद्युत एवं अनुरक्षण:

- लिफ़्ट और एस्कलेटर के लिए रीजेनरेटिव वीवीवीएफ़ ड्राइव का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा संरक्षण होता है।
- पूरे मेट्रो सिस्टम में हर स्थान पर सिर्फ़ एलईडी लाइटों का ही इस्तेमाल किया गया है।
- सभी स्टेशनों में औद्योगिक स्तर, डिज़ाइन और आकार के लिफ़्ट और एक्सलेटर लगाए गए हैं ताकी प्रवेश द्वार से कॉनकोर्स एरिया एवं स्टेशन के अन्य पेड एरिया तक यात्री सुगम रूप से आवाजाही कर सकें।
- सुयोचित फ़ायर डिटेक्शन और कंट्रोल सिस्टम लगाए गए हैं, जो आग से सुरक्षा हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप हैं।
- सभी मेट्रो स्टेशनों, कार्यालयों और हर वह स्थान, जहां लाइटिंग की आवश्यकता है, वहां पर 100% एलईडी लाइटों का ही इस्तेमाल किया गया है। प्रभावी तकनीक के साथ हो रहा लाइटिंग और एचवीएसी का नियंत्रण।

- समय–आधारित लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से बिजली की बचत की जा रही है। लाइटों को निर्धारित समय–सूची के हिसाब से ही चालू किया जाता है।
- सभी स्टेशनों पर वीआरवी/वीआरएफ़ तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, जो पारंपरिक डीएक्स आधारित यूनिटों से 14% तक अधिक प्रभावी है।
- एक्सलेटर्स में आइडलिंग या स्लो मोड मौजूद है, जो यात्रियों की अनुपस्थिति में गति को धीमा कर देता है और इससे ऊर्जा की बचत होती है।
- साइट की स्थिति और ऊर्जा की बचत को ध्यान में रखते हुए सिस्टम के सर्वोत्तम उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु ईसीएस और टीवीएस सिस्टम में वीएफ़डी का प्रयोग किया गया है।
- भूमिगत प्रणाली में कम ऊर्जा की खपत करने वाले चिलर्स का इस्तेमाल किया गया है।

10. कानपुर और आगरा मेट्रो रेल परियोजाओं के लिए नया ट्रैक्शन सिस्टम

आमतौर पर मेट्रो सिस्टम में 25 केवी के एसी ट्रैक्शन का इस्तेमाल होता है, जबकि कानपुर और आगरा मेट्रो परियोजनाओं में 750 वोल्ट्स के डीसी थर्ड रेल ट्रैक्शन सिस्टम का इस्तेमाल होगा।

750 वोल्ट्स डीसी थर्ड रेल ट्रैक्शन सिस्टम से होंगे ये लाभः

- थर्ड रेल सिस्टम में बाहरी कारकों जैसे कि पतंग के धागों आदि से ख़राबी का ख़तरा नहीं होता और इस वजह से परिचालन एवं अनुरक्षण के दौरान सिस्टम में रुकावट कम होती है। यह खूबी, इस सिस्टम को और अधिक भरोसेमंद बनाती है।
- सिंगल फ़ेज़ 25 केवी एसी ट्रैक्शन सिस्टम के कारण होने वाले ईएमसी/ईएमआई की रोकथाम के लिए कई कदम उठाने पड़ते हैं, जबकि 750 वोल्ट्स डीसी थर्ड रेल ट्रैक्शन सिस्टम में इस तरह की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। हालांकि, डीसी ट्रैक्शन में स्ट्रे करंट मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है।
- थर्ड रेल डीसी ट्रैक्शन सिस्टम के साथ शहर की खूबसूरती को बनाए रखने का अतिरिक्त लाभ भी जुड़ा हुआ है।
- डीसी ट्रैक्शन में क्षय कम होता है; क्योंकि इसका डिज़ाइन ठोस होता है, इसलिए यह ट्रेनों में लगे करंट कलेक्टर उपकरणों का दबाव झेलने में सक्षम होता है। इस पर हवा और पानी का प्रभाव भी कम पड़ता है क्योंकि इसे कम ऊंचाई पर लगाया (इन्सटॉल) जाता है। अतः थर्ड रेल के लिए कम से कम रख–रखाव की आवश्यकता होती है।

11. संरक्षा

लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के उत्तर–दक्षिण कॉरिडोर के सभी स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे, डिटेक्टर्स, स्कैनर्स, मेटल डिटेक्टर्स आदि लगे हुए हैं, जिनके माध्यम से मेट्रो स्टेशनों की 24 घंटे निगरानी होती है। प्राथमिक सेक्शन के सभी स्टेशन भूकंपरोधी क्षमता के साथ तैयार किए गए हैं।

कंपनी के सभी 21 मेट्रो स्टेशन और ट्रांसपोर्ट नगर डिपो, आईएसओ 14001 और ओएचएसएएस 18001 प्रमाणित हैं।

लखनऊ मेट्रो परियोजना के फ़ेज़–1ए के सभी 21 मेट्रो स्टेशन, वर्कशॉप और मेंटेनेंस डिपो, अपने "डिज़ाइन और निर्माण" के लिए आईएसओ 14001 और ओएचएसएएस 18001 प्रमाणित हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने अपने सभी मेट्रो स्टेशनों, रिसीविंग सब स्टेशनों एवं वर्कशॉप और मेंटेनेंस डिपो के लिए, आईएसओ 9001: 2015, आईएसओ 14001: 2015 (ईएमएस) और आईएसओ 45001:2018 की आवश्यकताओं के अनुसार 'गुणवत्ता, पर्यावरण और व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं संरक्षा प्रबंधन प्रणाली' के तहत अपने परिचालन और अनुरक्षण के लिए एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है।

'राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस' समारोह

यूपी मेट्रो अपने कर्मचारियों, यात्रियों, आम जनता और संबद्ध कॉन्ट्रैक्टरों के कर्मचारियों के लिए विभिन्न जागरूकता अभियान संचालित करता है। 4 मार्च से 10 मार्च, 2020 तक कंपनी द्वारा 'राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह' का आयोजन किया गया, जिसमें कंपनी के कर्मचारियों ने सुरक्षा प्रश्नोत्तरी, सुरक्षा नारा प्रतियोगिता जैसे कार्यक्रमों और अन्य सुरक्षा प्रोत्साहन गतिविधियों में भाग लिया। कंपनी के विभिन्न निर्माण स्थलों पर नुक्कड़ नाटक भी आयोजित किए गए, जिनमें पर्याप्त संख्या में कॉन्ट्रैक्टरों के कर्मचारियों के साथ–साथ श्रमिकों ने भी भाग लिया।

मेट्रो परियोजना के क्रियान्वयन में संरक्षा हेतु उठाए गए कदमः

निर्माण/कार्य स्थल पर कार्यों का सुरक्षित निष्पादन सुनिश्चित करने के उद्देश्य के साथ कंपनी द्वारा निरंतर, साइट स्टाफ़ और कॉन्ट्रैक्टर के कर्मचारियों एवं श्रमिकों को स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण (एसएचई) के संबंध में अनिवार्य प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए लगातार प्रयास किए जाते रहे हैं। कन्सट्रक्शन प्लान्ट और मशीनरी पर दुर्घटना–रहित संचालन सुनिश्चित करने के लिफ़्टिंग इंजीनियरों, स्कैफ़ोल्डर्स, वाहन चालकों और प्लांट परिचालकों इत्यादि को प्रशिक्षण देने के साथ, उनकी योग्यता की जांच भी की जाती है। इसके अतिरिक्त, मेट्रो परियोजना के क्रियान्वयन एवं परिचालन में सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गएः

- हर निविदा में स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण (एसएचई) मैनुअल ज़रूर शामिल होता है, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर्स को सुरक्षा–संरक्षा के सभी मानकों का पालन करते हुए और आम जनता को कम से कम असुविधा पहुंचाते हुए काम करने के लिए स्पष्ट दिशा–निर्देश उल्लिखित होते हैं।
- सभी निर्माण स्थलों पर बैरिकेडिंग की जाती हैं और निर्धारित परिधि के अंदर ही निर्माण कार्य किए जाते हैं।
- पूरे मेट्रो कॉरिडोर पर ट्रैफ़िक से संबंधित सभी संकेत चिह्न (साइनेज) लगाए जाते हैं।
- त्वरित प्रतिक्रिया टीम (क्विक रेस्पॉन्स टीम) : आर्मी और पैरा–मिलिट्री के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का एक दल हर समय मेट्रो के कार्य स्थलों की निगरानी एवं सुरक्षा करता है और आम जनता की सहूलियत का भी ध्यान रखता है।
- जब निर्माण कार्य समाप्त हो जाता है, सड़कों को जल्द से जल्द पूर्ववत कर दिया जाता है और आम जनता के आवागमन के लिए उपलब्ध करा दिया जाता है।
- कॉन्ट्रैक्टर की सेफ़्टी टीम, आपकी कंपनी के जनरल कन्सलटेन्ट के साथ हर सप्ताह संरक्षा के इंतज़ामों को लेकर दौरा करती है। आपकी कंपनी के संरक्षा विशेषज्ञ, जीसी और कॉन्ट्रैक्टर्स, निर्माण स्थलों पर संरक्षा सुनिश्चित करने हेतु दिन–रात काम कर रहे हैं।
- लिफ़्टिंग के सभी उपकरणों की जांच की जाती है और उपयोग में लाने से पूर्व, अधिकृत थर्ड पार्टी के माध्यम से हर 6 महीने में उनका प्रमाणन भी होता है। प्रभावी जांच सुनिश्चित करने के लिए कलर कोडिंग का अनुसरण किया जाता है। साइट पर नियमित रूप से इलेक्ट्रिकल सिस्टम की भी जांच होती है।
- आम जनता और निर्माण स्थल पर काम कर रहे कामगारों के लिए नियमित रूप से संरक्षा जागरूकता कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है।
- स्कूलों और कॉलेजों में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं।
- नुक्कड़ नाटक और रोड शो कराए जाते हैं।

- क्रेन चालकों, रिगर्स, भारी वाहनों/मशीनों के चालकों और ट्रैफ़िक मार्शल्स के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराए जाते हैं।
- ट्रैफ़िक अधिकारी के परामर्श के साथ संपूर्ण प्रोजेक्ट साइट पर पर्याप्त संख्या में ट्रैफ़िक मार्शल्स तैनात किए जाते हैं।
- कॉन्ट्रैक्टरों के पास आपात स्थिति हेतु आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली होती है। साइट पर नियमित रूप से मॉक ड्रिल का आयोजन होता है ताकी यह सुनिश्चित किया जा सके कि आपात स्थिति में प्रणाली कारगर हो।
- आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए कॉन्ट्रैक्टरों का निर्माण स्थलों से नज़दीक स्थित अस्पतालों के साथ करार होता है।
- मेट्रो निर्माण के फलस्वरूप ज़मीन से निकली मिट्टी को मेट्रो साइट से समय–समय पर स्थानान्तरित किया जाता रहता है।

12. पर्यावरण

जल संचयन :–

वायडक्ट के हर दूसरे स्पैन पर, बारिश के पानी के संचयन के लिए ख़ास तरह के अब्सॉर्पशन वेल्स तैयार किए गए हैं, जिनसे लगभग पूरा वायडक्ट कवर हो जाता है। लखनऊ मेट्रो परियोजना के 22.878 किमी. लंबे उत्तर–दक्षिण कॉरिडोर (फ़ेज़–1A) के अंतर्गत कंपनी द्वारा 300 से ज्यादा जल संचयन की संरचनाएं बनाई गई हैं, जिनकी मदद से 20 लाख लीटर तक बारिश का पानी संचय किया जा चुका है। यूपी मेट्रो की इस पहल की बदौलत मेट्रो कॉरिडोर के पास भूमिगत जल के स्तर में वृद्धि हुई है।

ग्रीन कवरः

मेट्रो कॉरिडोर के उपरिगामी हिस्से के नीचे, मेट्रो स्टेशनों पर और लखनऊ मेट्रो परियोजना की कार्यशाला और डिपो में, कई तरह के पौधे लगाए गए हैं और हॉर्टीकल्चर विभाग द्वारा नियमित रूप से इन पौधों के लिए बीज और उर्वरकों की आपूर्ति, धुलाई एवं सिंचाई आदि का काम किया जाता है।

ग्रीन बिल्डिंगः

यूपीएमआरसी, भारतीय उद्योग परिसंघ (कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ इंडियन इंडस्ट्री–सीआईआई) के तत्वावधान में गठित इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आईजीबीसी) का संस्थापक सदस्य है। सभी मेट्रो स्टेशनों को बतौर 'ग्रीन बिल्डिंग' तैयार किया गया है, जिनमें ऊर्जा संरक्षण, कार्बन–डाई–ऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी, जल संरक्षण और अपशिष्ट प्रबंधन हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं। लखनऊ मेट्रो परियोजना के फ़ेज़–1A के सभी मेट्रो स्टेशनों को आईजीबीसी द्वारा "प्लैटिनम" श्रेणी के अंतर्गत प्रमाणित किया गया है। कंपनी ने कानपुर मेट्रो रेल परियोजना का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है और इस परियोजना को भी सर्वश्रेष्ठ ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग के अनुरूप ही तैयार किया जा रहा है।

नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन

पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान, लखनऊ मेट्रो के डिपो और प्रशासनिक भवन में लगे सोलर प्लान्ट्स के ज़रिए कुल 997.87 मेगावॉट की ऊर्जा उत्पादित हुई। अन्य उपलब्ध स्थानों/परिसरों में भी सोलर प्लान्ट लगाने के लिए प्रक्रिया जारी है।

वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण

कंपनी द्वारा कानपुर मेट्रो परियोजना का निर्माण शुरू कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

- निर्माण स्थल से होने वाले यातायात के दौरान धूल के उत्सर्जन से बचाव के लिए सी ऐंड डी अपशिष्ट को ढक दिया जाता है।
- बैचिंग प्लान्ट के लिए डस्ट कलेक्शन सिस्टम लगाया गया है।
- मशीनों का रख–रखाव और बचाव निर्धारित समयावधि पर होता रहता है।
- निर्धारित समय–सूची के अनुसार, निर्माण स्थलों पर वायु की गुणवत्ता की जांच एवं परीक्षण किया जाता है, जिससे कि गुणवत्ता का सही आकलन किया जा सके।

- डीज़ल जेनरेटर में लगे उत्सर्जन के पाइप की ऊंचाई निर्धारित मानकों के अनुसार रखी जाती है, ताकि धुएं का उत्सर्जन वायुमंडल में ऊपर की ओर हो सके।
- साइट पर धूल के उत्सर्जन को रोकने के लिए पानी का छिड़काव।
- साइट से निकलने वाली धूल–मिट्टी सड़क पर न फैले, इसके लिए विधिवत बैरिकेडिंग की जाती है।

जल प्रदूषण पर नियंत्रण एवं बचाव

कानपुर मेट्रो परियोजना का निर्माण कार्य जारी है और कंपनी द्वारा जल प्रदूषण पर नियंत्रण एवं बचाव के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :

- बैचिंग संयंत्र, शाफ़्ट एवं ग्राउटिंग संयंत्र पर, अवसादन टैंकों या अन्य पर्याप्त क्षमता वाले स्वीकार्य तरीक़ों के माध्यम से गाद से भरे पानी को, निकासी के लिए बनी नाली तक पहुंचने से रोका जाता है।
- द्विचरणीय अवसादन टैंक के साथ व्हील वॉश फ़ैसिलिटी।
- जलउपचार संयंत्र के बगल में सीमेंट के गड्ढे बनाए जाते हैं।
- भूमिगत जल का नियमित परीक्षण किया जाता है।

अपशिष्ट प्रबंधन:

यूपीएमआरसी आज के अपशिष्ट को कल का उपयोगी कच्चा माल मानता है। कंपनी का उद्देश्य, अपशिष्ट उत्पादन को न्यूनतम करना और अपशिष्ट का पुनर्चक्रण करना है। अपशिष्ट की पहचान और उसके पुनर्चक्रण के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए गए हैं:

i) साइटों पर अपशिष्ट का 100% पृथक्करण सुनिश्चित किया जाता है।

ii) स्रोत पर ही अपशिष्ट उत्पादन को कम करने का प्रशिक्षण और उसके संबंध में जागरूकता का प्रसार।

जल प्रबंधन:

उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि., निर्माण एवं परिचालन व अनुरक्षण की गतिविधियों में जल संरक्षण के संबंध में बहुत सजग है। जल की खपत कम करने के लिए समेकित प्रयास किए जा रहे हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i) स्टेशनों, डिपो, आवासीय कॉलोनियों, वायडक्ट इत्यादि पर वर्षा जल संचयन की व्यवस्था की गई है।

ii) अपशिष्ट उपचार संयंत्र/सीवेज उपचार संयंत्र से उपचारित जल का पुनः प्रयोग।

iii) सीवेज वॉटर और रिवर्स ऑस्मोसिस रिजेक्ट पाइप को पुनः बिछाना और निम्न प्रवाह प्लम्बिंग का प्रयोग।

iv) दोहरे फ़्लश वाले शौचालयों, शौचालयों हेतु कम क्षमता वाले फ़्लशिंग टैंक एवं जलरहित मूत्रालयों को प्रोत्साहन।

ऊर्जा का संरक्षण:

उत्तर प्रदेश मेट्रो ने ट्रेनों में रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के प्रयोग के परिणामस्वरूप ट्रैक्शन ऊर्जा में 30 से 35 प्रतिशत तक बचत की, जिसके फलस्वरूप ग्रीन हाउस गैसों (जीएचजी) के उत्सर्जन में कमी आई। सभी लिफ़्टों और एस्कलेटर्स के लिए वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी (वीवीवीएफ़) ड्राइव का प्रयोग, स्टेशनों पर एलईडी लाइटों का प्रयोग, भूमिगत खंड के लिए पर्यावरण नियंत्रण प्रणाली (ईसीएस) और टनल वेंटिलेशन प्रणाली (टीवीएस) के लिए ऊर्जा सक्षम उपकरणों का प्रयोग इत्यादि जैसे विभिन्न ऊर्जा संरक्षण उपाय अपनाए गए हैं।

वर्तमान में, यूपी मेट्रो द्वारा, आरईएससीओ मॉडल के अंतर्गत ट्रेन स्टैबलिंग शेड और इन्सपेक्शन लाइन शेड के ऊपर 1 मेगावाट क्षमता वाली रूफ़ माउंटेज फ़ोटो वोल्टेक शेल्स लगाई गई हैं। इन सभी अभिनव उपायों के बल पर, परियोजना

की 19.46% की आर्थिक आंतरिक प्रतिफल दर (ईआईआरआर) सहित, संस्था 5 वर्षों में परियोजना की पूरी निवेश लागत वसूल करने में सक्षम होगी।

विश्व पर्यावरण दिवस समारोह (5 जून, 2019):

यूपी मेट्रो ने अपनी स्थापना के समय से ही जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण तरीके से विराम देने के लिए अनेक उपाय किए हैं। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कंपनी द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं। कंपनी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर एक विशेष वृक्षारोपण अभियान भी चलाया, जिसके तहत विभिन्न मेट्रो स्टेशनों एवं डिपो में लगभग 1000 पौधे लगाए गए और यात्रियों को वितरित किए गए। यूपीएमआरसी के कर्मचारियों को, कार्यक्रम निदेशक, पर्यावरण शिक्षा केंद्र द्वारा पर्यावरण जागरूकता प्रशिक्षण प्रदान किया गया। पर्यावरण मुद्दों के बारे में, जागरूकता पैदा करने के लिए यूपीएमआरसी कर्मचारियों के बीच प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की। पर्यावरण संरक्षण में प्रतिभागिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य के साथ स्लोगन और पोस्ट मेकिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार और प्रमाणपत्र प्रदान किए गए।

13. पुरस्कार और सम्मान:

- इंटरनैशनल रॉयल सोसायटी फ़ॉर द प्रिवेंशन ऑफ़ ऐक्सीडेंट्स (RoSPA) ने उत्तर प्रदेश मेट्रो को उसके फ़ेज़–1A (उत्तर–दक्षिण कॉरिडोर) के लिए प्रोजेक्ट/इन्फ्रास्ट्रक्चर श्रेणी के अंतर्गत साल 2019 के 'गोल्ड' पुरस्कार से सम्मानित किया। इसी के साथ, लखनऊ मेट्रो, भारत की पहली ऐसी मेट्रो परियोजना बन गई है, जिसे परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान, कार्य के दौरान स्टाफ़/ग्राहकों/क्लाइन्टों/कॉन्ट्रैक्टरों को सुरक्षित कार्यशैली अपनाने में अद्वितीय सहयोग प्रदान करने एवं प्रोत्साहित करने हेतु यह पुरस्कार प्रदान किया गया है।
- उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. की लखनऊ मेट्रो परियोजना, देश में सबसे तेज़ी के साथ पूरी होने और यात्रियों के लिए उपलब्ध होने वाली परियोजना है। जिसके अंतर्गत, यूपी मेट्रो ने ऊर्जा संरक्षण से जुड़े कई नवीन प्रयोग किए; विभिन्न प्रचार और जागरूकता अभियान चलाए; युक्तिपूर्ण ढंग से रूट डिज़ाइन किया और लास्ट–माइल कनेक्टिविटी बढ़ाई। इस सराहनीय कार्यशैली के लिए, यूपीएमआरसीएल को 12वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन एवं प्रदर्शनी के दौरान सर्वश्रेष्ठ "अर्बन मास ट्रांज़िट प्रोजेक्ट" पुरस्कार प्रदान किया गया।

- राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर, यूपीएमआरसीएल को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो(बीईई), भारत सरकार (ऊर्जा मंत्रालय) द्वारा 'राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार–2019' से सम्मानित किया गया। यूपीएमआरसीएल को मेट्रो प्रणाली के संचालन के दौरान ऊर्जा और शक्ति संरक्षण हेतु चलाई गई मुहिम के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया। कई प्रतिष्ठित न्यायविदों वाली पुरस्कार समिति ने लखनऊ मेट्रो को 'परिवहन क्षेत्र' में 'सर्वश्रेष्ठ मेट्रो पुरस्कार' का विजेता घोषित किया।

14. शेयर पूंजी

वित्तीय वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से इक्विटी के तौर पर 410.94 करोड़ रुपए प्राप्त किए। कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 10,000 करोड़ रुपए है। 31 मार्च, 2020 को कुल प्रदत्त शेयर पूंजी 2206 करोड़ रुपए है।

15. जनसंपर्क एवं जन-केंद्रित दृष्टिकोण

आपकी कंपनी के जनसंपर्क विभाग ने आम जनता तक पहुंच बनाने के लिए कई गतिविधियां आयोजित कराईं। विभाग द्वारा, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया तक कंपनी की विकास संबंधी जानकारियों का संप्रेषण किया गया। संगठन की दैनिक प्रगति, नवीन प्रयोगों, नई परियोजनाओं का विवरण और ऐसी ही विकास से संबंधित अन्य जानकारियों के विवरण नियमित तौर पर मीडिया तक पहुंचाए गए। नागरिक आउटरीच कार्यक्रम न सिर्फ़ समाज तक पहुंच बनाना सुनिश्चित करता है बल्कि अपने विभिन्न शेयरधारकों के साथ संचार भी स्थापित करता है।

16. मानव संसाधन प्रबंधन

यूपीएमआरसीएल प्रबंधन सदैव से यह मानता है कि प्रेरित, तृप्त एवं संतुष्ट श्रमबल संगठनात्मक उद्देश्यों की सफलतापूर्वक प्राप्ति की कुंजी है। इस उद्देश्य पर ध्यान देते हुए, कंपनी मानव संसाधन विकास और इसकी क्षमताओं की प्राप्ति को अत्यधिक महत्व देती है। वर्ष के दौरान नियोक्ता–कर्मचारी संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे और यूपीएमआरसीएल लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल रहा। कंपनी की रोज़गार पद्धतियां प्रतिभा को आकर्षित करने और बनाए रखने के अनुकूल हैं।

भर्ती प्रक्रिया 2016 से पूरी तरह ऑनलाइन है। 31 मार्च, 2020 तक, कंपनी के कर्मचारियों की संख्या 764 (परियोजना में 186 तथा परिचालन एवं अनुरक्षण विंग में 578) थी। कर्मचारियों की दक्षता के संवर्धन के लिए कंपनी प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ–साथ, कार्यशालाओं, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं, शैक्षणिक भ्रमण, योग और मध्यस्थता पाठ्यक्रमों आदि का आयोजन एवं संचालन भी करती है।

भर्ती में आरक्षण दिशा-निर्देशों का अनुपालनः

अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./शा.वि. के लिए सेवाओं में आरक्षण के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर जारी भर्ती दिशा–निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन किया जा रहा है। कंपनी के अ.ज./अ.ज.जा. और पीडब्ल्यूडी (दिव्यांग) कर्मचारियों के लिए संपर्क अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। आरक्षण कक्ष में शिकायत रजिस्टर का रख–रखाव विधिवत किया जाता रहा है।

कार्यस्थल पर यौन-उत्पीड़न की रोकथामः

उत्तर प्रदेश मेट्रो, अपनी महिला कर्मचारियों को कार्यस्थल पर एक सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस संबंध में अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए, यूपी मेट्रो नव–नियुक्त कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण के दौरान, लिंग संवेदीकरण पर एक विशेष व्याख्यान का आयोजन कराता है। महिला कर्मचारियों एवं अधिकारियों की सहायता हेतु शिकायत समितियां बनाई गई हैं, जिनमें ऐसे बाहरी सदस्यों को शामिल किया गया है, जिन्हें क़ानून और महिला कल्याण के क्षेत्रों का विधिवत ज्ञान एवं इन क्षेत्रों में काम करने का पर्याप्त अनुभव है।

कंपनी ने कार्यस्थल पर यौन–उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी एक नीति की व्यवस्था बनाई हुई है। कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन–उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार महिलाओं के यौन–उत्पीड़न से संबंधित मामलों की देखरेख करने और यौन–उत्पीड़न से मुक्त सुरक्षित कार्य माहौल उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है।

31.03.2020 तक आंतरिक शिकायत समिति की संरचना:

सुश्री पुष्पा बेलानी	–	पीठासीन अधिकारी
सुश्री दीप्ति अग्रवाल	–	बाहरी सदस्य (अभ्यासरत कंपनी सचिव)
श्री एस.ए. रज़ा	–	सदस्य
श्री ब्रजेश कुमार चतुर्वेदी	–	सदस्य

17. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर):

एक ज़िम्मेदार और भरोसेमंद संगठन होने के नाते, आपकी कंपनी अपने विभिन्न हितधारकों, उदाहरणस्वरूप, शेयरधारकों, कर्मचारियों, प्रबंधन, प्रदाताओं, ग्राहकों और विस्तृत तौर पर समुदाय के हितों के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। यूपीएमआरसी, लखनऊ शहर के लिए एक पर्यावरण के अनुकूल वैकल्पिक सार्वजनिक यातायात साधन के रूप में उभरकर सामने आ रहा है और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों के लिए भी यही भूमिका अदा करेगा। समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए, आपकी कंपनी ने स्वैच्छिक रूप से लखनऊ और प्रदेश के अन्य शहर के निवासियों के जीवनस्तर को बेहतर बनाने एवं जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसके अतिरिक्त, चूंकि कंपनी लाभ नहीं कमा रही है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और अन्य लागू नियम/अनुसूचियों के अनुसार, कंपनी पर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत निर्धारित परियोजनाओं पर विशेष रूप से खर्च करने की अनिवार्यता नहीं बनती है। अतः, इस मद के अंतर्गत इस साल 'शून्य' व्यय है। इस संबंध में निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप, कंपनी ने तीन निदेशकों के साथ एक समिति का गठन किया है। बोर्ड की सीएसआर समिति की संरचना का विवरण, कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट में वर्णित है, जिसे इस रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया है।

18. सूचना का अधिकार

कम्पनी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का क्रियान्वयन किया है। वर्ष के दौरान कुल 56 आरटीआई आवेदनों और अपीलों को समय पर निस्तारित किया गया।

19. आधिकारिक भाषा

यूपीएमआरसी आधिकारिक कार्यों में हिन्दी भाषा के प्रयोग के प्रचार हेतु प्रतिबद्ध है। कंपनी ने, आधिकारिक उद्देश्यों हेतु 'राजभाषा' हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन कराया। कर्मचारियों को विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे कि निबंध लेखन, अनुवाद, स्लोगन लेखन, सुलेख, प्रश्नोत्तरी आदि में प्रतिभागिता हेतु प्रोत्साहित किया गया और विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की आधिकारिक भाषा समिति के सदस्यों ने कंपनी के लखनऊ स्थित प्रशासनिक भवन एवं मेट्रो डिपो में विभिन्न दस्तावेज़ों जैसे कि सर्विस बुक रेकॉर्ड, फाइलों एवं पत्राचार इत्यादि में हिन्दी भाषा के प्रयोग का निरीक्षण किया एवं अपनी संतुष्टि प्रकट की। समिति के सदस्यों ने आधिकारिक कार्यों में हिन्दी भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए यूपीएमआरसी द्वारा किए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा की।

20. सतर्कता

मुख्य सतर्कता अधिकारी कंपनी के सतर्कता विभाग का प्रमुख होता है, जो यूपी मेट्रो के प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करता है। सतर्कता इकाई, कंपनी के कारोबार और कार्यव्यवहार के बारे में केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशा–निर्देशों एवं आंतरिक दिशा–निर्देशों का पालन करती है। रोकथाम संबंधी जांचों का मुख्य उद्देश्य है कि दंडात्मक कार्रवाई की अपेक्षा रोकथाम बेहतर है। ख़ामियों को दूर करने के लिए जांचों के परिणाम, प्रणाली सुधार परिपत्रों में शामिल किए जाते हैं।

21. जनता से जमाराशि

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(31), 73 और 74 के अंतर्गत न तो जनता से कोई जमाराशियां आमंत्रित की हैं और न ही जनता से कोई जमाराशियां स्वीकार की गई हैं।

22. कर्मचारियों का विवरण

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 5(1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 197(12) के अंतर्गत आवश्यक पारिश्रमिक एवं अन्य विवरणों से संबंधित प्रकटन लागू नहीं है।

23. निदेशक मंडल

31 मार्च, 2020 को उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. के निदेशक मंडल में 14 निदेशक हैं, जिनमें से 5 निदेशक, भारत सरकार के नामिती; प्रबंध निदेशक समेत 5 निदेशक उत्तर प्रदेश सरकार के नामिती और 4 पद पूर्णकालिक निदेशकों के हैं, जिन पर बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। सचिव, आवास और शहरी

24. बोर्ड की बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, 27 जुलाई 2019, 30 सितंबर 2019 और 27 जनवरी, 2020 को कंपनी के निदेशक मंडल की 3 बैठकें आयोजित की गईं।

बोर्ड की समितियां

बोर्ड ने आपकी कंपनी के परिचालन के आकार, प्रकृति और क़ानूनी प्रावधानों के अनुसार समितियां गठित की हैं। ये हैं; लेखापरीक्षा समिति एवं निवेश समिति, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति। इनमें से प्रत्येक उप–समिति द्वारा स्पष्ट तौर पर तय संदर्भ शर्तें बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित हैं। इन समितियों की बैठकें आपकी कंपनी की अपेक्षाओं के अनुसार, समय–समय पर की जाती हैं। बोर्ड की समितियों का विवरण 'कॉर्पोरेट अभिशासन प्रतिवेदन' खंड के अंतर्गत दिया गया है।

25. निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अनुपालन के क्रम में, निदेशक बताते हैं कि:

- वार्षिक लेखे तैयार करने में, सामग्री निकासियों के लिए उचित स्पष्टीकरण सहित लागू भारतीय लेखांकन मानकों का पालन किया गया है;
- निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया और उन्हें सतत रूप से लागू किया और ऐसे निर्णय और अनुमान किए, जो वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ–हानि की एक सत्य और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत कर सकें;
- निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने, धोखेबाज़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने एवं रोकथाम के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, उपयुक्त लेखाकंन रेकॉर्डों का उचित एवं पर्याप्त अनुरक्षण किया;
- निदेशकों ने वार्षिक लेख, चलायमान–प्रतिष्ठान आधार पर तैयार किए हैं;
- निदेशकों ने सभी लागू क़ानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियों का प्रयोग किया। ऐसी प्रणालियां उपयुक्त हैं एवं प्रभावी तौर पर कार्य कर रही है;

26. स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

वर्तमान में कंपनी के निदेशक मंडल में, कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है, क्योंकि संयुक्त उपक्रम कंपनी को कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति से छूट प्राप्त है।

27. वार्षिक रिटर्न का सारांश

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 की उपधारा (3) के प्रावधान के अनुसार वार्षिक रिर्टन का सारांश इस प्रतिवेदन के साथ **अनुलग्नक–1** के रूप संलग्न है।

28. ऋणों, गारंटियों एवं निवेशकों का विवरण

प्रतिवेदन के अधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने:

- किसी व्यक्ति या अन्य निगमित निकाय को ऋण नहीं दिया है;
- किसी अन्य निगमित निकाय या व्यक्ति को किसी ऋण के संबंध में कोई गारंटी या प्रतिभूति नहीं दी है; और
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत यथानिर्धारित, किसी अन्य निगमित निकाय की प्रतिभूतियों का सब्सक्रिप्शन/ख़रीद के माध्यम से या अन्यथा अधिग्रहण नहीं किया है।

29. संबंधित पक्ष लेन-देन

प्रतिवेदन के अधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उपधारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों से कोई अनुबंध या व्यवस्था नहीं की है।

30. उन्नत तकनीक का प्रयोग

गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता के साथ कोई भी समझौता न करते हुए, भारत में ही निर्मित उपकरणों एवं उत्पादों का प्रयोग किया गया। ऊर्जा संरक्षण में सहयोगी, पंप, मोटर, लाइट, फ़ायर रिटार्डेंट लो स्मोक ज़ीरो हैलोजन (एफ़आरएलएसज़ेडएच) केबल, फ़ायर डोर्स आदि को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप, भारतीय उद्योगों द्वारा कंपनी के लिए विकसित किया गया। भूमिगत मेट्रो स्टेशनों में कार्बन डाई ऑक्साइड फ़्लडिंग सिस्टम के स्थान पर, एफ़एम 200 फ़्लडिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया एवं भूमिगत स्टेशनों में स्थापित एएसएस एवं टीएसएस में आईएनईआरजीईएन गैस फ़ायर प्रोटेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लगाया गया गया है।

आधुनिक तकनीक के साथ वैरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स (वीएफ़डी)

सभी भूमिगत स्टेशनों में एयर कंडीशनिंग सिस्टम, वैरिएबल फ़्रीक्वेंसी ड्राइव के साथ इस्तेमाल में लाए जाते हैं। वीएफ़डी में, एयर फ़्लों को नियंत्रित करने के उद्देश्य के साथ मोटर की फ्रीक्वेंसी को नियंत्रित किया जा सकता है और इसके लिए वीएफ़डी में पहले से ही एक नियंत्रक की व्यवस्था दी गई गई है।

31. तथ्यगत परिवर्तन एवं प्रतिबद्धताएं

क) कंपनी के वित्तीय वर्ष के अंत और इस रिपोर्ट की तारीख़ के बीच ऐसे कोई तथ्यगत परिवर्तन या प्रतिबद्धताएं नहीं हुई हैं, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करती हों।

ख) विदेशी मुद्रा अर्जन और बहिर्वाह

वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा की कोई आय नहीं हुई। बहिर्वाह का विवरण निम्नवत है:

(राशि लाख रुपए में)

क्रम संख्या	विवरण	वि.व. 2019-20	वि.व. 2018-19
1.	व्यावसायिक और परामर्श शुल्क	1294.22	2157.48
2.	टूर्स और ट्रैवल्स	5.77	28.26
3.	अनुबंध	8674.14	22191.76

32. निदेशक एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक:

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान पूर्णकालिक निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों में निम्नवत परिवर्तन हुए:

- श्री महेंद्र कुमार, निदेशक (रोलिंग स्टॉक ऐंड सिस्टम्स) ने एनसीआरटीसी में निदेशक (इलेक्ट्रिकल) पद पर जॉइन करने के लिए यूपीएमआरसी में इस्तीफ़ा दिया, फलस्वरूप 30 जून, 2019 से वह कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्य नहीं रहे।
- 17 अगस्त, 2019 को 5 साल का कार्यकाल पूर्ण होने के बाद, श्री कुमार केशव, प्रबंध निदेशक का कार्यकाल 2 साल और बढ़ा दिया गया।
- बतौर निदेशक (वित्त) कार्यकाल समाप्त होने के बाद, 31 जनवरी, 2020 से श्री अजय कांत रस्तोगी कंपनी के निदेशक नहीं रहे।
- 25 नवंबर, 2019 को श्री अतुल कुमार गर्ग को कंपनी का निदेशक (रोलिंग स्टॉक ऐंड सिस्टम्स) नियुक्त किया गया।

33. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

31.03.2020 को कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक इस प्रकार हैं:

- श्री कुमार केशव, प्रबंध निदेशक
- श्री संजय मिश्रा, पूर्णकालिक निदेशक (वर्क्स ऐंड इन्फ्रास्ट्रक्चर)
- श्री सुशील कुमार, पूर्णकालिक निदेशक (परिचालन)
- श्री अतुल गर्ग, पूर्णकालिक निदेशक (रोलिंग स्टॉक ऐंड सिस्टम्स)
- श्रीमती पुष्पा बेलानी, कंपनी सचिव

31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक तथा अन्य विवरण वार्षिक रिटर्न के सारांश में वर्णित है।

34. महत्वपूर्ण एवं तथ्यगत आदेश

ऐसे कोई महत्वपूर्ण और तथ्यगत आदेश, विनियामकों या किसी न्यायालय अथवा अधिकरण द्वारा पारित नहीं किए गए, जिससे कंपनी की चलायमान–प्रतिष्ठान स्थिति और इसके परिचालन प्रभावित होते हों।

35. जोखिम प्रबंधन नीति:

आपकी कंपनी संभावित जोखिमों के घटित होने से पहले पहचान करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकी जोखिम प्रबंधन के गतिविधियों की योजना बनाई जा सके और परियोजना के दौरान आवश्यक होने पर और बड़ी उपलब्धियों की प्राप्ति करने

में प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जा सके। इसके लिए आपकी कंपनी ने निम्नलिखित विशिष्ट उद्देश्यों को चिह्नित किया है:

1. यह सुनिश्चित करना कि कंपनी के सभी मौजूदा और भविष्य के भौतिक जोखिमों को चिह्नित, निर्धारित, मात्राबद्ध किया गया हो और उनकी समय पर रोकथाम और प्रबंधन हो;
2. यह सुनिश्चित करना कि उच्च प्राथमिकता जोखिमों का आक्रामक रूप से प्रबंधन और समापन किया जाए;
3. यह सुनिश्चित करना कि पूरी परियोजना में सभी जोखिमों का प्रभावी लागत को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन किया जाए;
4. परियोजना की सफलता के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर सूचित निर्णय लेने के लिए प्रबंधन के सभी स्तरों पर सूचना साझा करने को बढ़ावा देना;
5. जहां भी लागू हों, उचित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
6. विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति और उनमें सुधार के लिए आपकी कंपनी ने निम्नलिखित उपाए अपनाए हैं:
   - स्वतंत्र लेखापरीक्षकों द्वारा त्रैमासिक आंतरिक लेखापरीक्षा का संचालन; लेखापरीक्षा समिति द्वारा उनके अवलोकनों की समीक्षा और जहां भी उचित पाया जाए, सुधारात्मक कार्रवाई।
   - आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा इस उद्देश्य के लिए गठित टीम द्वारा नियमित अंतराल पर परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन।

36. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

बोर्ड ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा, त्रुटियों एवं धोखाधड़ी को रोकने और उनका पता लगाने, लेखांकन रेकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने और विश्वसनीय वित्तीय प्रकटनों को समय पर तैयार करने और उन्हें प्रस्तुत करके कंपनी के कारोबार का व्यवस्थित और सक्षम व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए मज़बूत नीतियां और प्रक्रियाएं अपनाई हैं।

37. कॉर्पोरेट अभिशासन

आपकी कंपनी त्रुटिहीन कॉर्पोरेट अभिशासन मानकों का पालन करती है और अपने सभी कार्यकलापों में पारदर्शिता, निष्ठा और जवाबदेही अपनाती है। 'कॉर्पोरेट अभिशासन प्रतिवेदन' नामक एक अलग खंड इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।

38. लेखापरीक्षक

क. सांविधिक लेखापरीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अनुक्रम में मेसर्स डी.एस. शुक्ला ऐंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेन्ट्स को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी ऐंड एजी) द्वारा कंपनी का सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया, जो 7वीं वार्षिक आम बैठक के संपन्न होने तक कार्यरत रहेंगे। सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के भाग के रूप में उपयुक्त तौर पर संलग्न की गई है।

ख. सचिवीय लेखापरीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के प्रावधानों के अनुक्रम में, मेसर्स दिलीप दीक्षित ऐंड कंपनी, कार्यरत कंपनी सचिव को वर्ष 2019–20 के लिए कंपनी की सचिवीय लेखापरीक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया। सचिवीय लेखापरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन एवं स्पष्टीकरणों या टिप्पणियों तथा सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में किए गए प्रश्नों पर कंपनी सचिव द्वारा प्रदत्त स्पष्टीकरण या टिप्पणियां, इस रिपोर्ट के साथ **अनुलग्नक–2** के रूप में संलग्न है।

ग. आंतरिक लेखापरीक्षक

मेसर्स एस.एन. कपूर ऐंड असोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेन्ट्स, लखनऊ को आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए कंपनी का आंतरिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया है और लेखापरीक्षा समिति द्वारा समय–समय पर उनके प्रतिवेदन की समीक्षा की जाती है।

39. आभार

निदेशक मंडल, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई सलाह, मार्गदर्शन और सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त करता है। निदेशक मंडल, इस परियोजना हेतु ऋण सहायता प्रदान करने के लिए यूरोपियन इनवेस्टमेंट बैंक (ईआईबी) को हार्दिक धन्यवाद देता है। बोर्ड भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, सचिवीय लेखापरीक्षकों, सांविधिक लेखापरीक्षकों और आंतरिक लेखापरीक्षकों, विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय कॉन्ट्रैक्टरों, परामर्शदाताओं, तकनीकी विशेषज्ञों और आपूर्तिकर्ताओं का उनके निरंतर समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए उनको धन्यवाद देता है।

निदेशक मंडल, परियोजना के लक्ष्यों की निर्धारित समय–सीमा के अंतर्गत प्राप्ति एवं समय पर मेट्रो परिचालन प्रारंभ करने के उद्देश्य को सफल बनाने हेतु किए गए, कंपनी के सभी कर्मचारी के अथक प्रयासों एवं निष्ठा की सराहना करता है। साथ ही, निदेशक मंडल भविष्य में भी उनसे ऐसी ही कर्तव्यपरायणता की अपेक्षा रखता है, जिसके बल पर कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सके।

उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.
के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

	हस्ताक्षर/–	हस्ताक्षर/–
स्थान: लखनऊ	**कुमार केशव**	**एस.के. मित्तल**
दिनांक: 26/10/2020	प्रबंध निदेशक	निदेशक (वित्त)
	डीआईएन–02908695	डीआईएन–08821866

कॉर्पोरेट अभिशासन पर प्रतिवेदन

उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. (यूपीएमआरसीएल) की कॉर्पोरेट अभिशासन नीति, लखनऊ शहर के लिए एक सुरक्षित, विश्वसनीय, कुशल, व्यवहार्य एवं ग्राहक–हितैषी मेट्रो प्रणाली उपलब्ध कराने के अपने कॉर्पोरेट उद्देश्य को हासिल करने के लिए, पारदर्शिता, जवाबदेही और उपयुक्त प्रथाओं एवं नीतिगत मानकों को सुनिश्चित करते हुए त्रुटिहीन कॉर्पोरेट अभिशासन पद्धतियों के अनुपालन की धारणा से विकसित हुई है। यूपीएमआरसीएल नैतिकता के उच्च मानकों का अनुसरण करता है और अपने पूरे परिचालन क्षेत्र में सामंजस्य एवं विश्वास के मूल सिद्धांतों को बनाए रखता है।

अपने कामकाज के निष्पादन में, यूपीएमआरसीएल का मार्गदर्शन सीवीसी दिशा–निर्देशों, कंपनी की अंतर्नियमावली (AoA), कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, लागू लेखाकरण मानकों, प्राधिकरणों जैसे सी ऐंड एजी द्वारा निर्धारित विनियमों, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 और उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा किया जाता है। इसके अलावा, संगठन के कामकाज में सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, कर्मचारियों के कल्याण तथा कॉन्ट्रैक्टरों के माध्यम से नियुक्त व्यक्तियों के लिए उचित क्षतिपूर्ति, पुनर्वास का प्रावधान और परियोजना प्रभावित व्यक्तियों आदि के पुनर्वास इत्यादि के संबंध में लागू सभी सांविधिक नियमों का उचित रूप से अनुपालन किया जाता है।

क. निदेशक मंडल

1. निदेशक मंडल की संरचना:

31 मार्च, 2020 को उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. के निदेशक मंडल में 13 निदेशक हैं, जिनमें से 5 निदेशक, भारत सरकार के नामिती; प्रबंध निदेशक समेत 5 निदेशक उत्तर प्रदेश सरकार के नामिती और 4 अन्य पूर्णकालिक निदेशक हैं (निदेशक–वित्त का पद 31.03.2020 को रिक्त था)। सचिव, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, बोर्ड के चेयरमैन हैं, जबकि प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार के एक नामिती हैं।

31.03.2020 को, निदेशक मंडल की संरचना निम्नानुसार है:

नाम	पद
श्री दुर्गाशंकर मिश्रा	चेयरमैन एवं आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव
श्री कुमार केशव	प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.
श्री श्याम सुंदर दुबे	नामिती निदेशक, भारत सरकार संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, एमओएचयूए
श्री विनय कुमार सिंह	नामिती निदेशक, भारत सरकार प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लि.
श्री दीपक कुमार	नामिती निदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
श्री मुकेश कुमार मेश्राम	नामिती निदेशक, उत्तर प्रदेश शासन आयुक्त, लखनऊ
श्री शिव दास मीणा	नामिती निदेशक, भारत सरकार अतिरिक्त सचिव (डी), एमओएचयूए
श्री प्रदीप एम. सिकदर	नामिती निदेशक, भारत सरकार कार्यकारी निदेशक/सिग्नल (विकास), रेलवे बोर्ड
श्री आलोक कुमार	नामिती निदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार प्रमुख सचिव, अवसंरचना और औद्योगिक विकास विभाग
श्री संजय मिश्रा	पूर्णकालिक निदेशक (कार्य एवं अवसंरचना), यूपीएमआरसीएल
श्री सुशील कुमार	पूर्णकालिक निदेशक (परिचालन), यूपीएमआरसीएल
श्री अतुल कुमार गर्ग	पूर्णकालिक निदेशक (रोलिंग स्टॉक एवं सिस्टम्स), यूपीएमआरसीएल

रिपोर्ट के अंतर्गत आने वाली समयावधि के दौरान, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त नामांकन के आधार पर निम्नलिखित निदेशकों की नियुक्ति की गई है:

1. श्री श्याम सुंदर दुबे;
2. श्री शिवदास मीणा;
3. श्री मुकेश कुमार मेश्राम;
4. श्री दीपक कुमार;
5. डॉ. देवेश चतुर्वेदी;
6. श्री आलोक कुमार;
7. श्री भुवनेश कुमार;

2. प्रशंसा के शब्द

बोर्ड निम्नलिखित निदेशकों, जिनका कार्यकाल समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समाप्त हुआ, द्वारा दी गई मूल्यवान सेवाओं और विशेषज्ञ सलाह के लिए उनकी सराहना करता है;

क्रम संख्या	निदेशक का नाम	पदत्याग की तिथि	पदनाम
1	श्री नितिन रमेश गोकर्ण	27.06.2019	नामिती निदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार
2	श्री महेंद्र कुमार	30.06.2019	पूर्णकालिक निदेशक (आरएस ऐंड एस)
3	डॉ. देवेश चतुर्वेदी	05.08.2019	नामिती निदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार
4	श्री राजेश कुमार सिंह	08.11.2019	नामिती निदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार
5	श्री अनिल गर्ग	02.09.2019	नामिती निदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार
6	श्री भुवनेश कुमार	14.02.2020	नामिती निदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार
7	श्रीमती झंझा त्रिपाठी	16.07.2019	नामिती निदेशक, भारत सरकार
8	श्री के. संजय मूर्ति	18.11.2019	नामिती निदेशक, भारत सरकार

कंपनी के निदेशक मंडल में कंपनी के उद्देश्यों के लिए प्रतिबद्ध प्रामाणिक प्रशासनिक एवं निष्पादन दक्षता वाले प्रोफ़ेशनल्स भी शामिल हैं, जो कंपनी के मामलों को प्रत्यक्ष रूप से निर्देशित करते हैं।

3. बोर्ड प्रक्रिया

कंपनी के समीक्षात्मक मूल्यांकन और कार्यप्रदर्शन की समीक्षा करने और प्रबंधन के निर्णयों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए नियमित तौर पर बोर्ड की बैठकें संचालित की जाती हैं। कंपनी ने बोर्ड और बोर्ड की समिति की बैठकों के आयोजन के लिए, निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई है:

बोर्ड/समिति की बैठकों के लिए अनुसूची और कार्यसूची मद का चयन:

बोर्ड के अध्यक्ष से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद उचित सूचना देकर बैठकों का संयोजन किया जाता है। विशिष्ट तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बैठकें संक्षिप्त अवधि में भी बुलाई जाती हैं। बोर्ड प्रसार के द्वारा, केवल ऐसे मामले जो बेहद ज़रूरी होते हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के संदर्भ में स्वीकार्य हैं, के लिए भी प्रस्ताव पारित करता है।

कार्यसूची से संबंधित दस्तावेज़ संबंधित विभागों के प्रमुखों द्वारा तैयार किए और प्रबंध निदेशक को प्रस्तुत किए जाते हैं। विधिवत अनुमोदित कार्यसूची नोट्स, प्रबंधन रिपोर्ट और व्यापक पृष्ठभूमि जानकारी सहित अन्य व्याख्यात्मक विवरण पहले

ही बैठकों में सदस्यों द्वारा सार्थक, सूचित और केंद्रित निर्णय लेने के लिए बांटे जाते हैं।

विशेष एवं अपवादात्मक परिस्थितियों में, अतिरिक्त या पूरक मद, जो कार्यसूची में नहीं हैं, उन्हें अध्यक्ष की अनुमति से चर्चा के लिए सुरक्षित रख लिया जाता है। अनुमोदन की प्रमुख घटनाओं/मदों के बारे में भी, जहां आवश्यक हो, बोर्ड को सूचित किया जाता है। बोर्ड की बैठकों में प्रबंध निदेशक, कंपनी के समग्र कार्यप्रदर्शन की जानकारी देते हैं। बोर्ड की राय में पिछली बैठकों में बोर्ड के दिशा–निर्देशों के अनुरूप की गई कार्रवाई की बोर्ड समीक्षा भी कार्यसूची का एक भाग होता है।

बोर्ड के सदस्यों का कंपनी की सभी सूचनाओं पर पूर्ण अभिगम होता है। साथ ही, बोर्ड की बैठकें सचिवीय मानक–1 के अनुसार संचालित की जाती हैं।

प्रबंध निदेशक द्वारा संक्षिप्त जानकारी:

बोर्ड की प्रत्येक बैठक के प्रारंभ में, प्रबंध निदशेक, बोर्ड के सदस्यों को परियोजना की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रों में कंपनी की अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियों/प्रगतियों के बारे में संक्षिप्त जानकारी देते हैं।

बोर्ड बैठक की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग:

बोर्ड की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त रेकॉर्ड किए जाते हैं और कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज किया जाता है। बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त को पुष्टिकरण के लिए बोर्ड की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाता है और कार्यवृत्त चेयरमैन द्वारा हस्ताक्षरित होते हैं। बोर्ड की उप–समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त, सूचनार्थ बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं।

अनुपालन:

अजेंडा कार्यसूची तैयार करने के दौरान विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करते हैं कि कंपनी अधिनियम 2013, आर्टिकल्स ऑफ़ असोसिएशन एवं सीवीसी के दिशा–निर्देशों समेत लागू करने योग्य सभी वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन हो।

कंपनी के सभी कर्मचारी, कंपनी द्वारा प्रदत्त सभी ज़िम्मेदारियों एवं दायित्वों का विधिवत निर्वहन करते हैं। कर्मचारियों द्वारा, कार्य–निर्वहन के दौरान, उच्च मौलिक मूल्यों एवं आदर्शों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। साथ ही, वे समयबद्ध प्रबंधन में भी अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं।

4. शेयरधारकों की बैठक

कंपनी के शेयरधारकों की 6वीं वार्षिक आम बैठक, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, निर्माण भवन, मौलाना आज़ाद रोड, नई दिल्ली में 30 सितंबर, 2019 को संपन्न हुई।

5. बोर्ड बैठकें

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, तीन बोर्ड बैठकों का आयोजन किया गया। इस अवधि के दौरान, बोर्ड बठकों के आयोजन एवं उनमें निदेशकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	नाम	वित्तीय वर्ष 2019–20 में उनके निदेशक काल के दौरान हुईं बैठकों की संख्या	बोर्ड बैठकों में उपस्थिति
1	श्री दुर्गाशंकर मिश्रा	3	3
2	श्री कुमार केशव	3	3
3	श्री श्याम सुंदर दुबे	3	3
4	श्री विनय कुमार सिंह	3	1

5	श्री के. संजय मूर्ति	2	2
6	श्री प्रदीप एम. सिकदर	3	2
7	डॉ. देवेश चतुर्वेदी	1	1
8	श्री दीपक कुमार	2	2
9	श्री भुवनेश कुमार	2	0
10	श्री मुकेश कुमार मेश्राम	2	0
11	श्री राजेश कुमार सिंह	2	0
12	श्री अजय कांत रस्तोगी	3	3
13	श्री संजय मिश्रा	3	3
14	श्री सुशील कुमार	3	3
15	श्री अतुल कुमार गर्ग	1	1
16	श्री शिवदास मीणा	1	0
17	श्री आलोक कुमार	1	0

5. बोर्ड की समितियां

बोर्ड ने कंपनी के परिचालन के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप पांच समितियों का गठन किया है। ये समितियां हैं; लेखापरीक्षा समिति एवं निवेश समिति, आंतरिक शिकायत समिति, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति। इनमें से प्रत्येक समिति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित संदर्भ शर्तें विधिवत रूप से ज्ञात हैं। ये समितियां कंपनी की आवश्यकताओं के अनुसार, समय–समय पर बैठकें आयोजित करती रहती हैं।

क. लेखापरीक्षा समिति

लेखापरीक्षा समिति की संरचना का समदिनांकित विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	समिति के सदस्य की नियुक्ति की तिथि
1	श्री के. संजय मूर्ति, अपर सचिव, एमओएचयूए	नामिती निदेशक, भारत सरकार	25.7.2019
2	श्री दीपक कुमार, प्रमुख सचिव, आवासन एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	नामित निदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार	5.8.2019
3	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य,	
4	श्री श्याम सुंदर दुबे, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, एमओएचयूए	सदस्य,	27.7.2019
5	श्री सुशील कुमार, निदेशक (परिचालन), यूपीएमआरसी	सदस्य,	27.7.2019

*पद हाल में रिक्त है।

**लेखापरीक्षा समिति के सदस्य के रूप में सरकार के नामिती निदेशक का पद रिक्त होने के कारण, श्री मूर्ति ने भारत सरकार का नामिती निदेशक होने के नाते लेखापरीक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की।

समिति ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान दो बैठकें की

बैठक संख्या	बैठक की तिथि
18वीं	25.07.2019
19वीं	15.01.2020

कंपनी के महाप्रबंधक (वित्त), आंतरिक लेखापरीक्षकों एवं सांविधिक लेखापरीक्षकों को भी समिति की बैठकों में प्रतिभागिता हेतु आमंत्रित किया गया। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों एवं उनके आधार पर बनाए गए नियमों के अनुरूप, बोर्ड द्वारा अनुमोदित लेखापरीक्षा समिति की संदर्भ शर्तें इस प्रकार हैं:

क्र. सं.	लेखापरीक्षा समिति के सदस्य का नाम	वित्तीय वर्ष 2019-20 में उनके निदेशक काल के दौरान हुईं बैठकों की संख्या	बोर्ड बैठकों में उपस्थिति
1	श्री के. संजय मूर्ति	1	1
2	श्री दीपक कुमार	1	1
3	श्री भुवनेश कुमार	2	0
4	श्री श्याम सुंदर दुबे	2	0
5	श्री सुशील कुमार, निदेशक (परिचालन)	2	2

ख. निवेश समिति

कंपनी की निवेश समिति की संरचना समदिनांकित तिथि को निम्नवत है:

क्र. सं.	सदस्य का नाम	पदनाम
1.	श्री कुमार केशव, प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष (चेयरमैन)
2.	श्री अतुल कुमार गर्ग, निदेशक (आरएस ऐंड एस)	सदस्य
3.	श्री एस. के. मित्तल, निदेशक (वित्त)	सदस्य

ग. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति:

समदिनांकित तिथि को कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की संरचना इस प्रकार है:

क्र. सं.	सदस्य का नाम	पदनाम
1.	डॉ. देवेश चतुर्वेदी	प्रमुख सचिव, आवासन और शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन एवं नामिती निदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार
2.	श्री दीपक कुमार	प्रमुख सचिव, आवासन और शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन एवं नामिती निदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार
3.	श्री सुशील कुमार	निदेशक (परिचालन), यूपीएमआरसी
4.	श्री एस. के. मित्तल	निदेशक (वित्त), यूपीएमआरसी

*डॉ. देवेश चतुर्वेदी के स्थान पर श्री दीपक कुमार को सीएसआर समिति का अध्यक्ष (चेयरमैन) नियुक्त किया गया (05.08.2019 से प्रभाव में) एवं वित्तीय 2019–20 के दौरान, कंपनी की सीएसआर समिति की सिर्फ़ एक बैठक (दिनांक 22.07.2019 को) आयोजित हुई।

घ. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (मानव संसाधन समिति)

समदिनांकित तिथि को कंपनी की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संचरना इस प्रकार है:

क्र. सं.	सदस्य का नाम	पदनाम
1.	श्री दीपक कुमार,	प्रमुख सचिव, आवासन एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन एवं नामिती निदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार
2.	श्री कुमार केशव	प्रबंध निदेशक, यूपीएमआरसी
3.	श्री एस. के. मित्तल	निदेशक (वित्त), यूपीएमआरसी

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान मानव संसाधन समिति की सिर्फ़ एक बैठक (दिनांक 26.09.2019 को) आयोजित हुई, जिस दौरान सभी सदस्य मौजूद रहे।

ख. प्रकटन:

- ऐसा कोई तथ्यात्मक रूप से महत्वपूर्ण पार्टी लेनदेन अर्थात् अपने प्रवर्तकों, निदेशकों या प्रबंधन, सहायक कंपनियों या संबंधियों आदि के साथ कंपनी का कोई भौतिक लेनदेन नहीं है, जो व्यापक तौर पर कंपनी के हित से कंपनी की क्षमता को प्रभावित कर सकता है।
- कंपनी द्वारा किसी सांविधिक नियम के गैर–अनुपालन जैसे किसी मामले या किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर लगाए गए दंड या जुर्माने की कोई घटना नहीं हुई है।
- कंपनी के बही खातों में खर्चनामे में डाला गया ऐसा कोई मद नहीं था, जो कंपनी के व्यवसाय के प्रयोजन से जुड़ा न हो।

ग. कंपनी की वेबसाइट

कंपनी की वेबसाइट www.upmetrorail.com है। वस्तुओं एवं सेवाओं की ख़रीद के बारे में समयबद्ध जानकारी प्रदान करने के लिए परियोजना, अनुबंध, भर्ती प्रक्रिया सहित कंपनी से संबंधित सभी प्रमुख जानकारियां वेबसाइट पर प्रकाशित की जाती हैं। वेबसाइट में सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों, कार्यकलापों और मेट्रो रेल परियोजना की प्रगति एवं अन्य महत्वपूर्ण विकास कार्यों की जानकारी भी दी जाती है।

पंजीकृत कार्यालय:
प्रशासनिक भवन,
विपिन खंड, गोमती नगर,
लखनऊ–226010, फ़ोन–0522–2304011
ईमेल– pushpa.bellani@upmrcl.co.in
वेबसाइट: www.upmetrorail.com

उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. के
निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

ह0/–
कुमार केशव
प्रबंध निदेशक
डीआईएन–02908695

ह0/–
श्री एस. के. मित्तल
निदेशक (वित्त)
डीआईएन–08821866

स्थान: लखनऊ
दिनांक: 26/10/2020

अनुलग्नक–1

फ़ॉर्म संख्या एमजीटी 9

वार्षिक रिटर्न का सारांश

31.03.2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के अनुसार

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में

I. पंजीकरण एवं अन्य विवरण:

1.	सीआईएन	U60300UP2013SGC60836
2.	पंजीकरण तिथि	25 नवंबर, 2013
3.	कंपनी का नाम	उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.
4.	कंपनी की श्रेणी/उप–श्रेणी	सरकारी कंपनी
5.	पंजीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क सूत्र	प्रशासनिक भवन, विपिन खंड, गोमती नगर, सामाजिक परिवर्तन स्थल के निकट, लखनऊ– 226010 फ़ोनः 0522–2304010, ईमेलः cslmrcl@gmail.com, वेबसाइटः www.upmetrorail.com
6.	क्या कंपनी सूचीबद्ध है	सूचीबद्ध नहीं है
7.	रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफ़र एजेंट का नाम, पता एवं संपर्क विवरण, यदि कोई हो तो	लागू नहीं

II. कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियां

(कंपनी के कुल कारोबार में 10% या अधिक का योगदान देने वालीं सभी व्यावसायिक गतिविधियों का उल्लेख किया जाएगा)

क्र. सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम एवं विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआ□सी कोड	कंपनी के कुल कारोबार का प्रतिशत
1.	रेलवे और पाइपलाइन के माध्यम से भूमि परिवहन	H2	100

III. होल्डिंग्स, सहायक एवं सहयोगी कंपनियों का विवरण

क्र. सं.	कंपनी का नाम एवं पता	सीआ□एन/ जीएलएन	होल्डिंग/ सहायक/ सहयोगी	धारित शेयरों का प्रतिशत	लागू खंड
	————————लागू नहीं————————				

IV. शेयरधारिता पद्धति (कुल इक्विटी के प्रतिशत के अनुसार इक्विटी शेयर पूंजी का विवरण)

क) श्रेणी-वार शेयरधारिता

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या (1 अप्रैल, 2019 को)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (31 मार्च, 2020 को)				वर्ष के दौरान प्रतिशत बदलाव
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	
क. प्रवर्तक									
(1) भारतीय									
क) व्यक्ति/एचयूएफ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) केंद्र सरकार	-	100300000	100300000	50.15%	-	100300000	100300000	45.47%	(4.68%)
ग) राज्य सरकार	-	99700000	99700000	49.85%	-	120300000	120300000	54.53%	4.68%
घ) निकाय कॉर्पो.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ड.) बैंक/एफ़आई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) कोई अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रवर्तक की कुल शेयरधारिता (क)		**200000000**	**200000000**	**100%**		**220600000**	**220600000**	**100%**	**-**
ख. सार्वजनिक शेयरधारिता									
1. संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) म्युचुअल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) बैंक/एफ़आई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) केंद्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) राज्य सरकार(रें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ड.) उद्यम पूंजी फ़ंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) बीमा कंपनियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
छ) एफ़आईआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ज) विदेशी उद्यम पूंजी फ़ंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
झ) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप-योग (ख) (1):	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. गैर-संस्थानिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) निकाय/ निगम	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) विदेशी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-

i) 1 लाख रुपए तक मामूली शेयधारिता रखने वाले शेयरधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) 1 लाख रुपए से अधिक की शेयरधारिता रखने वाले वाले शेयरधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ब) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(i) गैर–निवासी भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) विदेशी कॉर्पोरेट निकाय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii) विदेशी नागरिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(iv) क्लियरिंग सदस्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(v) ट्रस्ट	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(vi) विदेशी निकाय / डीआर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप-योग (ख) (2):	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख)=(ख)(1)+ (ख)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) जीडीआर एवं एडीआर के संरक्षण में धारित शेयर	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
कुल योग (क+ख+ग)	**-**	**200000000**	200000000	100%	-	220600000	220600000	100%	

ख) प्रवर्तकों की शेयरधारिता–

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			वर्ष के दौरान शेयरधारिता के प्रतिशत में परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कंपनी के कुल शेयरों में गिरवी रखे हुए/भारग्रस्त शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कंपनी के कुल शेयरों में गिरवी रखे हुए/ भारग्रस्त शेयरों का प्रतिशत	
1.	केंद्र सरकार	100300000	50.15%	-	100300000	45.47%	-	4.68% ह्रास
2.	उत्तर प्रदेश सरकार	99700000	49.85%	-	120300000	54.53%	-	4.68% वृद्धि
	कुल	**200000000**	**100%**	**-**	**220600000**	**100%**	**-**	**-**

ग) प्रवर्तकों की शेयरधारिता में बदलाव:

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के प्रारंभ में (यानी 01.04.2019 को) शेयरधारिता		दिनांक	शेयरधारिता में वृद्धि/ह्रास		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
1.	उत्तर प्रदेश सरकार	99700000	49.85%	27.01.2020 राइट इश्यू	20600000	4.68% वृद्धि	120300000	54.53%
2.	भारत सरकार	100300000	50.15%	-	-	4.68% ह्रास	100300000	45.47%
	कुल	**200000000**	**100%**	**-**	**20600000**	**-**	**220600000**	**100%**

घ) शीर्ष दस शेयरधारकों का शेयरधारिता प्रतिरूप:
(निदेशकों, प्रवर्तकों एवं जीडीआर तथा एडीआर धारकों को छोड़कर):

क्र. सं.	शीर्ष 10 शेयरधारकों में से प्रत्येक के लिए	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
1.	वर्ष के प्रारंभ में	लागू नहीं			
2.	प्रवर्तकों की शेयरधारिता में वृद्धि/ह्रास का तिथिवार विवरण, कारण (जैसे कि आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि) सहित				
3.	वर्ष के अंत में				

ड.) निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता:

क्र. सं.	प्रत्येक निदेशक एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक की शेयरधारिता	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
1.	वर्ष के प्रारंभ में	-	-	-	-
2.	प्रवर्तकों की शेयरधारिता में वृद्धि/ह्रास का तिथिवार विवरण, कारण (जैसे कि आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि) सहित	-	-	-	-
3.	वर्ष के अंत में	-	-	-	-

V) ऋणग्रस्तता

बकाया ब्याज़/उपार्जित लेकिन भुगतान के लिए देय नहीं, सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता

विवरण	जमा राशि को छोड़कर प्रतिभूत ऋण	अप्रतिभूत ऋण	जमा राशि	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	शून्य	461205.00	शून्य	461205.00
ii) देय ब्याज़, जिसका भुगतान नहीं हुआ	शून्य	590.66	शून्य	540.67
iii) उपार्जित ब्याज़, लेकिन देय नहीं	शून्य	101.59	शून्य	101.59
कुल (i+ii+iii)	**शून्य**	**461847.26**	**शून्य**	**461847.26**
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
वृद्धि	शून्य	1695.00	शून्य	1695.00
ह्रास	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
निवल परिवर्तन	**शून्य**	**1695.00**	**शून्य**	**1695.00**
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	शून्य	462900.00	शून्य	462900.00
ii) देय ब्याज़, जिसका भुगतान नहीं हुआ	शून्य	1099.37	शून्य	1099.37
iii) उपार्जित ब्याज़, लेकिन देय नहीं	शून्य	213.35	शून्य	213.35
कुल (i+ii+iii)	**शून्य**	**464212.72**	**शून्य**	**464212.72**

VI) निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और/या प्रबंधक को पारिश्रमिक:

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक का नाम (राशि रूपए में)						कुल राशि
		प्रबंध निदेशक	पूर्णकालिक निदेशक (वित्त)	पूर्णकालिक निदेशक (कार्य एवं अवसंरचना)	पूर्णकालिक निदेशक (चल स्टॉक एवं प्रणालियां-आरएस ऐंड एस)		पूर्णकालिक निदेशक (परिचालन)	
		कुमार केशव	अजय कांत रस्तोगी	संजय मिश्रा	महेंद्र कुमार (जून, 2019 तक)	अतुल कुमार गर्ग (दिसंबर, 2019 से)	सुशील कुमार	
1.	**सकल वेतन**							
क)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप वेतन	4048644	4447934	4557310	1006899	1182348	4596766	19839901
ख)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य	388153	367163	160422	440590	133475	201670	1691473

ग)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले लाभ	-	-	-	-			
2.	**स्टॉक विकल्प**	-	-	-	-			
3.	**स्वेट इक्विटी**	-	-	-	-			-
4.	**कमीशन –लाभ का प्रतिशत, अन्य निर्दिष्ट करें**	-	-	-	-			-
5.	**अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें (भविष्य एवं अन्य निधियों, आनुतोषिक एवं समूह बीमा में अंशदान)**	380313	762930	7,16,626.00	100371	105701	702082	2768023
	कुल (क) रूपए	4817110	5578027	5434358	1547860	1421524	5500518	24299397
	अधिनियम के अनुसार सीमा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशक का नाम					कुल राशि
		-	-	-	-	-	-
1	स्वतंत्र निदेशक	-	-	-	-	-	-
	बोर्ड समिति की बैठकों में शामिल होने के लिए शुल्क	-	-	-	-	-	-
	कमीशन	-	-	-	-	-	-
	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	-	-	-	-	-	-
	कुल (1)	-	-	-	-	-	-
2	अन्य गैर–कार्यकारी निदेशक						
	बोर्ड समिति की बैठकों में शामिल होने के लिए शुल्क	-	-	-	-	-	-
	कमीशन	-	-	-	-	-	-
	अन्य, कृपया रीटनेरशिप शुल्क निर्दिष्ट करें–	-	-	-	-	-	-
	कुल (2)	-	-	-	-	-	-
	कुल (ख)=(1+2)	-	-	-	-	-	-
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	-	-	-	-	-	-
	अधिनियम के अनुसार कुल सीमा						

ग. **प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक को छोड़कर मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक**

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक			
		सीएस			कुल
1.	सकल वेतन				
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप वेतन	19,82,315	-	-	19,82,315
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य	5,57,642	-	-	5,57,642
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले लाभ	-	-	-	-
2.	स्टॉक विकल्प	-	-	-	-
3.	स्वेट इक्विटी	-	-	-	-
4.	कमीशन	-	-	-	-
	लाभ के प्रतिशत के रूप में	-	-	-	-
	अन्य, निर्दिष्ट करें	-	-	-	-
5.	अन्य, निर्दिष्ट करें (भविष्य निधि एवं अन्य फ़ंड्स, आनुतोषिक एवं समूह बीमा में अंशदान)	2,06,955	-	-	2,06,955
	कुल	27,46,912	-	-	27,46,912

VII) जुर्माना/दंड/अपराधों का प्रशमनः

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाए गए दंड/ जुर्माने/प्रशमन शुल्क का ब्यौरा	प्राधिकरण (आरडी/ एनसीएलटी/ न्यायालय)	दाखिल याचिका, यदि को हो तो (ब्यौरा दें)
क. कंपनी					
जुर्माना	-	-	-	-	-
दंड	-	-	-	-	-
प्रशमन	-	-	-	-	-
ख. निदेशक					
जुर्माना	-	-	-	-	-
दंड	-	-	-	-	-
प्रशमन	-	-	-	-	-
ग. अन्य चूककर्ता अधिकारी					
जुर्माना	-	-	-	-	-
दंड	-	-	-	-	-
प्रशमन	-	-	-	-	-

अनुलग्नक–2

दिलीप दीक्षित एंड कम्पनी
कंपनी सचिव

ईमेल आईडी : cs.delipdixit@gmail.com
संपर्क नं. : +91 8354980010

फ़ॉर्म संख्या एमआर–3

सचिवीय लेखापरीक्षक प्रतिवेदन 31 मार्च, 2020 को समाप्त अवधि के लिए सचिवीय लेखापरीक्षक प्रतिवेदन

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियमावली 2014 के नियम सं. 9 के अनुसरण में)

सेवा में,

सदस्यगण,
उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.
(पूर्व में लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.)
सीआईएनः U60300UP2013SGC060836
पंजीकृत कार्यालयः प्रशासनिक भवन,
गोमती नगर, निकट डॉ. अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश, पिन– 226010
ईमेलः cslmrcl@gmail.com

1. हमने **उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.** (यहां पर 'कंपनी' के तौर पर संदर्भित) द्वारा स्वीकार्य सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा श्रेष्ठ निगमित पद्धतियों के अनुपालन की सचिवीय लेखापरीक्षा संपन्न की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार की गई, जिसने हमें निगमित संचालनों/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने तथा उनपर अपनी राय प्रकट करने का उपयुक्त आधार प्रदान किया।

2. हमने 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. द्वारा रखी गई बहियों, दस्तावेज़ोंस कार्यवाही पुस्तिकाओं, प्रारूपों और जमा किए गए रिटर्नों तथा अन्य रेकॉर्डों की निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार जांच की है:
   i. अनुपालन की अपेक्षा वाले कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विभिन्न संबंधित अधिनियमों;
   ii. मेट्रो रेलवे (निर्माण कार्य) अधिनियम, 1978 और उसके नियमों;
   iii. मेट्रो (परिचालन एवं अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 और उसके नियमों; और
   iv. कंपनी के ज्ञापन और अंतर्नियमों

3. कंपनी की बहियों, दस्तावेज़ों, कर्यवाही, पुस्तिकाओं, फ़ॉर्मों, जमा किए गए रिटर्नों तथा कंपनी द्वारा रखे गए अन्य रेकॉर्डों के सत्यापन तथा सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम एतद्वारा सूचित करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने **31 मार्च, 2020 को** समाप्त हुए वर्ष में शामिल लेखापरीक्षा अवधि के दौरान नीचे सूचीबद्ध किए गए विभिन्न सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है:
   i. विभिन्न सावंधिक रजिस्टरों और दस्तावेज़ों का रख–रखाव और उसमें आवश्यक प्रविष्टियां करना;
   ii. कंपनियों के रजिस्ट्रार के पास फ़ाइल करने के लिए आवश्यक फ़ॉर्मों, रिटर्न, दस्तावेज़ों और संकल्पों;
   iii. कंपनी द्वारा अपने सदस्यों, लेखापरीक्षकों और रजिस्ट्रार को दस्तावेज़ भेजना;
   iv. निदेशक मंडल और निदेशकों की विभिन्न समितियों की बैठकों की सूचना देना;

v. निदेशकों और निदेशकों की सभी समितियों की बैठकों की सूचना देना;

vi. 30 सितंबर, 2019 को आयोजित वार्षिक आम बैठक की सूचना और संयोजन;

vii. बोर्ड की बैठक, समिति और सदस्यों की बैठक की कार्यवाही;

viii. निदेशक मंडल, निदेशकों की समिति, सदस्यों और सरकारी विभागों से जहां भी आवश्यक हो, अनुमोदन;

ix. निदेशक मंडल, निदेशकों की समितियों का गठन और निदेशकों की नियुक्ति और पुनःनियुक्ति;

x. निदेशकों और प्रबंध निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक को पारिश्रमिक का भुगतान;

xi. सांविधिक लेखापरीक्षकों, सचिवीय लेखापरीक्षकों और आंतरिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक;

xii. कंपनी के शेयरों, इश्यू और आवंटन शेयरों का हस्तांतरण;

xiii. कंपनी के अनुबंधों, पंजीकृत कार्यालय और नाम का प्रकाशन;

xiv. निदेशक मंडल की रिपोर्ट;

xv. कंपनी की निधियों का निवेश;

xvi. सामान्य तौर पर, अधिनियम के अन्य सभी लागू प्रावधानों और उसके तहत बने नियमों;

xvii. हमारी राय में, कंपनी ने, ज्ञापन और कंपनी के अंतर्नियमों में यथा निर्धारित उचित बोर्ड–प्रक्रियाओं और अनुपालन तंत्र का पालन किया है और ऊपर उल्लिखित सांविधिक प्रावधानों, अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशा–निर्देशों, लागू सचिवीय मानकों, आदि का अनुपालन किया है।

4. हम आगे यह सूचित करते हैं:

i. निदेशकों ने अनुबंधों और व्यवस्थाओं में हितों और संबंधों, अन्य कंपनियों में शेयरधारित और निदेशक पदों और अन्य संस्थाओं में हितों के प्रकटन की अपेक्षाओं का अनुपालन किया है;

ii. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के विभिन्न प्रावधानों के तहत जहां भी आवश्यक हो, सभी आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किए हैं;

iii. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके तहत नियमों, विनियमों और दिशा–निर्देशों के अंतर्गत कंपनी के विरुद्ध कोई अभियोजन शुरू नहीं किया गया या कंपनी ने कोई 'कारण बताओ नोटिस' प्राप्त नहीं किया।

5. हम आगे यह सूचित करते हैं कि वर्ष के दौरान:

कंपनी की स्थिति राज्य (उत्तर प्रदेश) सरकार और केंद्र सरकार के बीच 50:50 संयुक्त उपक्रम के रूप में सरकारी कंपनी की बनी हुई है। साथ ही, हमारे विचार में कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 मेट्रो रेलवे (निर्माण कार्य) अधिनियम, 1978 और मेट्रो रेलवे (परिचालन एवं अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 (कंपनी के विशिष्ट शासी अधिनियमों) के लागू प्रावधानों का नियमित तौर पर अनुपालन करती है।

i. निर्धारित स्तर तक अनुपालन की जांच के लिए कंपनी द्वारा रखे गए विभिन्न रेकॉर्डों की जांच की गई।

ii. समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन किया गया और निदेशकों की नियुक्ति और पदत्याग कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। कंपनी ने सभी अनिवार्य अपेक्षाओं का अनुपालन किया है।

हम पुनः सूचित करते हैं कि लागू वित्तीय क़ानूनों, जैसे प्रत्यक्ष और परोक्ष कर क़ानूनों की मेरी लेखापरीक्षा के अंतर्गत पूर्णतयः समीक्षा नहीं की गई है क्योंकि यह सांविधिक लेखापरीक्षक और अन्य नामित कुशल प्रफ़ेशनल्स के दायरे में आती है।

हमने निम्नलिखित की स्वीकार्य धाराओं के अनुपालन की भी जांच की है:

(i) इंस्टीट्यूट ऑफ़ कंपनी सेक्रेटरीज़ ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी सचिवीय मानकों;

(ii) इंस्टीट्यूट ऑफ़ कंपनी सेक्रेटरीज़ ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानकों;

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने ऊपर वर्णित अधिनियम के प्रावधानों, नियमों, विनियमों, दिशा–निर्देशों, मानकों इत्यादि का निम्नलिखित अवलोकनों के अधीन अनुपालन किया है:

स्वीकार्य क़ानूनों के संबंध में विशिष्ट अवलोकनों/लेखापरीक्षा अहर्ता, पूर्वधारण या प्रतिकूल टिप्पणियों पर रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न "अनुलग्नक क"(रिपोर्ट के अभिन्न भाग) में प्रदान की गई है।

हम आगे सूचित करते हैं कि

कंपनी का निदेशक मंडल, कार्यकारी निदेशकों, गैर–सरकारी निदेशकों के उचित संतुलन सहित विधिवत गठित है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल के गठन में हुए परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में और इस संबंध में संबंधित विनियामक निकाय और सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार किए गए।

बोर्ड की बैठकें आयोजित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिए, अधिकांश बैठकों की कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पूर्व भेजे गए और बैठक के पूर्व और बैठक में सार्थक प्रतिभागिता के लिए कार्यसूची के मदों पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने और प्राप्त करने की प्रणाली मौजूद है।

विधिवत रिकॉर्ड और अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित बैठक की कार्यवाही के अनुसार, बोर्ड के निर्णय सर्वसम्मत थे और विचार में कोई मतभेद दर्ज नहीं किया गया है।

हम पुनः सूचित करते हैं कि स्वीकार्य क़ानूनों, नियमों, विनियमों और दिशा–निर्देशों की निगरानी और उनका अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कंपनी में कंपनी के आकार और परिचालन के अनुसार पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं विद्यमान हैं।

यूडीआ□एन: F006244B000661349
स्थान: लखनऊ
दिनांक: 04.09.2020

कृते **दिलीप दीक्षित ऐंड कंपनी**

हस्ताक्षर/–
दिलीप कुमार दीक्षित
एफ़सीएस संख्या. 6244
सीपी संख्या. 6770

अनुलग्नक–क

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173 के प्रावधानों के अनुसार लेखापरीक्षा अवधि के दौरान वित्तीय वर्ष 2019–20 में लगातार आयोजित बोर्ड की दो बैठकों, विशेषरूप से 27 मार्च, 2019 को हुई 35वीं बोर्ड बैठक और 27 जुलाई, 2019 को हुई बोर्ड की 36वीं बैठक के बीच 120 (एक सौ बीस) दिनों से अधिक अंतराल का पाया गया।

2. यह देखा गया कि वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कुल 3 बोर्ड बैठकें हुईं। 36वीं बोर्ड बैठक 27 जुलाई, 2019 को; 37वीं बोर्ड बैठक, 30 सितंबर, 2019 को; 38वीं बोर्ड बैठक, 27 जनवरी, 2020 को।

3. समीक्षाधीन अवधि के दौरान, श्रीमती झंझा त्रिपाठी (भारत सरकार की ओर नामिती निदेशक) (डीआईएनः 06859312), दिनांक 16.07.2019 तक निदेशक मंडल में एकमात्र महिला निदेशक थीं। तब से अभी तक कंपनी में किसी महिला निदेशक की नियुक्ति नहीं हुई।

यूडीआ□एनः F006244B000661349
स्थानः लखनऊ
दिनांकः 04.09.2020

कृते **दिलीप दीक्षित ऐंड कंपनी**

हस्ताक्षर/–
दिलीप कुमार दीक्षित
एफ़सीएस संख्या. 6244
सीपी संख्या. 6770

अनुलग्नक–ख

दिलीप दीक्षित एंड कम्पनी
कंपनी सचिव

ईमेलः cs.delipdixit@gmail.com
संपर्क नं. +91 8354980010

सेवा में,

सदस्यगण,
उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.
(पूर्व में लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.)
सीआईएनः U60300UP2013SGC060836
पंजीकृत कार्यालयः प्रशासनिक भवन विपिन खंड,
गोमती नगर, निकट डॉ. अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश, पिन– 226010
ईमेलः cslmrcl@gmail.com

हमारा समदिनांकित प्रतिवेदन, इस पत्र के साथ पढ़ा जाना है।

1. सचिवीय रेकॉर्ड का अनुरक्षण, कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी ज़िम्मेदारी, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर तैयार किए गए इन सचिवीय रेकॉर्डों पर एक राय प्रदर्शित करने की है।
2. हमने उन लेखापरीक्षा पद्धतियों एवं प्रक्रियाओं का पालन किया, जो सचिवीय रेकॉर्डों की सामग्री की सत्यता के संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थीं। सचिवीय रेकॉर्डों में सही तथ्य प्रदर्शित किए गए हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण आधार पर सत्यापन किया गया। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएं और पद्धतियां हमारी राय को एक उचित आधार प्रदान करती हैं।
3. हमारी लेखापरीक्षा से संबंधित मामलों से संबंधित न होने पर, हमने कंपनी के वित्तीय रेकॉर्ड और लेखा बहियों की सत्यता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहां भी अपेक्षित हुआ, हमने क़ानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन एवं घटनाक्रम इत्यादि के बारे में प्रबंधन का स्पष्टीकरण प्राप्त किया है।
5. कॉर्पोरेट एवं अन्य स्वीकार्य क़ानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच, परीक्षण आधार पर प्रक्रिया के सत्यापन तक सीमित थी।
6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की जीवनक्षमता और न ही उसकी प्रभाविता का आश्वासन है, जिससे प्रबंधन ने कंपनी का कार्य संचालन किया है।
7. लेखापरीक्षा के दौरान, कोविड–19 के संक्रमण के पहलू को ध्यान में रखते हुए, सोशल–डिस्टेन्सिंग बनाए रखने के लिए अधिकतम संभावित प्रयास किए गए और लेखापरीक्षा को बहुधा डिजिटल माध्यम से ही करने एवं लेखापरीक्षा स्थल पर भौतिक उपस्थिति को न्यूनतम रखने का पूरा प्रयास किया गया।

यूडीआ□एनः F006244B000661349
स्थानः लखनऊ
दिनांकः 04.09.2020

कृते मेसर्स **दिलीप दीक्षित ऐंड कंपनी**

हस्ताक्षर/–
दिलीप कुमार दीक्षित
प्रॉपराइटर
एफ़सीएस नं. 6244
सीपी नं. 6770

वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु कंपनी के सचिवीय लेखापरीक्षक की सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में की गईं टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर

क्र.सं.	टिप्पणियां	प्रबंधन का उत्तर
1	कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 173 के अनुक्रम में, निदेशक मंडल की दो सतत बैठकों, विशेषरूप से 27 मार्च, 2019 को हुई 35वीं बैठक एवं 27 जुलाई, 2019 को हुई 36वीं बैठक के बीच, 120 दिनों (एक सौ बीस) दिनों से ज़्यादा का अंतर पाया जाना।	निदेशक मंडल की 35वीं बैठक 27 मार्च, 2019 को एवं 36वीं बोर्ड बैठक 27 जुलाई, 2019 को हुई। पूर्व व्यस्तताओं एवं अपरिहार्य कारणों की वजह से सदस्य बैठक के उपलब्ध नहीं थे, अतएव निर्धारित समय के अंतर्गत बैठकें संपन्न न हो सकीं और बैठकों के आयोजन में 2 दिनों का विलंब हुआ।
2	वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान तीन बोर्ड बैठकें हुईं; 36वीं बोर्ड बैठक 27 जुलाई, 2019, 37वीं बोर्ड बैठक 30 सितंबर, 2019 एवं 38वीं बोर्ड बैठक 27 जनवरी, 2020 को।	37वीं बोर्ड बैठक 27.01.2020 को संपन्न हुई और उसके बाद वित्तीय वर्ष की चौथी बैठक 31.03.2020 को होनी थी, लेकिन कोविड–19 के मद्देनज़र मार्च, 2020 के तीसरे हफ़्ते से सरकार द्वारा देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा हो गई। एमसीए परिपत्र दिनांक 24 मार्च, 2020 के अनुच्छेद प्प के अनुसार, दो बोर्ड बैठकों के बीच 60 अतिरिक्त दिनों (कुल 180 दिन) का समय मिला यानी अगली दो तिमाहियों तक (30 सितंबर, 2020) तक का समय लिया और हमारी बोर्ड बैठक 22 जुलाई, 2020 को संपन्न हुई।
3	समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, श्रीमती झंझा त्रिपाठी (भारत सरकार की नामिती निदेशक, डीआईएनः 06859312), 16 जुलाई, 2019 तक कंपनी के निदेशक मंडल की एक महिला निदेशक थीं। इसके बाद, महिला निदेशक के रूप में कंपनी के निदेशक मंडल में किसी की नियुक्ति नहीं हुई।	एओए की शर्तों के अनुसार, निदेशक मंडल की संरचना में शामिल हैं: 5 भारत सरकार के नामिती निदेशक 5 उत्तर प्रदेश सरकार के नामिती निदेशक 4 निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त पूर्णकालिक निदेशक सरकारी कंपनी होने के नाते, पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति, शर्तों एवं पद की योग्यता के विवरण के साथ विधिवत सार्वजनिक सूचना जारी कर, सरकारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हुए हुआ। पूर्व में, भारत सरकार द्वारा कंपनी के निदेशक मंडल में महिला निदेशक को नामित किया गया था। तद्नुसार, हम पुनः सरकार से कंपनी के निदेशक मंडल में महिला निदेशक को नियुक्त करने का अनुरोध करते हैं।

पुष्पा बेलानी
कंपनी सचिव

एस. के. मित्तल
निदेशक (वित्त)

स्वतंत्र लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

सेवा में, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. के सदस्यगण,
(पूर्व में लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.)

वित्तीय लेखों की लेखापरीक्षा का प्रतिवेदन

राय

हमने उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. (पूर्व में लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.) (यहां पर 'कंपनी' के तौर पर संबोधित) के संलग्न वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च, 2020 की तिथि को तुलन–पत्र और उपरोक्त तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ एवं हानि के विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), नकदी प्रवाह विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सार सम्मिलित है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (यहां पर 'अधिनियम' के तौर पर संबोधित) द्वारा अपेक्षित ढंग से प्रदान करते हैं और अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारत में आमतौर पर स्वीकृत भारतीय लेखांकन मानक ('इंड एएस') सहित लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, 31 मार्च, 2020 को कंपनी के कामकाज (वित्तीय स्थिति) और इसके लाभ (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय निष्पादन), इसके नकदी प्रवाह और उपरोक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन की सही और निष्पक्ष स्थिति स्पष्ट करते हैं।

महत्वपूर्ण विषयः

अपनी राय पर ज़ोर दिए बिना, हम निम्न बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करते हैं:।

1) कंपनी के पक्ष में भूमि के स्वामित्व डीड के गैर–निष्पादन के संबंध में, इंड एएस वित्तीय विवरण का नोट क्रमांक 30 (घ)।

2) इंड एएस वित्तीय विवरण का नोट क्रमांक 14 और 30 (ग), वित्तीय देयता के तौर पर प्रस्तुत ऐतिहासिक मूल्य पर ब्याज़ मुक्त अधीनस्थ सरकारी ऋण को मान्य करने के संबंध में, अधीनस्थ ऋण को चुकाने की अवधि में अनिश्चितता के कारण, इंड एएस 109– वित्तीय उपकरणों के अनुरूप मापन नहीं किया गया है।

3) इंड एएस वित्तीय विवरण का नोट क्रमांक 30 (ग), यूरोपियन इनवेस्टमेंट बैंक (ईआईबी) का 350200 लाख रुपए का बकाया ऋण और 620.47 लाख रुपए का उपार्जित ब्याज़; भारत सरकार ने लखनऊ (उ.प्र.) में मेट्रो रेल परियोजना के निष्पादन के लिए पास थ्रू असिस्टेन्स (पीटीए) के माध्यम से इन ऋणों के संवितरण की व्यवस्था की। विनिमय दर में उतार–चढ़ाव से लाभ/हानि का प्रावधान इंड एएस 21– 'विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव' के अनुसार नहीं किया गया है और भारत सरकार के परामर्श के अनुसार, लेनदेन आधार पर प्रावधान किया जाएगा।

प्रस्तुत राय का आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की। उन मानकों के तहत हमारे उत्तरदायित्व का वर्णन आगे हमारे प्रतिवेदन के वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व में किया गया है। हम इंस्टीट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड अकांउटेन्ट्स ऑफ़ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, जो नैतिक अपेक्षाओं सहित अधिनियम एवं प्रावधानों तथा उनके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं और हमने इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसार अपने अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य, हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल, इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में वर्णित विषयों के लिए उत्तरदायी है, जो अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट इंड एएस सहित, भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी के कामकाज (वित्तीय स्थिति), लाभ या हानि (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय कार्यनिष्पादन), नकदी प्रवाह और कंपनी की इक्विटी में परिवर्तनों की सही एवं निष्पक्ष स्थिति स्पष्ट करते हैं। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता करने; उपयुक्त लेखाकंन नीतियों के चयन और प्रयोग; उचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान करना; और सही एवं निष्पक्ष स्थिति स्पष्ट करने वाले और तथ्यात्मक ग़लतबयानी (चाहे छल–कपट या त्रुटि से हुई हो) से मुक्त वित्तीय विवरण तैयार और प्रस्तुत करने से सुसंगत लेखाकंन रेकॉर्डों की सत्यता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कारगर, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिज़ाइन, क्रियान्वयन एवं अनुरक्षण हेतु अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रेकॉर्डों का अनुरक्षण भी शामिल है।

कंपनी का प्रबंधन, वित्तीय विवरणों के लेखांकन के दौरान, परिचालन जारी रखने के संबंध में कंपनी की दक्षता, प्रकटन (जहां लागू हों), कंपनी की आगामी परिचालन की अवधि से जुड़े मुद्दों एवं इस आधार पर ही लेखांकन के प्रति उत्तरदायी है; जब तक कि प्रबंधन की मंशा कंपनी को लिक्विडेट करने या फिर परिचालन बंद करने की न हो या फिर कंपनी के पास इसके अलावा दूसरा कोई वास्तविक विकल्प न मौजूद हो।

कंपनी के वही बोर्ड निदेशक, कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन की प्रक्रिया की निगरानी के प्रति भी उत्तरदायी हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य, वित्तीय विवरणों की तथ्यात्मक ग़लतबयानी (चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि से) से पूर्णरूप से मुक्त होने के आश्वासन की प्राप्ति के साथ–साथ लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन जारी करना है, जिसमें हमारी राय भी शामिल हो। उचित आश्वासन, उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि लेखाकंन मानकों से की गई लेखापरीक्षा से हमेशा किसी तथ्यात्मक ग़लतबयानी के होने का पता लग ही जाए। ग़लतबयानी, धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और तभी तथ्यात्मक मानी जाती है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, उससे इन वित्तीय विवरणों के आधार उपभोक्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की यथोचित अपेक्षा की जा सकती हो।

लेखाकंन मानकों के अनुसार, लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में, लेखापरीक्षा के दौरान हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पेशेवर तौर पर संदेह बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों में तथ्यात्मक ग़लतबयानी (चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि से हो) के जोख़िमों की पहचान और निर्धारण करना, उन जोख़िमों के लिए प्रभावी लेखापरीक्षा प्रक्रिया तैयार करना एवं निष्पादित करना और उन लेखापरीक्षा साक्ष्यों को प्राप्त करना, जो हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हों। धोखाधड़ी से उत्पन्न ग़लतबयानी का पता नहीं लगने का जोख़मि, त्रुटि से उत्पन्न जोख़मि से अधिक है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाज़ी, जानबूझकर चूक, ग़लतबयानी या आंतरिक नियंत्रण का अध्यारोहण शामिल हो सकता है।
- परिस्थिति के अनुसार, उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं तैयार करने में लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस पर अपनी राय स्पष्ट करने के लिए भी उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावशीलता मौजूद है।
- प्रयुक्त लेखाकंन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटनों के औचित्य का मूल्यांकन करना।
- चलायमान प्रतिष्ठान के लेखांकन आधार का उपयोग करने की प्रबंधन की उपयुक्तता और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य कि क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित तथ्यात्मक अनिश्चितता मौजूद है, जो चलायमान प्रतिष्ठान बने रहने की कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उठा सकती है; इनके आधार पर निष्कर्ष निकालना। यदि हमारे निष्कर्ष में कोई तथ्यात्मक अनिश्चितता मौजूद है तो हमें अपने लेखापरीक्षक प्रतिवेदन में वित्तीय विवरणों से संबंधित प्रकटनों पर ध्यान आकर्षित करना या यदि ऐसे

प्रकटन अपर्याप्त हैं तो हमारी राय में संशोधन करना अपेक्षित होता है। हमारे निष्कर्ष, हमारे लेखापरीक्षक प्रतिवेदन की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य की घटनाएं या स्थितियां, कंपनी को चलायमान प्रतिष्ठान बने रहने से रोक सकती हैं।

- प्रकटनों सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेनों और घटनाओं को ऐसे दर्शाते हैं, जिनसे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त हो, का मूल्यांकन करना।

हम प्रबंधन के प्रभारियों को, अन्य बातों के अलावा, लेखापरीक्षा के योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र, समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों, आंतरिक नियंत्रण मे किसी भी महत्वपूर्ण कमियों सहित (जिन्हें हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पाते हैं) सूचित करते हैं।

हम प्रबंधन के प्रभारियों को यह कथन भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है और उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में सूचित करते हैं, जिन्हें हमारी स्वतंत्रता और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों के लिए उपयुक्त समझा जाए।

अन्य क़ानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर प्रतिवेदन

1. अधिनियम की धारा 143(11) के संबंध में, केंद्र सरकार द्वारा जारी, कंपनी (लेखापरीक्षक प्रतिवेदन) आदेश, 2016 ("आदेश") की अपेक्षा के अनुसार, हम **"अनुलग्नक-क"** में आदेश के पैराग्राफ़ 3 एवं 4 में निर्दिष्ट मामलों का विवरण प्रस्तुत करते हैं।

2. अधिनियम की धारा 143(5) की अपेक्षा के अनुसार, हम **"अनुलग्नक-ख"** में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों और निर्दिष्ट मामलों पर आधारित विवरण प्रस्तुत करते हैं।

3. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षा के अनुसार, हम सूचित करते हैं कि:रू

   क) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे।

   ख) हमारी राय में, कंपनी ने क़ानून की अपेक्षा के अनुसार उपयुक्त बहीखाते रखे हैं, जैसा उन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

   ग) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन–पत्र, लाभ एवं हानि विवरण और नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन के विवरण बहीखातों के अनुरूप हैं।

   घ) हमारी राय में, उपरोक्त इंड एएस, वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का पालन करते हैं।

   ङ) चूंकि, कंपनी एक सरकारी कंपनी है, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या GSR–463(E) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार कंपनी के निदेशकों से लिखित प्रतिवेदन प्राप्त करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) कंपनी पर लागू नहीं है।

   च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभाविता के संबंध में **"अनुलग्नक-ग"** में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें।

   छ) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक प्रतिवेदन में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में, हमारी राय में एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

      i. कंपनी ने अपने इंड एएस वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकद्दमों का इंड एएस के नोट सं. 30(1) में प्रकटन किया है, जिनका इसकी वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़ सकता है।

ii. कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालीन अनुबंध नहीं थे, जिनपर कोई भौतिक नुकसान हुआ हो।

iii. ऐसी कोई राशि नहीं है, जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में अंतरित करना अपेक्षित है।

4. धारा 197(16) के तहत लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन में शामिल किए जाने वाले मामले के संबंध में; कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या– GSR 463(E) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार अधिनियम की धारा, 197 सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं है। तद्नुसार, अधिनियम की धारा 197 (16) के प्रावधानों की अपेक्षा के अनुसार प्रतिवेदन कंपनी पर लागू नहीं है।

कृते डी. एस. शुक्ला ऐंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेन्ट्स
(एफ़आरएन संख्या. : 000773C)

हस्ताक्षर/–
(श्री आर. के. श्रीवास्तव)
पार्टनर
सदस्यता संख्याः 078783
यूडीआईएनः 20078783AAAABX4585

स्थानः लखनऊ
दिनांकः 26–10–2020

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक–क

(स्वतंत्र लेखापरीक्षकों के समदिनांकित प्रतिवेदन में 'अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं' पर प्रतिवेदन के अनुच्छेद–1 से संदर्भित)

i. कंपनी की स्थिर परिसंपत्तियों के संबंध में:

क. कंपनी ने स्थायी परिसंपत्तियों का मात्रात्मक विवरण एवं स्थिति सहित पूर्व विवरण दर्शाते हुए उचित रेकॉर्डों का अनुरक्षण किया है।

ख. कंपनी में स्थाई परिसंपत्ति के सभी मदों का चरणबद्ध तरीके से सत्यापन करने का कार्यक्रम है, जो हमारी राय में कंपनी के आकार और इसकी स्थाई परिसंपत्तियों के संबंध में उचित है। कार्यक्रम के अनुसरण में, वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा स्थायी परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, ऐसे सत्यापन में कोई तथ्यात्मक विसंगति नहीं पाई गई।

ग. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, अचल संपत्तियों का स्वामित्व, इंड एएस वित्तीय विवरण के नोट संख्या–1 में प्रकट किए गए मामलों को छोड़कर, कंपनी के नाम पर है।

ii. कंपनी मेट्रो रेल अवसंचरना और अनुरक्षण के कारोबार में संलग्न है और इसके पास कोई भौतिक मालसूची नहीं है। तद्नुसार, आदेश की धारा 3(ii) के तहत प्रतिवेदन (रिपोर्टिंग) कंपनी पर लागू नहीं होती।

iii. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में निहित अन्य कंपनियों, फ़र्मों व पार्टियों को कोई ऋण, प्रतिभूत या अप्रतिभूत स्वीकार नहीं किया।

iv. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के अंतर्गत निर्दिष्ट व्यक्तियों को कोई ऋण नहीं दिया या निवेश नहीं किया या गारंटी या प्रतिभूति नहीं दी है और इसलिए इनपर टिप्पणी नहीं की गई है।

v. वर्ष के दौरान, कंपनी ने कोई जमाराशि स्वीकार नहीं की है और 31 मार्च, 2020 को कोई गैर–दावाकृत जमाराशियां नहीं है और इसलिए, आदेश की धारा 3(v) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

vi. केंद्र सरकार ने कंपनी द्वारा प्रदान की जा रहीं सेवाओं के संबंध में, अधिनियम की धारा 148(1) के अंतर्गत लागत रेकॉर्डों का अनुरक्षण निर्धारित नहीं किया है, अतएव इनपर कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

vii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, सांविधिक देयों के संबंध में:

क. आमतौर पर कंपनी, स्वयं पर लागू भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा निधि, आयकर, बिक्रीकर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर और अन्य तथ्यगत सांविधिक देयों सहित अविवादित सांविधिक देयों का उपयुक्त विभागों को नियमित रूप से भुगतान करती है।

ख. 31 मार्च, 2020 को भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा निधि, आयकर, बिक्रीकर, सेवा कर, मूल्य वर्धित कर, माल एवं सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर एवं अन्य तथ्यगत सांविधिक देयों के संबंध में कोई अविवादित देय राशि होने की तिथि से 6 माह से अधिक अवधि के लिए बकाया नहीं थी।

ग. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, किसी विवाद के कारण बकाया आयकर इस प्रकार है:

विधान की प्रकृति	देयों की प्रकृति	फ़ोरम, जहां विवाद लंबित है	अवधि, जिससे राशि संबंधित है	राशि (लाख रूपए में)
आयकर अधिनियम 1961	स्रोत पर कर की कटौती	सीआईटी (अपील)	2013-14	18.24
आयकर अधिनियम, 1961	स्रोत पर कर की कटौती	सीआईटी (अपील)	2014-15	0.41
आयकर अधिनियम, 1961	स्रोत पर कर की कटौती	सीआईटी (अपील)	2015-16	47.64
आयकर अधिनियम, 1961	स्रोत पर कर की कटौती	सीआईटी (अपील)	2016-17	108.47

viii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी वित्तीय संस्थान और सरकार को देयों की चुकौती के संबंध में कोई चूक नहीं की है।

ix. हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने मौजूदा शेयरधारकों को शेयरों की पेशकश या मियादी ऋणों के माध्यम से रकम जुटाई और रकम का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया, जिसके लिए वे जुटाई गईं।

x. हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें उपलब्ध कराई गईं जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कंपनी के साथ इसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी की कोई घटना पाई या सूचित नहीं की गई।

xi. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या GSR 463(E) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार, धारा 197 सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होती। तद्नुसार, आदेश की धारा 3(xi) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते।

xii. कंपनी, एक निधि कंपनी नहीं है और इसलिए, आदेश की धारा 3(xii) के तहत रिपोर्टिंग, कंपनी पर लागू नहीं होती।

xiii. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के सभी लेनदेन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 (जहां भी लागू हों) के अनुपालन में हैं और संबंधित पार्टी लेनदेनों के विवरणों का प्रकटन, लागू भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार अपेक्षित इंड एएस 'वित्तीय विवरणों' में किया गया है।

xiv. वर्ष के दौरान, कंपनी ने कोई अधिमान आवंटन या शेयरों या आंशिक या पूर्णतः प्रदत्त परिवर्तनीय डिबेंचरों का निजी प्लेसमेंट नहीं किया है और इसलिए, आदेश की धारा 39(xiv) के तहत रिपोर्टिंग, कंपनी पर लागू नहीं होती।

xv. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी के निदेशकों या उनसे संबद्ध व्यक्तियों से कोई गैर–नकदी लेनदेन नहीं किया है और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते।

xvi. कंपनी का भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–IA के अंतर्गत पंजीकृत होना अपेक्षित नहीं है।

कृते डी. एस. शुक्ला ऐंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेन्ट्स
(एफ़आरएन संख्या. : 000773C)

हस्ताक्षर/–
(श्री आर. के. श्रीवास्तव)
पार्टनर
सदस्यता संख्याः 078783
यूडीआईएनः 20078783AAAABX45855

स्थानः लखनऊ
दिनांकः 26–10–2020

स्वतंत्र लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन का अनुलग्नक–ख

(स्वतंत्र लेखापरीक्षक के समदिनांकित प्रतिवेदन में 'अन्य क़ानूनी एवं विनियामक अपेक्षाओं पर प्रतिवेदन' के अंतर्गत अनुच्छेद–2 में संदर्भित)

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार हम निम्नानुसार प्रतिवेदन करते हैं:

1. **क्या कंपनी के पास सभी लेखांकन लेनदेनों की कार्यवाही हेतु आ□टी प्रणाली की व्यवस्था मौजूद है? यदि हां, तो आ□टी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेनों की कार्यवाही के लेखों की सत्यनिष्ठा पर पड़ने वाले प्रभावों, वित्तीय निहितार्थों सहित (यदि हों तो); का उल्लेख किया जा सकता है?**

   लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कंपनी के पास आईटी प्रणाली है; इसके अलावा कंपनी ने ईआरपी सिस्टम भी स्थापित किया है, जिसका क्रियान्वयन लंबित है।

2. **क्या ऋण चुकाने में कंपनी की असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए किन्हीं मौजूदा ऋणों के पुनर्गठन या कर्ज़ों/ऋणों/ब्याज़ आदि की माफ़ी/बट्टे डालने के को□ मामले हैं? यदि हां, तो क्या वित्तीय प्रभाव बताया जा सकता है?**

   आमतौर पर हमने लेखापरीक्षा के अधीन वर्ष के दौरान कर्ज़ों/ऋणों/ब्याज़ आदि की माफ़ी/बट्टे डालने के कोई मामले नहीं देखे।

3. **क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्य योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य धनराशि का उसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित लेखांकन/उपयोग किया गया? विचलन के मामलों की सूची बनाएं?**

   कंपनी द्वारा प्राप्त निधि अनुमोदित डीपीआर में वित्त मॉडल के अनुसार होती है, जिसका आमतौर पर उचित तरीके से लेखांकन/उपयोग किया जाता है। हालांकि, 23 मार्च, 2016 को भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और यूपीएमआरसी (पूर्व में एलएमआरसी) के बीच समझौता ज्ञापन के अनुसार, ईआईबी के संबंध में यूपीएमआरसी की ऋण देयता, बचे हुए ऋण की गणना, ऋण की मुद्रा के विनिमय दर में उतार–चढ़ाव सहित 'रुपए" के आधार पर ईआईबी के ऋण वापस करने की समय–सारणी के आधार पर की जाएगी, जिसका कंपनी ने विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभावों के कारण प्रावधान नहीं किया है और भारत सरकार के परामर्श के अनुसार, लेनदेन के आधार पर प्रावधान किया जाएगा।

4. **क्या सार्वजनिक भागीदारी के तहत संचालित परियोजना की पहचान हेतु प्रचलित प्रणाली, सरकार के दिशा-निर्देशों/नीतियों के अनुरूप है? विचलन, यदि को□ हो तो, उस पर टिप्पणी प्रस्तुत करें?**

   लेखापरीक्षा के अधीन वर्ष के दौरान हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने किराया संग्रह प्रणाली के लिए मर्चेंट एक्वायरर बैंक के रूप में एचडीएफ़सी (HDFC) को चुनकर, 6 साल के लिए करार और पीपीपी मॉडल के अधीन संबद्ध बैंकिंग अनुप्रयोगों का प्रावधान किया है। सरकारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन में कोई विचलन सूचित नहीं किया गया।

5. **क्या समझौते में निर्धारित कार्यों यानी उपलब्धियों के निष्पादन की निगरानी के लिए व्यवस्था मौजूद है और लागत वृद्धि के प्रभाव, अनुबंधों से किसी राजस्व/हानि, आदि का बहियों में उचित तरीके से लेखांकन किया गया है?**

   समझौते में निर्धारित कार्यों यानी उपलब्धियों के निष्पादन की निगरानी की प्रणाली उपयुक्त है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. (यूपीएमआरसी) के तकनीकी अधिकारी, यूपीएमआरसी द्वारा नियुक्त जनरल कन्सल्टेन्ट (जीसी) के साथ समझौते में निर्धारित उपलब्धियों के अनुसार दावों और कार्यों की जांच करते हैं और लगातार इसकी निगरानी करते हैं। अनुबंधों से प्राप्त किसी भी राजस्व/नुकसान आदि को बहियों में उचित रूप से दर्ज किया जाता है।

6. **क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य धनराशि का उसके नियमों और शर्तों के अनुसार**

उचित लेखांकन/उपयोग किया गया? विचलन के मामलों की सूची बनाएं?

कंपनी द्वारा प्राप्त निधि, अनुमोदित डीपीआर में वित्त मॉडल के अनुसार होती है, जिसका आमतौर पर उचित तरीके से लेखांकन/उपयोग किया जाता है। हालांकि, 23 मार्च, 2016 को भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और यूपीएमआरसी के बीच समझौता ज्ञापन के अनुसार, ईआईबी के संबंध में यूपीएमआरसी की ऋण देयता, बचे हुए ऋण की गणना, ऋण की मुद्रा के विनिमय दर में उतार–चढ़ाव सहित रुपए के आधार पर ईआईबी की ऋणवापसी समय–सारणी के आधार पर की जाएगी, जिसका कंपनी ने विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभावों के कारण कोई प्रावधान नहीं किया है और भारत सरकार के परामर्श के अनुसार, लेनदेन के आधार पर प्रावधान किया जाएगा। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से लिए गए लोन का भुगतान, ईआईबी से लिए गए लोन के भुगतान के बाद किया जाएगा।

7. **क्या बैंक गारंटियों का समय से पुनर्वैधीकरण कराया गया है?**

आमतौर पर, बैंक गारंटियों का समय पर पुनर्वैधीकरण कराया गया है।

8. **प्राप्त व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, सावधि जमा, बैंक खातों और नकदी की शेष राशि की पुष्टि पर टिप्पणी करें?**

कंपनी ने अपने बैंकों में शेष राशियों और सावधि जमा के शेष की पुष्टि प्राप्त की है, जिनमें अंतर पाए जाने पर, खाता बहियों से मिलान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, अधिकांश व्यापार देयों के शेष की गैर–पुष्टि और कंपनी की लाभदेयता/नुकसान पर बही में शेष एवं वास्तविक शेष पर पड़ने वाले परिणामी प्रभाव (यदि कोई हो तो) के मिलान की आवश्यकता होती है। कंपनी के पास कोई व्यापार प्राप्य नहीं है, जिसके लिए पुष्टि प्राप्त करना आवश्यक हो।

कृते डी. एस. शुक्ला ऐंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेन्ट्स
(एफ़आरएन संख्या. : 000773C)

हस्ताक्षर/–
(श्री आर. के. श्रीवास्तव)
पार्टनर
सदस्यता संख्याः 078783
यूडीआईएनः 20078783AAAABX4585

स्थानः लखनऊ
दिनांकः 26–10–2020

स्वतंत्र लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन का अनुलग्नक–ग

(स्वतंत्र लेखापरीक्षकों के समदिनांकित प्रतिवेदन में 'अन्य विधिक एवं नियामक 'अपेक्षाओं' शीर्ष के अंतर्गत अनुच्छेद 3 (च) में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर प्रतिवेदन

हमने 31 मार्च, 2020 के अनुसार उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के इंड एएस वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षण किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ('आईसीएआई') द्वारा जारी मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षा के अनुसार उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, जो इसके कारोबार के व्यवस्थित एवं दक्ष संचालन, कंपनी की नीतियों के पालन, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, जालसाज़ियों और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखांकन रेकॉर्डों की सत्यता और पूर्णता, और समय पर विश्वस्त वित्तीय जानकारी तैयार करने को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे, का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व, अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर की गई वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय प्रकट करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट ('मार्गदर्शन') और लेखापरीक्षा पर मानकों, आईसीएआई द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित मानित, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक, दोनों ही आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी, के अनुसार की है। ये मानक और मार्गदर्शन नोट, यह अपेक्षा करते हैं कि हम नैतिक अपेक्षाओं और योजना का अनुपालन करते हुए यह उचित आश्वासन पाने के लिए लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए और बनाए रखे गए और क्या ऐसे नियंत्रण सभी तथ्यात्मक संबंधों में प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उपयुक्तता और उनके प्रभावी प्रचालन के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में उस तथ्यात्मक कमजोरी के जोख़िम का निर्धारण करते हुए और निर्धारित जोख़िम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण के परीक्षण, डिजाइन और प्रभावशील प्रचालन का मूल्यांकन करते हुए, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की एक समझ हासिल करना शामिल था। चयनित प्रक्रियाएं, लेखापरीक्षक के निर्णय, वित्तीय विवरणों की तथ्यात्मक ग़लतबयानी, चाहे जालसाज़ी या त्रुटि से, के जोखिमों के निर्धारण सहित; पर निर्भर करती हैं। हमारा मानना है कि लेखापरीक्षा साक्ष्य, जो हमने प्राप्त किए वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

किसी कंपनी का वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, ऐसी प्रक्रिया है, जो आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजन के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए तैयार की गई है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और

कार्यविधियां शामिल होती हैं, जो:

(1) उचित विवरण, सत्यता और स्पष्टता से कंपनी के लेनदेनों और उसकी परिसंपत्तियों की व्यवस्थाओं को दर्शाने वाले रेकॉर्डों के अनुरक्षण से संबंधित हों;

(2) यह उचित आश्वासन प्रदान करती हों कि लेनदेन आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने में आवश्यक मानकर रेकॉर्ड किए जाते हैं, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार ही किए जा रहे हैं;

(3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या व्यवस्था, जिससे वित्तीय विवरणों पर तथ्यात्मक प्रभाव पड़ सकता है, उनकी रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करती हों।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्वाभाविक सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्वाभाविक सीमाओं के कारण, सांठगांठ या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन प्रत्यादेश की संभावना सहित, त्रुटि या छल–कपट से तथ्यात्मक ग़लतबयानी हो सकती है और इसका पता नहीं लग सकता। साथ ही, भविष्य की अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के मूल्यांकन के अनुमान इस जोख़िम के अधीन हैं कि वित्तीय सूचन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो जाएं या नीतियों या कार्यविधियों के साथ अनुपालन का स्तर विकृत हो जाए।

राय

हमारी राय में, कंपनी का, सभी तथ्यात्मक पहलुओं से, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मानदंड पर आधारित ऐसे वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2019 को प्रभावी ढंग से प्रचालन कर रहे थे।

कृते डी. एस. शुक्ला ऐंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेन्ट्स
(एफ़आरएन संख्या. : 000773C)

हस्ताक्षर/–
(श्री आर. के. श्रीवास्तव)
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 078783
यूडीआईएन: 20078783AAAABX4585

स्थान: लखनऊ
दिनांक: 26–10–2020

उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.

(पूर्व में लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.)

पंजीकृत कार्यालयः प्रशासनिक भवन, विपिन खंड, गोमती नगर, लखनऊ

31 मार्च, 2020 को तुलनपत्र

(लाख रुपए में)

विवरण	नोट संख्या	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
परिसंपत्तियां			
गैर-चालू परिसंपत्तियां			
(क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	1	6,28,412.32	5,92,709.05
(ख) कार्यशील पूंजी	2	22,550.89	11,941.70
(ग) अमूर्त परिसंपत्तियां	3	4,590.42	4,876.67
(घ) प्रगति के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	4	-	-
(ड.) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) ऋण			-
(ii) अन्य	5	429.79	358.65
(च) अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां			-
चालू परिसंपत्तियां			
(क) मालसूची	6	7.78	7.78
खुले उपकरण एवं कलपुर्ज़े			
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) व्यापार प्राप्य	7	361.59	202.95
(ii) नकदी एवं नकदी समतुल्य	8	79,258.10	1,26,579.82
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	9	890.01	1,389.79
(ग) चालू कर परिसंपत्तियां	10	71.46	25.85
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	11	4,734.06	1,859.78
कुल परिसंपत्तियां		**7,41,306.42**	**7,39,952.05**
इक्विटी एवं देयताएं			
इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	12	2,20,600.00	2,00,000.00
(ख) इक्विटी	13	(17,538.24)	(9,218.21)
देयताएं			
गैर-चालू देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) उधार	14	4,62,900.00	4,61,205.00
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	15	2,198.18	1,208.41
(ख) प्रावधान	16	1,034.82	605.78
(ग) अन्य गैर–चालू देयताएं	17	45,846.00	47,232.55
आस्थगित कर देयताएं (निवल)			
चालू देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) व्यापार देय	18	1,386.43	823.85
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	19	14,352.26	27,579.79
(ख) अन्य चालू देयताएं	20	9,142.71	8,958.55
(ग) प्रावधान	21	1,384.26	1,556.33
कुल इक्विटी एवं देयताएं		**7,41,306.42**	**7,39,952.05**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां एवं वित्तीय विवरणों पर नोटिस 29 और 30
समदिनांकित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संलग्न

कृते- डी. एस. शुक्ला ऐंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेन्ट्स
एफ़आरएनः 000773C

(श्री आर. के. श्रीवास्तव)
पार्टनर
सदस्यता संख्या : 078783

स्थानः लखनऊ
दिनांकः 26.10.2020

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(कुमार केशव)
प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 02908695

(शील कुमार मित्तल)
निदेशक (वित्त)
डीआईएनः 08821866

(पुष्पा बेलानी)
कंपनी सचिव

उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.

(पूर्व में लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.)

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष का लाभ एवं हानि का विवरण

(लाख रुपए में)

विवरण	नोट संख्या.	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
आय			
i) परिचालन से आय	22	6,752.27	1,504.00
ii) अन्य आय	23	8,062.89	9,386.14
कुल आय		**14,815.16**	**10,890.14**
व्यय			
i) परिचालन व्यय	24	6,775.24	2,813.63
ii) कर्मचारी हितलाभ व्यय	25	6,872.57	4,922.00
iii) वित्त लागत	26	626.00	211.46
iv) मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	27	24,496.50	8,582.34
v) अन्य व्यय	28	1,196.08	1,916.68
कुल व्यय		**39,966.39**	**18,446.13**
कर से पूर्व लाभ/(हानि)		**(25,151.23)**	**(7,555.98)**
कर से पूर्व लाभ		(25,151.23)	(7,555.98)
कर व्यय			
चालू कर			
आस्थगित कर	17		-
वर्ष का लाभ/(हानि)		**(25,151.23)**	**(7,555.98)**
I वर्ष का लाभ		**(25,151.23)**	**(7,555.98)**
अन्य व्यापक आय			
i) मद, जो लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किए जाएंगे			
– परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनःमापन		**124.38**	**344.82**
– आयकर का प्रभाव			-
वर्ष की अन्य व्यापक आय/(हानि)		124.38	344.82
अवधि की कुल व्यापक आय		**(25,026.85)**	**(7,211.16)**
(1) मूल (रु.)		(12.29)	(3.75)
(2) अवमिश्रित (रु.)		(11.84)	(3.57)
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं वित्तीय विवरणों पर नोट्स	29 और 30		

समदिनांकित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संलग्न

कृते- डी. एस. शुक्ला ऐंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेन्ट्स
एफ़आरएनः 000773C

(श्री आर. के. श्रीवास्तव)
पार्टनर
सदस्यता संख्या : 078783

स्थानः लखनऊ
दिनांकः 26.10.2020

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(कुमार केशव)
प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 02908695

(पुष्पा बेलानी)
कंपनी सचिव

(शील कुमार मित्तल)
निदेशक (वित्त)
डीआईएनः 08821866

उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.

(पूर्व में लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.)

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
कर के पश्चात निवल लाभ/हानि	(25,026.85)	(7,211.16)
निम्न हेतु समायोजन:		
मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	24,496.50	8,582.34
आस्थगित कर देयता/(परिसंपत्ति)	-	-
एफ़डीआर से प्राप्त ब्याज़	(5,690.00)	(7,972.06)
मोबाइल हैंडसेटों के निपटारे से लाभ	0.18	-
ब्याज़ और वित्त प्रभाव	626.00	211.46
आस्थगित सरकारी अनुदान	(1,673.74)	(695.06)
उचित मूल्य समायोजन	(2.94)	(1.40)
परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार पर ब्याज़ व्यय	2.70	
एसओसीआईई	-	(3.47)
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व परिचालन लाभ	**(7,268.15)**	**(7,089.36)**
व्यापार प्राप्यों में (वृद्धि)/कमी	(158.64)	(202.95)
अन्य चालू परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(2,874.27)	19,436.74
चालू कर परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(45.61)	(23.13)
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	428.63	(1,098.05)
मालसूची में (वृद्धि)/कमी	-	0.45
प्रावधानों में (वृद्धि)/कमी	256.97	264.88
अन्य चालू देयताओं में (वृद्धि)/कमी	(1,202.39)	6,448.99
व्यापार देयों में (वृद्धि)/कमी	562.58	462.26
अन्य वित्तीय देयताओं में (वृद्धि)/कमी	(12,237.76)	2,675.89
अन्य देयताओं में (वृद्धि)/कमी		
परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह	**(22,538.63)**	**20,875.71**
कर का भुगतान	-	-
परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	**(22,538.63)**	**20,875.71**
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
संपत्ति, कार्यशील पूंजी सहित संयंत्र एवं उपकरणों एवं अमूर्त परिसंपत्तियों की ख़रीद	(70,524.25)	(2,03,975.69)
"संपत्ति, कार्यशील पूंजी सहित संयंत्र और उपकरणों एवं अमूर्त परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्ति"	1.37	-
प्राप्त ब्याज़ आय	5690.00	7,972.06
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	**(64,832.88)**	**(1,96,003.63)**

ग. वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
शेयर पूंजी एवं शेयर आवेदन राशि	37,594.00	14,308.00
वर्ष के दौरान प्राप्त / (समायोजित) अनुदान	1,386.55	(17,318.08)
वर्ष के दौरान जुटाए गए ऋण	1,695.00	1,85,800.00
वर्ष के दौरान ऋण की वापसी	-	-
ब्याज़ और वित्त प्रभार	(626.00)	(211.46)
परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार पर ब्याज़ व्यय	(2.70)	
उचित मूल्य समायोजन	2.94	1.41
वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	**40,049.79**	**1,82,579.88**
घ. नकदी और नकदी समतुल्य में निवल परिवर्तन (क+ख+ग)	(47,321.72)	7,451.96
ड. नकदी और नकदी समतुल्य (आरंभिक शेष)	1,26,579.82	1,19,127.86
च. नकदी और नकदी समतुल्य (अंतिम शेष)	**79,258.10**	**1,26,579.82**
नकदी प्रवाह विवरण पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां		
(क) नकदी एवं नकदी समतुल्य में शामिल है:		
(i) नकदी और बैंक बैलेंस	26055.81	1,424.12
(ii) अल्पकालिक निवेश	53202.29	125155.70
	79,258.10	**1,26,579.82**

साथ के नोट्स वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग हैं।

नकदी प्रवाह का उक्त विवरण, नकदी प्रवाह के विवरण पर इंड एएस 7 में निर्धारित की गई 'अप्रत्यक्ष विधि' के अंतर्गत तैयार किया गया है।

कृते- डी. एस. शुक्ला ऐंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेन्ट्स
एफ़आरएनः 000773C

(श्री आर. के. श्रीवास्तव)
पार्टनर
सदस्यता संख्या : 078783

स्थानः लखनऊ
दिनांकः 26.10.2020

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(कुमार केशव)
प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 02908695

(शील कुमार मित्तल)
निदेशक (वित्त)
डीआईएनः 08821866

(पुष्पा बेलानी)
कंपनी सचिव

उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.

(पूर्व में लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.)

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(लाख रुपए में)

01.04.2019 को शेष	200,000.00
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	20,600.00
31.03.2020 को बैलेंस	**220,600.00**

ख. अन्य इक्विटी

(लाख रुपए में)

विवरण	आवंटन हेतु लंबित शेयर आवेदन राशि	आरक्षित और अधिशेष	पूंजी अनुदान	वर्णित लाभकारी योजनाओं पर अन्य व्यापक आय	कुल
		प्रतिधारित आय	गैर-मौद्रिक अनुदान		
31 मार्च, 2019 को बैलेंस	**4,100.00**	**(14,418.83)**	**1,021.70**	**78.92**	**(9,218.21)**
उचित मूल्य समायोजन–गैर मौद्रिक अनुदान			(287.19)		**(287.19)**
गैर–मौद्रिक अनुदान का परिशोधन					**-**
वर्ष का लाभ		(25,151.23)			**(25,151.23)**
अन्य व्यापक आय				124.38	**124.38**
उचित मूल्य समायोजन					**-**
प्राप्त हुई शेयर आवेदन राशि (कानपुर परियोजना)	15,311.00				**15,311.00**
प्राप्त हुई शेयर आवेदन राशि (आगरा परियोजना)	5,783.00				**5,783.00**
जारी की गई शेयर इक्विटी पूंजी	(600.00)				**(600.00)**
बचत में अंतरित	(3,500.00)				**(3,500.00)**
31/03/2020 को बैलेंस	**21,094.00**	**(39,570.06)**	**734.52**	**203.29**	**(17,538.24)**

समदिनांकित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संलग्न

कृते- डी. एस. शुक्ला ऐंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेन्ट्स
एफ़आरएनः 000773C

(श्री आर. के. श्रीवास्तव)
पार्टनर
सदस्यता संख्या : 078783

स्थानः लखनऊ
दिनांकः 26.10.2020

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(कुमार केशव)
प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 02908695

(शील कुमार मित्तल)
निदेशक (वित्त)
डीआईएनः 08821866

(पुष्पा बेलानी)
कंपनी सचिव

उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.

(पूर्व में लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.)

वित्तीय विवरणों की भाग रूपी टिप्पणियां

नोट 1- संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(लाख रुपए में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	1 अप्रैल, 2019 को	वर्धन/ समायोजन	बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2020 को	1 अप्रैल, 2019 को	वर्ष के दौरान वर्धन/समायोजन	वर्ष के लिए'	31 मार्च, 2020 तक	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
कंप्यूटर और ऐक्सेसरीज़	373.33	21.09	21.34	373.07	291.61	20.12	44.41	315.90	57.18	81.72
उपकरण और मशीनरी	2,627.34	23.22		2,650.56	153.31		168.02	321.33	2,329.23	2,474.03
मोबाइल सेट	36.20	3.49	3.54	36.16	23.32	3.21	6.01	26.13	10.03	12.88
फ़र्नीचर	622.67	25.61		648.28	127.89		59.82	187.71	460.57	494.78
कार्यालय भवन	66.44	-		66.44	5.75		1.05	6.80	59.64	60.69
वाहन	45.88	-		45.88	18.53		5.46	23.99	21.89	27.35
कार्यालय उपकरण	246.44	25.05		271.49	148.62		44.32	192.94	78.55	97.82
फ़्रीहोल्ड भूमि#	11,100.84	2,340.04		13,440.88	-		-	-	13,440.88	11,100.84
फ़्रीहोल्ड भूमि (बार्टर)*	21,775.75	2,204.92		23,980.67	-		-	-	23,980.67	21,775.75
भूमि (उत्तर प्रदेश सरकार से अनुदान)	0.00002	-		0.00	-		-	-	0.00	0.00002
लीज़ होल्ड भूमि (90 वर्ष)***	381.69	33.77		415.46	-		1.13	1.13	414.34	381.69
एएफ़सी प्रणाली	6,261.27	1,696.71		7,957.98	471.97		620.90	1,092.87	6,865.11	5,789.30
वातानुकूलन प्रणाली (डक्ट के साथ)	7,062.10	-		7,062.10	36.98		273.20	310.18	6,751.92	7,025.12
डिपो भवन	17,843.58	-		17,843.58	836.13		539.74	1,375.87	16,467.71	17,007.45
डीजी सेट	1,354.33	-		1,354.33	8.31		49.80	58.12	1,296.22	1,346.02
विद्युत स्थापन और उपकरण	112.07	4.71		116.78	11.13		7.18	18.31	98.47	100.94
एलिवेटर्स	2,892.56	454.90		3,347.46	81.54		132.22	213.76	3,133.70	2,811.02
ई ऐंड एम कार्य	13,653.55	1,086.64		14,740.19	154.24		710.71	864.96	13,875.23	13,499.31
एस्कलेटर्स	6,034.42	590.71		6,625.13	185.12		382.31	567.43	6,057.70	5,849.30
अग्निशमन कार्य	2,163.26	-		2,163.26	32.92		137.76	170.68	1,992.58	2,130.34
चल स्टॉक	83,143.59	13,130.90		96,274.48	1,662.33		3,089.15	4,751.48	91,523.00	81,481.25
सुरक्षा उपकरण	542.58	-		542.58	22.38		34.52	56.90	485.69	520.20
संकेत चिह्न	2,375.02	-		2,375.02	597.06		934.09	1,531.15	843.88	1,777.96
सिग्नलिंग उपकरण	19,627.80	2,088.61		21,716.41	1,142.14		1,237.05	2,379.20	19,337.21	18,485.65
स्टेशन भवन	2,46,191.27	23,688.77		2,69,880.04	2,513.05		9,505.28	12,018.34	2,57,861.70	2,43,678.21
टेलिकॉम उपकरण	11,104.93	1,559.38		12,664.31	519.87		820.10	1,339.98	11,324.34	10,585.06
ट्रैक कार्य	25,717.23	2,780.95		28,498.18	602.81		895.23	1,498.04	27,000.14	25,114.42
ट्रैक्शन के उपकरण	44,029.32	1,695.54		45,724.86	867.02		1,438.65	2,305.66	43,419.20	43,162.30
ट्यूबवेल्स	39.60	-		39.60	3.93		2.51	6.44	33.16	35.67
यूपीएमस प्रणाली	806.09	-		806.09	18.25		63.15	81.41	724.68	787.83
वायडक्ट	73,715.24	3,718.65		77,433.89	2,360.09		2,777.85	5,137.94	72,295.95	71,355.15
प्लंबिंग, पम्प और पैनल	404.05	-		404.05	1.21		19.30	20.51	383.55	402.84
ए/सी उपकरण	228.09	-		228.09	0.68		10.89	11.58	216.51	227.41
टनल वेंटिलेशन और बीएमएस स्काडा	3,037.85	-		3,037.85	9.09		145.09	154.18	2,883.67	3,028.75
कर्मचारी आवास भवन	-	1,932.86		1,932.86	-		33.03	33.03	1,899.82	-
कर्मचारी आवासों के विद्युत एवं अनुरक्षण के कार्य	-	808.51		808.51	-		20.29	20.29	788.22	-
कुल- चालू वर्ष	**6,05,616.37**	**59,915.05**	**24.88**	**6,65,506.54**	**12,907.30**	**23.33**	**24,210.25**	**37,094.22**	**6,28,412.32**	**5,92,709.05**
- पिछले वर्ष	**2,07,136.44**	**3,98,483.92**	**3.99**	**6,05,616.37**	**4,524.19**	**-**	**8,383.11**	**12,907.30**	**5,92,709.07**	**2,02,612.25**

उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.

(पूर्व में लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.)

वित्तीय विवरणों की भाग रूपी टिप्पणियां

नोट 1– संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(लाख रुपए में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	1 अप्रैल, 2018 को	वर्धन/ समायोजन	बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2019 को	1 अप्रैल, 2018 को	वर्ष के दौरान वर्धन/समायोजन	वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
कंप्यूटर और ऐक्सेसरीज़	345.60	30.56	2.83	373.33	204.46		87.15	291.61	81.72	141.13
उपकरण और मशीनरी	1,105.18	1,522.16		2,627.34	76.84		76.47	153.31	2,474.03	1,028.34
मोबाइल सेट	27.10	10.27	1.16	36.20	15.49		7.83	23.32	12.88	11.61
फ़र्नीचर	502.08	120.59		622.67	78.54		49.35	127.89	494.78	423.53
कार्यालय भवन	66.44	-		66.44	4.70		1.05	5.75	60.69	61.74
वाहन	36.96	8.92		45.88	13.82		4.71	18.53	27.35	23.14
कार्यालय उपकरण	206.06	40.38		246.44	106.58		42.04	148.62	97.82	99.49
फ़्रीहोल्ड भूमि	9,283.83	1,817.01		11,100.84	-		-	-	11,100.84	9,283.83
फ़्रीहोल्ड भूमि (बार्टर)'	19,445.51	2,330.24		21,775.75	-		-	-	21,775.75	19,445.51
भूमि (उत्तर प्रदेश सरकार से अनुदान)	0.00002	-		0.00002	-		-	-	0.00002	0.00002
लीज़ होल्ड भूमि (90 वर्ष)	381.69	-		381.69	-		-	-	381.69	381.69
एएफ़सी प्रणाली	2,966.93	3,294.34		6,261.27	163.50		308.47	471.97	5,789.30	2,803.43
वातानुकूलन प्रणाली (डक्ट के साथ)	343.16	6,718.94		7,062.10	7.49		29.49	36.98	7,025.12	335.67
डिपो भवन	17,731.11	112.47		17,843.58	302.51		533.62	836.13	17,007.45	17,428.60
डीजी सेट	94.28	1,260.05		1,354.33	1.96		6.35	8.31	1,346.02	92.33
विद्युत स्थापन और उपकरण	112.07	-		112.07	4.03		7.10	11.13	100.94	108.04
एलिवेटर्स	1,215.72	1,676.84		2,892.56	27.96		53.58	81.54	2,811.02	1,187.76
ई ऐंड एम कार्य	1,537.66	12,115.89		13,653.55	42.39		111.85	154.24	13,499.31	1,495.27
एस्कलेटर्स	1,848.12	4,186.30		6,034.42	61.40		123.72	185.12	5,849.30	1,786.72
अग्निशमन कार्य	254.92	1,908.34		2,163.26	9.16		23.76	32.92	2,130.34	245.76
चल स्टॉक	26,770.64	56,372.95		83,143.59	542.07		1,120.26	1,662.33	81,481.25	26,228.57
सुरक्षा उपकरण	211.65	330.93		542.58	7.60		14.78	22.38	520.20	204.05
संकेत चिह्न	736.18	1,638.84		2,375.02	198.32		398.74	597.06	1,777.96	537.87
सिग्नलिंग उपकरण	12,670.97	6,956.83		19,627.80	404.40		737.74	1,142.14	18,485.65	12,266.57

स्टेशन भवन	36,172.14	2,10,019.13		2,46,191.27	737.31		1,775.74	2,513.05	2,43,678.21	35,434.83
टेलिकॉम उपकरण	4,822.97	6,281.96		11,104.93	178.77		341.10	519.87	10,585.06	4,644.20
ट्रैक कार्य	11,578.54	14,138.69		25,717.23	207.94		394.87	602.81	25,114.42	11,370.60
ट्रैक्शन के उपकरण	16,508.32	27,521.00		44,029.32	294.05		572.97	867.02	43,162.30	16,214.27
ट्यूबवेल्स	39.60	-		39.60	1.42		2.51	3.93	35.67	38.17
यूपीएमस प्रणाली	122.04	684.05		806.09	5.39		12.86	18.25	787.83	116.65
वायडक्ट	39,998.97	33,716.27		73,715.24	826.09		1,534.00	2,360.09	71,355.15	39,172.88
प्लंबिंग, पम्प और पैनल	-	404.05		404.05	-		1.21	1.21	402.84	-
ए/सी उपकरण	-	228.09		228.09	-		0.68	0.68	227.41	-
टनल वेंटिलेशन और बीएमएस स्काडा	-	3,037.85		3,037.85	-		9.09	9.09	3,028.75	-
कुल- चालू वर्ष	**2,07,136.44**	**3,98,483.92**	**3.99**	**6,05,616.37**	**4,524.19**	**-**	**8,383.11**	**12,907.30**	**5,92,709.05**	**2,02,612.25**
- पिछले वर्ष	**9,932.05**	**1,97,207.32**	**2.93**	**2,07,136.44**	**249.51**	**2.16**	**4,276.84**	**4,524.19**	**2,02,612.25**	**9,682.51**

*फ्रीहोल्ड भूमि (बार्टर)– भूमि, संपूर्णानंद जेल के लिए 41 फ़्लैटों एवं पीएसी परिसर के आवासीय और गैर–आवासीय भवनों के निर्माण के बदले प्राप्त की गई, जिसके प्रति निर्माण की लागत 23980.67 लाख रुपए (पिछले वर्ष– 21775.75 लाख रुपए) में से 4141.67 लाख रुपए आगामी वित्तीय वर्ष में व्यय होने का अनुमान है।

भूमि का उचित मूल्यांकन, अधिग्रहण की तिथि को बाज़ार मूल्य पर किया गया, जिसे कर्मचारी आवासों की अनुमानित लागत में किसी परिवर्तन से समायोजित किया गया है।

**वित्तीय वर्ष 2019–20 के मूल्यह्रास अर्थात् 24210.25 लाख रुपए में 146.21 लाख रुपए का मूल्यह्रास शामिल है और यह वित्तीय वर्ष 2018–29 की लेखापरीक्षा के दौरान सीएजी के संज्ञान के अनुक्रम में है।

***लीज़होल्ड भूमि में, इंड एएस 116 के अनुसार बनाए गए परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार शामिल है।

#31 मार्च, 2020 तक 13440.88 लाख रुपए की लागत के साथ फ़्रीहोल्ड भूमि का अधिग्रहण किया गया। 31 मार्च, 2020 तक विभिन्न पक्षों से 49665.75 स्कवेयर मीटर माप की भूमि का अधिग्रहण हुआ। 24807.92 स्कवेयर मीटर भूमि, स्वामित्व के निष्पादन की प्रक्रिया के अधीन है।

उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.

(पूर्व में लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.)

वित्तीय विवरणों की भाग रूपी टिप्पणियां

नोट 2– कार्यशील पूंजी– प्रक्रियाधीन # (लाख रूपए में)

लखनऊ

विवरण	1 अप्रैल, 2019 को	वर्ष के दौरान वर्धन/समायोजन	कुल	वर्ष के दौरान पूंजीगत हुआ	अंतिम बैलेंस
स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली	20.54	1,486.44	1,506.97	1,491.64	15.33
भवन एवं वायडक्ट, ब्रिड टनल्स, कल्वर्ट्स बंडर्स	610.61	23,864.33	24,474.94	24,463.92	11.03
विद्युत स्थापन एवं उपकरण	-	4.71	4.71	4.71	-
एस्कलेटर्स एवं एलिवेटर्स	737.68	1,071.76	1,809.44	1,251.27	558.16
फ़र्नीचर एवं फ़िक्सचर्स	-	3.24	3.24	3.24	-
यूपीएमआरसी के कर्मचारी आवास	3,472.35	3,633.27	7,105.62	3,002.98	4,102.64
संयंत्र एवं मशीनरी	-	-	-	-	-
चल स्टॉक एवं सिग्नलिंग	3,922.59	9,804.97	13,727.55	13,727.55	-
सुरक्षा उपकरण	97.89	-	97.89	97.89	-
संकेत चिह्न	-	250.94	250.94	-	250.94
टेलिकॉम उपकरण	-	1,398.13	1,398.13	1,398.13	-
ट्रैक वर्क (पी–वे)	2,365.84	1,339.73	3,705.57	2,465.59	1,239.98
ट्रैक्शन के उपकरण	-	1,490.63	1,490.63	1,490.63	-
पूर्व–पश्चिम कॉरिडोर		340.71	340.71	-	340.71
कुल	11,227.49	44,688.86	55,916.35	49,397.56	6,518.79
जोड़ें: निर्माण के दौरान हुए व्यय	639.25	12,528.60	13,167.85	13,134.60	33.26
जोड़ें: विदेशी मुद्रा विनिमय में अंतर	74.96	(340.88)	(265.93)	74.96	(340.88)
कुल योग (क)	**11,941.70**	**56,876.58**	**68,818.28**	**62,607.11**	**6,211.17**

कानपुर

विवरण	1 अप्रैल, 2019 को	वर्ष के दौरान वर्धन/समायोजन	कुल	वर्ष के दौरान पूंजीगत हुआ	अंतिम बैलेंस
भवन एवं वायडक्ट, ब्रिड टनल्स, कल्वर्ट्स बंडर्स	642.71	11,645.65	12,288.36	-	12,288.36
जोड़ें: निर्माण के दौरान हुए व्यय	224.95	3,548.70	3,773.66	-	3,773.66
कुल योग (ख)	**867.66**	**15,194.35**	**16,062.02**	**-**	**16,062.02**

आगरा

विवरण	1 अप्रैल, 2019 को	वर्ष के दौरान वर्धन/समायोजन	कुल	वर्ष के दौरान पूंजीगत हुआ	अंतिम बैलेंस
भवन एवं वायडक्ट, ब्रिड टनल्स, कल्वर्ट्स बंडर्स	-	41.36	41.36	-	41.36
जोड़ें: निर्माण के दौरान हुए व्यय	11.15	225.19	236.34	-	236.34
कुल योग (ग)	**11.15**	**266.56**	**277.70**	**-**	**277.70**
कुल प्रक्रियाधीन कार्यशील पूंजी	**12,820.51**	**72,337.49**	**85,158.00**	**62,607.11**	**22,550.89**

#प्रक्रियाधीन कार्यशील पूंजी में शामिल हैं; परिसंपत्तियां/उपकरण एवं उत्तर–दक्षिण कॉरिडोर (प्रमाणन लंबित) की अवसंरचना एवं यूपीएमआरसी के कर्मचारी आवास और साथ ही, आगरा एवं कानपुर मेट्रो परियोजनाओं से संबंधित व्यय।

उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.

(पूर्व में लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.)

वित्तीय विवरणों की भाग रूपी टिप्पणियां

नोट 2– कार्यशील पूंजी– प्रक्रियाधीन #

(लाख रूपए में)

लखनऊ

विवरण	1 अप्रैल, 2018 को	वर्ष के दौरान वर्धन/समायोजन	कुल	वर्ष के दौरान पूंजीगत हुआ	अंतिम बैलेंस
स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली	219.21	2,792.22	3,011.43	2,990.90	20.54
भवन एवं वायडक्ट, ब्रिड टनल्स, कल्वर्ट्स बंडर्स	1,36,924.02	1,32,841.09	2,69,765.11	2,69,154.50	610.61
विद्युत स्थापन एवं उपकरण	-	-	-	-	-
एस्कलेटर्स एवं एलिवेटर्स	1,574.32	4,696.32	6,270.64	5,532.96	737.68
फ़र्नीचर एवं फ़िक्सचर्स	25.59	11.61	37.20	37.20	(0.00)
यूपीएमआरसी के कर्मचारी आवास	8,562.55	3,452.38	12,014.93	8,542.58	3,472.35
संयंत्र एवं मशीनरी	1,167.53	153.22	1,320.75	1,320.74	0.00
रोलिंग स्टॉक एवं सिग्नलिंग	22,756.18	41,185.55	63,941.73	60,019.15	3,922.59
सुरक्षा उपकरण	41.97	372.79	414.76	316.87	97.89
संकेत चिह्न	-	28.63	28.63	28.63	-
टेलिकॉम उपकरण	1,153.08	3,975.92	5,129.01	5,129.01	0.00
ट्रैक वर्क (पी–वे)	9,865.95	5,670.05	15,536.00	13,170.16	2,365.84
ट्रैक्शन के उपकरण	11,875.63	13,671.36	25,546.98	25,546.98	-
कुल	**1,94,166.02**	**2,08,851.13**	**4,03,017.16**	**3,91,789.67**	**11,227.49**
जोड़ें: निर्माण के दौरान हुए व्यय	13,220.47	12,322.00	25,542.47	24,828.26	714.21
कुल योग	**2,07,386.48**	**2,21,173.13**	**4,28,559.63**	**4,16,617.93**	**11,941.70**

कानपुर

विवरण	1 अप्रैल, 2018 को	वर्ष के दौरान वर्धन/समायोजन	कुल	वर्ष के दौरान पूंजीगत हुआ	अंतिम बैलेंस
भवन एवं वायडक्ट, ब्रिड टनल्स, कल्वर्ट्स बंडर्स	593.79	48.92	642.71	-	642.71
जोड़ें: निर्माण के दौरान हुए व्यय	219.12	5.83	224.95	-	224.95
कुल (ख)	**812.91**	**54.75**	**867.66**	**-**	**867.66**

आगरा

विवरण	1 अप्रैल, 2018 को	वर्ष के दौरान वर्धन/समायोजन	कुल	वर्ष के दौरान पूंजीगत हुआ	अंतिम बैलेंस
भवन एवं वायडक्ट, ब्रिड टनल्स, कल्वर्ट्स बंडर्स	-	-	-	-	-
जोड़ें: निर्माण के दौरान हुए व्यय	0.93	10.22	11.15	-	11.15
कुल (ग)	**0.93**	**10.22**	**11.15**	**-**	**11.15**
कुल प्रक्रियाधीन कार्यशील पूंजी	**2,08,200.32**	**2,21,238.10**	**4,29,438.44**	**4,16,617.93**	**12,820.51**

#प्रक्रियाधीन कार्यशील पूंजी में शामिल हैं; परिसंपत्तियां/उपकरण एवं उत्तर–दक्षिण कॉरिडोर (प्रमाणन लंबित) की अवसंरचना एवं यूपीएमआरसी के कर्मचारी आवास और साथ ही, आगरा एवं कानपुर मेट्रो परियोजनाओं से संबंधित व्यय।

उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.

(पूर्व में लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.)

वित्तीय विवरणों की भाग रूपी टिप्पणियां

नोट 3- अमूर्त परिसंपत्तियां

(लाख रुपए में)

विवरण	कुल ब्लॉक				परिशोधन				निवल ब्लॉक	
	1 अप्रैल, 2019 को	वर्धन/ समायोजन	कटौती/ समायोजन	31 मार्च, 2020 को	1 अप्रैल, 2019 को	वर्धन/ समायोजन	वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 तक	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
सॉफ़्टवेयर एवं लाइसेंस	768.99	-	-	768.99	187.33	-	149.29	336.61	432.38	581.67
भूमि के उपयोग का अधिकार*	4,649.45	-	-	4,649.45	354.44	-	136.97	491.40	4,158.04	4,295.01
कुल- चालू वर्ष	**5,418.44**	**-**	**-**	**5,418.44**	**541.76**	**-**	**286.25**	**828.02**	**4,590.42**	**4,876.68**
- पिछले वर्ष	**3,912.43**	**1,506.01**	**-**	**5,418.44**	**342.53**	**-**	**199.23**	**541.76**	**4,876.68**	**3,569.89**

नोट 3- अमूर्त परिसंपत्तियों

(लाख रुपए में)

विवरण	कुल ब्लॉक				परिशोधन				निवल ब्लॉक	
	1 अप्रैल, 2018 को	वर्धन/ समायोजन	कटौती/ समायोजन	31 मार्च, 2019 को	1 अप्रैल 2018 को	वर्धन/ समायोजन	वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 तक	31 मार्च, 2019 तक	31 मार्च, 2018 को
सॉफ़्टवेयर एवं लाइसेंस	174.54	594.45	-	768.99	97.88	-	89.45	187.33	581.67	76.65
भूमि के उपयोग का अधिकार*	3,737.89	911.56	-	4,649.45	244.65	-	109.79	354.44	4,295.01	3,493.24
कुल- चालू वर्ष	**3,912.43**	**1,506.01**	**-**	**5,418.44**	**342.53**	**-**	**199.23**	**541.76**	**4,876.68**	**3,569.89**
- पिछले वर्ष	**3,911.60**	**0.82**	**-**	**3,912.43**	**188.50**	**-**	**154.03**	**342.53**	**3,569.89**	**3,723.09**

*लीज़ संबंधी लेनदेन के मूल्यांकन हेतु व्यावहारिक प्रणालियों को अपनाया गया। तद्नुसार, पूर्व में इंड एएस 17 के अंतर्गत लीज़ के रूप में चिह्नित अनुबंधों पर ही इंड एएस 116 का प्रयोग किया गया।

उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.

(पूर्व में लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.)

वित्तीय विवरणों की भाग रूपी टिप्पणियां

नोट 4- विकासशील अमूर्त परिसंपत्तियां

(लाख रुपए में)

विवरण	1 अप्रैल, 2019 को	वर्ष के दौरान वर्धन/ समायोजन	कुल	वर्ष के दौरान पूंजीगत हुआ	31 मार्च, 2020 को
ईआरपी सॉफ़्टवेयर	-	-	-	-	-
वेबसाइट	-	-	-	-	-
कुल - (चालू वर्ष)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
- (पिछले वर्ष)	**565.45**	**(565.45)**	**-**	**-**	**-**

नोट 4- विकासशील अमूर्त परिसंपत्तियां

(लाख रुपए में)

विवरण	1 अप्रैल, 2018 को	वर्ष के दौरान वर्धन/ समायोजन	कुल	वर्ष के दौरान पूंजीगत हुआ	31 मार्च, 2019 को
ईआरपी सॉफ़्टवेयर	554.31	(554.31)	-	-	-
वेबसाइट	**11.14**	**(11.14)**	**-**	**-**	**-**
कुल - (चालू वर्ष)	**565.45**	**(565.45)**	**-**	**-**	**-**
- (पिछले वर्ष)	**293.82**	**271.63**	**565.45**	**-**	**565.45**

उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.

(पूर्व में लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.)

वित्तीय विवरणों की भाग रूपी टिप्पणियां

नोट 5– अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
दीर्घकालीन		
विद्युत सुरक्षा जमा राशि	409.87	339.47
डीएफ़ओ हेतु सुरक्षा जमा राशि	8.17	8.17
जल–कल विभाग के पास सुरक्षा जमा राशि	11.00	11.00
अन्य सुरक्षा जमा राशि*	0.75	0.00
कुल	**429.79**	**358.65**

*अन्य सुरक्षा जमा राशि में, मेसर्स टॉरेंट पावर के पास सुरक्षित 72000 रुपए और मेसर्स सूरज इंडेन के पास सुरक्षित 3400 रुपए की राशियां शामिल हैं।

नोट 6– मालसूची

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
खुले कलपुर्ज़े एवं उपकरण	7.78	7.78
कुल	7.78	7.78

नोट 7 – व्यापार प्राप्य

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
व्यापार प्राप्य		
असुरक्षित– ठीक समझे गए	361.59	202.95
असुरक्षित– संदेहास्पद समझे गए		-
घटाएं: बुरे एवं संदेहास्पद प्राप्यों के लिए प्रावधान		-
कुल	**361.59**	**202.95**

नोट 8– नकदी एवं नकदी समतुल्य

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
(i) बैंक में चालू खातों में शेष	26055.81	1,424.12
(ii) बैंकों में एफ़डीआर, स्वीप/एमओडी खातों में शेष		
(क) 3 महीनों के अंदर मैच्योर होने वाले एफ़डीआर, स्वीप/एमओडी खाते	32562.97	65,000.00
(ख) 3 महीनों के बाद परंतु 1 वर्ष से पहले मैच्योर होने वाले एफ़डीआर, स्वीप/एमओडी खाते	20639.32	60,155.70
कुल योग	**79,258.10**	**1,26,579.82**

नोट 9– अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
अल्पकालीन		
एफ़डीआर, स्वीप/एमओडी खातों पर प्रोद्भूत ब्याज़	879₹80	1374₹32
लीज़ किराया प्रतिभूति	10₹21	15₹46
कुल	**890₹01**	**1389₹79**

उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.

(पूर्व में लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.)

वित्तीय विवरणों की भाग रूपी टिप्पणियां

नोट 10– चालू कर परिसंपत्तियां

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
स्रोत पर कर कटौती	71.46	25.85
कुल	**71.46**	**25.85**

नोट 11– अन्य चालू परिसंपत्तियां

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
चालू		
ठेकेदारों को दी गई अग्रिम राशि		
– मोबीलाइज़ेशन हेतु दी गई अग्रिम राशि	3797.57	609.90
– अन्य अग्रिम राशियां*	7.82	886.04
इनपुट जीएसटी#	155.91	84.65
आस्थगित परिसंपत्तियां– नॉन फ़ेयर–बॉक्स रेवेन्यू	169.13	-
1 साल के बाद मैच्योर होने वाले एफ़डीआर, स्वीप/एमओडी अकाउंट	291.20	212.60
अन्य चालू परिसंपत्तियां**	312.43	66.59
कुल	**4734.06**	**1859.78**

*अन्य अग्रिम राशियों में प्रयागराज मेट्रो, गोरखपुर मेट्रो, मेरठ मेट्रो, वाराणसी मेट्रो हेतु 7.82 लाख रुपए की राशि शामिल है। (पिछले वर्ष यह राशि 886.04 लाख रुपए थी, जिसमें, कानपुर मेट्रो, आगरा मेट्रो, प्रयागराज मेट्रो, गोरखपुर मेट्रो, मेरठ मेट्रो और वाराणसी मेट्रो हेतु व्यय राशियां शामिल थीं।)

**अन्य चालू परिसंपत्तियों में शामिल हैं; अग्रिम रूप से दिए गए स्थाई अग्रदाय (इम्प्रेस्ट), अस्थाई अग्रदाय, पूर्वदत्त व्यय, बिजली विभाग को दी गई अग्रिम राशि, अपील के अंतर्गत भुगतान किए गए कर (पि.व.– पूर्वदत्त व्यय, कर्मचारी को दी गई अस्थाई अग्रिम राशि, स्टेशन अग्रदाय)।

इनपुट जीएसटी में कैश लेजर का बैलेंग, जीएसटी के साथ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, रीफ़ंड किया जा सकने वाला जीएसटी और इनपुट जीएसटी शामिल होता है।

उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.

(पूर्व में लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.)

वित्तीय विवरणों की भाग रूपी टिप्पणियां

नोट 12- शेयर पूंजी

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को	
	शेयरों की संख्या	राशि (लाख रूपए में)	शेयरों की संख्या	राशि (लाख रूपए में)
अधिकृत पूंजी				
100 रुपए प्रति शेयर की दर से इक्विटी शेयर	10,000.00	10,00,000.00	2,000.00	2,00,000.00
	10,000.00	10,00,000.00	2,000.00	2,00,000.00
निर्गत, अभिदत्त और प्रदत्त				
100 रुपए प्रति शेयर की दर के इक्विटी शेयर पूर्णतयः प्रदत्त	2,206.00	2,20,600.00	2,000.00	2,00,000.00
कुल	2,206.00	2,20,600.00	2,000.00	2,00,000.00
(क) प्रतिवेदित अवधि के प्रारंभ और अंत में शेयरों की संख्या और बकाया राशि का मिलान				
विवरण	**शेयरों की संख्या**	**राशि (लाख रूपए में)**	**शेयरों की संख्या**	**राशि (लाख रूपए में)**
वर्ष के प्रारंभ में बकाया शेयर	2,000.00	2,00,000.00	1,581.65	1,58,165.00
वर्ष के दौरान जारी शेयर नया निर्गम	206.00	20,600.00	418.35	41,835.00
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	2,206.00	2,20,600.00	2,000.00	2,00,000.00
(ख) 5% शेयरों से अधिक शेयर धारित करने वाले प्रत्येक शेयरधारक के शेयरों की जानकारी				
शेयरधारक का नाम	**शेयरों की संख्या**	**राशि (लाख रूपए में)**	**शेयरों की संख्या**	**राशि (लाख रूपए में)**
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल	1,202.95	54.53%	996.95	49.85%
भारत के राष्ट्रपति	1,003.00	45.47%	1,003.00	50.15%

उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.

(पूर्व में लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.)

वित्तीय विवरणों की भाग रूपी टिप्पणियां

नोट 13 – अन्य इक्विटी

(लाख रुपए में)

विवरण	आवंटन हेतु लंबित शेयर आवेदन राशि	आरक्षित और अधिशेष	पूंजीगत अनुदान	मौद्रिक अनुदान	वर्णित लाभकारी योजनाओं पर अन्य व्यापक आय	कुल
		प्रतिधारित आय	गैर-मौद्रिक अनुदान	आस्थगित अनुदान		
31/03/2018 को बैलेंस	**31,627.00**	**(6,859.38)**	**19,034.84**	**-**	**(265.90)**	**43,536.56**
उचित मूल्य समायोजन– गैर–मौद्रिक अनुदान		-	1,021.70			1,021.70
गैर–मौद्रिक अनुदान का परिशोधन			-			-
वर्ष का लाभ		(7,555.98)				(7,555.98)
अन्य व्यापक आय		-			344.82	344.82
उचित मूल्य समायोजन		(3.47)				(3.47)
प्राप्त हुई शेयर आवेदन राशि	14,308.00					14,308.00
जारी की गई इक्विटी शेयर पूंजी	(41,835.00)					(41,835.00)
गैर–चालू देयताओं में अंतरित						-
चालू देयताओं में अंतरित			(4,264.80)			(4,264.80)
कार्यशील पूंजी में अंतरित			(14,770.04)	-		(14,770.04)
31 मार्च, 2019 को बैलेंस	**4,100.00**	**(14,418.83)**	**1,021.70**	**-**	**78.92**	**(9,218.21)**
उचित मूल्य समायोजन– गैर मौद्रिक अनुदान			(287.19)			(287.19)
गैर–मौद्रिक अनुदान का परिशोधन						-
वर्ष का लाभ		(25,151.23)				(25,151.23)
अन्य व्यापक आय					124.38	124.38
उचित मूल्य समायोजन						-
प्राप्त हुई शेयर आवेदन राशि (कानपुर परियोजना)	15,311.00					15,311.00
प्राप्त हुई शेयर आवेदन राशि (आगरा परियोजना)	5,783.00					5,783.00
जारी की गई इक्विटी शेयर पूंजी	(600.00)					(600.00)
बचत में अंतरित	(3,500.00)					(3,500.00)
गैर–चालू देयताओं में अंतरित						-
चालू देयताओं में अंतरित						-
कार्यशील पूंजी में अंतरित				-		-
31 मार्च, 2020 को बैलेंस	**21,094.00**	**(39,570.06)**	**734.52**	**-**	**203.29**	**(17,538.24)**

उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.

(पूर्व में लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.)

वित्तीय विवरणों की भाग रूपी टिप्पणियां

नोट 14– उधार

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को	
उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त अधीनस्थ ऋण (ब्याज़ मुक्त और अप्रतिभूत)				
केंद्रीय करों के लिए	44,900.00		44,900.00	
भूमि हेतु	38,100.00	83,000.00	36,405.00	81,305.00
भारत सरकार से प्राप्त अधीनस्थ ऋण (ब्याज़ मुक्त और अप्रतिभूत)				
केंद्रीय करों के लिए	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00
भारत सरकार द्वारा □रोपियन इनवेस्टमेंट बैंक से प्राप्त ब्याज़ सहित ऋण	**3,50,200.00**	**3,50,200.00**	**3,50,200.00**	**3,50,200.00**
कुल		**4,62,900.00**		**4,61,205.00**

व्याख्यात्मक टिप्पणियां :

1. भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया गया ऋण/अधीनस्थ ऋण, उन्हीं नियमों एवं शर्तों पर है, जिन पर ऐसे ऋण, अन्य मेट्रो परियोजनाओं को प्रदान किए जाते हैं और इसलिए ये उचित मूल्य पर माने गए हैं।
2. भारत सरकार के माध्यम से ईआईबी से ब्याज़ सहित ऋण, संवितरण की तिथि से 4 वर्ष की अधिस्थगन अवधि समाप्त होने के बाद 16 वर्ष (समान छमाही किस्तों) में चुकाया जा सकता है।
3. भारत सरकार से प्राप्त ब्याज़ रहित अधीनस्थ ऋण, पीटीए के माध्यम से ईआईबी से लिए गए ब्याज़ सहित ऋण की अदायगी के बाद देय है।
4. उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त ब्याज़ रहित अधीनस्थ ऋण, ईआईबी से लिए गए ब्याज़ सहित ऋण की पीटीए के माध्यम से अदायगी के बाद, समान राशि की 10 सालाना किस्तों में देय है।
5. यूरोपियन इनवेस्टमेंट बैंक ने लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के लिए दो ट्रेंचों (ट्रेंच ए में 200 मिलियन यूरो और ट्रेंच बी में 250 मिलियन यूरो) में 450 मिलियन यूरो, प्रतिपूर्ति के आधार पर मंजूर किए हैं। 30.03.2016 और 30.03.2017 के वित्त समझौते के अनुसार, 20 वर्ष की चुकौती की अवधि (4 वर्ष की अनुग्रह अवधि सहित) सहित 100 मिलियन यूरो (ट्रेंच ए के पहले भाग) पर 0.287% यूरीबोर, 100 मिलियन यूरो (ट्रेंच ए के दूसरे भाग) पर 0.161% यूरीबोर और 100मिलियन यूरो (ट्रेंच बी के पहले भाग) पर 0.195% यूरीबोर की ब्याज़पर 300 मिलियन यूरो का संवितरण किया गया है। भारत सरकार द्वारा निकासी सहायता (पीटीए) के रूप में सकल बजटीय संसाधानों के माध्यम से यूपीएमआरसी को पीआईबी से बाहरी ऋण उपलब्ध कराया गया है। भारत सरकार ने 31.03.2019 तक ईआईबी ऋण में निकासी सहायता के माध्यम से कंपनी को 3,50,200.00 लाख रुपए (पि.वि. 1,82,200.00 लाख रुपए) जारी किए हैं। ईआईबी ऋण, संप्रभु ऋण है और इसलिए भारत सरकार निष्पादन के लिए निकासी सहायता का प्रबंध कर रही है। 31 मार्च, 2019 तक प्राप्त 350200.00 लाख रुपए के पीटीए को दीर्घकालिक उधारियों के तहत अप्रतिभूत ऋण के तौर पर दिखाया गया है। चुकौती अनुसूची के अनुसार कंपनी ने ब्याज़ के लिए 399.73 लाख रुपए (पि.व. 259.04 लाख रुपए) का प्रावधान किया है।

उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.

(पूर्व में लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.)

वित्तीय विवरणों की भाग रूपी टिप्पणियां

नोट 15– अन्य वित्तीय देयताएं

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
दीर्घकालीन		
प्रदर्शन की गारंटी/सुरक्षा जमा राशि प्राप्त	852.31	516.15
ईआईबी ऋण पर ब्याज़	1,312.72	692.25
लीज़ की देयता (30(i) का संदर्भ ग्रहण करें)	33.15	
कुल	**2,198.18**	**1,208.41**

नोट 16– प्रावधान

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
दीर्घकालीन		
कर्मचारी हितलाभ के लिए		
छुट्टी का नकदीकरण	1,010.61	605.78
आनुतोषिक	24.21	
कुल	**1,034.82**	**605.78**

नोट 17– अन्य गैर–चालू देयताऐं

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
गैर–चालू		
सरकारी अनुदान	45,846.00	47,232.55
कुल	**45,846.00**	**47,232.55**

नोट 18– व्यापार देय

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
सूक्ष्म और लघु स्तर के औद्योगिक उपक्रम(मों) के कुल बकाया देय (30 दिनों से अधिक से देय, शून्य रुपए)		-
मध्यम स्तर के औद्योगिक उपक्रम (मों0 के कुल बकाया देय (30 दिनों से अधिक से देय, शून्य रुपए)		-
यात्रा भत्ता देय		-
व्यावसायिक और अन्य सेवाएं देय		20.46
व्यय के विविध लेनदार		803.39
कुल	**1,386.43**	**823.85**

नोट 19– अन्य वित्तीय देयताएं

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
अल्पकालीन		
जमाराशियां/ठेकेदारों एवं अन्य से प्रतिधारण राशि	2,663.26	7,354.14
कार्यशील पूंजी एवं पूंजीगत वस्तुओं के लेनदार		20,225.65
लीज़ की देयता (नोट 30 (प) का संदर्भ ग्रहण करें)	0.32	-
कुल	**14,352.26**	**27,579.79**

नोट 20– अन्य चालू देयताएं (लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
चालू		
देय शुल्क एवं कर	820.93	1,495.02
कर्मचारियों के देय	329.31	252.68
ग्राहकों से ली गई अग्रिम राशि	218.48	285.00
ग्राहकों से ली गई सुरक्षा जमा राशि	132.32	57.33
भूमि के बदले देयता (बार्टर)#	4,141.67	6,868.52
अन्य जमा राशियां	3,500.00	-
कुल	**9,142.71**	**8,958.55**

#बार्टर के अंतर्गत आने वाली भूमि के उपयुक्त मूल्यांकन के लिए, परियोजना (कर्मचारी आवास) के पूर्ण होने पर अनुमानित लागत का वहन किया जाएगा।

नोट 21– प्रावधान (लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
अल्पकालीन		
कर्मचारी हितलाभ के लिए		
छुट्टी नकदीकरण	20.09	21.91
आनुतोषिक	3.06	
अन्य*	1,361.11	1,534.41
कुल (क+ख)	**1,384.26**	**1,556.33**

*अन्य में सीमा शुल्क प्रतिपूर्ति, आनुतोषिक के अंशदान, पेंशन के अंशदान के प्रावधान इत्यादि शामिल हैं।

नोट 22– परिचालन से राजस्व (लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
फ़ेयर बॉक्स रेवेन्यू (राजस्व)	5,473.31	1,079.96
नॉन फ़ेयर बॉक्स रेवेन्यू (राजस्व)	1,278.97	424.05
कुल	**6,752.27**	**1,504.00**

नोट 23– अन्य आय (लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
अन्य आयः		
विविध आय	688.03	713.40
ब्याज़ से आयः		
मियादी जमा राशियां/एफ़डीआर	5245.40	7,365.83
फ़्लेक्सी डिपॉज़िट	96.64	129.01
ई नेट खाते पर ब्याज़	347.97	477.22
आस्थगित राजस्व अनुदान	1673.74	695.06
उचित मूल्य समायोजन	11.12	5.62
कुल	**8,062.89**	**9,386.14**

नोट 24– परिचालन पर व्यय

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
सुरक्षा व्यय	1521.46	702.95
विद्युत प्रबंधन पर व्यय	3677.57	1,442.56
उपकरणों के संचालन एवं अनुरक्षण पर व्यय	548.10	57.36
हाउसकीपिंग पर व्यय	504.64	298.43
मेट्रो डिपो के संचालन एवं अनुरक्षण पर व्यय	89.52	70.18
स्टेशनों के संचालन एवं अनुरक्षण पर व्यय	391.86	218.34
भंडारण एवं उपभोग्य वस्तुओं पर व्यय	21.69	9.57
बीमा पर व्यय	20.40	14.24
कुल	**6,775.24**	**2,813.63**

नोट 25– कर्मचारी हितलाभ व्यय

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन भत्ते एवं अन्य लाभ	5670.22	4,013.01
भविष्य निधि एवं पेंशन योजना में अंशदान	573.50	452.27
छुट्टी नकदीकरण पर व्यय	465.41	346.93
आनुतोषिक में अंशदान	163.44	109.79
कुल	**6,872.57**	**4,922.00**

नोट 26– वित्त लागत

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
बैंक द्वारा लगाए गए प्रभार	0.58	2.25
ईआईबी ऋण पर ब्याज़	625.42	209.21
कुल	**626.00**	**211.46**

नोट 27– मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के लिए मूल्यह्रास/परिशोधन		
क) मूर्त परिसंपत्तियां	24210.25	8,383.11
ख) अमूर्त परिसंपत्तियां	286.25	199.23
कुल	**24,496.50**	**8,582.34**

नोट 28– अन्य व्यय

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी पर व्यय	61.39	60.63
कंप्यूटरों के संचालन एवं अनुरक्षण पर व्यय	47.46	100.52
टेलिफ़ोन, इंटरनेट और संचार पर होने वाले व्यय	91.00	57.95
पुस्तकों, आविधिक प्रकाशनों, समाचार पत्रों एवं मैगज़ीन्स पर होने वाले व्यय	0.65	0.73
लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक	3.80	3.79
विज्ञापन एवं प्रचार पर व्यय	141.26	144.09
कार्यालय संचालन एवं अनुरक्षण पर व्यय	39.18	30.25
कार्यालय की आपूर्तियों एवं उपयोगिताओं पर व्यय	3.23	22.16
डाक एवं कोरियर पर व्यय	1.29	0.85
विविध व्यय	0.23	0.85
यात्रा एवं वाहन पर व्यय	162.41	186.93
प्रशिक्षण एवं भर्तियों पर व्यय	11.41	692.10
आतिथ्य एवं रिफ़्रेशमेंट पर व्यय	76.55	94.32
आउटसोर्सिंग और जॉब वर्क पर व्यय	172.78	156.14
सांविधिक व्यय	3.54	0.19
सेमिनार, समारोह, सम्मेलन पर व्यय	102.62	151.97
कमीशन एवं ब्रोकरेज	0.73	0.49
लाइसेंस, विधिक एवं अन्य व्यय	18.88	11.81
व्यावसायिक एवं अन्य सेवाएं	183.81	151.39
किराया, दरें एवं कर	61.01	45.16
अतिथि गृह पर व्यय	0.47	-
परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार पर ब्याज़ व्यय	2.70	-
उचित मूल्य समायोजन	8.18	4.22
विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव का प्रभाव	1.49	0.13
कुल	**1,196.08**	**1,916.68**

लेखाओं पर टिप्पणियां

नोट संख्या 29 कंपनी सूचना एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

29.1 कॉर्पोरेट सूचना

उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पूर्व में लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.) ('कंपनी' के तौर पर संदर्भित) भारत में अधिवासी है एंव भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की 50:50 इक्विटी भागीदारी के साथ निगमित (CIN: U603000P20135GCO60836) है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय प्रशासनिक भवन, गोमती नगर लखनऊ में स्थित है।

लखनऊ शहर में मेट्रो रेल द्वारा व्यापक तीव्र परिवहन प्रणाली (एमआरटीएस) के निष्पादन हेतु 25 नवंबर, 2013 को विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के रूप में इसका गठन किया गया। कंपनी ने सफलतापूर्वक, लखनऊ मेट्रो के फ़ेज़ 1–ए, उत्तर–दक्षिण कॉरिडोर का समयबद्ध क्रियान्वयन किया और 8 मार्च, 2019 को संपूर्ण उत्तर–दक्षिण कॉरिडोर (चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट एवं मुंशीपुलिया के बीच) पर वाणिज्यिक सेवाओं का शुभारंभ किया। इसके अतिरिक्त, सरकार ने कंपनी को उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों में आगामी मेट्रो परियोजनाओं के क्रियान्वयन का कार्यभार सौंपा। अतएव, कंपनी को पुनर्गठित करते हुए, 23 अक्टूबर, 2019 को कंपनी का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. कर दिया गया। वर्तमान में कंपनी, लखनऊ में मेट्रो सेवाओं के परिचालन के साथ–साथ कानपुर (32.385 किमी.) और आगरा (30.45 किमी.) में मेट्रो परियोजनाओं का निर्माण कर रही है।

29.2 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां:

कंपनी द्वारा, वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए लागू की गईं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का विवरण निम्नवत है। इस तरह की लेखांकन नीतियों को इन वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों पर लगातार लागू किया गया है, जब तक कि अन्यथा संकेत न दिया गया हो।

क) अनुपालन का कथन

कंपनी के वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों ('इंड एएस' के रूप में संदर्भित), यथासंशोधित कंपनी नियमों (भारतीय लेखांकन मानक) के साथ पठित, अधिनियम में निर्दिष्ट अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के अनुरूप तैयार किए गए हैं।

ख) वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के तहत प्रोद्भूत आधार पर कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं/देनदारियों, जिनका इंड एएस द्वारा उचित मूल्य पर क्रियान्वयन किया जाना होता है, उन्हें छोड़कर तैयार किए गए हैं। उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त किया जाएगा या जिसका माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा। वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (INR) में तैयार किए गए हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा भी है।

ग) अनुमानों एवं महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णयों का प्रयोग

वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी में, कंपनी ऐसे परिसंपत्तियों और देनदारियों के मूल्यों के बारे में निर्णय, अनुमान और धारणा बनाती है, जो अन्य स्रोतों से आसानी से स्पष्ट नहीं होते हैं। अनुमान और संबंधित धारणाएं पुराने अनुभव और अन्य कारकों पर आधारित हैं, जिन्हें प्रासंगिक माना जाता है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। अनुमानों की समय–समय पर समीक्षा की जाती है और लेखांकन अनुमान में संशोधन उस अवधि में मान्य किए जाते हैं, जिसमें अनुमान संशोधित किए जाते हैं और भविष्य की अवधि प्रभावित होती है। वित्तीय वक्तव्यों की तिथि में अनिश्चितता के आकलन का मुख्य स्रोत, जो अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देनदारियों की मात्रा को समायोजित करने का कारण हो सकता है; वह, हानि, संपत्ति के उपयोगी जीवन, संयंत्र एंव

उपकरण, अमूर्त परिसंपत्तियों, आस्थगित कर परिसंपत्तियों के मूल्यांकन, प्रावधानों एवं आकस्मिक देनदारियों, वित्तीय उपकरणों के उचित मूल्यांकन एवं सेवानिवृत्ति लाभ दायित्वों के संदर्भ में है, जिनकी निम्नलिखित अनुच्छेदों के अंतर्गत चर्चा हुई है।

कोविड–19 से संबंधित अनिश्चितताओं का अनुमान

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोविड–19 की वैश्विक महामारी की घोषणा के बाद, भारत सरकार ने संक्रमण की रोकथाम के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिस क्रम में देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया और साथ ही, आर्थिक गतिविधियों पर पाबंदियां लगाई गईं। लॉकडाउन के मद्देनज़र, कंपनी के परिचालनों को भी स्थगित किया गया। कोविड–19 के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने संपत्तियों, संयंत्रों एवं उपकरणों की क़ीमत, परिसंपत्तियों के उपयोग, अमूर्त परिसंपत्तियों, मालसूची, व्यापार प्राप्यों, निवेशों एवं अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों का आकलन किया। इन परिसंपत्तियों के वसूली मूल्य के आकलन में, कंपनी ने विभिन्न आंतरिक एवं बाह्य जानकारियों जैसे कि स्थापित दीर्घकालीन व्यवस्थाओं, दीर्घकालीन व्यावसायिक योजनाओं, नकदी प्रवाह की भविष्यवाणियों एवं आर्थिक परिस्थितियों से जुड़ीं अन्य आशंकित भावी अनिश्चितताओं को ध्यान में रखा। इन परिसंपत्तियों की पुनःप्राप्ति के संबंध में कंपनी के हालिया आकलन के अनुसार, दर्ज हुई हानि के अतिरिक्त, इन परिसंपत्तियों के वर्तमान मूल्यों पर किसी भी तरह का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने का अनुमान नहीं है। वैश्विक स्वास्थ्य महामारी के प्रभाव का अंतिम परिणाम उन अनुमानों से अलग हो सकता है, जो इन वित्तीय विवरणों की स्वीकृति की तिथि के बाद के हैं और कंपनी लगातार परिस्थिति की निगरानी कर रही है, जिसमें भविष्य की आर्थिक स्थितियों में भौतिक परिवर्तन और कंपनी के वित्तीय विवरणों पर पड़ने वाले प्रभावी परिणाम शामिल हैं।

घ) वित्तीय उपकरणों का उचित मूल्यांकन

जब बैलेंस शीट में दर्ज वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देनदारियों का उचित मूल्य सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमतों के आधार पर नहीं मापा जा सकता हो तो उनका उचित मूल्य डिस्काउंटेड कैश फ़्लो मॉडल सहित मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके मापा जाता है। इन मॉडलों के लिए इनपुट प्रत्यक्ष बाज़ारों से लिए गए हैं, लेकिन जहां पर यह संभव नहीं होता, वहां पर उचित मूल्य के निर्धारण हेतु एक सीमा तक निर्णयशीलता की आवश्यकता होती है। निर्णयों में तरलता जोख़िम, क्रेडिट जोख़िम और अस्थिरता जैसे इनपुट के विचार शामिल हैं। इन कारकों के बारे में मान्यताओं में बदलाव से वित्तीय साधनों के प्रतिवेदन में उचित मूल्य प्रभावित हो सकता है।

ङ) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

i. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की किसी वस्तु को परिसंपत्ति तभी समझा जा सकता है, जब यह संभावना हो कि वस्तु से जुड़े भावी आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और उसकी क़ीमत विश्वस्तरूप से आंकी जा सकती हो। यह मान्यता सिद्धांत, शुरुआती तौर पर संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की किसी वस्तु के अधिग्रहण पर खर्च हुई लागत पर लागू होता है और साथ ही, इनकी देखरेख, कलपुर्ज़ों इत्यादि में बदलाव और अतिरिक्त ख़रीद पर होने वाली लागत पर लागू होता है। सुधार एवं अनुरक्षण की अन्य सभी लागतों, जिनमें नियमित देखरेख भी शामिल है, उन्हें होने वाली लाभ एवं हानि के विवरण में शामिल किया जाता है। जब कोई भी बदलाव होता है, तो बदले हुए कलपुर्ज़े या हिस्से की लागत को संज्ञान में नहीं लिया जाता। जहां पर, संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की किसी वस्तु में कई बड़े अवयव शामिल होते हैं और उनकी उपयोग आयु सीमा भिन्न होती हैं, वहां पर अवयवों को एक पृथक वस्तु के रूप में गिना जाता है। संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का विवरण, इंड एएस में अंतरण पर लागू लागत या मानित लागत के साथ उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें से सन्निहित मूल्यह्रास एवं हानि को घटा दिया जाता है। लागत में, परिसंपत्ति को प्रचालन की स्थिति तक एवं उपयोग के स्थान तक लाने में लगे सभी प्रत्यक्ष लागतों एवं व्यय को शामिल किया जाता है। ट्रायल रन के व्यय (राजस्व के निवल) को पूंजीकृत किया जाता है। निर्माण के दौरान वहन की गई उधार की लागत को योग्य परिसंपत्ति के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है।

ii. यात्रियों के सार्वजनिक वहन हेतु खोले जाने वाले नए खंड के लिए परिसंपत्तियों का पूंजीकरण कंपनी में परिभाषित मानक परिचालन प्रक्रियाओं, प्रशासनिक औपचारिकताओं के अनुसार सभी प्रकार से इसकी पूर्णता सुनिश्चित करने और ऐसे खंड को सार्वजनिक उपयोग के लिए खोलने के लिए मेट्रो रेलवे सुरक्षा आयुक्त द्वारा अनिवार्य निर्धारित अपेक्षाओं के अनुपालन के बाद किया जाता है। प्रयोग में लाईं जाने वाली परिसंपत्तियों, जहां ठेकेदारों के बिलों का अंतिम समाधान अभी किया जाना है, के मामले में अंतिम समाधान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अधीन अस्थायी आधार पर पूंजीकरण किया जाता है।

iii. जबकि, कार्यशील पूंजी में शामिल कोई भी व्यय/आगामी लागत, जिसे एक परिसंपत्ति विशेष को प्रयोग में लाते समय विश्वस्त रूप से आंका नहीं जा सकता, उन्हें इंड एएस 16 के अनुसार विश्वस्त रूप से सुनिश्चित किए जाने के बाद ही मान्यता दी जाती है।

iv. स्टेशन प्रवेश और निकास के निर्माण की अनुमतियों के लिए विभिन्न भूस्वामी एजेंसियों को किए गए भुगतान को अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में पूंजीकृत और परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर परिशोधित किया गया है।

v. प्रमुख निरीक्षण, मरम्मत और संपत्ति, संयंत्रण एवं उपकरण के किसी मद के हिस्से को बदलने पर व्यय को पूंजीकृत किया जाएगा, यदि यह संभव हो कि इसमें सन्निहित भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्रवाहित होंगे और इसकी लागत विश्वसनीय तौर पर मापी जा सके।

vi. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के किसी मद के निपटान पर लाभ और हानि का निर्धारण, मद की वहन राशि के निपटान से प्राप्त आय से तुलना करके किया जाता है एवं लाभ और हानि के विवरण में निवल के रूप में मान्य किया जाता है।

vii. परियोजना के एक से अधिक संभागों में प्रयुक्त परिसंपत्तियों एवं प्रणालियों का पूंजीकरण तकनीकी अनुमान/आकलन के आधार पर होता है।

च) अमूर्त परिसंपत्तियां

सॉफ़्टवेयर की लागत और भूमि उपभोग के अधिकार को तुलन–पत्र में अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में शामिल किया जाता है, जब यह प्रायिकता होती है कि इनसे संबद्ध भावी आर्थिक लाभ, कंपनी को मिलेंगे। इस स्थिति में, इन्हें अधिग्रहण की लागत पर मापा जाता है और फिर उनकी अनुमानित उपयोग आयु के दौरान सीधे तौर पर परिशोधित किया जाता है। अन्य सभी लागतों को उनके वहन के समय के अनुसार, लाभ एवं हानि के विवरण में शामिल किया गया है। शोध गतिविधियों पर होने वाले व्यय को उस अवधि में शामिल किया गया है, जिसमें उनका व्यय हुआ है। प्राथमिक मान्यता के बाद, निश्चित उपयोग आयु वाली अमूर्त परिसंपत्तियों का विवरण इंड एएस में अंतरण पर लागू लागत या मानित लागत के साथ उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें से सन्निहित परिशोधन एवं क्षति से हुई हानि को घटा दिया जाता है।

छ) कार्यशील पूंजी में शामिल होता है:

i. पूंजीगत परिसंपत्तियों, जो निर्माणाधीन हैं और ऐच्छिक उपयोग हेतु तैयार नहीं हैं, की लागत में परियोजना/परिसंपत्ति के लिए प्रत्यक्षतः आरोप्य, अन्य प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष व्यय शामिल हैं।

ii. परियोजनाओं हेतु प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य प्रशासनिक, अप्रत्यक्ष और सामान्य ऊपरी खर्चों (निवल आय) को पूंजीकृत परिसंपत्तियों के अनुपात में आवंटित किया जाता है।

iii. निर्माण अवधि से संबंधित राशियों जैसे मूल्य भिन्नता, अंतिम जुर्माने (इक्विटी, ब्याज़ मुक्त अधीनस्थ ऋण और अनुदान द्वारा प्राप्त धन के अस्थायी नियोजन से प्राप्त ब्याज़ के अलावा) इत्यादि का निर्माण के दौरान व्यय से समायोजन किया जाता है।

क्र.सं.	परिसंपत्तियां	उपयोगी जीवन (वर्षों में)
A.	चल स्टॉक (रोलिंग स्टॉक)	30
A1	चल स्टॉक के घटक– विद्युत आपूर्ति, सहायक उपकरण, ब्रेक, वातानुकूलन प्रणाली, इंटीरियर्स, बोर्ड नियंत्रण, उद्घोषणा एवं सीसीटीवी प्रणाली	18
B	एस्कलेटर्स	30
B1	एस्कलेटर्स के घटक– हैंडरेल	7
B2	एस्कलेटर्स के घटक– स्टेप और चेन रोलर, रिले, टाइमर एवं नियंत्रण गियर	8
B3	एस्कलेटर्स के घटक– शेष घटक	15
C	एलिवेटर्स	30
C1	एलिवेटर्स के घटक– ट्रैक्शन मशीन/मोटर, गवर्नर, ऐंटी–क्रीप डिवाइस	20
C2	एलिवेटर्स के घटक– सुरक्षा गियर रस्सी, होइस्टिंग चेन/रोप	8
C3	एलिवेटर्स के घटक– कॉन्टैक्टर्स, रिलेज़	10
C4	एलिवेटर्स के घटक– शेष घटक	30
D	एएफ़सी के घटक	
D1	सीएससी (कॉन्टैक्टलेस स्मार्ट कार्ड)	7
D2	सीएसटी (कॉन्टैक्टलेस स्मार्ट टोकन)	5
D3	शेष घटक	10
E	मोबाइल हैंडसेट	3
F	संकेत चिह्न/बोर्ड (साइनेज)	2
G	ट्यूबवेल्स	15

iv. मूल्य भिन्नता सहित दावों का लेखांकन, अनुमोदन एवं स्वीकृति पर किया जाता है। तरल क्षति का लेखांकन, अंतिम बिल के निपटान पर किया जाता है।

v. कार्यशील पूंजी में, व्यय और उसके बाद की लागतें शामिल होती हैं, जिनका परिसंपत्तियों को उपयोग में लाने के समय विश्वस्त रूप से पता नहीं लगाया जा सकता और उनका पूंजीकरण तब होता है, जब लागतों का विश्वस्त रूप से पता लगा लिया जाता है।

ज) निर्माण के दौरान ब्याज़ आवंटन

वर्ष के दौरान शुरू की गईं अर्हक परिसंपत्तियों के संबंध में निर्माण के दौरान ब्याज़ (आईडीसी) का आवंटन चालू किए जाने वाले महीने के अंत में अर्हक कार्यशील पूंजी की तुलना में चालू की गई परिसंपत्ति के मूल्य के अनुपात में किया जाता है। अन्य मामलों में, आईडीसी का आवंटन अंतिम खंड के पूंजीकरण की तिथि के आधार पर किया जाता है।

i) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण, परिसंपत्तियों का उपयोग एवं अमूर्त परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास एवं परिशोधन

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और उपयोग के लिए अधिकृत परिसंपत्तियों के अवशेष मूल्य समेत अमूर्त परिसंपत्तियों की लागत/मानित लागत को सीधे तौर पर दर्ज करने के लिए, मूल्यह्रास या परिशोधन प्रदान किया जाता है।

ये परिवर्तन, परिसंपत्तियों के उनके अपेक्षित उपयोग हेतु उपलब्ध होने की तिथि से प्रारंभ होते हैं और उनकी अनुमानित उपयोगी आर्थिक आयु या उपयोग के लिए अधिकृत परिसंपत्तियों के मामले में लीज़ की अवधि तक, (अगर कम है तो) तक रहते हैं। परिसंपत्तियों की अनुमानित उपयोगी आयु, अवशिष्ट मूल्य एवं मूल्यह्रास के तरीके की नियमित समीक्षा की जाती है और जब आवश्यकता हो, उन्हें संशोधित भी किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की मुख्य श्रेणियों की अनुमानित उपयोगी आयु, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार निर्धारित होती है, निम्न परिसंपत्तियों/परिसंपत्तियों के घटकों को छोड़कर, जिनमें उपयोगी आयु, कंपनी द्वारा तकनीकी आकलन के माध्यम से निर्धारित होती है:

परिसंपत्तियों की इन श्रेणियों के लिए, आंतरिक आकलन एवं चार्टर्ड इंजीनियरों द्वारा किए गए स्वतंत्र तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, कंपनी मानती है कि उक्त उपयोगी आयु, सर्वोत्तम रूप से उस अवधि का प्रतिनिधित्व करती है, जिसके दौरान कंपनी द्वारा इन परिसंपत्तियों का उपयोग अपेक्षित है। अतः, इन परिसंपत्तियों की उपयोगी आयु, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट आयु से भिन्न हैं।

परिसंपत्तियों के घटकों की पहचान हेतु मापदंडः

- मुख्य परिसंपत्ति के संबंध में 10 लाख रुपए या अधिक मूल्य की परिसंपत्तियों और मुख्य परिसंपत्तियों के 10% से अधिक मूल्य वाले घटकों पर ही घटकीकरण का विचार किया गया है।
- घटक का अधिकतम जीवन, मूल परिसंपत्ति के जीवन तक सीमित किया गया है।
- परिसंपत्तियों के समान उपयोगी जीवन वाले महत्वपूर्ण घटकों को प्रमुख संपत्ति से संबंधित प्रतिशत का विचार न करते हुए, एक साथ जोड़ा गया है। शेष घटकों या नगण्य मदों को मूल परिसंपत्ति से मिलाकर जोड़ा गया है।
- भूमि, ट्रैक कार्य (स्थायी मार्ग) और अमूर्त परिसंपत्तियों का घटकीकरण नहीं किया गया है क्योंकि अलग–अलग घटकों की पहचान संभव नहीं है।
- वाहनों, अस्थायी ढांचों, सर्वेक्षण/सुरक्षा उपकरणों, आईटी प्रणाली, कार्यालय उपकरण, फर्नीचर और जुड़नारों और संबंधित संपत्तियों को घटक नहीं बनाया गया है क्योंकि कंपनी की कुल परिसंपत्तियों के संबंध में उनके मूल्य काफी नगण्य हैं।
- तथ्यात्मक पहलू पर विचार करते हुए, 5000/– रुपये या कम की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास/परिशोधन कर दिया गया है।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार परिसंपत्ति की मूल लागत के 5% के अवशिष्ट मूल्य को मूल्यह्रास माना जाता है और कटौती की जाती है।
- मूल्यह्रास, उस दिन से आनुपातिक आधार पर लगाया गया है, जिस दिन से परिसंपत्तियां उपयोग के लिए तैयार थीं। मौजूदा परिसंपत्तियों, जो मुख्य परिसंपत्तियों का अभिन्न अंग हैं में संवर्धन/कटौती पर मूल्यह्रास, उन परिसंपत्तियों के शेष उपयोगी जीवन पर लगाया गया है।
- पूंजीकृत की गई प्रमुख मरम्मत और निरीक्षण लागतों पर अगली अनुसूचित कटौती या वास्तविक प्रमुख निरीक्षण/मरम्मत, जो भी पहले हो तक मूल्यह्रास किया जाता है।
- सॉफ़्टवेयर से भविष्य के आर्थिक लाभों को ध्यान में रखते हुए, उन्हें अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में पूंजीकृत किया गया है और सरल रेखा पद्धति पर 5 वर्षों की अवधि में परिशोधित किया गया है।
- उन मदों पर हुए व्यय को, जिनका स्वामित्व कंपनी के पास नहीं है, उन्हें व्यय के वर्ष के अंतर्गत राजस्व के रूप में प्रभारित किया जाता है।

झ) नुकसान

प्रत्येक तुलन–पत्र तिथि पर, कंपनी अपनी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा करती है ताकी यह पता लगाया जा सके कि लगातार उपयोग के माध्यम से उन परिसंपत्तियों की वहन राशि की वसूली होने का कोई संकेत है या नहीं। अगर इस तरह का कोई संकेत मिलता है तो परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि की समीक्षा की जाती है ताकी यह पता लगाया जा सके कि क्या कोई क्षति हुई, अगर कोई हो तो। जहां पर परिसंपत्ति, अन्य परिसंपत्तियों से स्वतंत्र नकदी प्रवाह नहीं पैदा करती, वहां पर कंपनी उस नकदी पैदा करने वाली इकाई की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है, जिससे वह परिसंपत्ति संबद्ध है। निवल बिक्री मूल्य या उपयोगी मूल्य, जो भी अधिक हो, वही संपत्ति की वसूली योग्य राशि होगी। उपयोगी मूल्य का आकलन करते समय, अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को पूर्व–कर छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है, जो मुद्रा के समय मूल्य के मौजूदा बाजार मूल्यांकन और उस परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों को दर्शाता है, जिसके लिए भविष्य के नकदी प्रवाह के अनुमान, समायोजित नहीं किए गए हैं। जब एक परिसंपत्ति की वहन राशि, उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, जब क्षति से होने वाली हानि को लाभ एवं हानि के विवरण में शामिल किया जाता है। जहां परिणामस्वरूप, क्षति से होने वाली हानि पलट जाती है, परिसंपत्ति का वहन मूल्य, उसकी वसूली योग्य राशि के संशोधित अनुमान तक बढ़ा दिया जाता है ताकी बढ़ा हुआ वहन मूल्य, परिसंपत्ति के पूर्व वहन मूल्य से अधिक न हो जाए, जिसका आकलन पूर्व के वर्षों में कोई भी क्षति न होने के आधार पर किया गया था। क्षति से होने वाली हानि का उलट जाना, लाभ एवं हानि के विवरण में तत्काल प्रभाव के साथ शामिल किया जाता है।

ञ) प्रावधान

कोई प्रावधान, तब मान्य किया जाता है, जब पिछली घटना के परिणामस्वरूप कंपनी का वर्तमान दायित्व हो और यह संभव हो कि दायित्व के समाधान के लिए संसाधनों का बहिर्वाह अपेक्षित होगा, जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके। प्रावधानों का निर्धारण तुलनपत्र की तिथि पर दायित्व के समाधान के लिए प्रबंधन के सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर किया जाता है और वर्तमान मूल्य पर छूट नहीं दी जाती।

ट) आकस्मिक देनदारियां/परिसंपत्तियां

आकस्मिक देनदारियों का प्रकटन, उन संभावित दायित्वों के संबंध में किया जाता है, जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होते हैं, लेकिन उनके अस्तित्व की पुष्टि, कंपनी के पूर्ण नियंत्रण में न होने वाले अनिश्चित भावी घटनाओं के होने या न होने से होती है या फिर जहां पर किसी वर्तमान देनदारी का मापन, संसाधनों के भावी बहिर्वाह के सापेक्ष नहीं हो सकता या फिर देनदारी का एक विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता हो। आकस्मिक देनदारियों का प्रकटन, प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक तुलनपत्र तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमान को दर्शाने के लिए समायोजन किया जाता है। आकस्मिक परिसंपत्तियों को मान्य नहीं किया जाता, लेकिन वित्तीय विवरण में इनका प्रकटन किया जाता है।

ठ) सेवानिवृत्ति लाभ दायित्वः

कंपनी के सेवानिवृत्ति लाभ से संबंधित दायित्व, कई निर्णयों के अधीन हैं, जैसे कि छूट की दर, महंगाई और वेतन वृद्धि। इन सभी मानदंडों के निर्धारण के दौरान महत्वपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता होती है और इनमें किया गया कोई भी परिवर्तन, कंपनी के तुलनपत्र में दर्ज हुई राशि एवं लाभ और हानि के विवरण पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है। कंपनी, पूर्व–अनुभवों एवं तीसरे पक्ष की बीमांकिक सलाह के आधार पर इनके संबंध में निर्णय लेती है।

ड) बीमांकिक लाभ और हानि सहित पुनःमापन

परिसंपत्ति की सीमा के प्रभाव, निवल परिभाषित लाभ देयता पर निवल ब्याज़ में शामिल राशियों को छोड़कर और योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (निवल परिभाषित लाभ देयता पर निवल ब्याज़ में शामिल राशियों को छोड़कर),

को तुलनपत्र में ओसीआई के माध्यम से धारित अर्जन में समान रूप से डेबिट या क्रेडिट करके उस अवधि में मान्य किया जाता है, जिसमें वे घटित होते हैं। पुनःमापन को बाद की अवधियों में लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाता है।

ढ) लीज़ (पट्टा)

भारतीय लेखाकंन मानक (इंड एएस) 116 'लीज़ेज़' को बदलकर भारतीय लेखाकंन मानक (इंड एएस) 17 'लीज़ेज़' कर दिया गया है, जो विगत 1 अप्रैल, 2019 से प्रभाव में है। इन नए मानकों को अपनाने के फलस्वरूप कंपनी ने सभी पुराने प्रचालित पट्टों के संबंध में उपयोग के अधिकार और संबंधित पट्टा देनदारी को मान्यता दी और इनमें से सिर्फ़ उन पट्टों को बाहर रखा गया, जिनकी क़ीमत बहुत कम आंकी गई या जिनका प्रारंभिक आवेदन की तिथि से 12 महीनों से भी कम का समय शेष था। नए मानक का प्रयोग, संशोधित पूर्वव्यापी दृष्टिकोण की मदद से किया गया और इसके साथ ही, परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार को पट्टे की देनदारी के मौजूदा मूल्य के बराबर माना गया, जिसे किसी पूर्वभुगतान की राशि या संबंधित पट्टों हेतु उपार्जित पट्टा भुगतान के साथ समायोजित किया गया। पूर्व अवधियों को पुनः नहीं बताया गया है। प्रारंभिक आवेदन की तिथि के समय मौजूद अनुबंधों के लिए, कंपनी ने इंड एएस 17 के अनुसार, पट्टों की परिभाषा के अनुरूप काम नहीं किया और इन अनुबंधों के लिए इंड एएस 116 में निर्दिष्ट परिभाषा के अनुरूप ही कार्यवाही की गई। अंतरण के समय, पूर्व में प्रचालित पट्टे के रूप में लेखांकित पट्टों के लिए, जिनकी शेष अवधि 12 महीनों से भी कम हो और उन पट्टों के लिए, जिनकी क़ीमत कम हो, कंपनी ने उपयोग के अधिकार को मान्यता न देने की वैकल्पिक छूट प्रदान की, लेकिन पट्टे की शेष अवधि के दौरान पट्टे पर हुए व्यय को सीधेतौर पर लेखांकित किया गया।

पट्टेदार के रूप में कंपनी

कंपनी, अनुबंध के अंतर्गत, अनुबंध के गैर–पट्टा घटकों से पृथक रूप से प्रत्येक पट्टा घटक को, एक पट्टे के रूप में लेखांकित करती है और साथ ही, अनुबंध के अंतर्गत, प्रत्येक पट्टा घटक को, संबंधित पृथक मूल्य और गैर–पट्टा घटक के सकल पृथक मूल्य के आधार पर संज्ञान में लिया जाता है। कंपनी, पट्टे की प्रारंभिक तिथि को, पट्टे की अवधि तक, अंतर्निहित पट्टे के उपयोग के अपने अधिकार को, परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार (राइट–ऑफ़–यूज़ ऐसेट) के रूप में मान्यता देती है। शुरुआती तौर पर, परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार की लागत में, किसी पट्टे के भुगतान के साथ या प्रारंभ की तिथि से पूर्व समायोजित, प्रारंभिक तौर पर आंकी गई पट्टे की देनदारी की राशि शामिल होती है। चुनिंदा पट्टा व्यवस्थाओं में, पट्टे की अवधि से पूर्व, पट्टे को बढ़ाने या समाप्त करने का विकल्प होता है। परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार और पट्टे की देनदारियों में इन विकल्पों का समावेश तब होता है, जब यह सकारण सुनिश्चित हो कि ऐसे विकल्पों को भविष्य में प्रयोग में लाया जाएगा। इसके बाद, परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार को, संचित मूल्यह्रास, संचित हानि (अगर कोई हो तो) को घटाकर मापा जाता है और फिर पट्टे की देनदारी के किसी पुनःमापन के साथ समायोजित कर दिया जाता है। परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार का मूल्यह्रास, प्रारंभ की तिथि से पट्टे की अवधि के दौरान या परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार की उपयोगी आयु तक, सीधी रेखा विधि के प्रयोग से किया जाता है। जब कभी यह संकेत मिले कि परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार की वहन राशि, वसूल नहीं हो पाएगी, तब हानि या नुकसान के संबंध में परिसंपत्तियों के अधिकार का परीक्षण किया जाता है। अगर कोई क्षति या हानि पाई जाती है तो उसे लाभ एवं हानि के विवरण में शामिल किया जाता है। पट्टे की देनदारी को, पट्टे के भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है, जिनका भुगतान, पट्टे की प्रारंभिक तिथि पर नहीं किया जाता। पट्टे के भुगतान को पट्टे में निहित ब्याज़ दर का उपयोग करके छूट दी जाती है, अगर उस दर को आसानी से निर्धारित किया जा सकता हो। यदि वह दर आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती हो, तो कंपनी वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करती है। इसके बाद, पट्टे की देनदारी को वहन राशि में वृद्धि कर, पट्टे की देनदारी पर ब्याज़ परिलक्षित करते हुए पुनः मापा जाता है। पट्टे के भुगतानों को परिलक्षित करने के लिए वहन राशि को घटाया जाता है और किसी भी पुनर्मूल्यांकन या पट्टे में संशोधन को परिलक्षित करने

के लिए वहन राशि का पुनर्मापन किया जाता है। कंपनी, पट्टे की देनदारी के पुनर्मापन की राशि को, परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार में समायोजन के रूप में मान्यता देती है। जहां पर परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार की राशि को घटाकर शून्य कर दिया जाता है, वहां पर पट्टे की देनदारी के मापन में ह्रास होता है और कंपनी, पुनर्मापन की किसी भी शेष राशि को लाभ एवं हानि के विवरण में शामिल करती है। पट्टे की देनदारियों के मापन में, जिन परिवर्तनशील पट्टे के भुगतानों को शामिल नहीं किया गया हो, उन्हें लाभ एवं हानि के विवरण में, उन भुगतानों को प्रेरित करने वाली घटनाओं या परिस्थितियों के होने के समय के अंतर्गत, शामिल कर लिया जाता है।

कंपनी, बिक्री और पट्टे की वापसी के लेनदेन को लेखांकित करती है और साथ ही में, परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार एवं पट्टे की देनदारियों (जिन्हें अन्य परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार एवं पट्टे की देनदारियों की ही तरह मापा गया हो) को लेखांकन में शामिल करती है। बिक्री के लेनदेन में हुए लाभ या हानि को लाभ एवं हानि के विवरण में शामिल किया जाता है।

पट्टा देने वाले के रूप में कंपनी

(i) **प्रचालित पट्टा**– प्रचालित पट्टे पर किराए के माध्यम से होने वाली आय को लाभ एवं हानि के विवरण में, संबंधित पट्टे की अवधि के अंतर्गत सीधे तौर पर शामिल किया जाता है, जब तक कि समय के प्रतिरूप, जिसमें पट्टे से आर्थिक लाभ कम हुए हों, का बेहतर प्रतिनिधित्व करते हुए कोई अन्य विधिवत आधार चिह्नित नहीं होता। प्रचालित पट्टे (ऑपरेटिंग लीज़) पर बातचीत करने और व्यवस्था करने में आरंभिक प्रत्यक्ष लागत लीज़्ड परिसंपत्ति के वहन मूल्य में जुड़ जाती है और लीज़ अवधि के आधार पर सीधी रेखा पद्धति के आधार पर मान्यता प्राप्त होती है। प्रचालित पट्टे पर बातचीत करने और व्यवस्था करने में प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत, पट्टे पर ली गई परिसंपत्ति के वहन मूल्य में जुड़ जाती है और पट्टे की अवधि के दौरान, सीधी रेखा पद्धति के अनुरूप लेखांकन में मान्यता दी जाती है।

(ii) **वित्त पट्टा**– जब परिसंपत्तियों को वित्त पट्टे की श्रेणी के अंतर्गत पट्टे पर दिया जाता है, तब न्यूनतम पट्टा भुगतानों की वर्तमान क़ीमत को, प्राप्य के रूप में मान्यता दी जाती है। सकल प्राप्य और प्राप्य की मौजूदा क़ीमत के बीच के अंतर को, अनर्जित वित्त आय के रूप में मान्यता दी जाती है। पट्टे की आय को, कर से पूर्व निवल निवेश पद्धति का प्रयोग करते हुए पट्टे की अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है, जो एक सतत आविधिक वापसी दर को परिलक्षित करता है।

ण) वित्तीय उपकरण

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों/देयताओं को मान्यता तब दी जाती है, जब कंपनी उपकरण के अनुबंध प्रावधानों के लिए एक पार्टी बन जाती है। वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को शुरू में उन वित्तीय परिसंपत्तियों को छोड़कर उचित मूल्य पर मापा जाता है, जो शुरुआत में लाभ और हानि (एफ़वीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकृत किए जाते हैं। वित्तीय लागतों और वित्तीय देनदारियों के अधिग्रहण या जारी करने के लिए सीधे तौर पर देय लेनदेन की लागत (लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के अलावा) वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय दायित्व की प्रारंभिक मान्यता पर मापे गए उचित मूल्य से या घटा दी जाती है या जोड़ दी जाती है। लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के अधिग्रहण के कारण उत्पन्न लेनदेन की लागत को सीधे लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

प्रभावी ब्याज़ पद्धति

प्रभावी ब्याज़ विधि, एक वित्तीय उपकरण के परिशोधन लागत की गणना और प्रासंगिक अवधि में ब्याज़ आय या व्यय का आवंटन करने का एक तरीका है। प्रभावी ब्याज़ दर, वह दर है, जो वित्तीय साधन के अपेक्षित जीवन के माध्यम से भविष्य में नकद प्राप्तियों या भुगतानों को छूट देती है, या जहां उपयुक्त हो, कम अवधि।

(I) वित्तीय परिसंपत्तियां

नकद एवं बैंक में जमा राशि

नकद एवं बैंक में जमा राशियों में शामिल हैं:

(i) **नकद एवं नकद समतुल्य**– जिसमें कैश ऑन हैंड, बैंकों के साथ कॉल पर आयोजित डिपॉजिट और अन्य अल्पकालिक डिपॉजिट जो आसानी से ज्ञात मात्रा में नकदी में परिवर्तित हो जाते हैं। ये मूल्य–परिवर्तन के सामान्य जोख़िमों के अधीन होते हैं और साथ ही, इनकी वास्तविक परिपक्वता अवधि 3 महीने तक होती है। बैंक में जमा इन राशियों पर आहरण या उपयोग से संबंधित कोई प्रतिबंध नहीं होता।

(ii) **बैंक के पास सुरक्षित अन्य जमा राशियां**– इनमें वे जमा राशियां शामिल हैं, जिनकी परिपक्वता अवधि 3 महीने से अधिक लेकिन 1 वर्ष से कम हो।

परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है, यदि ये वित्तीय परिसंपत्तियां एक बिज़नेस मॉडल के भीतर होती हैं, जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को इकट्ठा करने के लिए इन परिसंपत्तियों को धारण करना है और वित्तीय परिसंपत्ति के अनुबंध की शर्तें नकदी प्रवाह के लिए निर्दिष्ट तिथियों को जन्म देती हैं, जो केवल शेष मूलधन पर मूलधन एवं ब्याज़ के भुगतान हैं।

उचित मूल्य पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियों को अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है, यदि ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियां एक बिज़नेस मॉडल के भीतर रखी गई हों, जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को इकट्ठा करने के लिए या ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचने के लिए इन परिसंपत्तियों को धारण करना हो और वित्तीय परिसंपत्ति के अनुबंध की शर्तें चुनिंदा तिथियों पर नकदी प्रवाह को बढ़ावा देती हैं, जो पूरी तरह से शेष मूलधन पर मूलधन एवं ब्याज़ के भुगतान हैं।

वित्तीय परिसंपत्तियों, जिन्हें परिशोधित लागत पर या अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा नहीं गया हो, उन्हें लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर धारित किया जाता है।

ब्याज़ से होने वाली आय

बकाया मूलधन और प्रभावी ब्याज़ दर के संदर्भ में ब्याज़ आय, एक समय अनुपात के आधार पर अर्जित की जाती है।

लाभांश आय

निवेश से होने वाली लाभांश आय को तब मान्यता दी जाती है, जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित कर दिया गया हो।

वित्तीय संपत्तियों का वर्गीकरण एवं पश्चात्वर्ती मापन

पश्चात्वर्ती मापन के प्रयोजन से, प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

- प्रभावी ब्याज़ विधि (ईआईआर) का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां
- लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफ़वीटीपीएल) पर वित्तीय परिसंपत्तियां
- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफ़वीओसीआई) पर वित्तीय परिसंपत्तियां

एफ़वीटीपीएल के अलावा सभी वित्तीय परिसंपत्तियां कम से कम प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि पर नुकसान के समीक्षाधीन हैं। किसी वित्तीय परिसंपत्ति को कंपनी ने एफ़वीटीपीएल में नामित नहीं किया गया है।

वित्तीय परिसंपत्तियों का नुकसान

अन्य व्यापक आय के माध्यम से परिशोधित लागत और उचित मूल्य पर मापित, वित्तीय परिसंपत्तियों के अपेक्षित क्रेडिट नुकसान के लिए दिए जाने वाले भत्ते को मान्यता दी जाती है। कंपनी, उन सभी व्यापार प्राप्यों के जीवनभर के अपेक्षित क्रेडिट लॉस या हानि को मान्यता देती है, जो किसी वित्तीय लेनदेन का हिस्सा नहीं रहे हैं। वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए (किसी वित्तीय लेनदेन का हिस्सा न रहे व्यापार प्राप्यों को छोड़कर), जिनका शुरुआती मान्यता के बाद क्रेडिट संबंधी जोख़िम बहुत अधिक नहीं बढ़ा हो, उनके लिए 12 महीने के अपेक्षित क्रेडिट लॉस के बराबर हानि भत्ता मान्य कर दिया जाता है। संपूर्ण जीवनकाल के लिए अपेक्षित क्रेडिट लॉस के बराबर हानि भत्ते को मान्यता मिलती है, अगर वित्तीय परिसंपत्ति का क्रेडिट संबंधी जोख़िम, शुरुआती मान्यता के बाद महत्वपूर्ण रूप से बढ़ता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों को अमान्य घोषित करना

कंपनी एक वित्तीय परिसंपत्ति को तब ही अमान्य मानती है, जब नकदी प्रवाह के लिए निर्धारित संविदात्मक अधिकारों की वैधता समाप्त हो रही हो या फिर कंपनी, वित्तीय परिसंपत्ति, उससे जुड़े सभी जोख़िमों और परिसंपत्ति के स्वामित्व के फलस्वरूप मिलने वाले फ़ायदों को किसी दूसरी इकाई को सौंप देती है। यदि कंपनी, न तो परिसंपत्ति का हस्तांतरण करती है और न ही स्वामित्व के सभी जोख़िमों और फ़ायदों को पर्याप्त रूप से बरकरार रखती है और साथ ही, हस्तांतरित परिसंपत्ति को नियंत्रित करना जारी रखती है, तो कंपनी परिसंपत्तियों में अपने बनाए गए ब्याज़ और उन राशियों के लिए, जिसका कंपनी को भुगतान करना पड़ सकता हो, उनसे संबद्ध देनदारी को मान्यता देती है। यदि कंपनी हस्तांतरित वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोख़िमों और फ़ायदों को पर्याप्त रूप से बरकरार रखती है, तो कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता जारी रखती है और साथ ही, प्राप्य आय के लिए एक उधार राशि को भी मान्यता देती है।

(II) वित्तीय देनदारियां/देयताएं एवं इक्विटी उपकरण

ऋण या इक्विटी के रूप में वर्गीकरण

कंपनी द्वारा जारी वित्तीय देनदारियों और इक्विटी उपकरणों को अनुबंधित व्यवस्था के अनुसार एवं वित्तीय दायित्व और इक्विटी उपकरण की परिभाषाओं के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है।

इक्विटी उपकरण

एक इक्विटी उपकरण, वह अनुबंध होता है, जो कंपनी की परिसंपत्तियों में उसकी सभी देनदारियों में कटौती के बाद अवशिष्ट ब्याज़ का प्रमाण देता है। इक्विटी उपकरणों को प्रत्यक्ष निर्गम लागत के निवल के रूप में प्राप्त आय में दर्ज किया जाता है।

वित्तीय देनदारियां

व्यापार एवं अन्य देनदारियों को शुरुआती स्तर पर उचित मूल्य पर मापा जाता है, जो लेनदेन की लागत का निवल होती है और फिर इन्हें प्रभावी ब्याज़ दर विधि का प्रयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है, जहां पर धनराशि के समय–मूल्य की महत्ता होती है।

ब्याज़ सहित लिए गए बैंक ऋण, ओवरड्राफ़्ट्स एवं जारी किए गए ऋण, सभी को शुरुआती स्तर पर उचित मूल्य पर मापा जाता है और फिर बाद में इन्हें प्रभावी ब्याज़ दर विधि का प्रयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है। प्राप्त आय (लेनदेन के निवल के रूप में) एवं उधार ली गई राशि के निपटारे या प्रतिदान के बीच के अंतर को उधार ली गई राशि की समय–सीमा के अंतर्गत, लाभ एवं हानि के विवरण में शामिल किया जाता है।

वित्तीय देनदारियों का वर्गीकरण एवं पश्चात्वर्ती मापन

वित्तीय देनदारियों/देयताओं का मापन, पश्चात्वर्ती तौर पर प्रभावी ब्याज़ दर विधि का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर किया जाता है, सिवाय एफ़वीटीपीएल में व्यापार या नामित वित्तीय देनदारियों के, जो लाभ या हानि के विवरण में मानित लाभ या हानि सहित उचित मूल्य पर किए जाते हैं। सभी व्युत्पन्न वित्तीय लेखों का लेखांकन एफ़वीटीपीएल में किया जाता है। ऐसी किसी वित्तीय देनदारी को कंपनी में एफ़वीटीपीएल में नामित नहीं किया गया है।

वित्तीय देनदारियों को अमान्य घोषित करना

जब कंपनी के दायित्वों का निर्वहन हो चुका हो, उन्हें रद्द कर दिया गया हो या फिर उनकी वैधता समाप्त हो गई हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ तब ही कंपनी वित्तीय देनदारियों को अमान्य घोषित करती है।

प्रभावी ब्याज़ दर (□आ□आर) की गणना इस प्रकार होती है:

- वित्तीय परिसंपत्तियां एवं वित्तीय देनदारियां, जिनपर बाज़ार मूल्य पर ब्याज़ धारित हो: इस तरह के मामलों में ईआईआर, उपकरण की ब्याज़ दर के बराबर होते हैं।
- अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां या वित्तीय देनदारियां: वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में उपलब्ध सर्वाधिक अवधि के लिए आधारभूत एसबीआई–एमसीएलआर/आधारभूत दर।

त) कर्मचारी हितलाभ

निर्धारित योगदान योजनाएं

उक्त योजनाओं के अंतर्गत किए गए योगदानों को, कर्मचारी की सेवा–अवधि के दौरान किए गए व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा के प्रति अंशदान, नियामक प्राधिकारियों को दिया जाता है, जिसमें कंपनी का और कोई दायित्व नहीं है। इस तरह के हितलाभों को निर्धारित योगदान योजनाओं के अंतर्गत माना जाता है क्योंकि कंपनी के ऊपर मासिक रूप से किए जाने वाले योगदान के अतिरिक्त अन्य कोई दायित्व नहीं होता। कर्मचारी की सेवा अवधि के दौरान, इन योगदानों को लाभ एवं हानि के विवरण में शामिल किया जाता है।

निर्धारित हितलाभ योजनाएं

कंपनी के पास एक निर्धारित आनुतोषिक (ग्रैच्युटी) लाभ योजना है। कंपनी इस योजना की वित्तपूर्ति, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में सालाना योगदान के माध्यम से करती है। इस संबंध में कंपनी की देनदारी, वर्ष के अंत में निर्धारित होती है। देनदारी को, आनुतोषिक देनदारी के बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर देखा जाता है।

बीमांकिक लाभ एवं हानि सहित पुनःमापन, परिसंपत्ति की सीमा के प्रभाव, निवल परिभाषित लाभ देयता पर निवल ब्याज़ में शामिल राशियों को छोड़कर और योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (निवल परिभाषित लाभ देयता पर निवल ब्याज़ में शामिल राशियों को छोड़कर) को तुलनपत्र में ओसीआई के माध्यम से धारित अर्जन में समान रूप से डेबिट या क्रेडिट करके उस अवधि में मान्य किया जाता है, जिसमें वे घटित होते हैं। पुनःमापन को बाद की अवधियों में लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाता है।

संचित छुट्टियों, जिन्हें वर्ष की समाप्ति के 12 महीनों के अंदर उपयोग में लाना या एन–कैश कराना होता है, उन्हें अल्पकालीन कर्मचारी हितलाभों के रूप में देखा जाता है। इन छुट्टियों के प्रति कंपनी के दायित्व का मापन, संचित छुट्टियों की अपेक्षित लागत के रूप में होता है क्योंकि वर्ष की समाप्ति पर अप्रयुक्त पात्रताओं के परिणामस्वरूप, अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होता है।

संचित छुट्टियों, जिन्हें वर्ष की समाप्ति के 12 महीनें के बाद भी उपयोग में लाया या कैश कराया जा सकता हो, उन्हें अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभों के रूप में देखा जाता है। कंपनी की देयता वर्ष के अंत में निर्धारित की जाती है।

थ) मालसूची

मालसूची, लागत एवं शुद्ध वसूली योग्य मूल्य के कमतर मूल्य पर तैयार की जाती है। लागत का पता, भारित औसत के आधार पर लगाया जाता है। लागत में, प्रत्यक्ष सामग्री शामिल है और जहां लागू होता हो, वहां प्रत्यक्ष श्रम लागत और वे व्यय, जो मालसूची को उनकी वर्तमान अवस्था एवं स्थान तक लाने में हुए। शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, वह मूल्य होता है, जिसमें, सामान्य व्यावसायिक परिस्थितियों में उनकी पूर्व स्थिति से वर्तमान स्थिति में रूपांतरण और मालसूची के विवरण, बिक्री एवं वितरण में व्यय हुई लागत पर मालसूची को मान्यता दी जा सकती हो। उत्पादों की श्रेणी के

आधार, उपयोग/उपभोग के पूर्वानुभवों को देखते हुए, धीमी गति से खर्च होने वाली एवं अप्रचलित वस्तुओं के लिए प्रावधान बनाए गए हैं, जिसमें उनकी प्रोडक्ट लाइन और बाजार की स्थितियों को देखते हुए अलग–अलग व्यवसाय शामिल हैं।

द) नकदी प्रवाह का प्रतिवेदन, भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस–7) में 'नकदी प्रवाह विवरण' पर निर्दिष्ट अप्रत्यक्ष पद्धति के प्रयोग के साथ होता है, जिसके तहत, गैर–नकदी लेनदेन के प्रभाव, नकदी रसीदों या भुगतानों के संबंध में पूर्व या भविष्य के आस्थगन या प्रोद्भवन और आय की वस्तु या निवेश एवं वित्तपोषण के नकदी प्रवाहों से जुड़े व्यय, के साथ वर्ष के लाभ को समायोजित किया जाता है। कंपनी की परिचालन, निवेश एवं वित्तपोषण की गतिविधियों से होने वाले नकदी प्रवाह को अलग–अलग करके देखा जाता है। कंपनी उन सभी अत्यधिक तरल निवेशों पर विचार करती है, जो नकदी समतुल्य होने के लिए नकदी की ज्ञात मात्राओं के लिए आसानी से परिवर्तनीय हैं।

ध) चालू बनाम गैर-चालू वर्गीकरण:

कंपनी चालू/गैर–चालू वर्गीकरण के आधार पर तुलनपत्र में परिसंपत्तियां और देयताएं (देनदारियां) प्रस्तुत करती है। सभी परिसंपत्तियां और देयताएं, कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित अन्य मान्यदंडों के अनुसार चालू या गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत की गई हैं। उत्पादों की प्रकृति और नकदी एवं नकदी समतुल्यों में प्रसंस्करण और उनकी प्राप्ति के लिए परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के बीच के समय के आधार पर, कंपनी ने परिसंपत्तियों और देयताओं के चालू/गैर–चालू वर्गीकरण के प्रयोजन से 12 महीने का अपना प्रचालन चक्र निर्धारित किया है।

न) दुर्भर अनुबंध

जब कंपनी द्वारा एक अनुबंध से प्राप्त होने वाले अपेक्षित हित या लाभ, अनुबंध के अंतर्गत दायित्वों की प्रतिपूर्ति की अपरिहार्य लागत से कम होते हैं, तब दुर्भर अनुबंधों के लिए एक प्रावधान तैयार किया जाता है। अनुबंध की समाप्ति की अपेक्षित लागत और अनुबंध को जारी रखने की अपेक्षित निवल लागत में से जो भी कम हो, उसके वर्तमान मूल्यांकन पर इस प्रावधान का मापन होता है। एक प्रावधान की स्थापना से पूर्व, कंपनी अनुबंध से संबद्ध परिसंपत्तियों में किसी भी तरह की क्षति या हानि को संज्ञान में लेती है।

प) सहायता अनुदान

परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सरकारी/गैर–सरकारी या अन्य प्राधिकरणों द्वारा पूंजीगत व्यय हेतु दिए गए अनुदानों को शुरुआती तौर पर 'आस्थगित राजस्व' के रूप में देखा जाता है। इसके बाद, इन्हें संबंधित परिसंपत्तियों की अवधि के दौरान हर वर्ष उनसे होने वाली आय और उनके ह्रास के अनुपात के रूप में मान्यता दी जाती है।

सरकारी/गैर–सरकारी या अन्य प्राधिकरणों द्वारा राजस्व के सापेक्ष दिए गए अनुदानों को लाभ एवं हानि के विवरण में, 'अन्य आय' के अंतर्गत दिखाया जाता है।

जहां पर कंपनी को गैर–मौद्रिक अनुदान प्राप्त होते हैं, वहां परिसंपत्ति और अनुदान को उचित मूल्य पर सकल रूप से दर्ज किया जाता है और परिसंपत्ति के लाभ की खपत के अपेक्षित उपयोगी जीवन और पैटर्न पर, आय विवरण में प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सरकार से राज्य करों के लिए प्राप्त वित्तीय सहयोग को कार्यशील पूंजी (सीडब्ल्यूआईपी) में से समायोजित कर दिया गया है/घटा दिया गया है।

फ) कराधान

चालू कर (करंट टैक्स)

वर्तमान में देय कर, वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर आधारित है। कर योग्य लाभ, लाभ एवं हानि के विवरण में वर्णित निवल लाभ से भिन्न होते हैं क्योंकि इसमें आय की वस्तुएं या अन्य वर्षों में कर योग्य या घटाने योग्य व्यय शामिल नहीं होते और साथ ही, यह उन वस्तुओं को भी शामिल नहीं करता, जो कभी कर के या कटौती (डिडक्शन) के दायरे में

नहीं आईं। चालू कर के लिए कंपनी की देनदारी की गणना, कर की दरों एवं कर अधिनियमों के प्रयोग से होती है, जो प्रतिवेदन अवधि के दौरान लागू हुए या पहले से लागू थे।

चालू कर को लाभ एवं हानि के विवरण में एक व्यय या आय के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। सिवाय उस स्थिति के जब वे ऐसी वस्तुओं से संबंधित हों, जिन्हें सीधे तौर पर इक्विटी में या अन्य व्यापक आय में क्रेडिट या डेबिट किया गया हो। ऐसी स्थिति में, कर को अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में भी मान्यता दी जाती है।

आस्थगित कर

आस्थगित कर, वित्तीय विवरणों में संपत्ति और देनदारियों के वहन मूल्य और कर योग्य लाभ की गणना में उपयोग किए जाने वाले संबंधित कर आधारों के बीच अंतर पर देय या वसूली योग्य होने की उम्मीद है और बैलेंस शीट देयता विधि का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है। आस्थगित कर वह कर होता है, जिसे वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों और देनदारियों के वहन मूल्य एवं कर योग्य की गणना में उपोग किए जाने वाले संबंधित कर आधारों के बीच अंतर पर देय या वसूली योग्य होता है। तुलनपत्र देनदारी विधि के प्रयोग के लिए इसका लेखांकन होता है। आमतौर पर, आस्थगित कर देनदारी, सभी कर योग्य अस्थाई अंतरों के लिए मान्य होता है। इसके विपरीत, आस्थगित कर परिसंपत्तियां, सिर्फ़ इस सीमा तक मान्य होती हैं कि यह संभावना मौजूद हो कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलबध होंगे, जिसके विपरीत अस्थाई अंतरों को प्रयोग में लाया जा सके।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की प्रत्येक प्रतिवेदन अवधि के अंत में समीक्षा होती है। इन्हें इस सीमा तक घटा दिया जाता है कि अब इस बात की कोई संभावना नहीं है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य लाभ मिलेंगे, जिनके सहारे संपूर्ण परिसंपत्ति या उसके हिस्से की वसूली की जा सके।

जब देनदारी का निपटारा किया जाता है या परिसंपत्ति को रियलाइज़ किया जाता है, उस अवधि में अपेक्षित कर की दर पर आस्थगित कर की गणना होती है। इनके आधार के रूप में, कर की वे दरें या वे अधिनियम होते हैं, जिन्हें प्रतिवेदन अवधि की समाप्ति पर लागू किया गया हो या पहले से जारी हों। आस्थगित कर देनदारियों और संपत्तियों की माप, कर के परिणामों को दर्शाती है, जो कि प्रतिवेदन अवधि के अंत में, अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों के वहन मूल्य को पुनः प्राप्त करने या निपटारे के लिए कंपनी द्वारा अपेक्षित शैली के अनुरूप होंगे।

आस्थगित कर परिसंपत्तियां और देनदारियां इस सीमा तक ही ऑफ़सेट होती हैं कि वे एक ही कर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए करों से संबंधित हों और उस क्षेत्राधिकार के भीतर चालू कर परिसंपत्तियों और चालू कर देनदारियों को निर्धारित करने के लिए क़ानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार हों।

लाभ और हानि के विवरण में आस्थगित कर को एक व्यय या आय के रूप में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि जब वे व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में क्रेडिट या डेबिट किए गए आइटम से संबंधित हों और उस स्थिति में कर को अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को किस हद तक पहचाना जा सकता है, यह कंपनी की भविष्य की कर योग्य आय की सम्भावना के आकलन पर आधारित है, जिसके विरुद्ध आस्थगित कर आस्तियों का उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार आस्थगित कर परिसंपत्ति को मान्यता नहीं दी गई है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों में भारत में कर कानूनों के अनुसार भुगतान किए गए न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) शामिल है और जिसके माध्यम से भविष्य में आयकर देयता के समायोजन के रूप में मिलने वाले भावी आर्थिक लाभ मिलने की संभावना हो। एमएटी को तुलनपत्र में आस्थगित कर परिसंपत्तियों के रूप में मान्यता दी जाती है, जब परिसंपत्ति को विश्वस्त रूप से मापा जा सकता हो और यह संभावना हो कि भविष्य में परिसंपत्ति से जुड़े आर्थिक लाभों को भुनाया जा सकेगा।

ब) राजस्व मान्यता (इंड एएस 115)

इंड एएस 115 के अनुसार, कंपनी राजस्व को निम्न मदों के अंतर्गत मान्यता देती है:

i. टिकट/टोकन से राजस्व को उसकी ख़रीद की तिथि और स्मार्ट कार्ड के मामले में, वास्तविक उपयोग के मूल्य के आधार पर मान्य किया जाता है।

ii. फ़्लेक्सी जमा और टीडीआर/एफ़डीआर पर ब्याज़ को, निवेश की गई राशि, लागू दरों और बैंकों द्वारा जारी ब्याज़ प्रमाण–पत्र के अनुसार अर्जित ब्याज़ को लेखा में लेते हुए समय अनुपात आधार पर मान्य किया गया है। एफ़डीआर पर अर्जित ब्याज़ को लाभ और हानि विवरण में शामिल किया जाता है।

iii. संपत्ति और किराए पर दिए गए स्थान के मामले में किराए पर आय को लाइसेंस धारक/पट्टेदार/रियायतधारी इत्यादि के साथ अनुबंध समझौते के नियमों और शर्तों के आधार पर मान्य किया गया है।

iv. उपयोग किए गए स्थान में विज्ञापन से प्रोद्भूत राजस्व का अनुबंध शर्तों पर आधारित, प्रोद्भूत आधार पर लेखांकन किया जाता है।

v. कुछ वस्तुएं, जिन्हें नकद आधार पर मान्यता दी जाती है, वे निम्नवत हैं:

- स्क्रैप की बिक्री से होने वाली आय को प्राप्ति आधार पर मान्य किया जाता है।
- बीमा दावों का लेखांकन, बीमा की स्वीकृति के आधार पर होता है।
- कर वापसी पर मिलने वाले ब्याज़ को तब मान्यता दी जाती है, जब इसकी प्राप्ति सुनिश्चित हो जाए या फिर इसे किसी देनदारी के साथ समायोजित कर दिया जाए।
- निविदा दस्तावेज़ों की बिक्री से होने वाली आय।

भ) विदेशी मुद्रा लेनदेन एवं अनुवाद

कंपनी के वित्तीय विवरण भारतीय रुपए ("₹") में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कि कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा और वित्तीय वक्तव्यों के लिए प्रस्तुति मुद्रा है। वित्तीय विवरण तैयार करने में, कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा के अलावा अन्य मुद्राओं में लेनदेन को, लेनदेन की तारीख में विनिमय की मौजूदा दरों पर दर्ज किया जाता है। प्रतिवेदन की प्रत्येक अवधि के अंत में, विदेशी मुद्रा में दर्शाए गई मौद्रिक वस्तुओं को, प्रतिवेदन की अवधि के अंत में मौजूदा दरों पर पुनः अनुवादित किया जाता है। उचित मूल्य पर मापी जा रहीं गैर–मौद्रिक वस्तुओं, जिन्हें विदेशी मुद्रा में दर्शाया गया हो, उन्हें उचित मूल्य के सृजन की तिथि पर मौजूद दरों पर पुनः अनुवादित किया जाता है। विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के संदर्भ में मापी जाने वाली गैर–मौद्रिक वस्तुओं का अनुवाद नहीं किया जाता है। पहले इंड एएस वित्तीय प्रतिवेदन अवधि के पूर्व वित्तीय विवरणों में मानित, विदेशी मुद्रा में दर्शाई गईं दीर्घकालीन मौद्रिक वस्तुओं के अनुवाद के फलस्वरूप सामने आने वालीं विनिमय संबंधी भिन्नताओं को, जिनके संबंध में कंपनी ने, इस तरह के विनिमय संबंधी अंतरों को इक्विटी में या इंड एएस 101 "भारतीय लेखांकन मानकों का पहली बार अभिग्रहण" के अंतर्गत स्वीकृत परिसंपत्तियों की लागत के एक हिस्से के रूप में मानित करने का चुनाव किया हो, उन्हें मामले के अनुरूप परिसंपत्तियों की लागत में जोड़ दिया जाता है/से घटा दिया जाता है। इस तरह की विनिमय संबंधी भिन्नताओं को, परिसंपत्तियों की लागत के एक हिस्से के रूप में या फिर लाभ एवं हानि के विवरण में विधिवत आधार पर मानित किया जाता है। अन्य मौद्रिक वस्तुओं के पुनः अनुवाद या समायोजन के फलस्वरूप पैदा होने वालीं विनिमय संबंधी भिन्नताओं को प्रतिवेदन अवधि हेतु तैयार किए गए लाभ एवं हानि के विवरण में शामिल किया जाता है।

भारत सरकार के माध्यम से पास थ्रू असिस्टेन्स (पीटीए) का प्रयोग करते हुए यूरोपियन इनवेस्टमेंट बैंक (ईआईबी) से 'रुपए' में लोन प्राप्त हुआ। पुनर्भुगतान पर विदेशी मुद्रा में किसी भी उतार–चढ़ाव को भारत सरकार की सलाह के अनुसार, लेन–देन के आधार पर मान्यता दी जाएगी, क्योंकि कंपनी द्वारा भारत सरकार से भारतीय मुद्रा में यह ऋण पीटीए के साथ प्राप्त किया गया, जिसकी बदौलत इसकी संप्रुभता सुरक्षित है।

म) उधार की लागत

उधार की लागत का सीधा संबंध, योग्य परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन से होता है, जो ऐसी परिसंपत्तियां होती हैं, जिन्हें अपेक्षित उपयोग या बिक्री के लिए परिपक्व होने में पर्याप्त समय लगता है। इस लागत को इन परिसंपत्तियों की लागत में जोड़ दिया जाता है, जब तक कि ये परिसंपत्तियां अपेक्षित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार हो जाएं।

योग्य परिसंपत्तियों पर व्यय हेतु ली गईं चुनिंदा उधारियों पर किए गए अस्थाई निवेश से होने वाली आय को लाभ एवं हानि के विवरण में शामिल किया जाता है।

अन्य सभी उधार लेने की लागतों को उस अवधि में हुए व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसमें व्यय हुआ हो।

य) प्रति शेयर आय

वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा इक्विटी धारकों के लिए वर्ष के लिए लाभ या हानि को विभाजित करके प्रति शेयर मूल आय की गणना की जाती है। आंशिक रूप से भुगतान किए गए शेयरों को भुगतान किए गए अंश के अनुसार पूरी तरह से भुगतान समकक्ष के रूप में शामिल किया गया है।

प्रति शेयर अवमिश्रित आय की गणना, शेयरों की भारित औसत संख्या एवं अवमिश्रण योग्य शेयरों का प्रयोग करते हुए होती है, सिवाय उस स्थिति के जब, परिणाम अवमिश्रण के प्रतिकूल हो।

र) हाल की लेखांकन घोषणाएं

इंड एएस 12 "आयकर" में संशोधन– परिशिष्ट ग का अंतर्वेशन, "आयकर संबंधी क्रियाकलापों पर अनिश्चितता"

इस संशोधन का उद्देश्य, आयकर संबंधी क्रियाकलापों पर व्याप्त अनिश्चितताओं के लेखांकन में स्पष्टता लाना है। इन अनिश्चितताओं को अभी तक कर प्राधिकरणों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है और अभी भी ये चालू एवं आस्थगित करों के मापन में परिलक्षित नहीं होतीं।

कंपनी ने 1 अप्रैल, 2019 से या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक प्रतिवेदन अवधि के लिए संशोधनों को संभावित रूप से लागू किया है। उपरोक्त संशोधन के आवेदन के कारण कंपनी पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं है।

इंड एएस 23 "उधार की लागत" में संशोधन

यह संशोधन स्पष्ट करता है कि यदि संबंधित परिसंपत्ति के अपने अपेक्षित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होने के बाद, कोई विशिष्ट उधार लेना बकाया हो तो वह उन फ़ंडों का हिस्सा बन जाता है, जिसे एक इकाई द्वारा आमतौर पर तब उधार लिया जाता है, जब आम उधारों पर पूंजीकरण की दर की गणना हो रही हो। कंपनी ने 1 अप्रैल, 2019 से या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक प्रतिवेदन अवधि के लिए संशोधनों को संभावित रूप से लागू किया है। उपरोक्त संशोधन के आवेदन के कारण कंपनी पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं है। कोई भी नया मानक या स्थापित मानकों में कोई संशोधन नहीं है, जो 1 अप्रैल, 2019 के बाद से लागू हो।

30. वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां:

क) आकस्मिक देयताएं/दिनदारियां

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
1.	उत्तर रेलवे द्वारा मांगे गए क्रॉसिंग प्रभार	124.00	124.00
2.	बीएसएनएल द्वारा दंड का दावा किया गया	21.00	21.00
3.	100% सर्किल दर के साथ भूमि के लिए अतिरिक्त मुआवज़ा और 30 वर्षों के लिए रियायत शुल्क। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ द्वारा यूपीएमआरसीएल को मेट्रो रेल परियोजना के लिए प्रदान की गई भूमि हेतु 2554.00 लाख रुपए की मांग की जा रही है।	2554.00	2554.00
4.	लखनऊ एयरपोर्ट पर स्थित कास्टिंग यार्ड की भूमि के लिए किराए के रूप में 2440.00 लाख रुपए। (पत्र संख्या 3905/LMRC/CPM1/AAI/Land/2019 दिनांक 16.07.2019 के अनुसार 228.62 लाख रुपए की राशि पुष्ट देयता के तौर पर दर्ज की गई है। इसका अंतर आकस्मिक देयता में दर्शाया गया है।)	शून्य (भुगतान हो गया)	2211.00
5.	एचडीएफ़सी बैंक से एलसी व्यवस्था के अनुसार यूएस डॉलर में ऋणपत्र	501.50	1220.85
6.	एचडीएफ़सी बैंक से एलसी की व्यवस्था के अनुसार यूरो में ऋणपत्र	560.48	1894.33

7.	लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के पूर्व–पश्चिम कॉरिडोर के संशोधित डीपीआर हेतु मेसर्स दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.	9.00	9.00
8.	निर्माण अवधि के दौरान रेलवे भूमि के अस्थायी उपयोग हेतु पूर्वोत्तर रेलवे को देय शुल्क 14.00 लाख रुपए का प्रकटन आकस्मिक देयता के तौर पर किया गया था। वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर रेलवे ने राशि को संशोधित करके 10.17 लाख रुपए कर दिया। वर्ष के दौरान, 10.17 लाख रुपए की मांग के सापेक्ष 8.50 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया गया। मांग और भुगतान की गई राशि के बीच के अंतर का प्रकटन आकस्मिक देयता के रूप में किया गया है।	1.67	1.67
9.	रेलवे भूमि पर पारगमन की अनुमति हेतु पूर्वोत्तर रेलवे को देय शुल्क 895.00 लाख रुपए का प्रकटन आकस्मिक देयता के तौर पर किया गया था। वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर रेलवे में राशि संशोधित करके 955.00 लाख रुपए कर दी। वर्ष के दौरान 780 लाख रुपए की भुगतान की गई। मांग और भुगतान की राशि के बीच के अंतर का प्रकटन आकस्मिक देयता के रूप में किया गया है।	175.00	175.00
10.	हज़रतगंज रैम्प के लिए एलएमआरसी को हस्तांतरित भूमि हेतु यूपी कोऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ द्वारा 100% सर्कल दर पर मांगी गई भूमि के लिए 285.00 लाख रुपए के अतिरिक्त मुआवज़े की मांग।	285.00	285.00
11.	उपभोक्ता फ़ोरम के समक्ष लंबित अदालती मामले के संबंध में।	5.00	5.00
12.	प्रभु साहनी बनाम कुमार इन्फ़्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. और यूपीएमआरसी लि. के लंबित अदालती मामले के संबंध में।	0.89	0.89
13.	हज़रतगंज में मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, रेलवे की भूमि के उपयोग के संबंध में आकस्मिक देयता। उत्तर रेलवे द्वारा 161.19 लाख रुपए की राशि मांगी गई है। 131.65 लाख रुपए की राशि पुष्ट देयता के तौर पर स्वीकार की गई है। मांगी गई और स्वीकार की गई राशि के बीच के अंतर को आकस्मिक देयता के तौर पर मान्य किया गया है।	29.53	29.53
14.	पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा मांगे गए पर्यवेक्षण प्रभारों के संबंध में। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा 6.25% की दर से पर्यवेक्षण प्रभार मांगे गए और भुगतान 3.125% की दर से किया गया। अंतर का कारण भूमि की दरों में अंतर है। मांगी गई और भुगतान की गई राशि के बीच के अंतर का प्रकटन आकस्मिक देयता के रूप में किया गया है।	26.00	26.00
15.	आयकर अपीलें (वि.व. 2013–14 से 2016–17 तक)	174.76	174.76
16.	21.11.2016 से 21.01.2018 तक की अवधि के लिए कास्टिंग यार्ड, कॉल्विन कॉलेज हेतु, लखनऊ विकास प्राधिकरण को किराए के रूप में आकस्मिक देयता। निर्णय, प्रशासनिक स्तर पर लंबित है।	122.15	0.00
17.	वृंदावन कॉलोनी में भंडारणों के लिए, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद को किराए के रूप में आकस्मिक देयता। किराया तय करने के संबंध में निर्णय लंबित है क्योंकि यूपीएमआरसी ने 05.01.2016 से लेकर 30.11.2019 की अवधि हेतु किराए में कटौती की याचिका की है।	188.97	0.00
18.	वृंदावन कॉलोनी में कास्टिंग यार्ड हेतु, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद को किराए के रूप में आकस्मिक देयता। किराया तय करने के संबंध में निर्णय लंबित है क्योंकि यूपीएमआरसी ने 4 सालों की अवधि के लिए किराए में कटौती की मांग की है।	296.47	0.00

1. सहकारिता भवन की भूमि के अस्थायी उपयोग हेतु यू.पी. कोऑपरेटिव यूनियन लि. को देय किराए का मुद्दा पत्र संख्या 3729/LMRC-L-6/2014 दिनांक 21.06.2020 के माध्यम से ज़िला मजिस्ट्रेट, लखनऊ को निर्णय के लिए भेजा गया है। इस पर अंतिम निर्णय आने पर इसका लेखांकन किया जाएगा।

2. यूपीएमआरसी के प्रशासनिक भवन (लखनऊ) एवं परियोजना कार्यालय (आगरा) के किराए के रूप में देयता, संबंधित प्राधिकरणों के साथ किराया समझौता (रेंट एग्रीमेंट) का नवीनीकरण न होने के कारण लंबित।

आकस्मिक परिसंपत्तियां: आज की तारीख़ में कंपनी के पास कोई आकस्मिक परिसंपत्ति नहीं है।

ख) प्रतिबद्धताएं: 31 मार्च, 2020 को पूंजीगत लेखे में निष्पादन हेतु शेष और प्रावधानित न किए गए विदेशी मुद्रा अनुबंधों सहित अनुबंधों की अनुमानित राशि 75498.06 लाख रुपए (पि.व. 169725.00 लाख रुपए) है।

ग) उधारियां

भारत सरकारा द्वारा यूरोपियन इनवेस्टमेंट बैंक (ईआईबी) से पास थ्रू असिस्टेन्स (पीटीए) के रूप में भारतीय मुद्रा में ऋण प्राप्ति। भारत सरकार द्वारा प्रदत्त पास थ्रू असिस्टेन्स (पीटीए), भारत सरकार और ईआईबी के बीच 450 मिलियन यूरो (भारतीय मुद्रा 3,50,200 लाख रुपए) हेतु हस्ताक्षरित वित्त अनुबंध पर आधारित है। ऋण को भारत सरकार द्वारा संप्रभु गारंटी द्वारा सुरक्षित किया जाता है। भारत सरकार के बजटीय प्रावधानों के अनुसार ऋण को किस्तों में वितरित किया गया है। भारत सरकार ने शहरी विकास मंत्रालय (एमओयूडी) के अपने बजट से भारतीय मुद्रा (रुपए) में ऋण दिया। चुकौती पर, विदेशी मुद्रा में किसी भी उतार–चढ़ाव को भारत सरकार से सलाह के अनुसार, लेनदेन के आधार पर मान्यता दी जाएगी। वर्ष के दौरान, कंपनी को भारत सरकार की ओर से पास थ्रू असिस्टेन्स (पीटीए) के रूप में शून्य राशि (पि.व. 1,68,000 लाख रुपए) प्राप्त हुई। वर्ष के दौरान कंपनी पर 620.47 लाख रुपए (पि.व. 399.72 लाख रुपए) का ब्याज़ निर्धारित हुआ।

अधीनस्थ ऋण

भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त ब्याज़ मुक्त अधीनस्थ ऋण सभी गैर–सरकारी ऋण (यानी प्रमुख ऋणों) की चुकौती के बाद चुकौती योग्य हैं। इन ऋणों को दीर्घकालिक उधारियों के तौर पर मान्य किया गया है। अधीनस्थ ऋण ब्याज़ मुक्त हैं। सरकारी आदेश के अनुसार, कंपनी को परियोजना के लिए प्राप्त किए गए पूरे प्रमुख सावधि ऋण की चुकौती के बाद ही अधीनस्थ ऋण की चुकौती करना अपेक्षित है। चुकौती की अवधि की अनिश्चितता के मद्देनज़र, कंपनी ने सरकारी अधीनस्थ ऋण का उचित मूल्यांकन करना आवश्यक नहीं समझा।

घ) भूमि

i. कंपनी के लिए भूमि ख़रीदने हेतु स्वीकृत भूमि के लिए ब्याज़–मुक्त अधीनस्थ ऋण के भाग के रूप में प्राप्त राशि को, इस संबंध में सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार, भूमि के लिए ब्याज़ मुक्त अधीनस्थ ऋण माना गया है।

ii. कब्जे में लीज़ होल्ड भूमि सहित भूमि की लागत या मुआवज़े के तौर पर अस्थायी तौर पर भुगतानों/व्यवस्थित देयता भूमि या लीज होल्ड भूमि की लागत माना जाता है। अस्थायी आधार पर अधिग्रहित भूमि के लिए किए गए अस्थायी भुगतानों/व्यवस्थित देयता को भूमि की कब्ज़ा अवधि के लिए परिशोधित किया गया है।

iii. यूपीएमआरसी द्वारा खरीदे गए भूमि खंडों का, जिनके कब्ज़े का लंबित पंजीकरण प्राप्त किया गया है, उनके लिए किए गए भुगतान के आधार पर लेखांकन किया गया है।

iv. यूपीएमआरसी को उत्तर प्रदेश सरकार से कुछ भूखंड निःशुल्क प्राप्त हुए हैं। इन भूखंडों को प्रति भूखंड 1/– रुपये की सांकेतिक राशि पर फ्री–होल्ड भूमि के रूप में पूंजीकृत किया गया है। चूंकि ये भूखंड 'इंड एएस' लागू होने से पूर्व प्राप्त किए गए थे, अतः इन्हें इंड एएस 101 में अनुमत छूट के अनुसार 1/– रुपए के मामूली मूल्य पर जारी रखा गया है।

v. इंड एएस के लागू होने के बाद, सरकार से निःशुल्क प्राप्त भूमि या भूमिखंड, जिनका स्वामित्व यूपीएमआरसी के पास निहित है, उन्हें प्राप्त भूमि के उचित मूल्य पर मान्य किया जाता है। उचित मूल्य की गणना, ऐसी भूमि की प्राप्ति की तिथि को उस क्षेत्र की प्रभावी सर्किल दरों के आधार पर की जाती है।

vi. परिसंपत्ति के विनिमय में प्राप्त भूमि को प्राप्त भूमि के उचित मूल्य पर मान्य किया जाता है। प्राप्त भूमि के उचित मूल्य और परिसंपत्ति की दी गई लागत के बीच अंतर को स्वीकार्य सरकारी अनुदान के रूप में मान्य किया गया है। इन अनुदानों का 'स्थगित आय' शीर्ष के तहत लेखांकन किया जाता है और इसे इंड़ एएस 20 के प्रावधानों के अनुसार परिशोधित किया जाता है।

vii. परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (PAPs) के पुनर्वास की लागत से संबंधित प्रतिपूर्ति, प्रतिस्थापन इत्यादि को कार्यशील पूंजी में दर्ज किया और पूरा होने पर संबंधित परिसंपत्तियों की लागत में जोड़ा जाता है।

छ) सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान

(लाख रुपए में)

विवरण	2019-20	2018-19
लेखापरीक्षा शुल्क	3.00	2.00
कर लेखापरीक्षा शुल्क	0.80	0.80
कुल	3.80	2.80

ज) कंपनी ने प्रतिपूर्ति योग्य राज्य करों का लेखांकन किया है, जिनका समायोजन, ठेकेदारों द्वारा उपलब्ध कराए विवरणों के आधार पर 17100.00 लाख रुपए की कार्यशील पूंजी सहित पीपीई की वहन राशि में किया गया है।

झ) 31 मार्च, 2020 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संबंध में सूचना

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	**विवरण**	**2019.20**	**2018.19**
1.	किसी आपूर्तिकर्ता की भुगतान बकाया राशिः क) मूलधन ख) उस पर देय ब्याज़	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य
2.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के संदर्भ में आपूर्तिकर्ता को नियत दिन से परे भुगतान की गई राशि के साथ ब्याज़ की राशि।	शून्य	शून्य
3.	भुगतान करने में देरी (वर्ष के दौरान किंतु नियत दिन से परे किए गए भुगतान) की अवधि के लिए देय और भुगतान योग्य किंतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज़ जोड़े बिना ब्याज़ की राशि	शून्य	छप्स-
4.	प्रोद्भूत एवं भुगतान न किए गए बकाया ब्याज़ की राशि	शून्य	छप्स-
5.	अगले वर्ष में भी उस तिथि, जब तक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के तौर पर अस्वीकृति के उद्देश्य से उपरोक्त के अनुसार, छोटे उद्यमों को देय ब्याज़ का वास्तव में भुगतान नहीं किया जाता, तब तक ब्याज़ की देय और भुगतान योग्य बकाया राशि	शून्य	छप्स-

झ) भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस)–1 के संबंध में प्रकटनः वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरणः पूंजी प्रबंधन।

कंपनी के पूंजी प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य शेयरधारक मूल्य को अधिकतम करना है। कंपनी ऋण और इक्विटी के अनुपात का उपयोग करते हुए पूंजी की निगरानी करती है, जो स्वामी की कुल पूंजी द्वारा विभाजित दीर्घकालिक ऋण है। ऋण इक्विटी अनुपात निम्नानुसार हैः

(लाख रुपए में)

विवरण	**31 मार्च, 2020 को**	**31 मार्च, 2019 को**
क) कुल ऋण	4,62,900.00	4,61,205.00
ख) कुल पूंजी	2,02,327.23	1,89,760.09
ऋणः इक्विटी अनुपात (क/ख)	2.29	2.43

कंपनी के पूंजी प्रबंधन के उद्देश्य से, पूंजी में जारी की गई पूंजी और आवंटन हेतु लंबित शेयर आवेदन राशि शामिल हैं। ऋण में दीर्घकालिक ऋण और उधारियां शामिल हैं।

ञ) भारतीय लेखाकंन मानक (इंड एएस) 116 "लीज़ेज़" के संबंध में प्रकटन
कंपनी पट्टाधारी (लीज़ लेने वाले) के रूप में

i) कंपनी के पास अनुबंध के अनुसार परिवर्तनीय किराए के लिए कोई पट्टा प्रतिबद्धता नहीं है।

ii) वित्तीय स्थिति के विवरण में प्रदर्शित पट्टे की देयता निम्नवत है:

विवरण	31 मार्च, 2020 को
गैर–चालू	33.15
चालू	0.32
कुल	**33.47**

iii) 31 मार्च, 2020 को भावी न्यूनतम पट्टा भुगतान निम्नवत हैं:

विवरण	31 मार्च, 2020 को		
बकाया न्यूनतम पट्टा भुगतान	**पट्टा भुगतान**	**वित्त प्रभार**	**सकल वर्तमान मूल्य**
1 वर्ष के अंदर	3.00	(2.68)	0.32
1–2 वर्ष	3.00	(2.65)	0.35
2–3 वर्ष	3.00	(2.62)	0.38
3–4 वर्ष	3.00	(2.59)	0.41
4–5 वर्ष	3.00	(2.56)	0.44
5 वर्ष के बाद	72.00	(40.43)	31.57
कुल	87.00	(53.53)	33.47

iv) देयता के रूप में अमान्य पट्टा भुगतान

पट्टा (लीज़) भुगतान से संबंधित व्यय को पट्टा देयता के माप में शामिल नहीं किया गया क्योंकि कंपनी ने प्रारंभिक आवेदन की तिथि पर, 12 महीने से कम अवधि वाले पट्टों से संबंधित परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार एवं देयताओं को मान्यता न देने की छूट का प्रयोग किया।

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को
अल्पावधि पट्टे	368.14
कम मूल्य वाली परिसंपत्ति के पट्टे	-
परिवर्तनशील पट्टा भुगतान	-
कुल	368.14

v) परिसंपत्तियों की श्रेणी द्वारा परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार पर अतिरिक्त जानकारी, निम्नवत है:

विवरण	वहन राशि (निवल ब्लॉक)	मूल्यह्रास व्यय
31 मार्च, 2020 को		
होल्ड पर रखे गए पट्टे	32.65	1.13
कुल परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार	32.65	1.13

vi) **नकदी प्रवाह विवरण में प्रकटित राशियां निम्नवत हैं:**

विवरण	31 मार्च, 2020 को
पट्टे से होने वाला नकदी बहिर्वाह	371.14
कुल	371.14

कंपनी ने कर्मचारियों के लिए परिसर लीज़/किराए पर लिए हैं। पट्टे हेतु, ये व्यवस्थाएं आमतौर पर परस्पर रूप से सहमत शर्तों पर नवीनीकृत होती हैं। वर्ष के दौरान कंपनी ने 166.38 लाख रुपए (पि.व. 183.53 लाख रुपए) के लीज़ किराए का भुगतान किया है और व्यय को 'कर्मचारी आवास के लिए लीज़ किराए' के शीर्ष के तहत शामिल किया है।

पट्टा देने वाले के रूप में कंपनी

vii) कंपनी ने अपनी विभिन्न परिसंपत्तियां विभिन्न पक्षों को प्रचालित लीज़ आधार पर दी हैं। गैर–निरस्तीकरण प्रचालित लीज़ के तहत प्राप्तियोग्य आगामी न्यूनतम लीज़ किराया नीचे दिया गया है:

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
1 वर्ष के बाद नहीं	1039.94	961.98
1 वर्ष के बाद एवं 5 वर्ष तक	4412.86	3531.49
5 वर्ष के बाद	3249.41	3846.64
कुल	**8702.21**	**8340.11**

viii) कंपनी का परियोजना कार्यालय, पहली मंज़िल, जनपथ बाज़ार, हज़रतगंज, लखनऊ में स्थित लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के परिसर में स्थित है। उपरोक्त परिसर के किराए से संबंधित मुद्दा अभी एलडीए के पास विचाराधीन है। इन परिस्थितियों में, कोई किराया प्रभारित नहीं किया गया है और उनके द्वारा इस मामले पर अंतिम निर्णय लिए जाने पर इसका लेखांकन किया जाएगा।

ix) कंपनी ने परियोजना के क्रियान्वयन हेतु अस्थायी पट्टे/किराए पर भूमि ली है और इस लेखांकन अवधि के दौरान, लीज़/किराए पर 201.40 लाख रुपए (पि.व. 100.65 लाख रुपए) का भुगतान वित्तीय वर्ष 2019–20 में किया गया है।

ट) भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस)–19 "कर्मचारी हितलाभ" के संबंध में प्रकटन

विभिन्न परिभाषित कर्मचारी हितलाभ योजनाओं का सामान्य विवरण निम्नानुसार है:

i. भविष्य निधि:

कंपनी की भविष्य निधि का प्रबंधन क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा किया जाता है। कंपनी पूर्व–निर्धारित दर पर भविष्य निधि में अंशदान करती है। देयता को प्रोद्भूत आधार पर मान्य किया जाता है।

ii. ग्रैच्युटी (आनुतोषिक):

कंपनी की एक परिभाषित ग्रैच्युटी लाभ योजना है। प्रत्येक कर्मचारी जो पांच वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा प्रदान करता है, वह अधिवर्षिता, त्यागपत्र, निष्कासन और अक्षमता या मृत्यु होने पर सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन (15/26* अंतिम आहरित मूल वेतन और महंगाई वेतन और महंगाई भत्ता) की ग्रैच्युटी प्राप्त करने का हकदार है। इस उददेश्य से एक नीति बनाई गई है।

इस योजना का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) द्वारा किया जाता है, जिसके लिए कंपनी ने मास्टर पॉलिसी ली है।

इस योजना का वित्तपोषण कंपनी द्वारा किया जाता है। इंड एएस–19 के तहत अपेक्षित जानकारी का प्रकटन बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार और बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर देयता को मान्य किया गया है।

तथापि, कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा की गई मांग के अनुसार निधि में अंशदान कर रही है।

प्रतिनियुक्ति वाले कर्मचारियों के अतिरिक्त यूपीएमआरसी कर्मचारियों के संबंध में, कंपनी ने एलआईसी के माध्यम से ग्रैच्युटी योजना ली है, जिसमें प्रत्येक कर्मचारी सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए पंद्रह दिनों के अंतिम आहरित वेतन के समतुल्य फायदों का हकदार है। यह सेवा से बर्खास्त होने या सेवानिवृत्ति, जो भी पहले हो पर भुगतान योग्य है। यह लाभ पांच वर्ष की निरंतर सेवा के बाद प्राप्त होता है। इस निधि का प्रबंधन एलआईसी द्वारा किया जाता है। वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान बीमाकर्ता को देय 69.24 लाख रुपये (पि.व. 133.12 लाख रुपये) के अंशदान के आधार पर मान्य की गई कुल देयता का विवरण नीचे दिया गया है:

(लाख रुपए में)

विवरण	वि.व. 2019–20	वि.व. 2018–19
चालू सेवा लागत	60.71	126.76
एलआईसी प्रीमियम	8.53	6.36
कुल	**69.24**	**133.12**

iii. पेंशन:

कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन योजना का प्रबंधन स्टॉकहोल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। यह योजना वैकल्पिक है और कंपनी का दायित्व नामांकित कर्मचारी के मूल वेतन के 2.5% के भुगतान तक सीमित है।

अवधि हेतु योजना में अंशदान को प्रोद्भूत आधार पर कर्मचारी लागत के तहत समूहीकृत किया जाता है। प्रतिनियुक्ति वाले कर्मचारियों के संबंध में, पेंशन अंशदान की गणना मूल संगठन/भारत सरकार के नियमों के अनुसार की जाती है और लेखांकन प्रोद्भूत आधार पर किया जाता है।

छुट्टी:

कंपनी अपने कर्मचारियों को अर्जित छुट्टी लाभ (प्रतिपूर्ति अनुपस्थिति सहित) और अर्ध–वेतन छुट्टी प्रदान करती है, जो वर्ष में क्रमशः 30 दिनों और 20 दिनों में अर्जित होती है। केवल नकदीकरण योग्य छुट्टी खाते में छुट्टी का सेवारत रहने पर एक कैलेंडर वर्ष में एक बार और अधिवर्षिता पर अधिकतम 300 दिनों की छुट्टियों (गैर–नकदीकरण योग्य और बिना गणना की अर्ध–वेतन छुट्टियों सहित) का नकदीकरण होता है। इस खाते की देयता बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर मान्य की जाती है।

प्रतिनियुक्ति वाले कर्मचारियों के संबंध में, छुट्टी वेतन अंशदान उनके मूल विभागों को आहरित वेतन (महंगाई वेतन और विशेष वेतन सहित मूल वेतन) के 11% की दर से देय है और इसका लेखांकन प्रोद्भूत आधार पर किया जाता है।

प्रतिनियुक्ति के अतिरिक्त यूपीएमआरसी कर्मचारियों के संबंध में, छुट्टी नकदीकरण का बीमांकिक मूल्यांकन, एक बीमांकिक द्वारा किया गया और तद्नुसार लेखा बहियों और वित्तीय विवरणों में निम्न प्रकार से उचित प्रावधान किए गए हैं: –

ग्रैच्युटी और छुट्टी नकदीकरण की गणनाओं के परिणाम निम्न प्रकार हैं:

निवल परिभाषित लाभ दायित्व

विवरण		ग्रैच्युटी (वित्तपोषित) (लाख रूपए में)	छुट्टी (गैर-वित्तपोषित) (लाख रूपए में)
पारभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	चा.व.	482.41	1030.70
	पि.व.	246.45	627.69
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	चा.व.	455.14	-
	पि.व.	437.07	-
योजना में अधिशेष या (घाटा)	चा.व.	-27.26	-1030.70
	पि.व.	190.61	-627.69
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन	चा.व.	54.44	-62.40
	पि.व.	-152.72	-343.50
कुल निवल परिभाषित लाभ दायित्व	चा.व.	217.88	403.00
	पि.व.	-42.94	3.42

योजना परिसंपत्तियों में संचलन

विवरण		ग्रैच्युटी (वित्तपोषित) (लाख रूपए में)	छुट्टी (गैर-वित्तपोषित) (लाख रूपए में)
वर्ष के आरंभ में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	चा.व.	437.07	-
	पि.व.	286.01	-
योजना परिसंपत्तियों के आरंभिक उचित मूल्य में समायोजन	चा.व.	0	-
	पि.व.	0	-
ब्याज़ आय (+)	चा.व.	32.78	-
	पि.व.	21.45	-
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल, ब्याज़ राशियां छोड़कर (+/–)	चा.व.	7.94	-
	पि.व.	1.96	-
परिसंपत्ति सीमा में परिवर्तन, ब्याज़ व्यय में शामिल राशियां छोड़कर (+/–)	चा.व.	-	-
	पि.व.	-	-
एफ़एक्स दर (+) एवं हानियां (–)	चा.व.	-	-
	पि.व.	-	-
नियोक्ता द्वारा अंशदान (+)	चा.व.	0	-
	पि.व.	127.64	-
योजना भागीदारों द्वारा अंशदान (+)	चा.व.	-	-
	पि.व.	-	-
भुगतान किए गए लाभ (–)	चा.व.	-6.76	-
	पि.व.	0	-
व्यवसाय संयोजन (+) और निस्तारण (–)	चा.व.	-	-
	पि.व.	-	-
समाधान (–)	चा.व.	-	-
	पि.व.	-	-
वर्ष के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	चा.व.	455.15	-
	पि.व.	437.07	-

परिभाषित हितलाभ दायित्वों में संचलन

विवरण		ग्रैच्युटी (वित्तपोषित) (लाख रूपए में)	छुट्टी (वित्तपोषित) (लाख रूपए में)
वर्ष के आंरभ में परिभाषित हितलाभ दायित्व	चा.व.	246.45	627.69
	पि.व.	265.98	624.26
चालू सेवा लागत (+)	चा.व.	177.74	418.33
	पि.व.	111.28	300.11
ब्याज़ लागत (+)	चा.व.	18.48	47.08
	पि.व.	19.94	46.81
जनांकिकी अनुमानों में परिवर्तन से लाभ (–) / हानि (+)	चा.व.	0.18	0
	पि.व.	-116.36	-241.56
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से लाभ (–) / हानि (+)	चा.व.	48.98	22.93
	पि.व.	-110.04	-263.60
अनुभव समायोजन (+/–)	चा.व.	-2.67	-85.33
	पि.व.	75.64	161.66
एफ़एक्स दर लाभ (–) एवं हानियां (+)	चा.व.	-	-
	पि.व.	-	-
योजना प्रतिभागियों द्वारा अंशदान (+)	चा.व.	-	-
	पि.व.	-	-
लाभों का भुगतान (–)	चा.व.	-	-
	पि.व.	-	-
व्यवसाय संयोजन (+) एवं निस्तारण (–)	चा.व.	-	-
	पि.व.	-	-
समाधान (–)	चा.व.	-	-
	पि.व.	-	-
वर्ष के अंत में परिभाषित हितलाभ दायित्व	चा.व.	482.41	1030.70
	पि.व.	246.45	627.69

लाभ या हानि में मान्य हितलाभ व्यय

विवरण		ग्रैच्युटी (वित्तपोषित) (लाख रूपए में)	छुट्टी (गैर-वित्तपोषित) (लाख रूपए में)
चालू सेवा लागत (+)	चा.व.	177.74	418.33
	पि.व.	111.28	300.11
ब्याज़ लागत (+)	चा.व.	18.48	47.07
	पि.व.	19.94	46.81
ब्याज़ आय (+)	चा.व.	32.78	-
	पि.व.	21.45	-
निवल परिभाषित लाभ देयता पर निवल ब्याज़	चा.व.	-14.29	47.07
	पि.व.	-1.50	46.81

पिछली सेवा लागत (+)	चा.व.	-	-
	पि.व.	-	-
समाधान लाभ (+) या हानियां (–)	चा.व.	-	-
	पि.व.	-	-
लाभ या हानि में मान्य कुल व्यय	चा.व.	163.44	465.41
	पि.व.	109.78	346.93

अन्य व्यापक आय में मान्य की ग राशियां

विवरण		**ग्रैच्युटी (वित्तपोषित) (लाख रूपए में)**	**छुट्टी (वित्तपोषित) (लाख रूपए में)**
अन्य व्यापक आय में मान्य कुल राशि	चा.व.	54.44	-62.40
	पि.व.	-152.72	-343.50

योजना परिसंपत्तियों में निवेश की श्रेणी

निवेश की श्रेणी	**परियोजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य का %**
अन्य व्यापक आय में मान्य कुल राशि	100%

बीमांकिक अनुमान

विवरण		**ग्रैच्युटी (वित्तपोषित)**	**छुट्टी (गैर-वित्तपोषित)**
प्रयुक्त पद्धति	चा.व.	अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि	अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि
	पि.व.	अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि	अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि
छूट की दर	चा.व.	6.90% प्रति वर्ष	6.90% प्रति वर्ष
	पि.व.	7.50% प्रति वर्ष	7.50% प्रति वर्ष
वेतन वृद्धि दर	चा.व.	8% प्रति वर्ष	8% प्रति वर्ष
	पि.व.	8% प्रति वर्ष	8% प्रति वर्ष
कर्मचारी अपघर्षण/वापसी दर	चा.व.	3.5% प्रति वर्ष	3.5% प्रति वर्ष
	पि.व.	3.5% प्रति वर्ष	3.5% प्रति वर्ष
मृत्यु दर	चा.व.	आईएएलएम 2012–14 यूएलटी का 100%	आईएएलएम 2012–14 यूएलटी का 100%
	पि.व.	आईएएलएम 2006–08 यूएलटी का 100%	आईएएलएम 2006–08 यूएलटी का 100%

क. संवेदनशीलता विश्लेषण और प्रत्याशित लाभ भुगतान:

1. संवेदशीलता विश्लेषण– छुट्टियों का नकदीकरण

अनुमान	अनुमान में परिवर्तन	31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष (लाख रूपए में)– छुट्टियों का नकदीकरण
छूट की दर	0.50%	-24.85
	-0.50%	16.30
वेतनवृद्धि दर	1.00%	39.97
	-1.00%	-41.98
मूल्य मुद्रास्फीति दर	1.00%	-
	-1.00%	-
चिकित्सा मुद्रास्फीति दर	1.00%	-
	-1.00%	-
मृत्यु दर	+3 years	-7.60
	-3 years	6.80

2. संवेदनशीलता विश्लेषण – ग्रैच्युटी

अनुमान	अनुमान में परिवर्तन	31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष (लाख रूपए में)– ग्रैच्युटी
छूट की दर	1.00%	-78.01
	-1.00%	100.33
वेतनवृद्धि दर	1.00%	94.51
	-1.00%	-77.47
आहरण दर	1.00%	-16.84
	-1.00%	19.25

3. प्रत्याशित हितलाभ भुगतान

क्र.सं.	भुगतान का वर्ष	ग्रैच्युटी	छुट्टियों का नकदीकरण
1	31 मार्च, 2021	3.06	20.09
2	31 मार्च, 2022	19.34	7.67
3	31 मार्च, 2023	11.42	8.00
4	31 मार्च, 2024	16.34	8.34
5	31 मार्च, 2025	17.92	8.71
6	31 मार्च, 2026–31 मार्च, 2030	99.37	49.71

ठ) भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस 21) "विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव" के संबंध में प्रकटन:

i. लाभ एवं हानि विवरण में क्रेडिट विनिमय अंतर राशि (निवल) 1.49 लाख रुपए (पि.व. 0.13278 लाख रुपए) है।

ii. पीपीई/सीडब्ल्यूआईपी समायोजनों में मौद्रिक मदों के रूपांतरण के कारण 208.31 लाख रुपए (पि.व. 1010.46 लाख रुपए) की विनिमय अंतर राशि सम्मिलित है।

ड) इंड एएस 24 "संबंधित पक्ष प्रकटनों" के संबंध में प्रकटन

i. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

1. श्री कुमार केशव, प्रबंध निदेशक
2. श्री संजय मिश्रा, पूर्णकालिक निदेशक (कार्य एवं अवसंरचना)
3. श्री महेंद्र कुमार, पूर्णकालिक निदेशक (चल स्टॉक एवं प्रणालियां) (30 जून, 2019)
4. श्री अतुल कुमार गर्ग, पूर्णकालिक निदेशक (चल स्टॉक एवं प्रणालियां) (3 दिसंबर, 2019 से प्रभाव में)
5. श्री अजय कांत रस्तोगी, पूर्णकालिक निदेशक (वित्त) (30 जनवरी, 2020 तक)
6. श्री सुशील कुमार, पूर्णकालिक निदेशक (परिचालन) (25 अक्टूबर, 2018 से प्रभाव में)
7. श्रीमती पुष्पा बेलानी, कंपनी सचिव

ii. संबंधित पक्षों (प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों) से कंपनी के लेनदेनों का प्रकटन

विवरण	2019-20 (लाख रूपए में)	2018-19 (लाख रूपए में)
वेतन एवं भत्ते	218.82	232.80
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों, ग्रैच्युटी एवं समूह बीमा में अंशदान	29.74	20.12
अन्य लाभ	22.49	17.85
कुल (कर्मचारी लागत में शामिल)	270.47	270.77

iii. उपरोक्त पारिश्रमिक के अतिरिक्त:

1. पूर्णकालिक निदेशकों को कंपनी के नियमों के अनुसार, वसूली के अधीन कंपनी के स्वामित्व की कार के उपयोग (निजी यात्राओं सहित) की अनुमति दी गई है।
2. वि.व. 2019–20 के दौरान किसी अन्य पक्ष के साथ अन्य कोई लेनदेन नहीं किया गया।

ढ) इंड एएस-33 "अर्जन प्रति शेयर" के संबंध में प्रकटन :

प्रति शेयर मूल–अर्जन की गणना, इक्विटी शेयरधारकों को आरोप्य अवधि के निवल लाभ या हानि में अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या से भाग देकर की जाती है। प्रति शेयर अवमिश्रित अर्जन की गणना के लिए, सभी अवमिश्रित संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए इक्विटी शेयरधारकों को आरोप्य अवधि के लिए निवल लाभ या हानि तथा अवधि के दौरान बकाया शेयरों की संख्या के भारित औसत को समायोजित किया जाना चाहिए।

विवरण	2019-20 (लाख रूपए में)	2018-19 (लाख रूपए में)
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार कराधान, पूर्व अवधि समायोजनों एवं पिछले वर्षों के कर समायोजनों के बाद लाभ (लाख रुपए)	-25026.85	-7211.16
बकाया इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्याः मूल अवमिश्रित	 2036.02 2114.28	 1923.21 2021.79
मूल अर्जन प्रति शेयर (रुपए) (अंकित मूल्य रुपए 100/– प्रति शेयर)	-12.29	-3.75
अवमिश्रित अर्जन प्रति शेयर (रुपए) (अंकित मूल्य रुपए 100/– प्रति शेयर)	-11.84	-3.57

ण) इंड एएस 107 "वित्तीय लिखतः प्रकटन" के संबंध में प्रकटन

i. श्रेणीवार वित्तीय लिखत

श्रेणीवार वित्तीय लिखतों का वहन मूल्य निम्न प्रकार है:

विवरण	31 मार्च, 2020 को			31 मार्च, 2019 को	
	ऋणशोधित लागत (लाख रूपए में)	एफ़वीटी पीएल (लाख रूपए में)	एफ़वी ओसीआ (लाख रूपए में)	ऋणशोधित लागत (लाख रूपए में)	एफ़वीटी पीएल (लाख रूपए में)
ऋण	-	-	-	-	-
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (नोट –5 एवं 9 का संदर्भ ग्रहण करें)	1319.80	-	-	1748.43	-
व्यापार प्राप्य	-	-	-	-	-
नकदी एवं नकदी समतुल्य (नोट– 8 का संदर्भ ग्रहण करें)	79258.10	-	-	126579.82	-
कुल	-	-	-	-	-
उधारियां (नोट–14 का संदर्भ ग्रहण करें)	462900.00	-	-	461205.00	-
अन्य वित्तीय देयताएं (नोट 15 एवं 19 का संदर्भ ग्रहण करें)	16553.38	16550.44*	-	28789.60	28788.20*
व्यापार देय (नोट 18 का संदर्भ ग्रहण करें)	1386.43	-	-	823.85	-
कुल	-	-	-	-	-

*अन्य वित्तीय में, ठेकेदारों और ग्राहकों से प्राप्त सुरक्षा जमा राशियां शामिल हैं।

ii. उचित मूल्य पदानुक्रमः

वित्तीय स्थिति के विवरण में उचित मूल्य पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां एवं देयताएं उचित मूल्य पदानुक्रम के तीन स्तरों में वर्गीकृत की गई हैं। मापन के लिए महत्वपूर्ण इनपुट्स की विचारणीयता पर आधारित तीन स्तर परिभाषित किए गए हैं:

स्तर 1: सक्रिय बाजारों में समान वित्तीय लिखतों पर उद्धृत मूल्य (असमायोजित) ताकी मापन तिथि निर्धारित की जा सके।

स्तर 2: सक्रिय बाजारों में कारोबार नहीं किए गए वित्तीय लिखतों का उचित मूल्य निर्धारित करने में मूल्यांकन तकनीकों को अपनाया जाता है, जिससे सुसंगत विचारणीय बाजार इनपुट्स का प्रयोग बढ़ता और अनावश्यक इनपुट्स का प्रयोग घटता है।

स्तर 3: यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण इनपुट्स विचारणीय बाजार इनपुट्स पर आधारित नहीं हैं, तो लिखत को उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तर 3 में वर्गीकृत किया जाता है।

iii. ऋणशोधित लागत पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां/देयताएं, जिनके लिए उचित मूल्य प्रकटन किया गया है:

(लाख रुपए में)

विवरण	स्तर	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को	
		ऋणशोधित लागत	उचित मूल्य	ऋणशोधित लागत	उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियां					
ऋण	स्तर 2	-	-	-	-
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (नोट 5 एवं 9 का संदर्भ ग्रहण करें)	स्तर 2	1319.80	1319.80	1748.43	1748.43
कुल	-	-	-	-	
वित्तीय देयताएं					
अन्य वित्तीय देयताएं (नोट 15 एवं 19 का संदर्भ ग्रहण करें)	स्तर 2	16553.38	16550.44	28789.60	28788.20

iv. उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीकें एवं प्रक्रियाएं

1. 12 महीने से कम परिपक्वता वाली वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का वहन मूल्य, उनका उचित मूल्य दर्शाने वाला माना जाता है।
2. ऋणशोधित लागत पर निकाली गईं अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं के उचित मूल्य का निर्धारण लेखांकन नीति संख्या. 29 (च)(ii) के अनुसार परिभाषित छूट दर का उपयोग करते हुए नकदी प्रवाह को न गिनते हुए किया जाता है।

त) वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय जोखिम कारक

कंपनी वित्तीय लिखतों के संबंध में विभिन्न जोखिमों से अवगत है। श्रेणी के अनुसार कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं ऊपर संक्षेप में दी गई हैं। जोखिम के मुख्य प्रकार बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम हैं। कंपनी का जोखिम प्रबंधन अस्थिर वित्तीय बाजारों से संपर्क को कम करके कंपनी के लघु से मध्यम अवधि के नकदी प्रवाह को सक्रिय रूप से सुरक्षित करने पर केंद्रित है।

i. बाजार जोखिम

बाजार जोखिम कंपनी का विदेशी मुद्रा जोखिम है। कंपनी का कोई ब्याज़ दर जोखिम नहीं है क्योंकि कंपनी का ऋण ईआईबी से प्राप्त ऋण की प्रत्येक किस्त की संवितरण सूचना के अनुसार शून्य ब्याज़ दर या निश्चित

ब्याज़ दर पर है। साथ ही, कंपनी का मूल्य जोख़िम भी नहीं है क्योंकि कंपनी के पास व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्ति नहीं है।

विनिमय उतार–चढ़ाव का जोख़िम भारत के बाहर से संपत्ति संयंत्र और उपकरण के आयात के कारण है। विदेशी मुद्रा जोख़मि से सुरक्षा के लिए कंपनी के पास कोई हेजिंग लिखत नहीं है।

ii. क्रेडिट जोख़िम

क्रेडिट जोख़िम काउंटर पार्टी द्वारा अपने दायित्व की चूक के परिणामस्वरूप वित्तीय नुकसान के जोख़िम से संबंधित है। कंपनी ने विभिन्न वित्तीय लिखतों पर ऐसे जोख़िम उदाहरण के लिए कर्मचारियों को अग्रिम, ग्राहकों से प्राप्तियां, प्रतिभूति जमा इत्यादि का प्रकटन किया। रिपोर्टिंग तारीख पर क्रेडिट जोख़िम का अधिकतम ख़तरा मुख्य रूप से निम्न प्रकार की वित्तीय परिसंपत्तियों के वहन मूल्य से है:

– नकदी और नकदी समतुल्य
– व्यापार प्राप्य
– परिशोधित लागत पर मापी गई अन्य वित्तीय परिसंपत्ति

कंपनी लगातार ग्राहकों और अन्य काउंटर पार्टियों की चूक की निगरानी करती है, व्यक्तिगत तौर पर उचित लागत, बाहरी क्रेडिट रेटिंग को चिन्हित करती है और/या ग्राहकों और अन्य काउंटर पार्टियों पर रिपोर्ट प्राप्त और उपयोग की जाती हैं।

iii. क्रेडिट जोख़िम प्रबंधन

नकदी और नकदी समतुल्य

नकदी और नकदी समतुल्य से संबंधित क्रेडिट जोख़िम का प्रबंधन निधियों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में रखकर किया जाता है, जो भारतीय रिजर्व बैंक की नियामक निगरानी के अधीन हैं और इन बैंकिंग संबंधों की चलायमान आधार पर समीक्षा की जाती है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन परिशोधित लागत पर किया जाता है और इसमें कोई नुकसान नहीं है।

प्रत्याशित क्रेडिट नुकसान

कंपनी निम्न आधार पर प्रत्याशित क्रेडिट नुकसान का प्रावधान करती है:

व्यापार प्राप्य

व्यापार प्राप्यों का नुकसान तब होता है, जब कंपनी द्वारा व्यक्तिगत व्यापार प्राप्यों के लिए कराए गए वसूली विश्लेषण के आधार पर वसूली योग्यता संदिग्ध मानी जाती है। कंपनी की राय में उपरोक्त सभी वित्तीय परिसंपत्तियों जिनका नुकसान नहीं हुआ है और जो समीक्षाधीन प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि पर देय हैं, उनकी क्रेडिट गुणवत्ता अच्छी है।

परिशोधित हानि पर अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन

कर्मचारी ऋण से संबंधित क्रेडिट जोख़िम को नगण्य माना जाता है क्योंकि ऋण उस संपत्ति से सुरक्षित है, जिसके लिए कर्मचारियों को ऋण मंजूर किया जाता है। इन अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों से संबंधित क्रेडिट जोख़िम का प्रबंधन, ऐसी राशि की निरंतर वसूली की निगरानी करके किया जाता है, जबकि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि राशियां परिभाषित सीमाओं के भीतर हों। इन वित्तीय परिसंपत्तियों पर प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि को किसी नुकसान का प्रावधान नहीं है। हमारे विचार में प्रतिवेदन तिथियों पर सभी उपरोक्त वित्तीय परिसंपत्तियों की अच्छी क्रेडिट गुणवत्ता है।

ट. तरलता जोखिम

हमारी तरलता ज़रूरतों की निगरानी मासिक और वार्षिक अनुमानों के आधार पर की जाती है। कंपनी के तरलता के प्रमुख स्रोत नकदी और नकदी समतुल्य, प्रचालन से उत्पन्न राजस्व, ईआईबी से दीर्घकालिक ऋण, ब्याज़ मुक्त अधीनस्थ ऋण, शेयर पूंजी और अनुदान हैं।

हम नकदी प्रवाहों की निरंतर निगरानी और नकदी और नकदी समतुल्यों की निगरानी करके अपनी तरलता जरूरतों का प्रबंधन करते हैं, कमियों के निर्धारण के लिए निवल नकदी जरूरतों की तुलना उपलब्ध नकदी से की जाती है।

अल्पकालिक तरलता अपेक्षा में मुख्यतः विविध लेनदार, देय व्यय, कर्मचारी देय, प्रतिधारण और प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि के अनुसार कारोबार के सामान्य व्यवहार के दौरान उत्पन्न जमा राशियां शामिल होती हैं। हम अपनी अल्पकालिक तरलता अपेक्षाएं पूरी करने के लिए नकदी और नकदी समतुल्यों में पर्याप्त संतुलन बनाए रखते हैं।

हम समय–समय पर दीर्घकालिक तरलता अपेक्षाओं का आकलन और आंतरिक संसाधनों के माध्यम से उनका प्रबंधन करते हैं। हमारी गैर–चालू देयताओं में ईआईबी ऋण, ब्याज़ मुक्त अधीनस्थ ऋण, प्रतिधारण और जमाराशियां और कर्मचारी लाभ की देयताएं शामिल हैं।

थ) खंड रिपोर्टिंग (इंड एएस 108)

कंपनी के परिचालनों में, इंड एएस 108–परिचालन खंड के तहत यथा अपेक्षित रिपोर्टिंग कारोबार/ भौगोलिक खंड के संदर्भ में केवल एक कारोबार खंड – मेट्रो रेल सुविधा का परिचालन एवं अनुरक्षण शामिल है।

इंड एएस 108–परिचालन खंड में परिभाषित "प्रबंधन दृष्टिकोण" के आधार पर, मुख्य प्रचालन निर्णयकर्ता कंपनी के कामकाज का मूल्यांकन करता है और कारोबार खंड द्वारा विभिन्न प्रदर्शन संकेतकों के विश्लेषण के आधार पर संसाधनों का आवंटन करता है। तद्नुसार, इन व्यावसायिक क्षेत्रों के साथ जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसे इंड एएस 108–परिचालन खंड के पैरा 13 में मात्रात्मक सीमा के आधार पर परिभाषित किया गया है:

सेवाओं के बारे में जानकारियां:

(लाख रुपए में)

विवरण	2019-20	2018-19
फ़ेयर बॉक्स रेवेन्यू	5473.31	1079.96
नॉन फ़ेयर बॉक्स रेवेन्यू	1278.97	424.05

भौगोलिक खंड

वर्तमान में कंपनी, सिर्फ़ लखनऊ शहर के अंदर परिचालन करती है और अन्य किसी शहर में मेट्रो सेवाओं का परिचालन नहीं कर रही है। कंपनी, विभिन्न जोखिमों एवं प्रतिफलों के साथ, एक आर्थिक वातावरण से संपन्न है। अतएव, इसे एकल भौगोलिक खंड में संचालित माना जाता है।

प्रमुख ग्राहकों के संबंध में जानकारी:

ग्राहकों से राजस्व– मेसर्स जागरण प्रकाशन लि. एवं मेसर्स अभी ऐडवरटाइज़िंग ने क्रमशः 606.77 लाख रुपए एवं 167.11 लाख रुपए का सहयोग किया है, जो कि 31 मार्च, 2020 तक कंपनी के नॉन फ़ेयर बॉक्स रेवेन्यू में 10 प्रतिशत या उससे अधिक का योगदान है।

द) पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष की प्रस्तुति से तुलनयोग्य बनाने के लिए, आवश्यक होने पर, पुनःसमूहित/पुनःव्यवस्थित/पुनःवर्गीकृत किया गया है।

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते डी.एस. शुक्ला ऐंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेन्ट्स
एफ़आरएनः 000773C

हस्ताक्षर/–
(आर.के.श्रीवास्तव)
पार्टनर
सदस्यता संख्याः 078783
यूडीआईएनः 20078783AAAABX4585

स्थानः लखनऊ
दिनांकः 26.10.2020

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ताक्षर/–
(कुमार केशव)
प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 02908695

हस्ताक्षर/–
(शील कुमार मित्तल)
निदेशक (वित्त)
डीआईएनः 08821866

(पुष्पा बेलानी)
कंपनी सचिव

सत्यमेव जयते

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (आडिट–प्रथम)
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GNERAL (AUDIT-1)
U.P., ALLAHABAD

स्पीडपोस्ट / गोपनीय / By hand

पत्रांकः PAG(Audit-I)/AMG-IV/PSU/UPMRCL/A.A./cs/2019-20/625
दिनांक : 20/01/2021

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि.
प्रशासनिक भवन (निकट भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल),
विपिन खंड, गोमती नगर,
लखनऊ–226010

विषय : उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टीका–टिप्पणियां।

महोदय,

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अधीन **उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, उखनऊ** के वर्ष 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के प्रावधानों के अनुसरण में कम्पनी की वार्षिक सामान्य बैठक के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अग्रेषित की जा रही हैं। कृपया वार्षिक सामान्य बैठक के समक्ष इन टिप्पणियों के प्रस्तुत किए जाने की वास्तविक तिथि की सूचना इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें। कृपया पत्र की पावती भेजें।

संलग्नक यथोपरि।

भवदीय,

20/1/21

(अवनींद्र कुमार राय)
उप–महालेखाकार
ए.एम.जी. IV

'सत्यनिष्ठा भवन' 15–ए, महर्षि दयानन्द मार्ग, इलाहाबाद–1, दूरभाष : (कार्यालय) 2420441 फैक्स : 0532–2424102
'Satyanishtha Bhawan" 15-A, Maharshi Dayanand Marg, Allahabad-1, Ph. Off. : 2420441 Fax : 0532-2424102

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (b) के अंतर्गत, 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. (पूर्व में लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.) के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (यहां पर 'अधिनियम' के तौर पर संदर्भित) के अंतर्गत निर्दिष्ट वित्तीय प्रतिवेदन के प्रारूप के अनुसार, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. (पूर्व में लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरशन लि.) के वित्तीय विवरण तैयार करना, कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर, अधिनियम की धारा 143 (10) में निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों पर आधारित स्वतंत्र लेखापरीक्षा आयोजित कर, अपनी राय प्रकट करने के लिए उत्तरदायी हैं। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन दिनांक 26 अक्टूबर, 2020 के माध्यम से उनके द्वारा लेखापरीक्षा के संचालन के संबंध में बताया गया है।

मैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु अधिनियम की धारा 143 (6) (a) के तहत उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि., लखनऊ के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की गई। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा स्वंतत्र रूप से, सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यशील दस्तावेज़ों को अलग रखते हुए की गई और यह मुख्यतः सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं कंपनी के अधिकारियों से पूछताछ एवं कुछ चुनिंदा लेखांकन रेकॉर्डों के परीक्षण तक सीमित है।

अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143(6) (b) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषयों को रेखांकित करना चाहता हूं, जो मेरे संज्ञान में आए और जो मेरे दृष्टिकोण में वित्तीय विवरणों एवं संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की बेहतर समझ के लिए आवश्यक हैं:

क. लाभप्रदता पर टिप्पणी

लाभ एवं हानि का विवरण

आय

1. अन्य आय (नोट 23): 380.63 करोड़ रूपए

उत्तर प्रदेश बिजली आपूर्ति के कोड 2005 के क्लॉज़ 4.20(i) के अनुसार, कंपनी मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि. (एमवीवीएनएल) के वृंदावन मंडल के साथ बिजली के कनेक्शन के सापेक्ष जमा प्रतिभूति राशि पर लागू वित्तीय वर्ष के अंतर्गत 1 अप्रैल की तिथि को लागू बैंक दरों पर ब्याज़ प्राप्त करने की हकदार है।

जबकि कंपनी ने वृंदावन मंडल पर बिजली के कनेक्शन के संबंध में एमवीवीएनएल के पास जमा प्रतिभूति राशि[2] पर अक्टूबर, 2016 से लेकर मार्च, 2020 तक की अवधि के लिए प्राप्ति योग्य ब्याज़ 35.33 लाख[1] रुपए का लेखांकन नहीं किया है।

फलस्वरूप, अन्य आय एवं चालू परिसंपत्तियों, दोनों ही के विवरण में 35.33 लाख रुपए कम दर्ज किए गए और इस अवधि के लिए दर्शाए गए हानि के विवरण में इतनी ही राशि अधिक दर्ज की गई।

---

1. वर्ष 2016–17 के लिए 7.75 प्रतिशत की बैंक दर से। वर्ष 2017–18 और 2018–19 के लिए 6.50 प्रतिशत की बैंक दर एवं 2019–20 हेतु 5.65 प्रतिशत की दर से।
2. अक्टूबर, 2016 से लेकर अक्टूबर, 2019 तक 31.50 करोड़ रुपए एवं नवंबर, 2019 से लेकर मार्च, 2020 तक 2.16 करोड़ रुपए।

ख. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियां

तुलनपत्र

चालू देयताएं

2. अन्य वित्तीय देयताएं (नोट 19): 143.53 करोड़ रूपए

(i) उत्तर रेलवे ने कंपनी से साल 2018–19 में रेलवे बोर्ड की नीति के अनुसार, बादशाहनगर और डालीगंज रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे की भूमि हेतु पारगमन प्रभार के रूप में 9.55 करोड़ रुपए की मांग की थी। जबकि, कंपनी ने 7.80 करोड़ रुपए का भुगतान किया और शेष 1.75 करोड़ रुपए की राशि को लेखाओं में आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया।

चूंकि, कंपनी उत्तर रेलवे को इस राशि के भुगतान हेतु बाध्य है, शेष बची हुई राशि को आकस्मिक देयता के स्थान पर चालू देयता के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए था। फलस्वरूप, अमूर्त परिसंपत्तियों (भूमि के उपयोग के अधिकार) एवं चालू देयताओं, प्रत्येक शीर्ष में 1.75 करोड़ रुपए कम दर्ज हुए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी के वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 के लेखाओं पर इस टिप्पणी के बाद भी, प्रबंधन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

(ii) उत्तर रेलवे ने रेलवे बोर्ड द्वारा जारी नीतिगत दिशा–निर्देशों के अनुसार, कंपनी से मई 2019 में चारबाग़–हज़रतगंज के भूमिगत सेक्शन हेतु मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, हज़रतगंज के परिसर में भूमि के उपयोग के लिए 1.61 करोड़ रुपए की राशि अनुमति प्रभार के रूप में मांगी थी।

कंपनी ने 1.32 करोड़ रुपए की देयता स्वीकार की है और भूमि के उपयोग के अधिकार को अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में पूंजीकृत किया है। 0.29 करोड़ रुपए की शेष राशि को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है। चूंकि, कंपनी उत्तर रेलवे को इन प्रभारों का भुगतान करने के लिए बाध्य है, अतः शेष बची हुई राशि को आकस्मिक देयता के स्थान पर चालू देयता के शीर्ष में शामिल किया जाना चाहिए था। फलस्वरूप, अमूर्त परिसंपत्तियों (भूमि के उपयोग के अधिकार) एवं चालू देयताओं, प्रत्येक में 0.29 करोड़ रुपए कम दर्ज किए गए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु कंपनी के लेखाओं पर ऐसी ही टिप्पणी की गई थी, लेकिन इसके बाद भी कंपनी के प्रबंधन द्वारा कोई भी सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

(iii) उत्तर रेलवे द्वारा (फ़रवरी 2018 में) चार जगहों पर रेलवे की भूमि से पारगमन की अनुमति हेतु कंपनी से पारगमन प्रभार के रूप में 34.30 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। कंपनी ने इस राशि में से 33.06 करोड़ रुपए का भुगतान वर्ष 2015–16 में कर दिया था। 1.24 करोड़ रुपए की शेष बची राशि को आकस्मिक देयता के रूप में दर्ज किया गया । चूंकि, कंपनी इस राशि के भुगतान हेतु बाध्य है और इस राशि को कंपनी के प्रबंधन द्वारा अपने लेखाओं में शामिल भी किया गया है। इस राशि को लेखाओं के अंतर्गत आकस्मिक देयता के स्थान पर चालू देयता के रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए था। फलस्वरूप, चालू देयता और कार्यशील पूंजी (सीडब्ल्यूआईपी) के शीर्षों में से प्रत्येक में 1.24 करोड़ रुपए कम दर्ज हुए।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 हेतु कंपनी के लेखाओं पर इस तरह की टिप्पणी के बाद भी कंपनी के प्रबंधन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (नोट 30)

3. आकस्मिक देयताएं

भारतीय विमानापत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा दिनांक 22.04.2016 को जारी अपने पत्र के माध्यम से कंपनी को कास्टिंग यार्ड तैयार करने हेतु 01.10.2014 से लेकर 31.03.2017 तक की अवधि के लिए 60,000 स्कवेयर मीटर की भूमि लीज़ (पट्टे) पर दी गई थी। एएआई ने दिनांक 18.01.2017 को जारी अपने पत्र के माध्यम से कंपनी से किराए के रूप में 24.40 करोड़ रुपए की मांग की। इसके बाद, उत्तर प्रदेश सरकार ने दिनांक 26.06.2019 को जारी अपने पत्र के माध्यम से कंपनी को उनके साथ सहयोग स्थापित करते हुए एएआई को देय राशि का भुगतान करने के लिए निर्देशित किया।

कंपनी ने एएआई को 29.12.2019 को 2.29 करोड़ रुपए का भुगतान, सर्किल रेट के आधार पर की गई गणना के अनुरूप किया, जो कि एएआई को स्वीकार नहीं था। चूंकि, कंपनी और एएआई के बीच में असहमति थी, शेष बची हुई 22.11 करोड़ रुपए की राशि को अंतिम समझौते तक आकस्मिक देयता के रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए था। वित्तीय विवरणों में उक्त आकस्मिक देयता का विवरण नहीं दिया गया है।

ग. प्रकटन पर टिप्पणियां

4. अन्य इक्विटी (नोट 13): (175.38 करोड़ रूपए)

कंपनी को यूपीएसआईडीसी से वर्ष 2014–15 और 2015–16 में इक्विटी प्रतिभागिता हेतु 35 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई और इस राशि को पिछले वर्ष (2018–19) तक 'अन्य इक्विटी' के अंतर्गत 'शेयर आवेदन राशि आवंटन हेतु लंबित' के रूप में दर्शाया गया। कंपनी ने चालू वर्ष में इस राशि (35 करोड़ रुपए) को 'शेयर आवेदन राशि आवंटन हेतु लंबित' के शीर्ष से हटाकर 'अन्य चालू देयताओं' में शामिल कर लिया है। चूंकि यह वस्तुगत वित्तीय जानकारी है, इसलिए लेखाओं पर टिप्पणियों के अंतर्गत इस संदर्भ में ही इसका प्रकटन किया जाना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं किया गया।

5. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (नोट 1): 6,284.12 करोड़ रूपए

चूंकि कंपनी ने राजकीय महिला पॉलिटेक्निक, लखनऊ की 4000 स्कवेयर मीटर की और राजकीय पॉलिटेक्निक, लखनऊ की 48.03 स्कवेयर मीटर की भूमि का रिसीविंग सब–स्टेशन एवं वायडक्ट के लिए इस्तेमाल किया था, जबकि उक्त के संबंध में लीज़ और सब–लीज़ समझौते पर हस्ताक्षर अभी भी लंबित हैं। यह वस्तुगत जानकारी लेखाओं पर टिप्पणियों में शामिल नहीं की गई है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लिए एवं उनकी ओर से

स्थान: इलाहाबाद
दिनांक: 20.01.2021

हस्ता./–
प्रधान महालेखाकार

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (b) के अंतर्गत सीएजी रिपोर्ट के संदर्भ में पत्र संख्या-381/UPMRC/F/A/CAG/Supplementary Audit 2019-20 दिनांक 02 फ़रवरी, 2021 के माध्यम से प्रबंधन के उत्तर

क्र.सं.	लेखापरीक्षक की टिप्पणी (वित्तीय वर्ष 2019-20)	प्रबंधन का उत्तर
1.	**क. लाभप्रदता पर टिप्पणी** **लाभ एवं हानि का विवरण** **आय** **1. अन्य आय (नोट 23): 380.63 करोड़ रूपए** उत्तर प्रदेश बिजली आपूर्ति के कोड 2005 के क्लॉज़ 4.20(i) के अनुसार, कंपनी मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि. (एमवीवीएनएल) के वृंदावन मंडल के साथ बिजली के कनेक्शन के सापेक्ष जमा प्रतिभूति राशि पर लागू वित्तीय वर्ष के अंतर्गत 1 अप्रैल की तिथि को लागू बैंक दरों पर ब्याज़ प्राप्त करने की हकदार है। जबकि कंपनी ने वृंदावन मंडल पर बिजली के कनेक्शन के संबंध में एमवीवीएनएल के पास जमा प्रतिभूति राशि पर अक्टूबर, 2016 से लेकर मार्च, 2020 तक की अवधि के लिए प्राप्ति योग्य ब्याज़ 35.33 लाख1 रुपए का लेखांकन नहीं किया है। फलस्वरूप, अन्य आय एवं चालू परिसंपत्तियों, दोनों ही के विवरण में 35.33 लाख[1] रुपए कम दर्ज किए गए और इस अवधि के लिए दर्शाए गए हानि के विवरण में इतनी ही राशि अधिक दर्ज की गई। **[1] वर्ष 2016-17 के लिए 7.75 प्रतिशत की बैंक दर से। वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए 6.50 प्रतिशत की बैंक दर एवं 2019-20 हेतु 5.65 प्रतिशत की दर से।** **[2] अक्टूबर, 2016 से लेकर अक्टूबर, 2019 तक 31.50 करोड़ रूपए एवं नवंबर, 2019 से लेकर मार्च, 2020 तक 2.16 करोड़ रूपए।**	एमवीवीएनएल से ली गई सुरक्षा प्रतिभूति राशि पर ब्याज़ के संबंध में यह अवगत कराया जाता है कि अक्टूबर, 2016 से लेकर मार्च, 2020 तक की अवधि के लिए 33.89 लाख रुपए की ब्याज़ राशि (6 प्रतिशत सालाना की दर से) देय थी, जिसे नवंबर, 2020 में हुए बिजली से संबंधित व्यय के प्रति समायोजित कर दिया गया (अनुलग्नक–1)। उक्त ब्याज़ को कंपनी ने व्यवस्थित रूप से लेखांकित किया गया है, अतएव प्राप्य ब्याज़ को आगामी वर्षों में अनुपालन हेतु लेखांकित किया जाएगा।

	ख. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियां **तुलनपत्र** **चालू देयताएं** **2. अन्य वित्तीय देयताएं (नोट 19): 143.53 करोड़ रूपए**	
	(i) उत्तर रेलवे ने कंपनी से साल 2018–19 में रेलवे बोर्ड की नीति के अनुसार, बादशाहनगर और डालीगंज रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे की भूमि हेतु पारगमन प्रभार के रूप में 9.55 करोड़ रुपए की मांग की थी। जबकि, कंपनी ने 7.80 करोड़ रुपए का भुगतान किया और शेष 1.75 करोड़ रुपए की राशि को लेखाओं में आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया। चूंकि, कंपनी उत्तर रेलवे को इस राशि के भुगतान हेतु बाध्य है, शेष बची हुई राशि को आकस्मिक देयता के स्थान पर चालू देयता के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए था। फलस्वरूप, अमूर्त परिसंपत्तियों (भूमि के उपयोग के अधिकार) एवं चालू देयताओं, प्रत्येक शीर्ष में 1.75 करोड़ रुपए कम दर्ज हुए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी के वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 के लेखाओं पर इस टिप्पणी के बाद भी, प्रबंधन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।	(i) उत्तर रेलवे, रेलवे भूमि की लाइसेंसिंग पर रेलवे बोर्ड नीति पत्र संख्या 2005/स्डस्/18/8 दिनांक 10.02.2005 के अनुच्छेद 5.2 (अनुलग्नक) का संदर्भ लेते हुए, जिलाधिकारी/लखनऊ द्वारा जारी सर्किल दर पर 7 प्रतिशत सालाना की वृद्धि को संज्ञान में ले रहा है। जबकि, उक्त परिपत्र का अनुच्छेद 5.3 (अनुलग्नक–2) बताता है कि लाइलेंस शुल्क, भूमि की मौजूदा या करंट मूल्य ज्ञात करने के बाद ही तय किया जाना चाहिए। उप–पंजीयक (सब–रजिस्ट्रार) के पत्र संख्या– 198/Sub Registrar(ii)/2019 दिनांक 21.06.2019 के अनुसार, भूमि का मूल्य वही है जो दिसंबर, 2015 में था। साथ ही, इसमें किसी भी वृद्धि का उल्लेख नहीं है। अतएव, भूमि का मूल्यांकन करते समय यूपीएमआरसी दर में 7 प्रतिशत सालाना की वृद्धि का लेखांकन नहीं कर रहा है। चूंकि, यूपीएमआरसी ने इस संबंध में उत्तर रेलवे के तर्क को स्वीकार नहीं किया है और किसी भी देयता की पुष्टि नहीं हुई है, अतः इसे भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) – 37 के तहत आकस्मिक देयता के रूप में दर्ज किया गया है। लेखापरीक्षक के संज्ञान में यह बात लाई गई है कि कंपनी की अमूर्ति परिसंपत्तियों (अनुमतियों) के रूप में 7.80 करोड़ रुपए की देयता बनती है। जबकि, उत्तर रेलवे का दावा दिनांक 10.02.2005 के रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2005/LML/18/8 के अनुक्रम में नहीं हैं, जिसे उपरोक्त बिन्दु में विस्तार से बताया गया है। अतः उत्तर रेलवे द्वारा की जा रही 1.75 करोड़ रुपए की मांग रेलवे बोर्ड द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप नहीं हैं और इसकी देयता दोनों पक्षों के बीच समझौते पर निर्भर है और इसलिए इसका प्रकटन साधिकार आकस्मिक देयता के रूप में किया गया है। फलस्वरूप, लेखापरीक्षक इस बात की सराहना कर सकते हैं कि कंपनी द्वारा सही पक्ष लिया गया क्योंकि सीएजी द्वारा भी पहले यह टिप्पणी की जा चुकी है (लेखाओं पर टिप्पणी के अंतर्गत नोट क्रमांक 30 का संदर्भ ग्रहण करें)। उपरोक्त के संदर्भ में, वित्तीय वर्ष 2018–19 और चालू वित्तीय वर्ष यानी 2019–20 के लिए कोई भी सुधारात्मक कार्रवाई परिकल्पित नहीं है क्योंकि लेखाओं में इंड एएस 37 के अनुरूप आवश्यक प्रकटन पहले से ही किए गए थे।

	(ii) उत्तर रेलवे ने रेलवे बोर्ड द्वारा जारी नीतिगत दिशा–निर्देशों के अनुसार, कंपनी से मई 2019 में चारबाग़–हज़रतगंज के भूमिगत सेक्शन हेतु मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, हज़रतगंज के परिसर में भूमि के उपयोग के लिए 1.61 करोड़ रुपए की राशि अनुमति प्रभार के रूप में मांगी थी। कंपनी ने 1.32 करोड़ रुपए की देयता स्वीकार की है और भूमि के उपयोग के अधिकार को अमूर्त्त परिसंपत्तियों के रूप में पूंजीकृत किया है। 0.29 करोड़ रुपए की शेष राशि को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है। चूंकि, कंपनी उत्तर रेलवे को इन प्रभारों का भुगतान करने के लिए बाध्य है, अतः शेष बची हुई राशि को आकस्मिक देयता के स्थान पर चालू देयता के शीर्ष में शामिल किया जाना चाहिए था। फलस्वरूप, अमूर्त परिसंपत्तियों (भूमि के उपयोग के अधिकार) एवं चालू देयताओं, प्रत्येक में 0.29 करोड़ रुपए कम दर्ज किए गए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु कंपनी के लेखाओं पर ऐसी ही टिप्पणी की गई थी, लेकिन इसके बाद भी कंपनी के प्रबंधन द्वारा कोई भी सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।	(ii) उत्तर रेलवे द्वारा रेलेवे भूमि की लाइसेंसिंग पर रेलवे बोर्ड नीति पत्र संख्या 2005/स्डस्/18/8 दिनांक 10.02.2005 के अनुच्छेद 5.2 (अनुलग्नक) का संदर्भ लेते हुए, जिलाधिकारी/लखनऊ द्वारा दिसंबर, 2015 में जारी सर्किल दर पर 7 प्रतिशत सालाना की वृद्धि को संज्ञान में लेते हुए की गई 1.61 करोड़ रुपए की मांग की गई। परिपत्र का अनुच्छेद 5.3 (अनुलग्नक–2) बताता है कि लाइलेंस शुल्क, भूमि की मौजूदा या करंट मूल्य ज्ञात करने के बाद ही तय किया जाना चाहिए। उप–पंजीयक (सब–रजिस्ट्रार) के पत्र संख्या– 198/Sub Registrar(ii)/2019 दिनांक 21.06.2019 के अनुसार, भूमि का मूल्य वही है जो दिसंबर, 2015 में था। साथ ही, इसमें किसी भी वृद्धि का उल्लेख नहीं है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर कंपनी (यूपीएमआरसी) ने पुनः गणना की और 1.32 करोड़ रुपए की देयता का लेखांकन किया, जिसका भुगतान 23 अक्टूबर, 2019 को उत्तर रेलवे को किया जा चुका है। उत्तर रेलवे द्वारा की गई 0.29 करोड़ रुपए की मांग, रेलवे बोर्ड द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुक्रम में नहीं हैं और इसकी देयता दोनों पक्षों के बीच समझौते पर निर्भर है और इसलिए ही इसका प्रकटन साधिकार आकस्मिक देयता के रूप में किया गया है। फलस्वरूप, लेखापरीक्षक इस बात की सराहना कर सकते हैं कि कंपनी द्वारा सही पक्ष लिया गया क्योंकि सीएजी द्वारा भी पहले यह टिप्पणी की जा चुकी है। (लेखाओं पर टिप्पणी के अंतर्गत नोट क्रमांक 30 का संदर्भ ग्रहण करें)। साथ ही, उपरोक्त तथ्यों के विषय में उत्तर रेलवे को पत्र संख्या– LMRC/LKCC-06/CPM-2/Project File दिनांक 18 जुलाई, 2019 (अनुलग्नक–3) के माध्यम से जानकारी दी जा चुकी है लेकिन उत्तर रेलवे ने इसका न तो कोई जवाब दिया है और न ही आज की तिथि तक कोई मांग की है। उपरोक्त के संदर्भ में, वित्तीय वर्ष 2018–19 और चालू वित्तीय वर्ष यानी 2019–20 के लिए कोई भी सुधारात्मक कार्रवाई परिकल्पित नहीं है क्योंकि लेखाओं में इंड एएस 37 के अनुरूप आवश्यक प्रकटन पहले से ही किए गए थे।
	(iii) उत्तर रेलवे द्वारा (फ़रवरी 2018 में) चार जगहों पर रेलवे की भूमि से पारगमन की अनुमति हेतु कंपनी से पारगमन प्रभार के रूप में 34.30 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। कंपनी ने इस राशि में से 33.06 करोड़ रुपए का भुगतान वर्ष 2015–16 में कर दिया था। 1.24 करोड़ रुपए की शेष बची राशि को आकस्मिक देयता के रूप में दर्ज किया गया । चूंकि, कंपनी इस राशि के भुगतान हेतु बाध्य है और इस राशि को कंपनी के प्रबंधन द्वारा अपने लेखाओं में शामिल भी किया गया है।	(iii) पारगमन प्रभार के संबंध में, यूपीएमआरसी द्वारा उत्तर रेलवे से यह प्रार्थना की गई थी कि कंपनी द्वारा विभिन्न स्थानों पर पारगमन हेतु रेलवे की भूमि के उपयोग की अनुमति मांगी जा रही है और यह उपयोग परिचालन के उद्देश्यों की आपूर्ति के लिए किया जाना है (न कि व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए), अतः जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा प्रकाशित भूमि की दरों के अनुरूप यूपीएमआरसी पर पारगमन प्रभार लगाया जाए। इसके अनुक्रम में उत्तर रेलवे ने रेलवे की भूमि पर पारगमन प्रभार को घटाकर 34.30 करोड़ रुपए (जीएसटी सहित) कर दिया था।

	इस राशि को लेखाओं के अंतर्गत आकस्मिक देयता के स्थान पर चालू देयता के रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए था। फलस्वरूप, चालू देयता और कार्यशील पूंजी (सीडब्ल्यूआईपी) के शीर्षों में से प्रत्येक में 1.24 करोड़ रुपए कम दर्ज हुए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 हेतु कंपनी के लेखाओं पर इस तरह की टिप्पणी के बाद भी कंपनी के प्रबंधन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।	यूपीएमआरसी ने 2015–16 के दौरान रेलवे की भूमि से पारगमन हेतु उत्तर रेलवे को 33.06 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है, जब 15 प्रतिशत सेवा कर लागू था। इसी बीच, 01.07.2017 से जीएसटी प्रभाव में आया इसलिए 1.24 करोड़ रुपए की शेष राशि जीएसटी के कारण है, जिसकी देयता यूपीएमआरसी पर नहीं बनती है क्योंकि कंपनी द्वारा भुगतान 2015–16 में ही कर दिया गया था। यूपीएमआरसी के प्रबंधन का मानना है कि इस मामले की समीक्षा होनी चाहिए। यह मामला अभी भी विचाराधीन है। उत्तर रेलवे द्वारा मांगे गए प्रभार अभी तक यूपीएमआरसी द्वारा स्वीकार नहीं किए गए हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया कि चूंकि देयता की पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए 1.24 करोड़ रुपए की राशि को वित्तीय 2019–20 के वित्तीय विवरण में आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है, जोकि इंड एएस–37 के अनुरूप है (लेखाओं पर टिप्पणी के नोट क्रमांक 30 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें)। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त तथ्यों के विषय में बताते हुए कंपनी द्वारा उत्तर रेलवे को पत्र (पत्र संख्या– LMRC/D(W-I)/Railways/2018) दिनांक 28 अक्टूबर, 2019 (अनुलग्नक–4)) भी प्रेषित किया जा चुका है, लेकिन अभी तक उत्तर रेलवे की ओर से न तो कोई जवाब दिया गया है और न ही आज की तिथि तक कोई मांग की गई है। उपरोक्त के संदर्भ में, वित्तीय वर्ष 2018–19 और चालू वित्तीय वर्ष यानी 2019–20 के लिए कोई भी सुधारात्मक कार्रवाई परिकल्पित नहीं है क्योंकि लेखाओं में इंड एएस 37 के अनुरूप आवश्यक प्रकटन पहले से ही किए गए थे।
3	**वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (नोट 30)** **आकस्मिक देयताएं** भारतीय विमानापत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा दिनांक 22.04.2016 को जारी अपने पत्र के माध्यम से कंपनी को कास्टिंग यार्ड तैयार करने हेतु 01.10.2014 से लेकर 31.03.2017 तक की अवधि के लिए 60,000 स्कवेयर मीटर की भूमि लीज़ (पट्टे) पर दी गई थी। एएआई ने दिनांक 18.01.2017 को जारी अपने पत्र के माध्यम से कंपनी से किराए के रूप में 24.40 करोड़ रुपए की मांग की। इसके बाद, उत्तर प्रदेश सरकार ने दिनांक 26.06.2019 को जारी अपने पत्र के माध्यम से कंपनी को उनके साथ सहयोग स्थापित करते हुए एएआई को देय राशि का भुगतान करने के लिए निर्देशित किया।	भारतीय विमानापत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा की गई 24.40 करोड़ रुपए की मांग, 50 हज़ार रुपए प्रति स्कवेयर मीटर की दर पर आधारित है, जबकि स्थानीय प्रशासन के अनुसार, भूमि का वास्तविक मूल्य, 1000 स्कवेयर मीटर तक के लिए 7,700 रुपए/स्कवेयर मीटर है और 1000 स्कवेयर मीटर से अधिक भूमि के लिए यह दर 30 प्रतिशत कम हो जाती है। उप–पंजीयक के कार्यालय द्वारा प्रदत्त दरों के आधार पर (पत्र संख्या– 712/क.त.थ्पतेज/2017 दिनांक 18.05.2017 के अनुसार सर्किल दर), एएआई के प्रति कंपनी की देयता 2.29 करोड़ रुपए की बनती है, जिसका भुगतान डीडी क्रमांक 011310 दिनांक 29.11.2019 के माध्यम से एएआई को किया चूका है।

	कंपनी ने एएआई को 29.12.2019 को 2.29 करोड़ रुपए का भुगतान, सर्किल रेट के आधार पर की गई गणना के अनुरूप किया, जो कि एएआई को स्वीकार नहीं था। चूंकि, कंपनी और एएआई के बीच में असहमति थी, शेष बची हुई 22.11 करोड़ रुपए की राशि को अंतिम समझौते तक आकस्मिक देयता के रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए था। वित्तीय विवरणों में उक्त आकस्मिक देयता का विवरण नहीं दिया गया है।	इस संबंध में, अपर मुख्य सचिव, आवासन एवं शहरी नियोजन, उत्तर प्रदेश शासन ने चेयरमैन, एएआई को संबोधित करते हुए डी.ओ. संख्या 919 Sa/A-C-S-H/2018 दिनांक 30.01.2018 (अनुलग्नक–5) के माध्यम से यह बताया गया कि एएआई द्वारा अस्थाई लीज़ प्रभार के तौर पर मांगी गई 24.40 करोड़ रुपए की राशि उपयुक्त नहीं है और स्थानीय प्रशासन द्वारा अधिसूचित सर्किल दर के हिसाब से यह अधिकतम 2.29 करोड़ रुपए हो सकती है। 22.11 करोड़ रुपए की अतिरिक्त मांग (24.40 करोड़ रुपए – 2.29 करोड़ रुपए) की देयता सिर्फ़ एएआई के दृष्टिकोण में है, जबकि 2.29 करोड़ रुपए की राशि की देयता स्थानीय राजस्व प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित दर पर आधारित है, जोकि सही है। जबकि, कंपनी ने लेखापरीक्षक द्वारा की गई टिप्पणी को स्वीकार कर लिया है और इसका प्रकटन 2020–21 के वित्तीय विवरण में किया जाएगा।
4	**ग. प्रकटन पर टिप्पणियां** **अन्य इक्विटी (नोट 13): (175.38 करोड़ रूपए)** कंपनी को यूपीएसआईडीसी से वर्ष 2014–15 और 2015–16 में इक्विटी प्रतिभागिता हेतु 35 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई और इस राशि को पिछले वर्ष (2018–19) तक 'अन्य इक्विटी' के अंतर्गत 'शेयर आवेदन राशि आवंटन हेतु लंबित' के रूप में दर्शाया गया। कंपनी ने चालू वर्ष में इस राशि (35 करोड़ रुपए) को 'शेयर आवेदन राशि आवंटन हेतु लंबित' के शीर्ष से हटाकर 'अन्य चालू देयताओं' में शामिल कर लिया है। चूंकि यह वस्तुगत वित्तीय जानकारी है, इसलिए लेखाओं पर टिप्पणियों के अंतर्गत इस संदर्भ में ही इसका प्रकटन किया जाना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं किया गया।	उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु 25.11.2013 को कंपनी अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. (पूर्व में लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि.) का गठन किया था। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या– 14011/27/2013–MRTS दिनांक 27/12/2013 के माध्यम से परियोजना के फ़ेज़–1A को प्राथमिक अनुमोदन प्राप्त हुआ। अनुमोदित डीपीआर में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की 50:50 की समान इक्विटी प्रतिभागिता परिकल्पित है। अतः, परियोजना में सिर्फ़ उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की इक्विटी प्रतिभागिता है और अन्य कोई कॉर्पोरेशन या स्थानीय इकाई इक्विटी प्रतिभागिता में शामिल नहीं है। अनुमोदित डीपीआर के अनुसार, फ़ेज़–1A अन्य सरकार और स्थानीय इकाईयों से 350 करोड़ रुपए की राशि नवोन्मेषित वित्तपोषण परिकल्पित है। सरकारी आदेश संख्या– 3282/Aath–1–3–27 LDA/13 दिनांक 19/11/2013 (अनुलग्नक–6) के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष प्रयोजन वाहन को उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद से 200 करोड़ रुपए, लखनऊ विकास प्राधिकरण से 100 करोड़ रुपए और यूपीएसआईडीसी से 50 करोड़ रुपए का वित्तपोषण प्रस्तावित किया और फलस्वरूप वित्तपोषण की कुल राशि 350 करोड़ रुपए हुई। आदेश की प्रति आपके सुलभ संदर्भ हेतु यहां संलग्न (संलग्नक–2) है। यूपीएसआईडीसी से निम्न राशियां प्राप्त हुईं:

क्र.सं.	दिनांक	राशि (करोड़ रू. में)
1.	17/01/2015	10.00
2.	20/04/2015	10.00
3.	23/07/2015	10.00
4.	15/12/2015	5.00
	कुल	**35.00**

		यह भी संज्ञान में लेना महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार की केंद्रीय कैबिनेट से पत्र संख्या–K-14011/27/2013–MRTS-IV दिनांक 25/01/2016 के माध्यम से लखनऊ मेट्रो परियोजना के फ़ेज़–1A हेतु प्राप्त अनुमोदन इस बात की पुष्टि भी करता है कि परियोजना के वित्तपोषण हेतु 50:50 इक्विटी प्रतिभागिता उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के मध्य है। अतः, डीपीआर में वर्णित वित्त प्रारूप के तहत, एक कॉर्पोरेशन (निगम) होने के नाते इक्विटी शेयर यूपीएसआईडीसी को नहीं दिया जा सकता। चूंकि यूपीएसआईडीसी द्वारा इसे इक्विटी के रूप में उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था, इसलिए इस राशि को उत्तर प्रदेश सरकार की इक्विटी प्रतिभागिता मानते हुए पिछले वित्तीय वर्ष (2018–19) तक लेखाओं में 'अन्य इक्विटी' के नोट के अंतर्गत "शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन" के रूप में दर्शाया गया। जबकि, वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार से इक्विटी की प्राप्ति पर, उक्त को लेखांकन मानकों के अनुरूप चालू देयताओं के शीर्ष में स्थानान्तरित कर दिया गया। जहां तक लेखाओं पर टिप्पणी में प्रकटन का प्रश्न है, लेखापरीक्षक द्वारा की गई टिप्पणी कंपनी द्वारा स्वीकार की जाती है और उक्त को वित्तीय वर्ष 2020–21 के वित्तीय विवरण में शामिल किया जाएगा।
5	**संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (नोट 1): 6,284.12 करोड़ रूपए** चूंकि कंपनी ने राजकीय महिला पॉलिटेक्निक, लखनऊ की 4000 स्कवेयर मीटर की और राजकीय पॉलिटेक्निक, लखनऊ की 48.03 स्कवेयर मीटर की भूमि का रिसीविंग सब–स्टेशन एवं वायडक्ट के लिए इस्तेमाल किया था, जबकि उक्त के संबंध में लीज़ और सब–लीज़ समझौते पर हस्ताक्षर अभी भी लंबित हैं। यह वस्तुगत जानकारी लेखाओं पर टिप्पणियों में शामिल नहीं की गई है।	राजकीय महिला पॉलिटेक्निक, लखनऊ और राजकीय पॉलिटेक्निक से ली गई क्रमशः 4000 स्कवेयर मीटर और 48.03 स्कवेयर मीटर की भूमि हेतु लीज़ और सब–लीज़ पर हस्ताक्षर की प्रक्रिया का निस्तारण उत्तर प्रदेश सरकार के स्तर पर किया जाना है। यह मामला अभी उत्तर प्रदेश सरकार के आवासन और शहरी नियोजन विभाग के समक्ष विचाराधीन है। उत्तर प्रदेश सरकार के स्तर पर निर्णय लिए जाने के बाद इसे यूपीएमआरसी के लेखाओं में लेखांकित किया जाएगा। साथ ही, उक्त भूमि का कंपनी को स्थानान्तरण 99 साल की लीज़ पर होना है, जिसकी लागत 1 रुपए है। चूंकि, लीज़ और सब–लीज़ के समझौते पर हस्ताक्षर की प्रक्रिया अभी विचाराधीन है और साथ ही, 1 रुपए की देय राशि को देखते हुए, इसे लेखाओं पर टिप्पणी के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है।

नोट

नोट

INDEX

S. No.	Particulars	Page No.
1	Board of Directors	3
2	Chariman's Speech	4
3	Message from the Managing Director	6
4	Major Events in 2019-20	8
5	Director's Report	13
6	Report on Corporate Governance	32
7	Extract of Annual Return	38
8	Secretarial Audit Report	45
9	Independent Auditor's Report	51
10	Financial Statements for the year 2019-20	61
11	Significant Accounting Policies and Notes to Accounts	82
12	Comptroller and Auditor General Report	113

Registered Office

Administrative Building, Vipin Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226 010, Ph- 0522-2304011
Email: cslmrcl@gmail.com, Website : www.upmetrorail.com

Statutory Auditors

M/s D S Shukla & Co. Chartered Accountants,
G F-2 Ekta Apartment,
125, Chandralok, Aliganj,
Lucknow-226 024

Internal Auditors

M/s S.N. Kapoor & Associates
Chartered Accountants

Secretarial Auditor

M/s Dileep Dixit & Company
Company Secretaries

Company Secretary

Pushpa Bellani

Our Banks

State Bank of India
HDFC Bank Ltd.

BOARD OF DIRECTORS AS ON 31.03.2020

Name	Designation
Shri Durga Shanker Mishra	Chairman, Secretary, Ministry of Housing &Urban Affairs (MoHUA)
Shri Kumar Keshav	Managing Director, UPMRC
Shri Shyam Sunder Dubey	Nominee Director, GoI, Joint Secretary & FA, MoHUA
Shri Vinay Kumar Singh	Nominee Director, GoI, Managing Director, National Capital Region Transport Corporation Limited
Shri Deepak Kumar	Nominee Director, GoUP, Principal Secretary, Housing and Urban Planning Department, GoUP
Shri Mukesh Kumar Meshram	Nominee Director, GoUP, Commissioner, Lucknow Devision
Shri Shiv Das Meena	Nominee Director of GoI, Additional Secretary, MoHUA
Shri Pradeep M. Sikdar	Nominee Director, GoI, ED/Sig.(Dev), Railway Board
Shri Alok Kumar	Nominee Director, GoUP, Add. Chief Secretary, Infrastructure and Industrial Development Department
Shri Sanjay Mishra	Whole-Time Director (W & I), UPMRC
Shri Sushil Kumar	Whole-Time Director (Operations), UPMRC
Shri Atul Kumar Garg	Whole-Time Director (RS & S), UPMRC

*Post of Director (Finance) was vacant as on 31.03.2020
*Nomination of One post of nominee director of GoUP was vacant as on 31.03.2020

CHAIRMAN'S MESSAGE TO THE SHAREHOLDERS

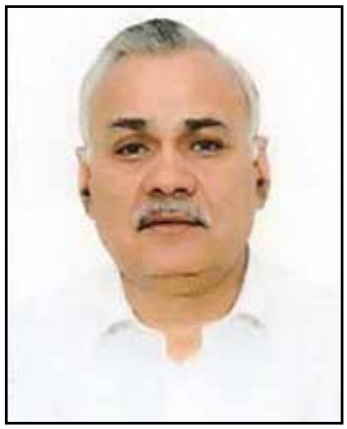

Dear Shareholders,

It is my proud privilege to welcome you all to the 7th Annual General Meeting of your Company. Thank you for your presence today and for your continued support which is vital for the success of company. The Director's Report and the Audited Accounts for the Financial Year 2019-20, the Statutory Auditor's Report along with comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon, have already been circulated to all of you and with your permission, I take them as read.

Your company is currently operational on North-South Corridor Phase-1A of Lucknow Metro Rail Project having a route length of 22.878 Km from 9th March 2019. The commuters of Lucknow have given overwhelming response to the Metro Services that are being appreciated by one and all. The average daily ridership of North South Corridor has been around 70,000 with opening of entire North- South corridor.

The COVID-19 pandemic and lockdown imposed by Govt. of India and State Govt. of UP to contain the spread of the COVID-19 has significantly affected the operations and revenue of the company. The Metro Operations were suspended from the night of 23rd March 2020 till 6th September 2020 resulting in zero fare box revenue during the lockdown period. The company resumed its operations from 7th September 2020 onwards as per the Unlock-4 guidelines issued by Government of India. The company has been implementing these guidelines since the re-opening of metro services and kept safety of its employees and commuters as its top priority.

Government of India has also approved Kanpur and Agra Metro Rail Projects having two corridors each which will connect major public nodes and city cluster areas of both the cities. Kanpur and Agra Metro Rail Projects will be implemented by your company accordingly. It has been reconstituted as Single SPV, 50:50 jointly owned company of GoI & GoUP and name of the company has been changed as Uttar Pradesh Metro Rail Corporation Limited (UPMRCL) w.e.f 23.10.2019.

Construction work of Kanpur Metro Project's 'Priority Section' from 'IIT Kanpur to Moti Jheel' commenced in the auspicious presence of Hon'ble Chief Minister, Shri Yogi Adityanath and Hon'ble Union Minister for Housing and Urban Affairs, Shri Hardeep Singh Puri. The pace of work of Kanpur Metro was impacted for a few months on account of Covid-19 and after some time it is going on in full swing with adequate safety measures.

As city of Agra falls within protected area of the Taj Trapezium Zone and prior approval of Hon'ble Supreme Court is required for starting construction work, the company had filed application before Hon'ble Supreme Court to start construction of Agra Metro Project which has been approved by Hon'ble Supreme Court on 14.7.2020. Now your company has started construction and other related activities to execute the Agra Metro Project.

Your company has been awarded Gold Award by The International Royal Society for the Prevention of Accidents (RoSPA) for Phase 1A (North-South Corridor) in the Project/Infrastructure category for the year 2019. Your company has also been given "Best Urban Mass Transit Project" for Lucknow Metro Project

in the 12th Urban Mobility India Conference and Exhibition held in Lucknow in November 2019. Your company was also felicitated with the coveted 'National Energy Conservation Award, 2019' by Bureau of Energy Efficiency (BEE), Govt. of India (Ministry of Power) in recognition of innovative energy and power savings initiatives undertaken.

I take this opportunity to thank the various departments of the Government of India and the Government of Uttar Pradesh, the Board of Directors and various stakeholders for their unstinted support to various projects of UPMRC. I whole-heartedly appreciate and acknowledge the sincere efforts and dedication of all the employees of UPMRC for achieving the Company's goals with their high level of commitment which is making it possible to achieve the stiff targets within tight time frame maintaining the highest standards of safety and quality. The transformation of a Company is a continuous process and the pay-off doesn't happen overnight. We have made tremendous progress, but we still have way ahead to go.

I would like to thank the people of Lucknow and Uttar Pradesh in general for their continued patronage and encouragement which has enabled the company to steer ahead with its vision and mission. I would like to conclude by acknowledging the efforts of Managing Director & whole team of UPMRC for their invaluable contribution and commitment in achieving the company's goals and making it an esteemed organization. We have achieved and accomplished many goals in a short span of time in the history of company and we have miles to go as expectations of people have increased from us. Altogether, I am confident that we will complete the transformation of UPMRC into a company that can create significant value for its stakeholders.

Thanking you,

Sd/-

(Durga Shanker Mishra)
Chairman, UPMRC
Secretary,Ministry of Housing and Urban Affairs, GoI

MESSAGE FROM THE MANAGING DIRECTOR

Dear Shareholders,

I take this privilege to welcome you all to the 7th Annual General Meeting of the Company.

After the inauguration of 'Priority Corridor' from 'Transport Nagar to Charbagh' on 5th September, 2017 and commencement of commercial run on entire North-South corridor from CCS Airport to Munshipulia on 8th March, 2019, UPMRC has witnessed a significant patronage of commuters every day.

Maintaining trust of our commuters is very important for us and I want to assure them that their safety & security is our topmost priority. Lucknow Metro is a beautiful gift to the city by the Government and it is also the safest mode of mass public transit. In these troubled times of Covid-19 pandemic, when people are dubious about travelling in other modes of public transport, we assure our commuters an absolute safety & hassle free travel experience. We understand that bond between our daily commuters and Lucknow Metro is sacrosanct. Therefore, we appeal our commuters to foster & strengthen this bond by adopting the metro for daily commuting.

I am happy to announce that during the year under review; Lucknow Metro has achieved various milestones some of which include "International Safety Award, 2019" in the category of the Project/Infrastructure for demonstrating a strong commitment to good health & safety management during the construction of entire 23 km long North-South Corridor; 'National Energy Conservation Award, 2019' by Bureau of Energy Efficiency (BEE), Govt. of India (Ministry of Power) in recognition of innovative energy and power savings initiatives undertaken in operational Lucknow Metro project; ''Best Mass Rapid Transit Project'' for Lucknow Metro at the 12th Urban Mobility India Conference & Expo, 2019 and 'Green Mobility Project' of the Year in the Rail Infra and Mobility Business Digital Awards, 2020.

Apart from providing the safest mode of transport to the public of Lucknow, we have to commit ourselves with the same zeal and determination in delivering the other two very important projects i.e. Kanpur and Agra Metro in coming years. UPMRC is making every possible effort to strengthen civil construction of Kanpur and Agra Metro project and achieve the desired progress within the stipulated time frame.

Construction work of Kanpur Metro Project on 'Priority Section' from 'IIT Kanpur to Moti Jheel' commenced in the auspicious presence of Hon'ble Chief Minister, Yogi Shri Adityanath and Hon'ble Union Minister for Housing and Urban Affairs, Shri Hardeep Singh Puri. Pace of work was impacted for few months, and now it is going on in full swing with adequate safety measures. Recently, Uttar Pradesh Metro Rail Corporation also got an approval from the Supreme Court of India for the implementation of Agra Metro Rail Project and it will start its construction very soon.

I highly appreciate and acknowledge the sincere efforts and dedication of all the employees, stakeholders including the Central and State Governments and various Government agencies, our Suppliers, Contractors

and Commuters. I would like to take this opportunity to thank all those who have supported and guided us during this year. I also thank all my colleagues on the Board for their continued support and guidance. The transformation of a Company is a continuous process and the pay-off does not happen overnight. We have made tremendous progress, but we still have miles to go. Altogether, I am confident that we will complete the transformation of UPMRCL into a company that creates significant value for its stakeholders.

Thanking You

Sd/-
(Kumar Keshav)
Managing Director

MAJOR EVENTS IN 2019-20

April, 2019

UPMRC Celebrated Earth Day

In line with its vision of 'Green Metro Clean Metro', UPMRC celebrated Earth Day on 22nd April, 2019 and hosted various cultural events and activities for the school students and kids of NGOs at Hazratganj Metro station. A street play was held on the theme 'Our Mother Earth' by the students highlighting the conservation of forest and hydro energy.

UPMRC visited Schools, College and Institutions to spread awareness about Metro journey

To make the people aware about metro journey and its benefits, UPMRC has taken an initiative to spread the knowledge amongst children and adults by going to their places or bringing them to metro premises. UPMRC started visiting in Schools, college and institutions and got awesome responses from the people. Over four thousand (4000) students participated in this program in the period of just 10 days.

May, 2019

IGBC has certified UPMRC a "Green Metro Rail System"

The Indian Green Building Council (IGBC) – one of the apex body in India to rate and certify a system as a 'Green' system has certified UPMRC a "Green Metro Rail System" awarding platinum certificate to all its Metro stations of the North-South corridor from CCS Airport to Munshipulia.

The British Safety Council bestowed UPMRC with "International Safety Award 2019"

The British Safety Council bestowed Uttar Pradesh Metro Rail Corporation with the "International Safety Award 2019' for its Phase 1A (North-South Corridor) in the Project/Infrastructure category for year 2018.

UPMRC organised a session on stress management "

Lucknow Metro, organized a session on 7th May, 2019 on stress management titled "Stress at Workplace" at Transport Nagar Metro Depot. Dr. Umar Mushir, a well known psychiatrist from Apollomedics Hospital conducted the session and touched upon various issues including the types of stress.

June, 2019

UPMRC was recoginzed and acknowledge at the National Day of Rail in Holland"

Uttar Pradesh Metro Rail Corporation added another feather in its cap on 27th June 2019 when it was recognized and acknowledge at the National Day of Rail in Holland. Shri Kumar Keshav, managing Director, UPMRC presented the case study of Lucknow Metro via Skype at the conference conducted to celebrate National Day of Rail.

UPMRC Celebrates world environment day, 2019"

Uttar Pradesh Metro Rail Corporation observed Environment Week from 3rd June, 2019 to 9th June, 2019. Shri Kumar Keshav, MD, UPMRC along with other officers and employees of the company was started the day with the oath ceremony to keep the biodiversity viable for better life on earth.

July, 2019

MD inaugurated first Art Exhibition "Moving Expressions" at Hazratganj

The first art exhibition 'Moving Expressions' at Hazratganj Metro Station was inaugurated on 17th July, 2019 by Shri Kumar Keshav, Managing Director, UPMRC. The much anticipated exhibition which has on display the finest of artworks ranging from sculptures to paintings.

UPMRC organized Metro Book Fair

UPMRC along with Bharat Vimarsh Foundation and Pratishtha Films & Media is organising a five-day Lucknow Metro Book Fair from 3rd July to 7th July, 2019. Shri. Kumar Keshav Managing Director, UPMRC emphasized on the importance of books in our life.

UPMRC organized a Hepatitis awareness campaign

UPMRC organized a Hepatitis awareness campaign on 28th July, 2019 in collaboration with Hope Initiative. In a host of activities and events conducted at Hazratganj Metro station, a signature campaign was organized to motivate the public, metro commuters and staff to express their ideas and views related to support Hepatitis awareness campaign. The theme of World Hepatitis Day, 2019 is "Find the missing millions".

August, 2019

UPMRC awarded with prestigious "Technology Sabha Award, 2019".

UPMRC awarded with prestigious 'Technology Sabha Award, 2019'. The Indian Express Group bestowed this Award to Lucknow Metro for its Mobile Application which was chosen under the Enterprise Mobility category for the 'Technology Sabha Award' 2019. This award was presented by Sh. Prakash Kumar, CEO GSTN (Goods and Services Tax Network) to UPMRC during the award ceremony held at Jaipur, on 10th August, 2019.

UPMRC conducted workshop to promote the use of Hindi Rajbhasha for official purpose.

On 29th August, 2019, UPMRC conducted a workshop at the Administrative office, Gomti Nagar, Lucknow in the presence of senior officers and other UPMRC staff to promote the use of Hindi 'Rajbhasha' for official purpose. A team of officials from Ministry of Housing and Urban Affairs visited the UPMRC premises to carry out an inspection of official documents, file work and drafting of letters was being done bilingually i.e. both Hindi and English.

September, 2019

UPMRC celebrated 2nd Metro Diwas on 5th September, 2019

UPMRCL has successfully completed two glorious years in pursuit of excellence and to commemorate this, UPMRC celebrated 2nd 'Metro Diwas' on 5th September 2019 at Transport Nagar Metro Depot. The event was graced by the esteemed presence of Dr. Dinesh Sharma, Deputy Chief Minister of State, Shri Deepak Kumar, Principal Secretary, Ministry of Housing and Urban Development and Shri Kumar Keshav, Managing Director, UPMRC.

UPMRC won International "Royal Society for the prevention of Accidents (RoSPA)-Gold Award".

UPMRC has added another feather to its hat by winning the International 'Royal Society for the Prevention of Accidents (RoSPA)- Gold Award' for entire North-South corridor (Phase-1A) in the Project/Infrastructure category. This award was presented to Lucknow Metro in a ceremony at Glasgow, United Kingdom on 12th September, 2019.

October, 2019

Delegates of United States from Memphis Area Transit Authority (MATA) visited UPMRC

Delegates of the United States from Memphis Area Transit Authority (MATA) came for a visit to UPMRC on 21st October, 2019. Mr. Garry Rosenfeld and his team visited the Workshop Cum Inspection Bay Line at the Depot where they saw the Lucknow Metro Rolling Stock (Metro Train) and the world-class maintenance facilities available at the Workshop. Mr. Garry Rosenfeld appreciated the Managing Director for achieving such a milestone in a stipulated period of time.

MD, UPMRC was awarded as the "Construction world-Person of the year-2019"

On 16th October 2019: Shri. Kumar Keshav, Managing Director, Uttar Pradesh Metro Rail Corporation was awarded as the 'Construction World – Person of the Year' 2019 at Construction World Global Awards 2019.

UPMRC organized an exhibition on Gandhi Ji's 150 birth anniversary

On the 150th Birth Anniversary of Mahatma Gandhi, UPMRC organized several programs in the beloved memory of 'Bapu' who always focused on cleanliness, kindliness, and truthiness. UPMRC had also organized an exhibition on Gandhi Ji's 150th birth anniversary, whose main objective was that people should follow the path of Mahatma to build a healthy and beautiful society.

November, 2019

Deputy CM presented trophy for Best Urban Mass Tranist Project to MD

UPMRC has been awarded as the "Best Urban Mass Transit Project" for its commendable initiatives in being the fastest constructed, executed & implemented metro project in the country with innovations in energy saving, promotion and awareness campaigns, route rationalization and last mile connectivity. Dr. Dinesh Sharma, Deputy Chief Minister, Uttar Pradesh presented the trophy to Mr. Kumar Keshav, Managing Director, UPMRC during the 12th Urban Mobility India Conference and Exhibition held at the Indira Gandhi Pratishthan, Lucknow from 15th to 17th November, 2019.

UPMRC started the Civil Construction of Kanpur Metro with 'Bhoomi Poojan' Ceremony

Uttar Pradesh Metro Rail Corporation commenced the civil construction of 8.728 km long Priority Section of Kanpur Metro project on 15th November, 2019. It started with the auspicious 'Bhoomi Poojan' ceremony performed at the construction site in front of IIT Kanpur main gate and followed by the ground- breaking ceremony performed by Shri Yogi Adityanath, Chief Minister of the Uttar Pradesh.

UPMRC ran a week long campaign at Metro Stations

In the wake of International Children's Day, Uttar Pradesh Metro Rail Corporation along with UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund) ran a week long campaign at metro stations. It was launched at Hazratganj Metro Station to mark the 30th anniversary of the 'Convention on the Rights of the Child'.

December, 2019

UPMRC was felicitated with 'National Energy Conservation Award, 2019' by BEE

UPMRC was felicitated with 'National Energy Conservation Award, 2019' by Bureau of Energy Efficiency (BEE), Ministry of Power, Govt. of India. Lucknow Metro was considered for 'National Energy Conservation Award, 2019' for its various innovative energy conservation initiatives and practices for environment protection incorporated in its Operational System. Lucknow Metro is the first Metro in the country to have 100% LED lighting at Stations, Depot and inside Trains.

UPMRC observed "Nirbhaya Chetna Diwas"

UPMRC in association – A Non Government Organisation (NGO) observed "Nirbhaya Chetna Diwas' on 16th December, 2019.

January, 2020

UPMRC Started the final process of U-Girder casting

UPMRC started the final process of U-Girder casting on 20th January, 2020. Shri Kumar Keshav, Managing Director, UPMRC kicked off the concreting procedure of the first U-Girder after a Pooja Ceremony.

Group of childrens took Lucknow metro joy ride alongwith their teachers and the staff of Rajbhawan

A group of approximately 100 children from Raj Bhavan, Uttar Pradesh took Lucknow Metro joy ride along with their teachers and the staff of Raj Bhavan on 19th January, 2020.

February, 2020

UPMRC participated in the State Fruit, Vegetable & Flower Exhibition 2020

UPMRC participated in the State Fruit, Vegetable & Flower Exhibition 2020 held at Raj Bhavan, Lucknow and was awarded in three different categories. UPMRC received first prize in the category of 'Artistic decoration of wedding Mandap with flowers', second prize in the category of 'Decorated seasonal flower pots and Sinraria pots in the best artistic way in the group of 3 diameters'.

UPMRC organized Metro Book Fair-2020

UPMRC and Repertwahr foundation jointly organized Metro Book Fair-2020 to popularize the culture of book reading among Lucknowites. It was organised at Hazratganj Metro station from 16th February to 1st march.

March, 2020

UPMRC sets up the community kitchen during lockdown

UPMRC sets up the infrastructure facility of community kitchen in the staff canteen of Transport Nagar Metro Depot to make arrangements of food packets/boxes on regular basis for the casual/migrant workers in distress and stuck in Lucknow during the lockdown after the outbreak of Novel Corona Virus (Covid-19).

Underprivileged Women from Care Foundation visited Hazratganj Metro Station

On the eve of International Women's Day, a group of approximately 45 underprivileged women from Care Foundation visited Hazratganj Metro Station where they had an interactive session on menstrual hygiene and women empowerment by the Scientist, Central Drug Research Institute (CDRI).

UPMRC completed one year of commercial operations in entire North South Corridor metro train.

UPMRC completed one year of successful commercial operations in entire North South Corridor Metro train on 8th March, 2020 from CCS Airport to Munshipulia. This day UPMRC has provided free Metro train ride to all the registered 'GoSmart' Card users and awarded top ten GoSmart cards holders.

UPMRC observed the National Safety Week, 2020

UPMRC observed the National Safety Week, 2020 from 2nd March, 2020 to 7th March, 2020. All UPMRC officers and staff participated in a safety 'pledge' at administrative office (Gomti Nagar) and Metro depot in order to adopt and follow safety measures and practices at workplace.

DIRECTORS' REPORT

To,

The Members,
Uttar Pradesh Metro Rail Corporation Limited

Your Directors have the pleasure in presenting the 7th Annual Report of the Company together with the Audited Accounts, Auditors' Report and comments of Comptroller and Auditor General of India thereon for the financial year ended on 31st March, 2020.

1. Financial Results and Performance

The financial position of the Company for the Financial Year ending on 31st March, 2020

(Rs. in Lacs)

Particulars	For FY 2019-2020	For FY 2018-2019
Total Income	14815.16	10890.14
Less: Operating Expenses	6775.24	2813.63
Less: Depreciation	24496.50	8582.34
Less: Financial Expenses	626.00	211.46
Less: Exceptional Items	(124.38)	(344.82)
Profit (Loss) Before Tax	(25026.85)	(7211.16)
Add / (Less): Tax Expense	-	-
Net Profit (Loss) After Tax	(25026.85)	(7211.16)
Transfer to General Reserves	-	-
Profit Carried Forward to the Balance Sheet	-	-

Transfer to General Reserves:

The Board has not recommended to transfer any amount in the General Reserve.

Dividend for the Financial Year 2019-2020

During the year under review i.e. FY 2019-2020, company have incurred losses so the Board of Directors have not recommended any Dividend on the Equity Shares of the Company.

2. Change in Name of Company from LMRC to UPMRC

The Company is a 50:50 jointly owned Special Purpose Vehicle (SPV) of Government of India (GoI) & Government of Uttar Pradesh (GoUP) for implementation of Integrated Rapid Mass Public Transport System in various cities of Uttar Pradesh and incorporated under the Companies Act 1956. As company has entrusted to implement metro project and other forms of Integrated Rapid Mass Public Transport System in various cities of Uttar Pradesh, Government of India and Government of Uttar Pradesh have mutually decided to change the name of the Company from 'Lucknow Metro Rail Corporation Limited' to 'Uttar Pradesh Metro Rail Corporation Limited' so that name of company reflect its activities in better way. Certificate for name change of the company was issued to Company by Registrar of Companies, Ministry of Corporate Affairs on 23rd October 2019.

3. Status of the various Metro Rail Project of UPMRC.

(i) Kanpur Metro Rail Project

The Kanpur Metro comprise of two corridors namely; first corridor is IIT Kanpur to Naubasta corridor having total length of 23.785 km and comprise total 22 Stations, 8 underground and 14 Elevated. Second corridor is Agriculture University to Barra-8 having tolal length of 8.60 km and comprises of 4 Elevated & 4 Underground stations. Estimated cost of the project is Rs 11,076.48 Crore. The financing of Kanpur Metro Rail Project will be partly from GoI and GoUP on equal equity basis and partly as soft loan from Multilateral international funding agency/agencies.

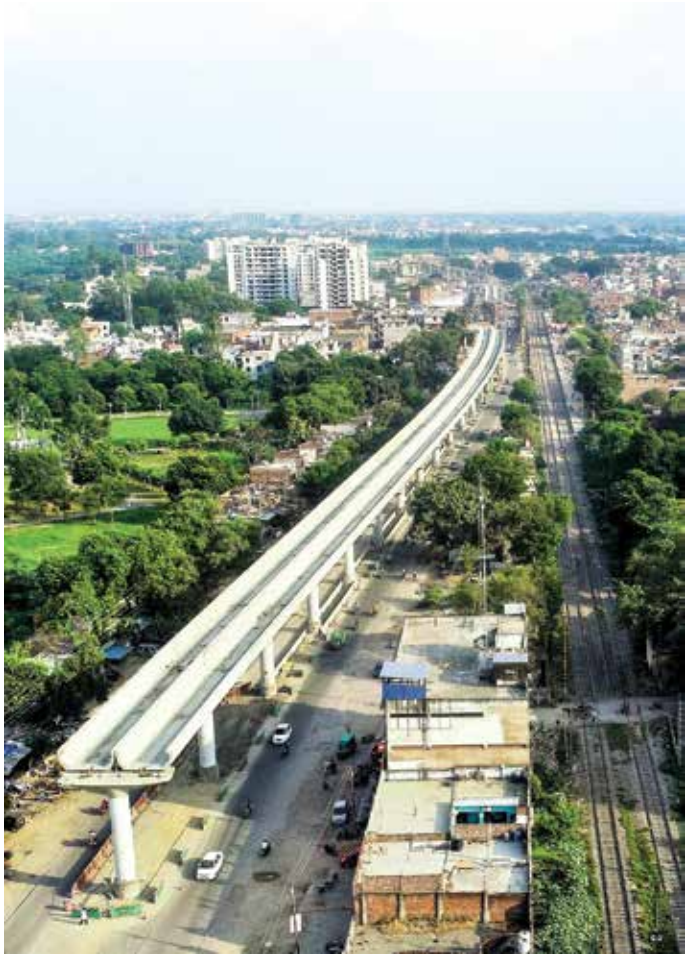

This project will provide continuous availability of affordable, reliable, safe, secure and seamless transport system in the urban agglomeration of the city, which will reduce the accidents, pollution, travel time, energy consumption, anti-social incidents as well as regulate urban expansion and land use for sustainable development.

IIT Kanpur to Naubasta corridor will pass through heart of the city covering several prominent educational institutions, Railway & Bus Stations including IIT Kanpur, CSJM University, GSVM Medical College, Jhakarkati Bus Station and Kanpur Central Railway Station etc.

Agriculture University to Barra-8 corridor will provide smooth connectivity to various densely populated residential areas including Kakadeo and Govind Nagar etc. The Metro will provide Eco friendly and sustainable Public Transport to residents, commuters,

industrial workers, visitors and travelers. About 50 Lakh population is expected to be benefitted by Kanpur Metro Rail Project directly and indirectly at the time of commencement of commercial operations.

The proposed corridors will be having Multimodal Integration with Railway Stations and will have feeder network of Bus, Intermediate Public Transport (IPT) and Non-motorized Transport (NMT). The Project will have non-fare box revenue from rental & advertisement as well as Value Capture Financing (VCF) through mechanism of Transit Oriented Development (TOD) and Transfer of Development Rights (TDR).

Construction work on Priority Section from IIT Kanpur to Moti Jheel is going on and it is expected that priority section will be completed within stipulated time even though due to Covid-19 pandemic pace of work has been affected. Construction of Metro Depot is also going on and good progress has been made in construction of Depot.

(ii) Agra Metro Rail Project

Agra Metro project have two corridors connecting to all key points in Agra. First corridor is between Sikandara to Taj East Gate having total length of 14 Km (approx.). and 13 stations (six elevated and seven underground). Second Corridor is between Agra Cantt to Kalindi Vihar corridor having total length of 15.4 Km (approx.) 14 stations, all of those elevated. Total estimated cost of the Project is Rs. 8,379.62.

These corridors will connect major public nodes, tourist places and city cluster areas of Agra. This project will provide continuous availability of affordable, reliable, safe, secure

and seamless transport system in the urban agglomeration of the city, which will reduce the accidents, pollution, travel time, energy consumption anti-social incidents as well as regulate urban expansion and land use for sustainable development.

Sikandra to Taj East Gate corridor will pass through heart of the city and will connect prominent tourist places including Taj Mahal, Agra Fort and Sikandara as well as ISBT, Raja Ki Mandi Railway Station, Medical College etc. Agra Cantt to Kalindi Vihar corridor will connect Agra Cantt Railway Station, Collectorate, Sanjay Place and surrounding densely populated residential areas. The Metro will provide eco-friendly and sustainable public transport to residents, commuters, industrial workers, visitors and travelers.

As the Agra Metro Project is within Taj Trapezium Zone (TTZ), Hon'able Supreme Court has imposed general restriction on industrial activities and felling of trees in the Taj Trapezium Zone. Accordingly, Company has filed an application and sought approval of Hon'able Supreme court for starting construction work of Agra Metro Project. Hon'able Supreme Court has approved construction of Agra Metro Project. Accordingly, in due course of time, construction work of the project will be started.

(iii) Lucknow Metro Project

Entire North-South corridor (Phase-1A) having total length of 23 KM (approx) of Lucknow Metro Rail Project has been operational between CCS Airport and Munshipulia since 8th March, 2019.

4. Rolling Stock

As on 31st March 2020, the Company has a total of 80 coaches having designed speed of 90 kmph & schedule speed of 32 to 35 km per hour including dwell time/ stoppage of 30 seconds per station and design headway of 100 second.

UPMRC trains are energy efficient, reliable and provide better comfort to passengers in terms of riding quality, lower-noise level and environment friendly. The body shell of cars made of stainless steel is lightweight. The highly energy efficient Trains are with regenerative braking to feed the energy back to overhead electrical energy system during braking. All systems in the train are monitored & selectively controlled by a microprocessor based Train Control & Management System (TCMS).

Company has awarded integrated Rolling Stock & Signaling contract for total 201 cars to the Consortium of M/s Bombardier Transportation India Private Limited and M/s Bombardier Transportation GmbH. It is very good accomplishment of awarding Rolling Stock and Signalling contract at a reasonable cost to a very competent supplier in these difficult times. Supply of train-sets manufactured in India by M/s Bombardier at their Savli Plant in Gujarat for Kanpur and Agra Metro project is a big achievement in the direction of ''Make in India'' initiative of Government of India.

Company has issued a common tender for Rolling Stock & Signaling for Kanpur and Agra Metro Project of Company that will result in-

- Scale of economy by most optimum rate of per car for larger quantity during procurement & saving in O&M due to optimum inventory management;
- Faster implementation of project as timeline are common & tighter for both the projects;
- Common approval from RDSO, Railway Board & CMRS with substantial saving of timeline & cost;
- Most optimum utilization of cars based on ridership due to possibility of shifting of cars from one city to another, out of additional optional procurement quantity in future if required as signalling system will be common;

Passenger Safety Features in Rolling Stock:

- ATP/ATO: The rolling stock is provided with Continuous Automatic Train Protection and Automatic Train Operation (in future) to ensure absolute safety in the train operation. It is an accepted fact that the 60-70% of accidents take place on account of human error. Adoption of this system ensures freedom from human error. The on board computerized ATC system shall compare and verify the continuous data like speed etc., for safest train control.

- Fire: The rolling stock is provided with fire retarding materials having low fire load, low heat release rate, low smoke and toxicity inside the cars. The electric cables used are also normally low smoke zero halogen type which ensures passenger safety in case of fire.
- Emergency door: The rolling stock is provided with emergency evacuation facilities at several vehicles to ensure well-directed evacuation of passengers in case of any emergency including fire in the train.
- Crash worthiness features: The rolling stock is provided with inter car couplers having crashworthiness features which reduces the severity of injury to the passengers in case of accidents.
- Gangways: Broad gangways are provided in between the cars to ensure free passenger movement between cars in case of any emergency.

5. Signaling and Train Control

The state of art signaling system Based on "Communication Based Train Control" (CBTC) with Continuous Automatic Train Control System (CATS) has been applied. The main features of Train Control & Signaling system for Lucknow MRTS are Automatic Train Protection (ATP) with Cab Signalling with Track to train communication through Coded Audio Frequency Track Circuits, Automatic Train Operation System (ATO), Automatic Train Supervision System (ATS) with Automatic Route Setting and Automatic Train Regulation.

CCTV system is based on the latest technology in the world. It consists of high-end resolution Cameras, IP based and Infra-Red enabled cameras. This help in accessing camera even from a remote location. CCTVs are enabled in surveillance even during the night. A large video wall has been installed at DCC building to monitor all the cameras at single point.

A help phone has been installed at middle of the platform to help passengers. If any passenger picks the help phone, a CCTV popup will appear in station controller CCTV screen and Controller will be able to see the person along with talking to passenger.

The Communication Based Train Control (CBTC) System adopted by your company is based on moving-block operation principle which ensures high system performance (e.g. minimal headway) with continuous train to trackside communication.

The signaling system shall provide the means for an efficient train control, ensuring safety in train movements. It assists in optimization of metro infrastructure investment and running of efficient train services on the network. The signaling design are as follows:

- Design headway of 90 sec and operational headway of 120 s
- Dwell time: Maximum 45 sec & minimum 15 sec
- Operation System GOA2.
- Continuous Automatic Train Control system (CATC) based on Communication Based Train Control system (CBTC) which includes Automatic Train Protection (ATP), Automatic Train Operation (ATO) and Automatic Train Supervision (ATS).

The signaling system monitors accurate location of all the train on real time basis, which is highly reliable and demands very low maintenance due to significant reduction in wayside hardware equipment.

6. Automatic Fare Collection System

Automatic Fare Collection System (AFC) an innovative implementation model has been adopted. HDFC Bank has issued co-branded smart cards of EVM standards, which can be used as tickets for Uttar Pradesh Metro and assorted value cards at other Points of Sale (PoS). AFC equipment, both on site and on cloud has been installed and commissioned for all the stations from CCS Airport to Munshipulia

7. Operations and Augmentation of Customer Facilities

The vision of the Company is to make commuting experience of customers delightful.

Under Swachh Bharat Abhiyan of Prime Minister of India, the Company has provided toilet blocks at all stations of the company free of cost to all the commuters of Lucknow Metro. To keep the surroundings clean & hygienic; cleaning of the coaches at the terminal stations before trains start their next journey. Nukkad Nataks (Street Plays) were also performed at Metro stations to sensitize the commuters about the importance of cleanliness and hygiene.

8. Alternate Revenue Initiatives

With a view to shore up its bottom line, your Company is exploring ways to leverage the indirect beneficiaries and other sources for alternate incomes. The avenues for non-fare box revenue have been identified and explored which includes the following:

- Advertisements
- Commercial Development & Rentals of spaces
- Property Development
- Leasing of Optic Fiber Cables
- Leasing of tower spaces
- Parking

Company is getting revenue from Advertisement, Commercial Development & Rental, parking and leasing of tower spaces. Many reputed brands viz. Domino's, Amul, Zumbo King, Nestle, Bun Makkan Chai, Goli Vada Pav, Mr. Brown, A One foods & Bakers have opened their outlets at various stations Lucknow metro stations which is further benefiting property development process of company.

9. Electrical & Maintenance:

- Regenerative VVVF Drive is used for lift & Escalator leading to saving of energy.
- Only LED Lighting on universal basis over entire Metro system is deployed.
- All the stations will be provided with lift & escalators of industrial grade, design and sizes to manage seamless flow of passenger from entry points to concourse and paid areas of the station.
- Suitable fire detection & control system has been installed which are compliant to relevant standards for fire protection.

- Lighting and HVAC control using efficient technologies 100% usage of LED lighting in all the metro stations, offices and wherever the lighting is required.
- Timer-based lighting control system in stations to cut the wastage of power by controlling the time of switching on the lights as per schedule.
- All the stations use VRV/VRF technology which is 14% more efficient than conventional DX based units.
- The escalators are provided with idling or slow speed mode when passengers are not detected which led to saving of energy.
- Use of VFDs in ECS & TVS system for maximum utilization of system as per site condition and for energy saving.
- Energy efficient chillers with lower energy consumption at part load will be used for underground system.

10. New Traction system for Kanpur and Agra Metro Projects

For Kanpur and Agra Metro Project of Company, new traction system of 750 Volts DC Third Rail Traction system has been proposed to be used instead of 25 kV AC traction system which is generally used.

750 Volt DC Third Rail Traction System shall also have added advantages such as -

- Higher reliability & availability due to less failures during O&M for 750 V DC systems due to no impact of external reasons like kite threads etc.;
- Measures are required to be taken for mitigation of EMC/EMI caused by single phase 25 kV AC traction systems, whereas no such arrangement is required in case of 750 V DC Third Rail System, although stray current management is required to be done in DC traction;
- 3rd Rail DC traction system has an additional benefit of Aesthetics for the city;
- DC traction has further advantage of Low wear and Tear: Due to its solid rigid design it is able to withstand passing of current collector devices of the trains without any significant wear and tear. The effect of wind and rain on the third rail is minimum on account of the lower height of installation. Thus, little maintenance is required for the third rail.

11. Safety

All stations of the N-S Corridor have installed the CCTVs, detectors, scanners, metal detectors etc. to monitor Metro Stations for 24 Hours. All the Metro Stations of Phase-1A are earthquake resistant and have been designed to sustain seismic force.

All 21 Metro stations of the company and Depot at Transport Nagar have been certified as per ISO 14001 and OHSAS 18001.

All 21 Metro stations, workshop and maintenance depot of the Phase-1A of Lucknow Metro Project is ISO 14001 and OHSAS 18001 certified for its “Design and Construction”. Further company has initiated the process to achieve Integrated Management System certification for its operation and maintenance under scope ‘Quality, Environmental and Occupational Health & Safety Management System’ as per the requirements of the ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 (EMS) and ISO 45001:2018 for all metro stations, Receving Sub Stations & workshop and maintenance Depot.

Celebration of National Safety Day

Uttar Pradesh Metro undertakes various safety awareness campaigns for its staff, commuters, general public and contractors' employees working with us. Safety Awareness Week was organized from 4th - 10th March, 2019 wherein the Company employees participated in the events like safety quiz, safety slogan competition, other safety promotional activities, etc. In addition, Nukkad Natak were also organized at our various construction sites wherein large number of contractors' staff as well as workmen participated.

Safety Measures in executing Metro Project

Efforts have been made to ensure that all site staff and contractors' workers get mandatory minimum hours training on Safety and Health Environment (SHE) to create safe working environment at site. Competency Assessment based training has also been organized on key trades like Lifting Engineers, Scaffolders, Vehicle Drivers & Plant Operators, etc. for ensuring safety during critical works and incidence free operation of construction plant & machineries. Further following measures have been taken to for safety of Metro Project execution and its operations:-

- Every bid contract includes details of safety, health and environment (SHE) Manual wherein detailed instructions, guidelines are given to contractors to execute the work safely with least disturbance to the public.
- All construction areas are barricaded, and works are carried out in this confined area.
- Alert traffic signages are provided along the entire metro corridor.
- Quick Response Teams (QRTs): A dedicated team of retired army and para military forces working 24x7 to monitor and safe guard the working area of metro and to help the public at large.
- Wherever construction activity is finished, roads are restored quickly and open for public.
- Monthly Safety Audit along with performance is being done by General Consultant of your company.
- Contractor's safety team along with General Consultant of your companyare doing regular Safety Walk every week. Safety expert of your company, GC and contractors are working round the clock to ensure the safety measures at sites
- All lifting equipment's are being tested and certified by authorized third party expert agencies every six month before putting to use. Colour coding is followed to ensure effective inspection. Regular electrical inspection is done at site.
- Regular Safety Awareness programs for site personnel as well as public
- Competition within Schools & Colleges
- Street Plays & Road Shows
- Specialized training programs to Crane operators, riggers & heavy equipment operators and traffic marshals.

- Sufficient number of Traffic Marshals have been deployed all along the project site to control the traffic in consultation with Traffic Officer
- Contractors have Emergency Response System in place for use during any emergency. Mock drill is conducted regularly at site to ensure that system works during any emergency.
- Contractors have tie up with hospitals near their work sites for attending to emergencies.
- Excavated soil is being shifted time-time from metro site.

12. Environment

Water Harvesting: -

Rain water absorption wells have been provided at every alternative span of the Viaduct, covering almost the entire length of the Viaduct. More than 300 rain water harvesting structures have been built by Company in its 22.87 Km North-South (Phase-1A) corridor of Lucknow Metro Project which results in creating approx 20 Lac liters of rain water harvesting. This Rain Water Harvesting (RWH) measure has resulted in recharge of the ground water resources across the Metro alignment.

Green Cover

Under Viaduct of elevated route alignment, on metro stations and in workshop and Depot of Lucknow Metro project, variety of vegetation have been planted and to ensure its progress regular maintenance work like Weeding, fertilizers, Washing, providing water are done by horticulture department.

Green Building

UPMRC is founding member of Indian Green Building Council (IGBC) under the aegis of Confederation of Indian industry (CII). All the metro stations have been constructed as 'green buildings' with specific provisions for the conservation of energy as well as reduced Carbon Di-oxide emissions, water savings and waste management arrangements. All metro stations of Lucknow Metro Project Phase-1A have been certified in "Platinum" category by IGBC. Company has also started work for Kanpur Metro Rail Project and the project will also be registered to achieve highest green building rating possible.

Renewable Energy Generation

During last financial year total 997.87 MWh of energy has been generated through solar plant istalled at Lucknow Metro Depot and Adminstrative Building. Further process is going on install solar plant on other available place/premises.

Air Pollution Prevention and Control

As company has started work for Kanpur Metro Rail Project, following measures have been taken for prevention and control of air pollutions:-

- C&D waste covered to prevent dust emission during transportation from site.
- Installation of Dust collection system for batching pant
- Machineries are maintained with their preventive, routine maintenance schedule.
- Maintaining DG sets stack Height for emission dispersion.

- Treated Water sprinkling at site to control dust emission.
- Construction barricade are provided to prevent dust dispersion from site.

Prevention and Control of Water Pollution

As company has started work for Kanpur Metro Rail Project, following measures have been taken for prevention and control of water pollutions:-

- Sedimentation tanks or other acceptable measures of sufficient capacity to trap silt-laden water before discharge into the outlet drain are provided at batching plant, shaft and grouting plant.
- Wheel wash facility provided at site with 2 stage sedimentation take.
- Slurry pits are provided at adjacent to water treatment facilitates.
- Periodic ground water testing carried out.

Waste Management:

UPMRC considers today's waste as tomorrow's raw material. The aim is to minimize waste generation and to recycle the waste. The following measures have been adopted to identify and recycle waste:

a. 100% waste segregation is ensured at sites.

b. Training and awareness on minimization of waste generation at source itself.

Water Management:

Uttar Pradesh Metro is very much concerned with water conservation in construction and operation & maintenance activities. Concerted efforts are being made to reduce water consumption. The following initiatives have been taken:

a. Rain water harvesting structures have been installed at stations, depots, residential colonies, along viaduct, etc.

b. Reuse of Effluent Treatment Plant /Sewage Treatment Plant treated water.

c. Using sewage water and Reverse Osmosis reject relaying of pipework and use of low flow plumbing

d. Use of efficient dual flush toilets and use of lower capacity flushing tank for toilet, encouraging waterless urinals

e. Encouraging mopping for station cleaning instead of washing

Conservation of Energy:

Uttar Pradesh Metro is taking several energy conservation measures, such as, the use of regenerative braking in the trains which will result in saving of 30 to 35 per cent traction energy, thereby resulting in reduction in emission of Green House Gases (GHG), using Variable Voltage Variable Frequency (VVVF) drive for all lifts and escalators, provision of LED lights at stations, use of energy efficient equipment for Environmental Control System (ECS) and Tunnel Ventilation System (TVS) for the underground station etc.

Currently, 1MW capacity city roof mounted photo voltaic cells installed on train stabling shed and inspection line sheds has been commissioned by Uttar Pradesh Metro under the RESCO model.

Because of all these novel measures, society will be able to recover the entire investment cost of the project in 5 years, its Economic Internal Rate of Return (EIRR) of the Project being 19.46%.

Celebration of World Environment Day (5th June, 2019):

Uttar Pradesh Metro right from its inception has taken a number of measures to significantly arrest the process of climate change. It has taken the following to control the pollution. On the occasion of World Environment Day, Company has also undertaken a special plantation drive under which close to 1000 saplings were planted at various metro stations, depots and distributed to Commuters. Environment Awareness Training was imparted to UPMRC Employees. Quiz competition among the UPMRC employees were conducted to raise awareness about environmental issues. Slogan and Poster making competition was conducted to encourage participation in conservation of environment and Awards and Certificates were given to winner of various competitions.

13. Awards & Accolades

- The International Royal Society for the Prevention of Accidents (RoSPA) has given Gold Award to Uttar Pradesh Metro for its Phase 1A (North-South Corridor) in the Project/Infrastructure category for year 2019. With this, Uttar Pradesh Metro has become the first ever Metro project from India to receive this award in recognition of its safe practices and achievements in helping its staff/ customers/clients/contractors while they worked in the project during its execution.
- Uttar Pradesh Metro Rail Corporation recently has been awarded as the "Best Urban Mass Transit Project" for its commendable initiatives in being the fastest constructed, executed & implemented metro project in the country with innovations in energy saving, promotion and awareness campaigns, route rationalization and last mile connectivity during the 12th Urban Mobility India Conference and Exhibition.

- On the occasion of National Energy Conservation Day, Uttar Pradesh Metro Rail Corporation was felicitated with the coveted 'National Energy Conservation Award, 2019' by Bureau of Energy Efficiency (BEE), Govt. of India (Ministry of Power) in recognition of innovative energy and power savings initiatives undertaken in its operational Metro System since its inception. The award committee comprising several eminent jurists adjudged Lucknow Metro as the winner of the 'Best Metro Award' in the 'Transport Sector'.

14. Share Capital

Your Company has received Rs. 410.94 Crore towards equity during the year from the Government of India and Government of Uttar Pradesh. Authorized Share Capital of the company is Rs. 10,000 Crore. The total paid up Share Capital as on 31st March 2020 is Rs. 2206 Crore.

15. Public Relation & People centric Approach

The Public Relation Department of your company has undertaken a number of activities towards reaching out to the citizens. It involves sharing news, stories and other developments related to your company with print, electronic and social media. The day-to-day progress of the organization, the various innovations it has achieved, the new projects launched, and other similar developments are shared with the media on a regular basis. The Citizen Outreach Program mandates not just reaching out to the society but also communicating with its various stake holders.

16. Human Resource Management

The Management of UPMRCL always feels that motivated, contented and satisfied workforce is the key for the successful achievement in its organizational goals. Keeping this objective in view, the Company is giving paramount importance for human resource development and realization of its potential. The employer-employee relationship continues to be cordial throughout the year and UPMRCL was able to meet the targets. The Company's employment practices are aligned to attract and retain talent.

The recruitment process is completely online since 2016. As on 31st March 2020, the employees strength of the Company was 764 (186 personnel in Project and 578 personnel in Operations & Maintenance wing of the company). Towards competency building of employees, the Company imparts trainings, conducts workshops, quiz competitions, excursions, yoga & mediation Courses, etc. During the year new recruitment has completed on various post in project wing and operation and maintenance wing of the company.

Observations of reservation guidelines in recruitment:

The recruitment guidelines regarding reservation of services for SCs/STs/PH/OBCs issued by the GoUP, from time to time, are being followed meticulously. Liaison officers have been appointed for SC/ST and PWD (Person with Disabilities) employees of the Company.

Prevention of sexual harassment at workplace:

Uttar Pradesh Metro is committed towards providing a safe working environment to its women employees. In this regard, a lecture on gender sensitization has been included in the induction training curriculum to inculcate the culture of righteous behavior among new recruits. Complaint Committees are in place for executive and non-executive women employees, with external member having adequate knowledge and experience in the field of law and women welfare.

The Company has a policy on prevention of Sexual Harassment at Workplace. The Company has constituted an Internal Complaints Committee in line with the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 consisting of the following members to look into the cases pertaining to sexual harassment of women and to facilitate a safe working environment free from sexual harassment.

Composition of the Internal Complaints Committee as on 31.03.2020 :

Ms. Pushpa Bellani	-	Presiding Officer
Ms. Deepti Agarwal	-	External Member (Practicing Company Secretary)
Mr. Brajesh Kr. Chaturvedi	-	Member
Mr. S A Raza	-	Member

17. Corporate Social Responsibility

Being a responsible and responsive corporate citizen, your Company is committed to its stakeholders viz., the shareholders, the employees, the management, the suppliers, the customers and the community at large. UPMRC is emerging as an environment friendly alternate transport Service for the City of Lucknow and in times it will play same role in other cities of Uttar Pradesh and acknowledging its responsibility towards the society, your Company has been voluntarily undertaking initiatives to improve the standard of living and to enhance the quality of life of the people in Lucknow and various other cities of Uttar Pradesh. Further, since the Company is not earning profits, there is no mandatory requirement for expending any amounts towards specific projects falling under stipulated areas of Corporate Social Responsibility in terms of Section 135 of the Companies Act, 2013 and applicable Rules/Schedules thereunder. Hence, the expenditure under this Head is 'NIL' for the year. Your Company has however, constituted a CSR Committee comprising of Three (3) Directors in compliance of the requirements in this regard. The Composition of the CSR Committee of the Board is detailed in Corporate Governance report which is also annexed to this Report.

18. Right to Information

The Company has implemented the provisions of the Right to Information Act, 2005. Total 56 RTI applications and appeals were received and resolved during the year in time.

19. Official Language

UPMRC endeavors to promote use of Hindi Language in its official work. Company has conducted and organized a workshop to promote the use of Hindi 'Rajbhasha' for official purpose. Employee were encouraged to take part in various competition such as Hindi noting and drafting, essay writing, translation compettition, slogan writing, sulekh writing, hindi quiz and winners were awarded. Members of official language committee from MoHUA inspected official files, documents, service record booklet at Administrative office Gomti Nagar and Tranport Nagar Metro Depot and found it satisfactory. The team also appreciated UPMRC for taking steps for the promotion and propagation of Hindi language and culture.

20. Vigilance

The Vigilance Department in the Company is headed by the Chief Vigilance Officer, who reports to Managing Director, Lucknow Metro. The Vigilance Unit follows the Central Vigilance Commission guidelines and internal guidelines concerning the business and affairs of the Company. Prevention rather than punitive action is the sole thrust in the preventive checks. Outcome of the checks is carefully drafted into system improvement circulars for plugging the loopholes.

21. Deposit from Public

The Company has neither invited any deposits from Public under Section 2(31), 73 and 74 of the Companies Act, 2013 nor accepted or received any deposits from the public.

22. Particulars of Employees

Disclosures pertaining to remuneration and other details as required under Section 197(12) of the Act read with Rule 5(1) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014 are not applicable.

23. Board of Directors

As on 31st March 2020, the Board of Directors of Uttar Pradesh Metro Rail Corporation Limited comprises of 14 Directors, of whom 5 Directors are nominees of the Government of India, 5 Directors are nominees of the Government of Uttar Pradesh including Managing Director and four post of Whole Time Directors have been sanctioned by the Board. The Secretary, Ministry of Housing & Urban Affairs, Government of India is the Chairman while the Managing Director is a nominee of the Government of Uttar Pradesh. A detailed note on the Board of Directors is provided under the section 'Corporate Governance Report'.

24. Number of Meetings of the Board

During the financial year under review, the Board of Directors of the Company met 3 times i.e. on 27th July 2019, 30th September 2019, and 27th January 2020.

Committees of the Board

The Board has constituted various committees of board commensurate with the size and nature of the operations of your Company and legal provisions. These are the Audit Committee & the Investment Committee, Corporate Social Responsibility Committee, Nomination Remuneration Committee. Each of these Committees have clearly spelt out 'Terms of Reference' which is duly approved by the Board. These committees meet according to the requirements of your company from time to time. The details of the committees of the Board are provided under the section 'Corporate Governance Report'.

25. Directors' Responsibility Statement

In compliance with section 134(5) of the Companies Act, 2013, the Directors state that:

- In the preparation of the annual accounts applicable Indian Accounting Standards has been followed along with proper explanations for material departures;
- the Directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year and of the profit and loss of the Company for that period;
- the Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

- the Directors had prepared the annual accounts on a going-concern basis;
- the Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems are adequate and are operating effectively.

26. Declaration by Independent Directors

The Company is a Joint-Venture Company and it is exempted from appointment of Independent Directors on the Board of the Company.

27. Extract of the Annual Return

The extract of the Annual Return as provided under sub-section (3) of section 92 of the Companies Act, 2013 is attached with this report as **Annexure-1**

28. Particulars of loans, guarantees and investments

During the year under Report, the Company has not:-

- given any loan to any person or other body corporate;
- given any guarantee or provided security in connection with any loan to any other body corporate or person; and
- Acquired by way of subscription, purchase or otherwise, the securities of any other body corporate, as prescribed under Section 186 of the Companies Act 2013.

29. Related Party Transactions

During the year under report, the Company has not entered into any contracts or arrangements with related parties referred to in sub-section (1) of Section 188 of the Companies Act 2013.

30. Technology Absorption

Use of equipment sub-assemblies and material manufactured in India has been encouraged without compromising on quality and reliability. Energy efficient pumps, motors, lighting, Fire Retardant Low Smoke Zero Halogen (FRLSZH) cables, fire doors meeting international standards have been developed by Indian Industries at the behest of the Company. Instead of CO2 fire protection flooding system, FM200 flooding system has been used in Underground stations and INERGEN gas fire protection distribution system is implemented in ASS and TSS rooms in UG stations.

Variable Frequency Drives (VFD) with latest technology:

Introduction of Variable Frequency Drive (VFD) with in-built Controller for frequency setting of motors to control Air Flow required based on concourse and Platform temperatures is being installed in Phase-1A HVAC systems at all UG Stations.

31. Material changes and commitments

a) There have been no material changes and commitments, affecting the financial position of the Company, that have occurred between the end of the financial year of the Company and the date of this Report.

b) Foreign exchange earnings and outgo

During the year details of foreign exchange outgo is given below:-

Amount in Rupees (in Lakhs)

S. No.	Particular	FY 2019-20	FY 2018-19
1.	Professional and consultancy fee	1294.22	2157.48
2.	Tours and Travels	5.77	28.26
3.	Contracts	8674.14	22191.76

32. Directors and Key Managerial Personnel

The following changes among the Whole Time Director & Key Managerial personnel took place during the Financial year: -

- Shri Mahendra Kumar, Director (Rolling Stock & Systems) ceased to be Director with effect from 30th June 2019 upon resignation to join NCRCTC as Director (Electrical).
- The tenure of Shri Kumar Keshav, Managing Director of the Company, has been extended for a further period of two (2) years with effect from 17th August 2019 upon completion of his tenure of appointment.
- Shri Ajai Kant Rastogi, Director (Finance) ceased to be Director with effect from 31st January 2020 upon completion of his tenure as Director (Finance)
- Shri Atul Kumar Garg was appointed as Director (Rolling Stock & Systems) of the company w.e.f 25th November 2019.

33. Key Managerial Personnel:-

As on 31.03.2020, the Key Managerial Personnel of the Company are as follows:

- Shri Kumar Keshav, Managing Director
- Shri Sanjay Mishra, Whole Time Director (Works & Infrastructure)
- Shri Sushil Kumar Whole Time Director (Operations)
- Shri Atul Garg, Whole Time Director (Rolling Stock & Systems)
- Smt. Pushpa Bellani, Company Secretary

Remuneration and other details of the Key Managerial Personnel for the financial year ended on 31st March, 2020 are mentioned in the extract of the Annual Return.

34. Significant and Material orders:

No significant and material orders were passed by the regulators or any courts or tribunals impacting the going-concern status of the Company and affecting its operations.

35. Risk Management Policy:

Your Company is committed to identify potential risks before they occur so that the risk management activities may be planned and invoked as and when needed across the life of the project and to

mitigate its adverse impacts on achieving the larger objectives for this your Company has identified the following specific areas for Risk Management:

1. to ensure that all the current and future material risk exposures of the Company are identified, assessed, quantified, appropriately mitigated, minimized and managed on time;
2. to ensure that high priority risks are aggressively managed and eliminated;
3. to ensure that all risks are cost-effectively managed throughout the project;
4. to promote information sharing at all levels of the management to make informed decisions on issues critical to the success of the project;
5. to ensure compliance with the appropriate regulations, wherever applicable.
6. Your Company has adopted the following measures to achieve and improve the specific objectives :-
   - Conducting quarterly internal audit by independent auditors; their observations are reviewed by the Audit Committee and corrective actions taken wherever found appropriate.
   - Physical verification of assets at regular intervals by a team constituted for the purpose and by the internal auditors.

36. Internal Financial Control

The Board has adopted robust policies and procedures to ensure the orderly and efficient conduct of the Company's business by safeguarding its assets, preventing and detecting errors and frauds, ensuring the accuracy and completeness of the accounting records and the timely preparation and submission of reliable financial disclosures.

37. Corporate Governance

Your Company adheres to impeccable Corporate Governance standards and pursues transparency, integrity and accountability in all its activities. A separate section entitled 'Corporate Governance Report' has been annexed to this report..

38. Auditors

a. Statutory Auditor

Pursuant to Section 139 of the Companies Act, 2013 M/s D S Shukla & Co, Chartered Accountants were appointed as the Statutory Auditors of the Company by the Comptroller & Auditor General of India (C&AG) who shall continue in office till the conclusion of the 7th Annual General Meeting. Report of the Statutory Auditors forming a part here of has been annexed suitably.

b. Secretarial Auditor

Pursuant to the provisions of Section 204 of the Companies Act, 2013, M/s Dileep Dixit & Co., Practicing Company Secretaries, was appointed to conduct the secretarial audit of the Company for the year 2019-20. Secretarial Auditor Report, qualification/observation made by secretarial auditor and reply/explanation given by the Company are enclosed herewith as **Annexure-2**

c. Internal Auditor

M/s. S N Kapoor &Associates, Chartered Accountants, Lucknow, were appointed as the Internal Auditors of the Company to conduct Internal Audit and their report is reviewed by the Audit Committee from time to time.

39. Acknowledgement

The Board of Directors places on record their appreciation for the advice, guidance and support given by the various Ministries, Departments and Agencies of Govt. of India. and Govt. of Uttar Pradesh. The Board of Directors expresses sincere thanks to European Investment Bank for providing loan to this project. The Board also acknowledges and extends sincere thanks to the Comptroller and Auditor General of India, Secretarial Auditors, Statutory Auditors and Internal Auditors, various national and international contractors, consultants, technical experts and suppliers for their continued support and co-operation.

The Board of Directors wish to place on record appreciation for the hard work and commitment put in by the Company's employees at all levels due to which project targets are being achieved and train operations have started. The Board also look forward to their services with zeal and dedication in the years ahead to enable the Company to scale greater heights.

For and on behalf of the Board of Directors of
Uttar Pradesh Metro Rail Corporation Limited

Place: Lucknow
Date: 26.10.2020

Sd/-
Kumar Keshav
Managing Director
DIN-02908695

Sd/-
S. K. Mittal
Director (Finance)
DIN-08821866

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

The Corporate Governance policy of Uttar Pradesh Metro Rail Corporation Limited (UPMRCL) is evolved from the philosophy of adherence to impeccable Corporate Governance practices by ensuring transparency, accountability and standards of fair dealing and ethics for attaining its corporate objective of providing a safe, reliable, efficient, viable and customer-friendly Metro system for the city of Lucknow. UPMRCL pursues the highest standards of ethics and maintains core values of integrity and trust in the entire arena in which it operates.

In the performance of its functions, UPMRCL is guided by the CVC guidelines, the Articles of Association (AoA) of the Company, the provisions of the Companies Act 2013, applicable accounting standards, regulations prescribed by authorities like the C&AG, provisions of the Right to Information Act 2005 and Rules made there under. In addition, all the applicable statutes governing the functioning of the organization in respect of safety, health, environment, welfare of the employees and those engaged through contractors, provision for fair compensation, rehabilitation and resettlement of project affected persons etc. are appropriately complied with.

A. BOARD OF DIRECTORS

1. Composition of the Board of Directors: -

As on 31st March 2020, the Board of Directors of Uttar Pradesh Metro Rail Corporation Limited comprises of 14 Directors, of whom 5 Directors are nominees of the Government of India, 5 Directors (including Managing Director of Company) are nominees of the Government of Uttar Pradesh and there are 4 are other Whole Time Directors (Post of Director (Finance) was vacant as on 31.03.2020). The Secretary, Ministry of Housing & Urban Affairs, Government of India is the Chairman while the Managing Director, is a nominee of the Government of Uttar Pradesh.

The Composition of the Board as on 31.03.2020 is as follows:

Name	Designation
Shri Durga Shanker Mishra	Chairman, Secretary, Ministry of Housing &Urban Affairs (MoHUA)
Shri Kumar Keshav	Managing Director, UPMRC
Shri Shyam Sunder Dubey	Nominee Director, GoI Joint Secretary & FA, MoHUA
Shri Vinay Kumar Singh	Nominee Director, GoI Managing Director, National Capital Region Transport Corporation Limited
Shri Deepak Kumar	Nominee Director, GoUP Principal Secretary, Housing and Urban Planning Department, GoUP
Shri Mukesh Kumar Meshram	Nominee Director, GoUP Commissioner, Lucknow
Shri Shiv Das Meena	Nominee Director of GoI Additional Secretary (D) MoHUA
Shri Pradeep M. Sikdar	Nominee Director of GoI ED/Sig.(Dev), Railway Board
Shri Alok Kumar	Nominee Director of GoUP Principal Secretary, Infrastructure and Industrial Development Department
Shri Sanjay Mishra	Whole-time Director (W & I), UPMRC
Shri Sushil Kumar	Whole-time Director (Operations), UPMRC
Shri Atul Kumar Garg	Whole-time Director (RS & S), UPMRC

During the period under report, the following Directors were inducted based on nomination received from Government of India and Government of Uttar Pradesh:

1. Shri Shyam Sunder Dubey;
2. Shri Shiv Das Meena;
3. Shri Mukesh Kumar Meshram;
4. Shri Deepak Kumar;
5. Dr. Devesh Chaturvedi;
6. Shri Alok Kumar;
7. Shri Bhuvnesh Kumar.

2. Note of Appreciation

The Board places on record its appreciation for the valuable services rendered and the expert advice provided by following Directors whose tenure ceased during the year under review;

Sr. No.	Name Of Director	Date Of Cessation	Designation
1	Shri Nitin Ramesh Gokarn	27.06.2019	Nominee Director, GoUP
2	Shri Mahendra Kumar	30.06.2019	Whole Time Director (RS &S)
2	Dr. Devesh Chaturvedi	05.08.2019	Nominee Director, GoUP
3	Shri Rajesh Kumar Singh	08.11.2019	Nominee Director, GoUP
4	Shri Anil Garg	02.09.2019	Nominee Director, GoUP
5	Shri Bhuvnesh Kumar	14.02.2020	Nominee Director, GoUP
6	Smt. Jhanjha Tripathy	16.07.2019	Nominee Director, GoI
7	Shri K Sanjay Murthy	18.11.2019	Nominee Director, GoI

The Board of Directors of the Company comprises professionals with proven administrative and execution capabilities, committed to the objective of the company, who collectively direct the affairs of the Company.

3. Board Procedure

Board Meetings are conducted regularly for critical evaluation and review of the performance of the Company and for ensuring effective implementation of management decisions. The Company has streamlined a procedure for holding the Board and its Committee Meetings, as explained below: -

Scheduling and selection of Agenda items for Board/Committee Meetings:

The meetings are convened by giving appropriate notice after obtaining approval of the Chairman of the Board. To address specific urgent needs, meetings are also called at short notice. The Board also passes Resolutions by Circulation, but only for such matters, which are of utmost urgency and which are permissible in terms of the provisions of the Companies Act 2013.

The agenda papers are prepared by the Heads of Departments concerned and submitted to the Managing Director. Duly approved detailed agenda notes, management reports and other explanatory statements, backed by comprehensive background information, are circulated in advance amongst the members for facilitating meaningful, informed and focused decisions at the meetings.

In special and exceptional circumstances, additional or supplementary item(s), not on the agenda are taken up for discussion with the permission of the Chair. The Board is also informed of major events/items of approvals taken whenever necessary. The Managing Director at the Board Meetings keeps the Board apprised of the overall performance of the Company. The Board is of the view that status of actions taken on the directives of the Board in earlier meetings also forms part of the agenda of next Board Meeting.

The members of the Board have complete access to all information of the Company. Also, the Board meetings are conducted in line with the Secretarial Standards-1.

Briefing by the Managing Director:

At the beginning of each meeting of the Board, the Managing Director briefs the Board members about the key developments including the status of the project and other important achievements/ developments relating to the Company in various areas.

Recording Minutes of proceedings at the Board meeting:

Minutes of the proceedings of each Board meeting are recorded and are entered in the Minutes Book. The minutes of the Board Meetings are submitted for confirmation at its next meeting after these are signed by the Chairman. The minutes of the meetings of the Sub-committees of the Board are placed before the Board for its information.

Compliance:

The Heads of Departments while preparing agenda notes ensure adherence to all the applicable statutory requirements including the provisions of the Companies Act 2013, the Articles of Association and the CVC guidelines.

The employees of the Company pursue the duties and responsibilities entrusted to them. They always maintain high moral standards and values in contributing to wards corporate functioning, and the appropriate and timely guidance from the management, helps them to discharge their duties effectively.

4. Meeting of shareholders

The 6th Annual General Meeting of the shareholders of the Company was held on 30th September 2019 at Ministry of Housing and Urban Affairs, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi.

5. Board Meetings

During the year FY 2019-20, three Board meetings were convened and held. The attendance details of Directors at the Board meetings held during their tenure is as given below:

S. No	Name	No. of Meetings held in 2019-20 during the tenure of their Directorship	No. of Board meetings attended
1	Shri Durga Shanker Mishra	3	3
2	Shri Kumar Keshav	3	3
3	Smt. Shyam Sunder Dubey	3	3

4	Shri Vinay Kumar Singh	3	1
5	Shri K Sanjay Murthy	2	2
6	Shri Pradeep M Sikdar	3	2
7	Dr. Devesh Chaturvedi	1	1
8	Shri Deepak Kumar	2	2
8	Shri Bhuvnesh Kumar	2	0
9	Shri Mukesh Kumar Meshram	2	0
10	Shri Rajesh Kumar Singh	2	0
11	Shri Ajai Kant Rastogi	3	3
12	Shri Sanjay Mishra	3	3
13	Shri Sushil Kumar	3	3
14	Shri Atul Kumar Garg	1	1
15	Shri Shiv Das Meena	1	0
16	Shri Alok Kumar	1	0

5. Committees of the Board

The Board has constituted Five Committees, commensurate with the size and nature of operation of the Company. These are Audit Committee & Investment Committee, Internal Complaint Committee, Corporate Social Responsibility Committee and Nomination & Remuneration Committee. Each of these committees has clearly spelt out Terms of Reference duly approved by the Board. These Committees meet according to the requirements of the Company from time to time.

a. Audit Committee

The composition of the Audit Committee of the Company as on date is:

S. No.	Name of the Director	Designation	Date of appointment as Member of Committee
1	Shri K Sanjay Murthy, Add Secretary, MoHUA**	Nominee Director, GoI	25.7.2019
2	Shri Deepak Kumar Principal Secretary, Housing and Urban Planning Department, GoUP	Nominee Director, GoUP	5.8.2019
3	*Principal Secretary, Finance Department, GoUP	Member,	
4	Shri Shyam Sunder Dubey Joint Secretary & FA, MoHUA	Member,	27.7.2019
5	Shri Sushil Kumar Director (Operating) UPMRC	Member,	27.7.2019

*Position is currently vacant.

**on account of vacant position of Government Nominee Director as member of the Audit Committee, Shri Murthy chaired the 18th Audit Committee Meeting as Nominee Director of GoI.

The Committee met 2 (two) times during the year under review.

Meeting No.	Date of Meeting
18th	25.07.2019
19th	15.01.2020

General Manager (Finance), Internal Auditors and the Statutory Auditors of the Company were also invited to attend the meetings of the committee. The terms of reference of the Audit Committee are as approved by the Board in accordance with the provisions of Companies Act 2013 and rule made there under :-

S. No.	Name of the Member of the Audit Committee	Meetings held in 2019-20 during the tenure of their Membership	Meetings Attended
1.	Shri K Sanjay Murthy	1	1
2.	Shri Deepak Kumar	1	1
3.	Shri Bhuvnesh Kuamr	2	0
4	Smt. Shyam Sunder Dubey	2	0
5	Shri Sushil Kumar Director (Operations)	2	2

b. Investment Committee:

The composition of the Investment Committee of the Company is as follows as on date.

S No	Name of the Member	Designation
1.	Shri Kumar Keshav, Managing Director	Chairman
2.	Shri Atul Kumar Garg, Director (RS&S)	Member
3.	Shri S K Mittal, Director (Finance)	Member

c. Corporate Social Responsibility Committee:

The Corporate Social Responsibility Committee of the company as on date is:-

S No	Name of the Member	Designation
1.	Dr Devesh Chaturvedi	Principal Secretary, Housing & Urban Planning Department and Nominee Director, GoUP
2.	Shri Deepak Kumar	Principal Secretary, Housing & Urban Planning Department and Nominee Director, GoUP
3.	Shri Sushil Kumar	Director (Operations), UPMRC
4.	Shri S K Mittal	Director (Finance), UPMRC

*Shri Deepak Kumar appointed as Chairman of CSR Committee in place of Dr Devesh Chaturvedi w.e.f.5.8.2019 and During FY 2019-20 only 1 CSR Committee meeting was held on 22.7.2019

d. Nomination & Remuneration Committee (HR Committee):

The composition of the Nomination & Remuneration Committee of the Company as on date is:-

S No	Name of the Member	Designation
1.	Shri Deepak Kumar	Principal Secretary, Housing & Urban Planning Department and Nominee Director, GoUP
2.	Shri Kumar Keshav	Managing Director, UPMRC
3.	Shri S K Mittal	Director (Finance), UPMRC

During FY 2019-20, only 1 (HR Committee) meeting was held on 26.9.2019 and all members of the committee were present in meeting.

B. DISCLOSURES

- There have been no materially significant related party transactions i.e., transactions of the Company of a material nature with its promoters, the directors or the management, subsidiaries or relatives etc.
- That may have potential conflict of interest with the interest of the Company at large.
- There were no cases of any statutory non-compliances by the Company or any instances of penalties imposed or structures against the Company by any Statutory Authority.
- There were no items of expenditure debited in the books of accounts, which were not for the purpose of the business of the Company.

C. COMPANY'S WEBSITE

The Company's website is www.upmetrorail.com All major information pertaining to the Company, including the project, contracts, job recruitment processes etc are given on the website to disseminate timely information. The website also provides information on all important events, activities and progress of the Metro Rail project and other significant developments.

Registered Office:
Administrative Building,
Vipin Khand, Gomti Nagar,
Lucknow-226010, Ph-0522-2304011
Email. pushpa.bellani@upmrcl.co.in
Website: www.upmetrorail.com

For and on behalf of the Board of Directors of
Uttar Pradesh Metro Rail Corporation Limited

Place: Lucknow
Date: 26.10.2020

Sd/-
Kumar Keshav
Managing Director
DIN-02908695

Sd/-
S. K. Mittal
Director (Finance)
DIN-08821866

Annexure-1

FORM NO. MGT 9

EXTRACT OF ANNUAL RETURN

As on financial year ended on 31.03.2020

Pursuant to Section 92 (3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Company (Management & Administration) Rules, 2014.

I. REGISTRATION & OTHER DETAILS:

1.	CIN	U60300UP2013SGC60836
2.	Registration Date	25th November, 2013
3.	Name of the Company	Uttar Pradesh Metro Rail Corporation Limited
4.	Category/Sub-category of the Company	Government Company
5.	Address of the Registered office & contact details	Administrative Building, Near Dr Bhimaro Ambedkar Samajik Parivartan Sthal, Vipin Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010, Phone:0522-2304010, Email: cslmrcl@gmail.com, Website: www.upmetrorail.com
6.	Whether listed company	Not Listed
7.	Name, Address & contact details of the Registrar & Transfer Agent, if any.	NA

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY :

(All the business activities contributing 10% or more of the total turnover of the company shall be stated)

S. No.	Name and Description of main products / services	NIC Code of the Product/service	% to total turnover of the company
1.	Land transport via Railways & Pipelines	H2	100

III. PARTICULARS OF HOLING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES

Sr. No.	Name and address of the company	CIN / GLN	Holding / Subsidiary / Associate	% of shares held	Applicable section
	----------Not Applicable ----------				

IV. SHARE HOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity):

a) Category-wise Share Holding

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year [As on 01-April-2019]				No. of Shares held at the end of the year [As on 31-March-2020]				% Change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
A. Promoters									
(1) Indian									
a) Individual/ HUF	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Central Govt.	-	100300000	100300000	50.15%	-	100300000	100300000	45.47%	(4.68%)
c) State Govt.(s)	-	99700000	99700000	49.85%	-	120300000	120300000	54.53%	4.68%
d) Bodies Corp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) Banks / FI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f) Any other	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total shareholding of Promoter (A)		**200000000**	**200000000**	**100%**		**220600000**	**220600000**	**100%**	**-**
B. Public Shareholding									
1. Institutions	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Mutual Funds	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Banks / FI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Central Govt	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) State Govt(s)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) Venture Capital Funds	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f) Insurance Companies	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g) FIIs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
h) Foreign Venture Capital Funds	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) Others (specify)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-total (B)(1):-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Non-Institutions	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Bodies Corp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) Indian	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) Overseas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Individuals	-	-	-	-	-	-	-	-	-

i) Individual shareholders holding nominal share capital up-to Rs. 1 lakh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) Individual shareholders holding nominal share capital in excess of Rs 1 lakh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Others (specify)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(i) Non Resident Indians	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) Overseas Corporate Bodies	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii) Foreign Nationals	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(iv) Clearing Members	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(v) Trusts	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(vi) Foreign Bodies - D R	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-total (B)(2):-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Total Public Shareholding (B) = (B)(1) + (B)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Grand Total (A + B + C)	**-**	**200000000**	200000000	100%	-	220600000	220600000	100%	

b) Shareholding of Promoter-

S. No.	Shareholder's Name	Shareholding at the beginning of the year			Shareholding at the end of the year			% change in shareholding during the year
		No. of Shares	% of total Shares of the company	%of Shares Pledged/ encumbered to total shares	No. of Shares	% of total Shares of the company	%of Shares Pledged/ encumber-red to total shares	
1.	Central Govt.	100300000	50.15%	-	100300000	45.47%	-	4.68% Decreased
2.	UP Govt.	99700000	49.85%	-	120300000	54.53%	-	4.68% Increased
	Total	**200000000**	**100%**	**-**	**220600000**	**100%**	**-**	**-**

c) Change in Promoters' Shareholding :-

S. No.	Name of Shareholder	Shareholding at the beginning of the year (i.e. 01.04.2018)		Date	Increase/Decrease Shareholding		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
1.	Govt. of U.P	99700000	49.85%	27.01.2020 Right issue	20600000	4.68% Increased	120300000	54.53%
2.	Govt. of India	100300000	50.15%	-	-	4.68% Decreased	100300000	45.47%
Total	**200000000**	**100%**	**-**	**20600000**	**-**	**220600000**	**100%**	**-**

d) Shareholding Pattern of top ten Shareholders: (Other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs): NA

Sr. No.	For Each of the Top 10 Shareholders	Shareholding at the beginning of the year		Cmulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
1.	At the beginning of the year	Not Applicable			
2.	Date wise Increase / Decrease in Promoters Shareholding during the year specifying the reasons for increase /decrease (e.g. allotment / transfer / bonus/ sweat equity etc):				
3.	At the end of the year				

e) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel: NA

Sr. No.	Shareholding of each Directors and each Key Managerial Personnel	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
1.	At the beginning of the year	-	-	-	-
2.	Date wise Increase / Decrease in Promoters Shareholding during the year specifying the reasons for increase /decrease (e.g. allotment / transfer / bonus/ sweat equity etc.)	-	-	-	-
3.	At the end of the year	**-**	**-**	**-**	**-**

V) INDEBTEDNESS

Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment.

Particulars	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness
Indebtedness at the beginning of the financial year				
i) Principal Amount	Nil	461205.00	Nil	461205.00
ii) Interest due but not paid	Nil	590.66	Nil	540.67
iii) Interest accrued but not due	Nil	101.59	Nil	101.59
Total (i + ii + iii)	**Nil**	**461847.26**	**Nil**	**461847.26**
Change in Indebtedness during the financial year				
Addition	Nil	1695.00	Nil	1695.00
Reduction	Nil	Nil	Nil	Nil
Net Change	**Nil**	**1695.00**	**Nil**	**1695.00**
Indebtedness at the end of the financial year				
i) Principal Amount	Nil	462900.00	Nil	462900.00
ii) Interest due but not paid	Nil	1099.37	Nil	1099.37
iii) Interest accrued but not due	Nil	213.35	Nil	213.35
Total (i + ii + iii)	**Nil**	**464212.72**	**Nil**	**464212.72**

VI) REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL-

A. Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager:

Sr. No.	Particulars of Remuneration	Name of MD/WTD/ Manager (Amt in Rs.)						Total Amount
		Managing Director	WTD (Finance)	WTD (W&I)	WTD (R&S)		WTD (Operations)	
		Kumar Keshav	Ajay Kant Rastogi	Sanjay Mishra	Mahendra kumar till June,2019	Atul Kumar Garg from Dec, 2019	Sushil Kumar	
1.	**Gross salary**							
(a)	Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961	4048644	4447934	4557310	1006899	1182348	4596766	19839901
(b)	Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961	388153	367163	160422	440590	133475	201670	1691473
(c)	Profits in lieu of salary under section 17(3) Income- tax Act, 1961	-	-	-	-			

2.	**Stock Option**	-	-	-	-			
3.	**Sweat Equity**	-	-	-	-			-
4.	**Commission - as % of profit - others, specify**	-	-	-	-			-
5.	**Others, please (Contribution to Provident Fund and other Funds, Gratuity & Group Insurance) (Contribution to Provident Fund and other Funds, Gratuity & Group Insurance) specify**	380313	762930	7,16,626.00	100371	105701	702082	2768023
	Total (A) Rs	4817110	5578027	5434358	1547860	1421524	5500518	24299397
	Ceiling as per the Act	NA	NA	NA	NA	NA		

B. Remuneration to other directors +

Sr. No.	Particulars of Remuneration	Name of Directors					Total Amount
		-	-	-	-	-	-
1	Independent Directors	-	-	-	-	-	-
	Fee for attending board committee meetings	-	-	-	-	-	-
	Commission	-	-	-	-	-	-
	Others, please specify	-	-	-	-	-	-
	Total (1)	-	-	-	-	-	-
2	Other Non-Executive Directors						
	Fee for attending board committee meetings	-	-	-	-	-	-
	Commission	-	-	-	-	-	-
	Others, please specify- Retainer ship fee	-	-	-	-	-	-
	Total (2)	-	-	-	-	-	-
	Total (B) = (1 + 2)	-	-	-	-	-	-
	Total Managerial Remuneration	-	-	-	-	-	-
	Overall Ceiling as per the Act						

C. Remuneration to Key Managerial Personnel Other Than MD/Manager/WTD

Sr. No.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel			
		CS			Total
1.	Gross salary				
	(a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961	19,82,315	-	-	19,82,315
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961	5,57,642	-	-	5,57,642
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income-tax Act, 1961	-	-	-	-
2.	Stock Option	-	-	-	-
3.	Sweat Equity	-	-	-	-
4.	Commission	-	-	-	-
	as % of profit	-	-	-	-
	others, specify	-	-	-	-
5.	Others, please specify (Contribution to Provident Fund and other Funds, Gratuity & Group Insurance)	2,06,955	-	-	2,06,955
	Total	**27,46,912**	**-**	**-**	**27,46,912**

VII) PENALTIES / PUNISHMENT/ COMPOUNDING OF OFFENCES :

Type	Section of the Companies Act	Brief Description	Details of Penalty / Punishment/ Compounding fees imposed	Authority [RD / NCLT/ COURT]	Appeal made, if any (give Details)
A. COMPANY					
Penalty	-	-	-	-	-
Punishment	-	-	-	-	-
Compounding	-	-	-	-	-
B. DIRECTORS					
Penalty	-	-	-	-	-
Punishment	-	-	-	-	-
Compounding	-	-	-	-	-
C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT					
Penalty	-	-	-	-	-
Punishment	-	-	-	-	-
Compounding	-	-	-	-	-

Annexure-2

Dileep Dixit & Co.
Company Secretaries

Email ID : cs.delipdixit@gmail.com
Contact Nos. : +91 8354980010

Form No. MR-3

SECRETARIAL AUDIT REPORT FOR THE PERIOD ENDED 31ST MARCH, 2020

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule No. 9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]

To,

The Members,
Uttar Pradesh Metro Rail Corporation Limited
(earlier known as "Lucknow Metro Rail Corporation Limited")
CIN: U60300UP2013SGC060836
Reg. Office: Administrative Building Vipin Khand,
Gomti Nagar, Near Dr. Ambedhkar Samajik,
Parivartan Sthal Lucknow -226010 Uttar Pradesh
E-mail id: cslmrcl@gmail.com

1. We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **Uttar Pradesh Metro Rail Corporation Limited** (hereinafter called as "the company"). The Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

2. We have examined the registers, records, books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company for the financial year ended on 31st Day of March, 2020 according to the provisions of:

   i. The Companies Act, 2013 and Rules made there under and various allied acts warranting compliance;

   ii. The Metro Railways (Construction of works) Act,1978 and Rules thereof;

   iii. The Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 and Rules thereof; and

   iv. The Memorandum and Articles of Association of the Company;

3. Based on our verification of books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the company has, during the audit period covering the financial year ended on **31st Day of March, 2020** complied with the statutory provisions listed hereunder:

   i. maintenance of various statutory registers and documents and making necessary entries therein;

   ii. forms, returns, documents and resolutions required to be filed with the Registrar of Companies;

   iii. service of documents by the Company on its Members, Auditors and the Registrar of Companies;

   iv. notice of Board and various Committee meetings of Directors;

v. meetings of Directors and all the Committees of Directors;

vi. notice and convening of Annual General Meeting held on 30th September, 2019;

vii. minutes of the proceedings of the Board Meetings, Committee and Members Meetings;

viii. approvals of the Board of Directors, Committee of Directors, Members and Government authorities, wherever required;

ix. constitution of the Board of Directors, Committees of Directors and appointment and reappointment of Directors;

x. payment of remuneration to Directors and Managing Director and Key Managerial Personnel;

xi. appointment and remuneration of Statutory Auditors, Secretarial Auditors and Internal Auditors;

xii. transfer of Company's shares, issue and allotment shares;

xiii. contracts, registered office and publication of name of the Company;

xiv. report of the Board of Directors;

xv. investment of Company's funds;

xvi. generally, all other applicable provisions of the Act and the Rules there under;

xvii. The Company has, in our opinion, proper Board-processes and compliance mechanism and has complied with the applicable statutory provisions, Act(s), rules, regulations, guidelines, applicable secretarial standards, etc., mentioned above and as stipulated under the Memorandum and Articles of Association the Company.

4. We further report that:

i. the Directors have complied with the requirements as to disclosure of interests and concerns in contracts and arrangements, shareholdings and directorships in other Companies and interest in other entities;

ii. the Company has obtained all necessary approvals under various provisions of the Companies Act, 2013 wherever necessary;

iii. there was no prosecution initiated against or show cause notice received by the Company during the year under review the Companies Act, 2013 and rules, regulations and guidelines there under.

5. We further report that during the year:

The status of the Company remains as a Government Company with 50:50 Joint Venture of State (Government of Uttar Pradesh) and Central Government. Further, we are of the view that the Company is regular in complying with the applicable provisions of the Companies Act, 2013, the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978 and the Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 (Being specific acts governing the Company).

i. The compliance to that effect have been made, this fact has been examined from the perusal of various records maintained by the Company.

ii. During the period under review, the Board of Directors of the Company was duly constituted and the appointment and cessation of Directors has been made in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 and respective Government Orders. The Company has complied with all the mandatory requirements.

We further report that the applicable financial laws, such as Direct and Indirect Tax Laws have not been reviewed under our audit in its entirety as same falls under review of the statutory audit and by other designated professionals and we relied upon the reports of such statutory auditor and other designated expert professionals.

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

(i) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India;

(ii) Auditing Standards (CSAS) issued by The Institute of Company Secretaries of India (ICSI)

During the period under review the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above subject to the following observations:

Para wise Report on specific observations / audit qualification, reservation or adverse remarks in respect of the applicable laws are provided in the **"Annexure A"** attached with this report (forming integral part of report).

We further report that

The Board of Directors of the Company is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act and as per the orders issued by the concerned regulatory body and government in this regard.

Adequate notices were given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance in most of the meetings, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

As per the minutes of the meetings duly recorded and signed by the Chairman, the decisions of the Board were unanimous and no dissenting views have been recorded.

We further report that there are adequate systems and processes in the company commensurate with the size and operations of the company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

UDIN: F006244B000661349
Place: Lucknow
Date: 04.09.2020

For M/s. **Dileep Dixit & Co.**

Sd/-
Dileep Kumar Dixit
Proprietor
FCS No. 6244
C P No. 6770

Annexure A

1. Observation of gap of more than 120 (one hundred and twenty) days between two consecutive Board meetings particularly between 35th Board Meeting held on 27th Day of March, 2019 and 36th Board meeting held on 27th Day of July, 2019 pursuant to the provisions of Section 173 of the Companies Act, 2013.

2. Observation of total number of 3 (three) Board meetings were found to be conducted during the Financial Year 2019-20 i.e. 36th Board meeting held on 27th Day of July, 2019; 37th Board meeting held on 30th Day of September, 2019 and 38th Board meeting held on 27th Day of January, 2020.

3. During the period under audit, Mrs. Jhanjha Tripathi (Nominee Director of Govt. of India) (DIN: 06859312) was a women Director in the Board of Directors of the Company till 16.07.2019. No further appointment was made as women Director in the Company.

UDIN: F006244B000661349
Place: Lucknow
Date: 04.09.2020

For M/s. **Dileep Dixit & Co.**

Sd/-
Dileep Kumar Dixit
Proprietor
FCS No. 6244
C P No. 6770

Annexure-B

Dileep Dixit & Co.
Company Secretaries

Email ID : cs.delipdixit@gmail.com
Contact Nos. : +91 8354980010

To,

The Members,
Uttar Pradesh Metro Rail Corporation Limited
(earlier known as "Lucknow Metro Rail Corporation Limited")
CIN: U60300UP2013SGC060836
Reg. Office: Administrative Building Vipin Khand,
Gomti Nagar, Near Dr. Ambedhkar Samajik,
Parivartan Sthal Lucknow -226010 Uttar Pradesh
E-mail id: cslmrcl@gmail.com

Our Report of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of secretarial record is the responsibility of the management of the Company. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.
2. We have followed the audit practices and process as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.
3. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and books of accounts of the Company so far it is not concerned with our audit related matters.
4. Where ever required, we have obtained the management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.
5. The Compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards are the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedure on test basis.
6. The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.
7. Due consideration was given to the fact of widespread pandemic Covid-19 novel Coronavirus and maximum efforts were made to maintain social distancing while conducting the audit and all steps were taken to digitally conduct the audit with less physical presence at audit place.

UDIN: F006244B000661349
Place: Lucknow
Date: 04.09.2020

For M/s. **Dileep Dixit & Co.**

Sd/-
Dileep Kumar Dixit
Proprietor
FCS No. 6244
C P No. 6770

Management Reply to observation in Secretarial Audit Report of Secretarial Auditor of the Company for FY 2019-20

S. No.	Comment	Management Reply
1	Observation of gap of more than 120 (one hundred and twenty) days between two consecutive Board meetings particularly between 35th Board Meeting held on 27th Day of March, 2019 and 36th Board meeting held on 27th Day of July, 2019 pursuant to the provisions of Section 173 of the Companies Act, 2013	35th Board meeting was held on 27.3.2019 & 36th Board meeting was held on 27.7.2019. There was delay of 2 days on account of pre occupied & unavoidable reasons, the members were not available for the meeting and hence the meeting could not be conducted within the stipulated days.
2	Observation of total number of 3 (three) Board meetings were found to be conducted during the Financial Year 2019-20 i.e. 36th Board meeting held on 27th Day of July, 2019; 37th Board meeting held on 30th Day of September, 2019 and 38th Board meeting held on 27th Day of January, 2020	37th Board meeting was held on 27.1.2020 and after that fourth meeting may be held on or before 31.3.2020 but it was not held on account of nationwide Lockdown declared by Government of account of Covid 19 in third week of March 2020. Further as per the Para II of the MCA Circular dated 24.3.2020 grants relaxation of 60 additional days (180 days in total) for time gap between two board meetings "till" next two quarters i.e till 30th September. Accordingly our next board meeting was held on 22.7.2020.
3	During the period under audit, Mrs. Jhanjha Tripathi (Nominee Director of Govt. of India) (DIN: 06859312) was a women Director in the Board of Directors of the Company till 16.7.2019. No further appointment was made as women Director in the Company.	As per the terms of AOA the Board structure of the Company comprises of following: 5 Nominee directors of GoI 5 Nominee directors of GoUP 4 whole time Directors appointed by the Board of Directors. On account of the being Government Company, the whole time directors are appointed after compliance of the various Government guidelines regarding appointment by issue of the proper public notification and as per the terms and qualification requirement of the job. Earlier GoI has nominated the women director on the Board of the Company and accordingly we further request to government for nomination of women director on the Board of the Company.

Pushpa Bellani
Company Secretary

S K Mittal
Director (Finance)

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To the Members of Uttar Pradesh Metro Rail Corporation Limited
(Formerly Lucknow Metro Rail Corporation Limited)

Report on the Audit of the Financial Statements

Opinion

We have audited the accompanying financial statements of Uttar Pradesh Metro Rail Corporation Limited (Formerly Lucknow Metro Rail Corporation Limited) (the 'Company'), which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2020, the Statement of Profit and Loss (including Other Comprehensive Income), the Cash Flow Statement and the Statement of Changes in Equity for the year then ended, and a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 (the 'Act') in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India including Indian Accounting Standards ('Ind AS') specified under Section 133 of the Act, of the state of affairs (financial position) of the Company as at 31st March 2020, and its profit (financial performance including other comprehensive income), its cash flows and the changes in equity for the year ended on that date.

Emphasis of Matter

Without qualifying our opinion, we draw attention to the following:

1) Note No. 30 (d) to the Ind AS financial statement, regarding non execution of tittle deed of Land in favor of the company.

2) Note No. 14 and 30(c) to the Ind AS financial statement, regarding recognition of Interest free subordinate Government loan at historical value presented as financial liability has not been measured in accordance with Ind AS 109 – Financial Instruments, due to uncertainty in period of repayment of the subordinate debt.

3) Note No. 30(c) to the Ind AS financial statement, European Investment Bank (EIB) loan outstanding INR 350200 lakhs & interest accrued of INR 620.47 Lakhs, Government of India arranged Pass Through Assistance (PTA) of these loan disbursements for execution of the metro rail project in lucknow (U.P) . Exchange rate fluctuations gain/loss has not been provided in the Ind AS financial statements as required by Ind AS 21 - The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates, and shall be provided on transaction basis on advice of GoI.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI') together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Act and the rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in

accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of Management for Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Act with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the state of affairs (financial position), profit or loss (financial performance including other comprehensive income), changes in equity and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Ind AS specified under Section 133 of the Act. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those Board of Directors are also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under Section 143(3) (i) of the Act, we are also responsible for explaining our opinion on whether the Company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the Order") issued by the Central Government in terms of Section 143(11) of the Act, we give in **"Annexure A"** a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order.

2. As required by section 143(5) of the Act, we give in **"Annexure B"** a statement based on the directions issued and matters specified by the Comptroller and Auditor General of India.

3. As required by Section 143(3) of the Act, we report that:

   a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.

   b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books

   c) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss, the Cash Flow Statement and Statement of Changes in Equity dealt with by this Report are in agreement with the books of account

   d) In our opinion, the aforesaid Ind AS financial statements comply with the Indian Accounting Standards prescribed under section 133 of the Act

   e) Since, the company is a Government Company, section 164(2) of the Companies Act, 2013 regarding obtaining written representations from the directors of the Company, is not applicable to the company in terms of notification no. GSR-463(E) dated 5th June 2015 issued by Ministry of Corporate Affairs.

   f) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in **"Annexure C"**.

g) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

i. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its Ind AS financial statements which would impact its financial position in its Notes No. 30 (1) to Ind AS Financial Statement.

ii. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses, if any.

iii. There is no amount which is, required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Company.

4. With respect to the matter to be included in the Auditors' Report under section 197(16): As per Notification No. GSR 463(E) dated 5th June 2015 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India, Section 197 of the Act is not applicable to the Government Companies. Accordingly, reporting in accordance with requirement of provisions of section 197(16) of the Act is not applicable on the Company.

For D.S.Shukla & Co.
Chartered Accountants
(FRN No. : 000773C)

Sd/-
(R.K Srivastava)
Partner
Membership number: 078783
UDIN: 20078783AAAABX4585

Place: Lucknow
Date: 26.10.2020

ANNEXURE - A TO THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

(Referred to in paragraph 1 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' in the Independents Auditor's Report of even date)

i. In respect of the Company's fixed assets :

   a. The Company has maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of fixed assets.

   b. The Company has a program of verification to cover all the items of fixed assets in a phased manner which, in our opinion, is reasonable having regard to the size of the Company and the nature of its assets. Pursuant to the program, fixed assets were physically verified by the Management during the year. According to the information and explanations given to us, no material discrepancies were noticed on such verification.

   c. As per the information and explanation given to us, title deeds of immovable properties are held in the name of the Company except for the cases as disclosed in Note No. 1 to the Ind AS Financial Statement.

ii. The Company is engaged in the business of Metro Rail Infrastructure and Maintenance and does not have any physical inventories. Accordingly, reporting under Clause 3 (ii) of the Order is not applicable to the Company.

iii. The Company has not granted any loans, secured or unsecured to companies, firms, Limited Liability Partnerships or other parties covered in the register maintained under section 189 of the Companies Act, 2013.

iv. According to the information and explanations given to us, the company has not given loan or made Investment or given guarantee and security for the persons specified under provisions of section 185 and 186 of the Companies Act, 2013, and hence not commented upon.

v. The Company has not accepted deposits during the year and does not have any unclaimed deposits as at March 31st, 2020 and therefore, the provisions of the clause 3 (v) of the Order are not applicable to the Company.

vi. The Central Government has not prescribed the maintenance of Cost Records under section 148(1) of the Act for any of the services rendered by the company hence not commented upon.

vii. According to the information and explanations given to us, in respect of statutory dues :

   a. The Company has generally been regular in depositing undisputed statutory dues, including Provident Fund, Employees' State Insurance, Income Tax, Sales Tax, Service Tax, Goods and Service Tax, Customs Duty, Excise Duty, Cess and other material statutory dues applicable to it with the appropriate authorities.

   b. There were no undisputed amounts payable in respect of Provident Fund, Employees' State Insurance, Income Tax, Sales Tax, Service Tax, Value Added Tax, Goods and Service Tax, Customs Duty, Excise Duty, Cess and other material statutory dues in arrears as at March 31st, 2020 for a period of more than six months from the date they became payable.

   c. According to the information and explanation given to us, the dues of income tax, outstanding on account of any dispute are as under.

Nature of the Statue	Nature of Dues	Forum where dispute is pending	Period to which amount relates	Amount INR In Lacs
Income tax Act 1961	Tax Deducted at Source	CIT (Appeal)	2013-14	18.24
Income tax Act 1961	Tax Deducted at Source	CIT (Appeal)	2014-15	0.41
Income tax Act 1961	Tax Deducted at Source	CIT (Appeal)	2015-16	47.64
Income tax Act 1961	Tax Deducted at Source	CIT (Appeal)	2016-17	108.47

viii. According to the information and explanation given to us, the Company has not defaulted in repayment of dues to any financial institution and government during the year.

ix. As per explanation provided to us, the company raised monies by way of further offer of shares to the existing shareholders or term Loans and the amount were used for the purpose for which they were raised.

x. To the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us, no fraud by the Company or no material fraud on the Company by its officers or employees has been noticed or reported during the year.

xi. As per notification no. GSR 463(E) dated 5th June 2015 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India, Section 197 is not applicable to the Government Companies. Accordingly, provisions of clause 3 (xi) of the Order are not applicable to the Company.

xii. The Company is not a nidhi company and hence, reporting under Clause 3 (xii) of the Order is not applicable to the Company.

xiii. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company is in compliance with Section 177 and 188 of the Companies Act, 2013 where applicable, for all transactions with the related parties and the details of related party transactions have been disclosed in the Ind AS financial statements as required by the applicable Indian accounting standards.

xiv. During the year, the Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly paid convertible debentures and hence, reporting under Clause 3 (xiv) of the Order is not applicable to the Company.

xv. In our opinion and according to the information and explanations given to us, during the year the Company has not entered into any non-cash transactions with its directors or persons connected to its directors and hence provisions of Section 192 of the Companies Act, 2013 are not applicable to the Company.

xvi. The Company is not required to be registered under Section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934.

For D.S.Shukla & Co.
Chartered Accountants
(FRN No. : 000773C)

Sd/-
(R.K Srivastava)
Partner
Membership number: 078783
UDIN: 20078783AAAABX4585

Place: Lucknow
Date: 26.10.2020

ANNEXURE - B TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

[Referred to in paragraph 2, under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' in the Independent Auditor's Report of even date]

According to the information and explanations given to us we report as under:

1. **Whether the Company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any , may be stated?**

   The company has IT system in place to process accounting transaction; further the company has installed ERP System as well, which is pending implementation.

2. **Whether there is any restructuring of any existing loans or cases of waiver/write off of debts/ loans/interest etc. made by lender to the Company due to the Company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated?**

   We generally observed no cases of waiver/ write off of debts/loans/interest, etc. during the year under audit.

3. **Whether funds received/ receivable for specific schemes from central/ State agencies were properly accounted for /utilized as per its terms and conditions? List the cases of deviations?**

   Funds received by the company are as per the Finance Model in approved DPR which have been generally properly accounted for/utilized. However As per MOU dated 23rd March 2016 between GoI, GoUP and UPMRC (FORMERLY LMRC), the debt servicing liability of UPMRC (Formerly LMRC) with regard to EIB, the loan portion shall be reckoned based on the repayment schedule of EIB in rupee terms along with exchange rate fluctuation of loan currency, which the company has not provided for the effects of Changes in Foreign Exchange Rates, and shall be provided on transaction basis on advice of GoI, Further loan from GoI and GoUP would be paid after paying the senior debt.

4. **Whether the system in vogue for identification of project to be taken up under Public Partnership is in line with the guidelines/ policies of the Government? Comment on deviation if any?**

   As per information and explanation provided to us, during the year under audit, the company has selected HDFC Bank as Merchant Acquirer Bank for Uttar pradesh Metro Rail Corporation (Formerly LMRC), Fare Collection system, agreement for six years and provision of Allied Banking Applications under PPP model, no deviation in compliances of Government guidelines/ policies was reported.

5. **Whether system for monitoring the execution of works vis-a-vis the milestones stipulated in the agreement is in existence and the impact of cost escalation, if any, revenues/ losses from contracts, etc., have been properly accounted for in the books?**

   The system for monitoring the execution of works vis-a-vis the milestones stipulated in the agreement is appropriate. The Technical Executives of Uttar pradesh Metro Rail Corporation Limited (Formerly LMRC) along with General Consultants (GC) engaged by UPMRC (Formerly LMRC) examines the claims and works in accordance with the milestones stipulated in the agreement and continuously

monitor it. Any revenues/losses from contracts, etc. have been properly recorded in the books.

6. Whether funds received/ receivable for specific schemes from central/ State agencies were properly accounted for /utilized? List the cases of deviations?

Funds received by the company are as per the Finance Model in approved DPR which have been generally properly accounted for/utilized. However As per MoU dated 23rd March 2016 between GoI, GoUP and UPMRC (Formerly LMRC), the debt servicing liability of UPMRC (Formerly LMRC) with regard to EIB, the loan portion shall be reckoned based on the repayment schedule of EIB in rupee terms along with exchange rate fluctuation of loan currency, which the company has not provided for the effects of Changes in Foreign Exchange Rates, and shall be provided on transaction basis on advice of GoI. Further loan from GoI and GoUP would be paid after paying the senior debt.

7. Whether the bank guarantees have been revalidated in time?

Bank guarantees have been generally validated in time.

8. Comment on the confirmation of balances of trade receivables, trade payables, term deposits, bank accounts and cash obtained.

The company has received balance confirmations for its banks balances and term deposit which are reconciled with books of accounts for any difference, further non confirmation of most of the balances of trade payable and the consequent effect on the book balances and the actual balance over the profitability/loss to the company is subject to reconciliation if any, the company has no trade receivables for which confirmation need be obtained.

.

For D.S.Shukla & Co.
Chartered Accountants
(FRN No. : 000773C)

Sd/-
(R.K Srivastava)
Partner
Membership number: 078783
UDIN: 20078783AAAABX4585

Place: Lucknow
Date: 26.10.2020

ANNEXURE - C TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

[Referred to in paragraph 3(f), under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' in the Independent Auditor's Report of even date]

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ('the Act')

We have audited the internal financial controls over financial reporting of Uttar Pradesh Metro Rail Corporation Limited (Formerly Lucknow Metro Rail Corporation Limited) ('the Company') as of 31st March 2020 in conjunction with our audit of the Ind AS financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI'). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the 'Guidance Note') and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under Section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the Ind AS financial statements, whether due to fraud or error. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable

assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that:

(1) Pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Company;

(2) Provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Company are being made only in accordance with authorizations of the Management and directors of the Company; and

(3) Provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at 31st March 2020, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

For D.S.Shukla & Co.
Chartered Accountants
(FRN No. : 000773C)

Sd/-
(R.K Srivastava)
Partner
Membership number: 078783
UDIN: 20078783AAAABX4585

Place: Lucknow
Date: 26.10.2020

UTTAR PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED

(Formerly as Lucknow Metro Rail Corporation Limited)

REGISTERED OFFICE : ADMINISTRATIVE BUILDING,VIPIN KHAND, GOMTI NAGAR, LUCKNOW

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2020

(INR in lakhs)

Particulars	Note No.	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
ASSETS			
Non-current assets			
(a) Property, Plant and Equipment	1	6,28,412.32	5,92,709.05
(b) Capital work-in-progress	2	22,550.89	11,941.70
(c) Intangible assets	3	4,590.42	4,876.67
(d) Intangible Assets Under Development	4	-	-
(e) Financial Assets			
(i) Loans			-
(ii) Other Financial Assets	5	429.79	358.65
(f) Other non-current Assets			-
Current Assets			
(a) Inventories	6	7.78	7.78
Loose Tools & Spares			
(b) Financial Assets			
(i) Trade Receivables	7	361.59	202.95
(ii) Cash & Cash Equivalents	8	79,258.10	1,26,579.82
(iii) Other Financial Assets	9	890.01	1,389.79
(c) Current Tax Assets	10	71.46	25.85
(d) Other Current Assets	11	4,734.06	1,859.78
Total Assets		**7,41,306.42**	**7,39,952.05**
EQUITY AND LIABILITIES			
Equity			
(a) Equity Share Capital	12	2,20,600.00	2,00,000.00
(b) Other Equity	13	(17,538.24)	(9,218.21)
Liabilities			
Non-current liabilities			
(a) Financial Liabilities			
(i) Borrowings	14	4,62,900.00	4,61,205.00
(ii) Other Financial Liabilities	15	2,198.18	1,208.41
(c) Provisions	16	1,034.82	605.78
(c) Other Non Current Liabilities	17	45,846.00	47,232.55
Deferred Tax Liabilities (Net)			
Current Liabilities			
(a) Financial Liabilities			
(i) Trade Payables	18	1,386.43	823.85
(ii) Other Financial Liabilities	19	14,352.26	27,579.79
(b) Other Current Liabilities	20	9,142.71	8,958.55
(c) Provisions	21	1,384.26	1,556.33
Total Equity and Liabilities		**7,41,306.42**	**7,39,952.05**

Significant Accounting Policies and Notes to Financial Statements 29 & 30

Audit Report of even date attached

For : D. S. Shukla & Co.
Chartered Accountants
FRN : 000773C

(R.K. Srivastava)
Partner
Membership No : 078783

Place : Lucknow
Date : 26.10.2020

For and on behalf of the Board

(Kumar Keshav)
Managing Director
DIN: 02908695

(Sheel Kumar Mittal)
Director Finance
DIN: 08821866

(Pushpa Bellani)
Company Secretary

UTTAR PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED

(Formerly as Lucknow Metro Rail Corporation Limited)

STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2020

(INR in lakhs)

Particulars	Note No.	For the Year Ending 31.03.2020	For the Year Ending 31.03.2019
Income			
i) Revenue From Operations	22	6,752.27	1,504.00
ii) Other Income	23	8,062.89	9,386.14
Total Income		**14,815.16**	**10,890.14**
Expenses			
i) Operating Expenses	24	6,775.24	2,813.63
ii) Employees' Benefit Expenses	25	6,872.57	4,922.00
iii) Finance Cost	26	626.00	211.46
iv) Depreciation & Amortization Expenses	27	24,496.50	8,582.34
v) Other Expenses	28	1,196.08	1,916.68
Total expenses		**39,966.39**	**18,446.13**
Profit/ (Loss) before tax		**(25,151.23)**	**(7,555.98)**
Profit Before Tax		(25,151.23)	(7,555.98)
Tax expense			
Current Tax			
Deferred Tax	17		-
Profit/ (Loss) for the year		**(25,151.23)**	**(7,555.98)**
I Profit for the year		**(25,151.23)**	**(7,555.98)**
Other Comprehensive Income			
i) Items that will not be reclassified to profit or loss			
- Remeasurements of the defined benefit plans		**124.38**	**344.82**
- Income Tax effect			-
Other Comprehensive Income/ (Loss) for the year		124.38	344.82
Total Comprehensive Income for the period		**(25,026.85)**	**(7,211.16)**
(1) Basic (Rs.)		(12.29)	(3.75)
(2) Diluted (Rs.)		(11.84)	(3.57)
Significant Accounting Policies and Notes to Financial Statements	29 & 30		

Audit Report of even date attached

For : D. S. Shukla & Co.
Chartered Accountants
FRN : 000773C

(R.K. Srivastava)
Partner
Membership No : 078783

Place : Lucknow
Date : 26.10.2020

For and on behalf of the Board

(Kumar Keshav)
Managing Director
DIN: 02908695

(Sheel Kumar Mittal)
Director Finance
DIN: 08821866

(Pushpa Bellani)
Company Secretary

UTTAR PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED

(Formerly as Lucknow Metro Rail Corporation Limited)

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2020

(INR in lakhs)

Particulars	For the Year ended 31st March, 2020	For the Year ended 31st March, 2019
A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
Net Profit/Loss after Tax	(25,026.85)	(7,211.16)
Adjustment for :-		
Depreciation and Amortisation Expense	24,496.50	8,582.34
Deferred Tax Liability/ (Asset)	-	-
Interest Received From FDRs	(5,690.00)	(7,972.06)
(Gain)/ Loss on Disposal of Mobile Handsets	0.18	-
Interest & Finance Charges	626.00	211.46
Deffered Government Grant	(1,673.74)	(695.06)
Fair Value Adjustment	(2.94)	(1.40)
Interest Expense on Right to use Assets	2.70	
SOCIE	-	(3.47)
Operating Profit before Working Capital Changes	**(7,268.15)**	**(7,089.36)**
(Increase)/Decrease in Trade Receivables	(158.64)	(202.95)
(Increase)/Decrease in Other Current Assets	(2,874.27)	19,436.74
(Increase)/Decrease in Current Tax Assets	(45.61)	(23.13)
(Increase)/Decrease in Other Financial Assets	428.63	(1,098.05)
(Increase)/Decrease in Inventories	-	0.45
Increase/(Decrease) in Provisions	256.97	264.88
Increase/(Decrease) in Other Current Liabilities	(1,202.39)	6,448.99
Increase/(Decrease) in Trade Payables	562.58	462.26
Increase/(Decrease) in Other Financial Liabilities	(12,237.76)	2,675.89
Increase/(Decrease) in Other Liabilities		
Cash Generated from Operations	**(22,538.63)**	**20,875.71**
Tax paid	-	-
Net Cash flow from operating activities	**(22,538.63)**	**20,875.71**
B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
Purchase of Property, Plant & Equipment including Capital Work-in-Progress and Intangible Assets	(70,524.25)	(2,03,975.69)
Proceeds from Sale of Property, Plant and Equipment and Intangible Assets	1.37	-
Interest Income Received	5690.00	7,972.06
Net Cash Flow from Investing Activities	**(64,832.88)**	**(1,96,003.63)**

C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
Share Capital and share Application Money	37,594.00	14,308.00
Grants Received/(adjusted) during the year	1,386.55	(17,318.08)
Loans raised during the year	1,695.00	1,85,800.00
Loans repaid during the year	-	-
Interest & Finance Charges	(626.00)	(211.46)
Interest Expense on Right to use Assets	(2.70)	
Fair Value Adjustment	2.94	1.41
Net Cash Flow from Financing Activities	**40,049.79**	**1,82,579.88**
D. Net Changes in cash and Cash equivalents (A+B+C)	(47,321.72)	7,451.96
E. Cash and Cash Equivalents (Op. Balance)	1,26,579.82	1,19,127.86
F. Cash and Cash Equivalents (Cl. Balance)	**79,258.10**	**1,26,579.82**
EXPLANATORY NOTES TO CASH FLOW STATEMENT		
(a) Cash and Cash Equivalents include :		
(i) Cash on hand and balances with bank	26055.81	1,424.12
(ii) Short Term Investments	53202.29	125155.70
	79,258.10	**1,26,579.82**

The accompanying notes are an integral part of Financial Statements

The above Statement of Cash Flows has been prepared under the "Indirect Method" as set out in Ind AS 7 on Statement of Cash Flows

For : D. S. Shukla & Co.
Chartered Accountants
FRN : 000773C

(R.K. Srivastava)
Partner
Membership No : 078783

Place : Lucknow
Date : 26.10.2020

For and on behalf of the Board

(Kumar Keshav)
Managing Director
DIN: 02908695

(Sheel Kumar Mittal)
Director Finance
DIN: 08821866

(Pushpa Bellani)
Company Secretary

UTTAR PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED

(Formerly as Lucknow Metro Rail Corporation Limited)

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2020

A. Equity Share Capital

(INR in lakhs)

Balance at the beginning of 01.04.2019	200,000.00
Changes in equity share capital during the year	20,600.00
Balance at the end of 31.03.2020	**220,600.00**

B. Other Equity

(INR in lakhs)

Particulars	Share application money pending allotment	Reserves and Surplus	Capital Grants	Other Comprehensive Income on Defined Benefit Plans	Total
		Retained Earnings	Non Monetary Grants		
Balance as on 31/03/2019	**4,100.00**	**(14,418.83)**	**1,021.70**	**78.92**	**(9,218.21)**
Fair Value Adjustment - Non Monetary Grant			(287.19)		**(287.19)**
Amortization of Non Monetary Grant					**-**
Profit for the year		(25,151.23)			**(25,151.23)**
Other Comprehensive Income				124.38	**124.38**
Fair Value Adjustment					**-**
Share Application Money Received (Kanpur Project)	15,311.00				**15,311.00**
Share Application Money Received (Agra Project)	5,783.00				**5,783.00**
Equity Share Capital Issued	(600.00)				**(600.00)**
Transferred to Deposit	(3,500.00)				**(3,500.00)**
Balance as on 31/03/2020	**21,094.00**	**(39,570.06)**	**734.52**	**203.29**	**(17,538.24)**

Audit Report of even date attached

For : D. S. Shukla & Co.
Chartered Accountants
FRN : 000773C

(R.K. Srivastava)
Partner
Membership No : 078783

Place : Lucknow
Date : 26.10.2020

For and on behalf of the Board

(Kumar Keshav)
Managing Director
DIN: 02908695

(Sheel Kumar Mittal)
Director Finance
DIN: 08821866

(Pushpa Bellani)
Company Secretary

UTTAR PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED

(Formerly as Lucknow Metro Rail Corporation Limited)

NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

Note No. 1 - Property, Plant and Equipment

(INR in lakhs)

Particulars	Gross Block				Depreciation				Net Block	
	As at 1.04.2019	Additions/ Adjustments	Sale/ Adjustments	As at 31.03.2020	As at 1.04.2019	Additions/ Adjustment during the year	For the year **	Upto 31.03.2020	As at 31.03.2020	As at 31.03.2019
Computer & Accessories	373.33	21.09	21.34	373.07	291.61	20.12	44.41	315.90	57.18	81.72
Equipment & Machinery	2,627.34	23.22		2,650.56	153.31		168.02	321.33	2,329.23	2,474.03
Mobile Sets	36.20	3.49	3.54	36.16	23.32	3.21	6.01	26.13	10.03	12.88
Furniture	622.67	25.61		648.28	127.89		59.82	187.71	460.57	494.78
Office Building	66.44	-		66.44	5.75		1.05	6.80	59.64	60.69
Vehicle	45.88	-		45.88	18.53		5.46	23.99	21.89	27.35
Office Equipment	246.44	25.05		271.49	148.62		44.32	192.94	78.55	97.82
Land Free Hold#	11,100.84	2,340.04		13,440.88	-		-	-	13,440.88	11,100.84
Land Freehold (Barter)*	21,775.75	2,204.92		23,980.67	-		-	-	23,980.67	21,775.75
Land (Grant from GoUP)	0.00002	-		0.00	-		-	-	0.00	0.00002
Lease Hold Land (90 years) ***	381.69	33.77		415.46	-		1.13	1.13	414.34	381.69
AFC System	6,261.27	1,696.71		7,957.98	471.97		620.90	1,092.87	6,865.11	5,789.30
Air Conditioning System (Ducted)	7,062.10	-		7,062.10	36.98		273.20	310.18	6,751.92	7,025.12
Depot Building	17,843.58	-		17,843.58	836.13		539.74	1,375.87	16,467.71	17,007.45
DG Set	1,354.33	-		1,354.33	8.31		49.80	58.12	1,296.22	1,346.02
Electrical Installation and Equipment	112.07	4.71		116.78	11.13		7.18	18.31	98.47	100.94
Elevators	2,892.56	454.90		3,347.46	81.54		132.22	213.76	3,133.70	2,811.02
E & M Work	13,653.55	1,086.64		14,740.19	154.24		710.71	864.96	13,875.23	13,499.31
Escalators	6,034.42	590.71		6,625.13	185.12		382.31	567.43	6,057.70	5,849.30
Fire Fighting Work	2,163.26	-		2,163.26	32.92		137.76	170.68	1,992.58	2,130.34
Rolling Stock	83,143.59	13,130.90		96,274.48	1,662.33		3,089.15	4,751.48	91,523.00	81,481.25
Security Equipments	542.58	-		542.58	22.38		34.52	56.90	485.69	520.20
Signages	2,375.02	-		2,375.02	597.06		934.09	1,531.15	843.88	1,777.96
Signalling Equipments	19,627.80	2,088.61		21,716.41	1,142.14		1,237.05	2,379.20	19,337.21	18,485.65
Station Buildings	2,46,191.27	23,688.77		2,69,880.04	2,513.05		9,505.28	12,018.34	2,57,861.70	2,43,678.21
Telecom Equipments	11,104.93	1,559.38		12,664.31	519.87		820.10	1,339.98	11,324.34	10,585.06
Track Work	25,717.23	2,780.95		28,498.18	602.81		895.23	1,498.04	27,000.14	25,114.42
Traction Equipments	44,029.32	1,695.54		45,724.86	867.02		1,438.65	2,305.66	43,419.20	43,162.30
Tubewells	39.60	-		39.60	3.93		2.51	6.44	33.16	35.67
UPS System	806.09	-		806.09	18.25		63.15	81.41	724.68	787.83
Viaduct	73,715.24	3,718.65		77,433.89	2,360.09		2,777.85	5,137.94	72,295.95	71,355.15
Plumbing, Pump And Panel	404.05	-		404.05	1.21		19.30	20.51	383.55	402.84
Spares A/C	228.09	-		228.09	0.68		10.89	11.58	216.51	227.41
Tunnel Ventillation & BMS SCADA	3,037.85	-		3,037.85	9.09		145.09	154.18	2,883.67	3,028.75
Staff Quarter Building	-	1,932.86		1,932.86	-		33.03	33.03	1,899.82	-
Staff Quarter E&M Work	-	808.51		808.51	-		20.29	20.29	788.22	-
Total - Current Year	**6,05,616.37**	**59,915.05**	**24.88**	**6,65,506.54**	**12,907.30**	**23.33**	**24,210.25**	**37,094.22**	**6,28,412.32**	**5,92,709.05**
- Previous Year	**2,07,136.44**	**3,98,483.92**	**3.99**	**6,05,616.37**	**4,524.19**	**-**	**8,383.11**	**12,907.30**	**5,92,709.07**	**2,02,612.25**

UTTAR PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED

(Formerly as Lucknow Metro Rail Corporation Limited)

NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

Note No. 1 - Property, Plant and Equipment

(INR in lakhs)

Particulars	Gross Block				Depreciation				Net Block	
	As at 1.04.2018	Additions/ Adjustments	Sale/ Adjustments	As at 31.03.2019	As at 1.04.2018	Additions/ Adjustment during the year	For the year	Upto 31.03.2019	As at 31.03.2019	As at 31.03.2018
Computer & Accessories	345.60	30.56	2.83	373.33	204.46		87.15	291.61	81.72	141.13
Equipment & Machinery	1,105.18	1,522.16		2,627.34	76.84		76.47	153.31	2,474.03	1,028.34
Mobile Sets	27.10	10.27	1.16	36.20	15.49		7.83	23.32	12.88	11.61
Furniture	502.08	120.59		622.67	78.54		49.35	127.89	494.78	423.53
Office Building	66.44	-		66.44	4.70		1.05	5.75	60.69	61.74
Vehicle	36.96	8.92		45.88	13.82		4.71	18.53	27.35	23.14
Office Equipment	206.06	40.38		246.44	106.58		42.04	148.62	97.82	99.49
Land Free Hold	9,283.83	1,817.01		11,100.84	-		-	-	11,100.84	9,283.83
Land Freehold (Barter)	19,445.51	2,330.24		21,775.75	-		-	-	21,775.75	19,445.51
Land (Grant from GoUP)	0.00002	-		0.00002	-		-	-	0.00002	0.00002
Lease Hold Land (90 years)	381.69	-		381.69	-		-	-	381.69	381.69
AFC System	2,966.93	3,294.34		6,261.27	163.50		308.47	471.97	5,789.30	2,803.43
Air Conditioning System (Ducted)	343.16	6,718.94		7,062.10	7.49		29.49	36.98	7,025.12	335.67
Depot Building	17,731.11	112.47		17,843.58	302.51		533.62	836.13	17,007.45	17,428.60
DG Set	94.28	1,260.05		1,354.33	1.96		6.35	8.31	1,346.02	92.33
Electrical Installation and Equipment	112.07	-		112.07	4.03		7.10	11.13	100.94	108.04
Elevators	1,215.72	1,676.84		2,892.56	27.96		53.58	81.54	2,811.02	1,187.76
E & M Work	1,537.66	12,115.89		13,653.55	42.39		111.85	154.24	13,499.31	1,495.27
Escalators	1,848.12	4,186.30		6,034.42	61.40		123.72	185.12	5,849.30	1,786.72
Fire Fighting Work	254.92	1,908.34		2,163.26	9.16		23.76	32.92	2,130.34	245.76
Rolling Stock	26,770.64	56,372.95		83,143.59	542.07		1,120.26	1,662.33	81,481.25	26,228.57
Security Equipments	211.65	330.93		542.58	7.60		14.78	22.38	520.20	204.05
Signages	736.18	1,638.84		2,375.02	198.32		398.74	597.06	1,777.96	537.87
Signalling Equipments	12,670.97	6,956.83		19,627.80	404.40		737.74	1,142.14	18,485.65	12,266.57

Station Buildings	36,172.14	2,10,019.13		2,46,191.27	737.31		1,775.74	2,513.05	2,43,678.21	35,434.83
Telecom Equipments	4,822.97	6,281.96		11,104.93	178.77		341.10	519.87	10,585.06	4,644.20
Track Work	11,578.54	14,138.69		25,717.23	207.94		394.87	602.81	25,114.42	11,370.60
Traction Equipments	16,508.32	27,521.00		44,029.32	294.05		572.97	867.02	43,162.30	16,214.27
Tubewells	39.60	-		39.60	1.42		2.51	3.93	35.67	38.17
UPS System	122.04	684.05		806.09	5.39		12.86	18.25	787.83	116.65
Viaduct	39,998.97	33,716.27		73,715.24	826.09		1,534.00	2,360.09	71,355.15	39,172.88
Plumbing, Pump And Panel	-	404.05		404.05	-		1.21	1.21	402.84	-
Spares A/C	-	228.09		228.09	-		0.68	0.68	227.41	-
Tunnel Ventillation & BMS SCADA	-	3,037.85		3,037.85	-		9.09	9.09	3,028.75	-
Total - Current Year	**2,07,136.44**	**3,98,483.92**	**3.99**	**6,05,616.37**	**4,524.19**	**-**	**8,383.11**	**12,907.30**	**5,92,709.05**	**2,02,612.25**
- Previous Year	**9,932.05**	**1,97,207.32**	**2.93**	**2,07,136.44**	**249.51**	**2.16**	**4,276.84**	**4,524.19**	**2,02,612.25**	**9,682.51**

* Land Freehold (Barter) - Land has been received against construction of 41 Flats for Sampooranand Jail and Residential & Non - Residential Buildings of PAC Campus against which construction cost of INR 23980.67 Lakhs (PY INR 21775.75 Lakhs) out of which 4141.67 Lakhs is expected to be incurred in coming Financial Year.

The land has been fair valued at the market price on the date of acquisition as adjusted for any changes in expected cost of costruction of Staff Quarters.

** Depreciation of FY 2019-20 i.e. INR 24210.25 Lakhs include depreciation of INR 146.21 Lakh in compliance of CAG observations raised during audit of FY 2018-19.

*** Leasehold Land include Right to use assets created as per Ind AS 116.

Total cost of Freehold land of INR 13440.88 lakhs acquired till 31st Mar 2020, land ad-measuring 49665.74 square metres acquired from different parties up to 31st March 2020. The land ad-measuring 24807.92 square metres are under process of title execution.

UTTAR PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED

(Formerly as Lucknow Metro Rail Corporation Limited)

NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

Note 2 - Capital work - in - Progress#

(INR in lakhs)

Lucknow

Particulars	As at 01-04-2019	"Additions/ Adjustment during the year"	Total	"Capitalised during the year"	"Closing Balance"
Automatic Fare Collection	20.54	1,486.44	1,506.97	1,491.64	15.33
Buildings & Viaduct,Brid Tunnels, Culverts Bunders	610.61	23,864.33	24,474.94	24,463.92	11.03
Electric Installation & Equipment	-	4.71	4.71	4.71	-
Escalators & Elevators	737.68	1,071.76	1,809.44	1,251.27	558.16
Furniture & Fixtures	-	3.24	3.24	3.24	-
UPMRC Staff Quarters	3,472.35	3,633.27	7,105.62	3,002.98	4,102.64
Plant and Machinery	-	-	-	-	-
Rolling Stock & Signalling	3,922.59	9,804.97	13,727.55	13,727.55	-
Security Equipments	97.89	-	97.89	97.89	-
Signages	-	250.94	250.94	-	250.94
Telecom Equipments	-	1,398.13	1,398.13	1,398.13	-
Track Work (P-Way)	2,365.84	1,339.73	3,705.57	2,465.59	1,239.98
Traction Equipments	-	1,490.63	1,490.63	1,490.63	-
E-W Corridor		340.71	340.71	-	340.71
Total	11,227.49	44,688.86	55,916.35	49,397.56	6,518.79
Add: Expenses During Construction	639.25	12,528.60	13,167.85	13,134.60	33.26
Add: Foreign Exchange Difference	74.96	(340.88)	(265.93)	74.96	(340.88)
Grand Total (A)	**11,941.70**	**56,876.58**	**68,818.28**	**62,607.11**	**6,211.17**

Kanpur

Particulars	As at 01-04-2019	"Additions/ Adjustment during the year"	Total	"Capitalised during the year"	"Closing Balance"
Buildings & Viaduct, Brid Tunnels, Culverts Bunders	642.71	11,645.65	12,288.36	-	12,288.36
Add: Expenses During Construction	224.95	3,548.70	3,773.66	-	3,773.66
Total (B)	**867.66**	**15,194.35**	**16,062.02**	**-**	**16,062.02**

Agra

Particulars	As at 01-04-2019	"Additions/ Adjustment during the year"	Total	"Capitalised during the year"	"Closing Balance"
Buildings & Viaduct,Brid Tunnels, Culverts Bunders	-	41.36	41.36	-	41.36
Add: Expenses During Construction	11.15	225.19	236.34	-	236.34
Total (C)	**11.15**	**266.56**	**277.70**	**-**	**277.70**
Total Capital work in Progress	**12,820.51**	**72,337.49**	**85,158.00**	**62,607.11**	**22,550.89**

Capital Work in Progress includes Assets / Equipment's and Infrastructure of North – South Corridor (pending certifications) and Staff Quarters of UPMRC and expenses related to Kanpur and Agra projects.

UTTAR PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED

(Formerly as Lucknow Metro Rail Corporation Limited)

NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

Note 2 - Capital work - in - Progress#

(INR in lakhs)

Particulars	As at 01-04-2018	"Additions/ Adjustment during the year"	Total	"Capitalised during the year"	"Closing Balance"
Automatic Fare Collection	219.21	2,792.22	3,011.43	2,990.90	20.54
Buildings & Viaduct,Brid Tunnels, Culverts Bunders	1,36,924.02	1,32,841.09	2,69,765.11	2,69,154.50	610.61
Electric Installation & Equipment	-	-	-	-	-
Escalators & Elevators	1,574.32	4,696.32	6,270.64	5,532.96	737.68
Furniture & Fixtures	25.59	11.61	37.20	37.20	(0.00)
UPMRC Staff Quarters	8,562.55	3,452.38	12,014.93	8,542.58	3,472.35
Plant and Machinery	1,167.53	153.22	1,320.75	1,320.74	0.00
Rolling Stock & Signalling	22,756.18	41,185.55	63,941.73	60,019.15	3,922.59
Security Equipments	41.97	372.79	414.76	316.87	97.89
Signages	-	28.63	28.63	28.63	-
Telecom Equipments	1,153.08	3,975.92	5,129.01	5,129.01	0.00
Track Work (P-Way)	9,865.95	5,670.05	15,536.00	13,170.16	2,365.84
Traction Equipments	11,875.63	13,671.36	25,546.98	25,546.98	-
Total	**1,94,166.02**	**2,08,851.13**	**4,03,017.16**	**3,91,789.67**	**11,227.49**
Add: Expenses During Construction	13,220.47	12,322.00	25,542.47	24,828.26	714.21
Grand Total	**2,07,386.48**	**2,21,173.13**	**4,28,559.63**	**4,16,617.93**	**11,941.70**

Kanpur

Particulars	As at 01-04-2018	"Additions/ Adjustment during the year"	Total	"Capitalised during the year"	"Closing Balance"
Buildings & Viaduct, Brid Tunnels, Culverts Bunders	593.79	48.92	642.71	-	642.71
Add: Expenses During Construction	219.12	5.83	224.95	-	224.95
Total (B)	**812.91**	**54.75**	**867.66**	**-**	**867.66**

Agra

Particulars	As at 01-04-2018	"Additions/ Adjustment during the year"	Total	"Capitalised during the year"	"Closing Balance"
Buildings & Viaduct,Brid Tunnels, Culverts Bunders	-	-	-	-	-
Add: Expenses During Construction	0.93	10.22	11.15	-	11.15
Total (C)	**0.93**	**10.22**	**11.15**	**-**	**11.15**
Total Capital work in Progress	**2,08,200.32**	**2,21,238.10**	**4,29,438.44**	**4,16,617.93**	**12,820.51**

Capital Work in Progress includes Assets / Equipment's and Infrastructure of North – South Corridor (pending certifications) and Staff Quarters of UPMRC and expenses related to Kanpur and Agra projects.

UTTAR PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED

(Formerly as Lucknow Metro Rail Corporation Limited)

NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

Note 3 - Intangible Assets

(INR in lakhs)

Particulars	Gross Block				Amortization				Net Block	
	As at 1.04.2019	Additions/ Adjustments	Deduction/ Adjustments	As at 31.03.2020	As at 1.04.2019	Additions/ Adjustments	For the year	Upto 31.03.2020	As at 31.03.2020	As at 31.03.2019
Software & Licenses	768.99	-	-	768.99	187.33	-	149.29	336.61	432.38	581.67
Rights for using Land *	4,649.45	-	-	4,649.45	354.44	-	136.97	491.40	4,158.04	4,295.01
Total - Current Year	**5,418.44**	**-**	**-**	**5,418.44**	**541.76**	**-**	**286.25**	**828.02**	**4,590.42**	**4,876.68**
- Previous Year	**3,912.43**	**1,506.01**	**-**	**5,418.44**	**342.53**	**-**	**199.23**	**541.76**	**4,876.68**	**3,569.89**

Note 3 - Intangible Assets

(INR in lakhs)

Particulars	Gross Block				Amortization				Net Block	
	As at 1.04.2018	Additions/ Adjustments	Deduction/ Adjustments	As at 31.03.2019	As at 1.04.2018	Additions/ Adjustments	For the year	Upto 31.03.2019	As at 31.03.2019	As at 31.03.2018
Software & Licenses	174.54	594.45	-	768.99	97.88	-	89.45	187.33	581.67	76.65
Rights for using Land#	3,737.89	911.56	-	4,649.45	244.65	-	109.79	354.44	4,295.01	3,493.24
Total - Current Year	**3,912.43**	**1,506.01**	**-**	**5,418.44**	**342.53**	**-**	**199.23**	**541.76**	**4,876.68**	**3,569.89**
- Previous Year	**3,911.60**	**0.82**	**-**	**3,912.43**	**188.50**	**-**	**154.03**	**342.53**	**3,569.89**	**3,723.09**

* Applied the practical expedient to grandfather the assessment of which transactions are leases. Accordingly, Ind AS 116 is applied only to contracts that were previously identified as leases under Ind AS 17.

UTTAR PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED

(Formerly as Lucknow Metro Rail Corporation Limited)

NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

Note 4- Intangible Assets Under Development

(INR in lakhs)

Particulars	As on 1st April 2019	Additions/ Adjustment during the year	Total	Capitalized during the year	As on 31st March 2020
ERP Software	-	-	-	-	-
Website	-	-	-	-	-
TOTAL (CURRENT YEAR)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
(PREVIOUS YEAR)	**565.45**	**(565.45)**	**-**	**-**	**-**

Note 4- Intangible Assets Under Development

(INR in lakhs)

Particulars	As on 1st April 2018	Additions/ Adjustment during the year	Total	Capitalized during the year	As on 31st March 2019
ERP Software	554.31	(554.31)	-	-	-
Website	**11.14**	**(11.14)**	**-**	**-**	**-**
TOTAL (CURRENT YEAR)	**565.45**	**(565.45)**	**-**	**-**	**-**
(PREVIOUS YEAR)	**293.82**	**271.63**	**565.45**	**-**	**565.45**

UTTAR PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED

(Formerly as Lucknow Metro Rail Corporation Limited)

NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

Note No. 5 - Other Financial Assets

(INR in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Long Term		
Electricity Security Deposit	409.87	339.47
Security to DFO	8.17	8.17
Security with Jal Kal Vibhag	11.00	11.00
Other Security Deposit*	0.75	0.00
Total	**429.79**	**358.65**

* Other Security Deposit includes security deposit with M/s Torrent Power Rs. 72000/- and with M/s Suraj Indane Rs. 3400/-.

Note No. 6 - Inventories

(INR in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Loose Tools and Spares	7.78	7.78
Total	**7.78**	**7.78**

Note No. 7 - Trade Receivables

(INR in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Trade Receivables		
-Unsecured-Considered Good	361.59	202.95
-Unsecured -Considered Doubtful		-
Less: Provision for bad & doubtful receivables		-
Total	**361.59**	**202.95**

Note No. 8 - Cash & Cash Equivalents

(INR in lakhs)

Particulars	As on 31st March 2020	As on 31st March 2019
(i) Balances with Banks in Current Accounts	26055.81	1,424.12
(ii) Balances with Banks in FDR, Sweep/ MOD Accounts		
a) FDRs, Sweep/ MOD A/c having maturity within 3 months	32562.97	65,000.00
b) FDRs, Sweep/ MOD A/c having maturity after 3 months but before 1 year	20639.32	60,155.70
Grand Total	**79,258.10**	**1,26,579.82**

Note No. 9 - Other Financial Assets

(INR in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Short Term		
Interest accrued on FDR, Sweep/ MOD Accounts	879.80	1374.32
Lease Rent Security	10.21	15.46
Total	**890.01**	**1389.79**

UTTAR PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED

(Formerly as Lucknow Metro Rail Corporation Limited)

NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

Note No. 10 - Current tax Assets

(INR in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Tax Deducted at Source	71.46	25.85
Total	**71.46**	**25.85**

Note No. 11 - Other Current Assets

(INR in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Current		
Advances to Contractors		
- Mobilisation Advances	3797.57	609.90
- Other Advances*	7.82	886.04
Input GST#	155.91	84.65
Deferred Assets- Non Fare Box Revenue	169.13	-
FDRs, Sweep/ MOD A/c having maturity after 1 year	291.20	212.60
Other Current Assets **	312.43	66.59
Total	**4734.06**	**1859.78**

* Other Advances includes INR 7.82 Lakh for Allahabad Metro, Gorakhpur Metro, Meerut Metro, Varanasi Metro (P.Y. 886.04 Lakh include amount incurred for Kanpur Metro, Agra Metro, Allahabad Metro, Gorakhpur Metro, Meerut Metro and Varanasi Metro).

**Other Current Assets includes PI Advance, Prepaid Expenses, Advances to Electricity Department, Temporary Imprest, Tax paid under Appeal (PY - Prepaid Expenses, Staff Temporary Advances, Station Imprest).

Input GST constitutes balance in Cash ledger & Electronic Credit Ledger with GST, GST Refundable and Input GST

UTTAR PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED

(Formerly as Lucknow Metro Rail Corporation Limited)

NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

Note No. 12 - Share Capital

(INR in lakhs)

Particulars	As on 31st March 2020		As on 31st March 2019	
	No Of Shares (in Lakh)	Amount	No Of Shares (in Lakh)	Amount
Authorized Capital				
Equity Shares of Rs 100 each	10,000.00	10,00,000.00	2,000.00	2,00,000.00
	10,000.00	**10,00,000.00**	**2,000.00**	**2,00,000.00**
Issued, Subscribed and Paid-up				
Equity Shares of Rs 100 each fully paid up	2,206.00	2,20,600.00	2,000.00	2,00,000.00
Total	**2,206.00**	**2,20,600.00**	**2,000.00**	**2,00,000.00**
(A) Reconciliation of the number of shares and amount outstanding at the beginning and at the end of the reporting period:				
Particulars	**No Of Shares (in Lakh)**	**Amount**	**No Of Shares (in Lakh)**	**Amount**
Shares outstanding at the beginning of the year	2,000.00	2,00,000.00	1,581.65	1,58,165.00
Shares Issued during the year- Fresh Issue	206.00	20,600.00	418.35	41,835.00
Shares outstanding at the end of the year	**2,206.00**	**2,20,600.00**	**2,000.00**	**2,00,000.00**
(B) Details of shares held by each shareholder holding more than 5% shares:				
Name Of Shareholder	**No Of Shares (in Lakh)**	**% Holding**	**No Of Shares (in Lakh)**	**% Holding**
Governor of Uttar Pradesh	1,202.95	54.53%	996.95	49.85%
President of India	1,003.00	45.47%	1,003.00	50.15%

UTTAR PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED

(Formerly as Lucknow Metro Rail Corporation Limited)

NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

Note No. 13 - Other Equity

(INR in lakhs)

Particulars	Share application money pending allotment	Reserves and Surplus	Capital Grants	Monetary Grant	Other Comprehensive Income on Defined Benefit Plans	Total
		Retained Earnings	Non Monetary Grants	Deferred Grant		
Balance as on 31.03.2018	**31,627.00**	**(6,859.38)**	**19,034.84**	**-**	**(265.90)**	**43,536.56**
Fair Value Adjustment - Non Monetary Grant		-	1,021.70			1,021.70
Amortization of Non Monetary Grant			-			-
Profit for the year		(7,555.98)				(7,555.98)
Other Comprehensive Income		-			344.82	344.82
Fair Value Adjustment		(3.47)				(3.47)
Share Application Money Received	14,308.00					14,308.00
Equity Share Capital Issued	(41,835.00)					(41,835.00)
Transferred to Non-Current Liability						-
Transferred to Current Liability			(4,264.80)			(4,264.80)
Transferred to Capital Work in Progress			(14,770.04)	-		(14,770.04)
Balance as on 31.03.2019	**4,100.00**	**(14,418.83)**	**1,021.70**	**-**	**78.92**	**(9,218.21)**
Fair Value Adjustment - Non Monetary Grant			(287.19)			(287.19)
Amortization of Non Monetary Grant						-
Profit for the year		(25,151.23)				(25,151.23)
Other Comprehensive Income					124.38	124.38
Fair Value Adjustment						-
Share Application Money Received (Kanpur Project)	15,311.00					15,311.00
Share Application Money Received (Agra Project)	5,783.00					5,783.00
Equity Share Capital Issued	(600.00)					(600.00)
Transferred to Deposit	(3,500.00)					(3,500.00)
Transferred to Non-Current Liability						-
Transferred to Current Liability						-
Transferred to Capital Work in Progress				-		-
Balance as on 31.03.2020	**21,094.00**	**(39,570.06)**	**734.52**	**-**	**203.29**	**(17,538.24)**

UTTAR PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED

(Formerly as Lucknow Metro Rail Corporation Limited)

NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

Note No. 14 - Borrowings

(INR in lakhs)

Particulars	As on 31st March 2020		As on 31st March 2019	
Subordinate Debts From Government of UP (GoUP) (Interest Free & Unsecured)				
For Central Taxes	44,900.00		44,900.00	
For Land	38,100.00	83,000.00	36,405.00	81,305.00
Subordinate Debts From Government of India (GoI) (Interest Free and Unsecured)				
For Central Taxes	29,700.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00
Interest Bearing Loans From Government of India against European Investment Bank	**3,50,200.00**	**3,50,200.00**	**3,50,200.00**	**3,50,200.00**
Total		**4,62,900.00**		**4,61,205.00**

Explanatory Notes :

1. Loan/ Subordinate Debt provided by GoI/ GoUP are at the same terms and conditions at which such loans is provided to other metro project and are therefore considered to be at fair value.

2. Interest bearing loan from EIB through GoI is repayable in 16 Years (Half Yearly Equal Installments) after the expiry of moratorium period of 4 Years from the Disbursement Date.

3. Interest Free Subordinate Debts from GoI are repayable in after the repayment of Interest Bearing Loan from EIB through PTA.

4. Interest Free Subordinate Debts from GoUP are repayable in 10 equal annual installments after the repayment of Interest Bearing Loan from EIB through PTA.

5. European Investment Bank has sanctioned EURO 450 Million on reimbursement basis for the Lucknow Metro Rail Project in two Tranche (EURO 200 million of Tranche A & EURO 250Million of Tranche B). EURO 300 milion (EURO 200 million of Tranch A and EURO 100 million of Tranche B) has been disbursed at Interest Rate of 0.287 % EURIBOR for 100 Million Euros (1st part of Tranche A), 0.161 % EURIBOR for 100 Million Euros (2nd Part of Tranche A) and at Interest Rate of 0.195 % EURIBOR for 100 Million Euros (1st Part of Tranche B) with a repayment period of 20 Years (including a moratarium Period of 4 Years) as per Finance Agreement dated 30.03.2016 and 31.03.2017. External Loan from EIB are made available to UPMRC through gross budgetary resources in the form of Pass Through Assistance (PTA) from Govt. of India. Government of India has released INR 3,50,200.00 Lakhs up to 31.03.2019 to the company out of EIB Loan as Pass Through Assistance. EIB Loans are Sovereign Loans and therefore GoI is arranging Pass Through Assitance for execution of the works. The said PTA of INR 350200.00 Lakhs received upto 31.03.2019, has been shown under Long Term Borrowings as Unsecured Loans. The Company has provided for Interest of INR 620.47 Lakhs (PY 399.72 Lakhs) as per repayment schedule.

UTTAR PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED

(Formerly as Lucknow Metro Rail Corporation Limited)

NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

Note No. 15 - Other Financial Liabilities

(INR in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Long Term		
Performance Guarantee/ Security Deposit Received	852.31	516.15
Interest on EIB Loan	1,312.72	692.25
Lease Liability (Refer note 30(i))	33.15	
Total	**2,198.18**	**1,208.41**

Note No. 16 - Other Financial Liabilities

(INR in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Long Term		
FOR EMPLOYEE BENEFITS		
Leave Encashment	1,010.61	605.78
Gratuity	24.21	
Total	**1,034.82**	**605.78**

Note No. 17 - Other Financial Liabilities

(INR in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Non-Current		
Government Grant	45,846.00	47,232.55
Total	**45,846.00**	**47,232.55**

Note No. 18 - Trade Payables

(INR in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Total outstanding dues of micro and small scale Industrial Undertaking(s). (Due over 30 days ` Nil/-)	-	-
Total outstanding dues of Medium scale Industrial Undertaking(s). (Due over 30 days ` Nil/-)	-	-
TA Payable	-	-
Professional & Other services Payable	19.21	20.46
Sundry Creditors for Expenses	1367.22	803.39
Total	**1,386.43**	**823.85**

Note No. 19 - Other Financial Liabilities

(INR in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Short term		
Deposit/Retention Money From Contractors & Others	2,663.26	7,354.14
Creditors for CWIP & Capital Goods	11,688.68	20,225.65
Lease Liability (Refer note 30(i))	0.32	-
Total	**14,352.26**	**27,579.79**

Note No. 20 - Other Current Liabilities

(INR in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Current		
Duties & Taxes Payable	820.93	1,495.02
Payable for employees	329.31	252.68
Advance from Customers	218.48	285.00
Security Deposits from Customers	132.32	57.33
Payable against Land (Barter)#	4,141.67	6,868.52
Other Deposits	3,500.00	-
Total	**9,142.71**	**8,958.55**

For Fair Valuation of Land under Barter the expected cost to be incurred over completion of the project (Staff Quarter).

Note No. 21 - Provisions

(INR in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Short Term		
FOR EMPLOYEE BENEFITS		
Leave Encashment	20.09	21.91
Gratuity	3.06	
Others*	1,361.11	1,534.41
Total(A+B)	**1,384.26**	**1,556.33**

*Others include Provision for Custom Duty Reimbursement, Provision for Gratuity Contribution, Provision for Pension Contribution etc.

Note No. 22 - Revenue from Operations

(INR in lakhs)

Particulars	For the year ending 31.03.2020	For the year ending 31.03.2019
Fare Box Revenue	5,473.31	1,079.96
Non Fare Box Revenue	1,278.97	424.05
TOTAL	**6,752.27**	**1,504.00**

Note No. 23 - Other Incomes

(INR in lakhs)

Particulars	For the year ending 31.03.2020	For the year ending 31.03.2019
Other Income:-		
Miscellaneous Income	688.03	713.40
Interest Income :-		
Term Deposits / FDR	5245.40	7,365.83
Flexi Deposits	96.64	129.01
Interest on E Net A/c	347.97	477.22
Deferred Revenue Grant	1673.74	695.06
Fair Value Adjustment	11.12	5.62
TOTAL	**8,062.89**	**9,386.14**

Note No. 24 - Operating Expenses

(INR in lakhs)

Particulars	For the year ending 31.03.2020	For the year ending 31.03.2019
Security Expenses	1521.46	702.95
Electricity Expenses	3677.57	1,442.56
Equipment Running & Maintenance Expenses	548.10	57.36
Housekeeping Expenses	504.64	298.43
Depot Running & Maintenance Expenses	89.52	70.18
Station Running & Maintenance Expenses	391.86	218.34
Stores and Consumables	21.69	9.57
Insurance expenses	20.40	14.24
Total	**6,775.24**	**2,813.63**

Note No. 25 - Employees' Benefit Expenses

(INR in lakhs)

Particulars	For the year ending 31.03.2020	For the year ending 31.03.2019
Salaries, Wages & Other Benefits	5670.22	4,013.01
Contribution to Provident & Other Funds	573.50	452.27
Leave Encashment Expenses	465.41	346.93
Contribution Towards Gratuity	163.44	109.79
Total	**6,872.57**	**4,922.00**

Note No. 26 - Finance Cost

(INR in lakhs)

Particulars	For the year ending 31.03.2020	For the year ending 31.03.2019
Bank Charges	0.58	2.25
Interest on EIB Loan	625.42	209.21
Total	**626.00**	**211.46**

Note No. 27 - Depreciation and Amortisation Expenses

(INR in lakhs)

Particulars	For the year ending 31.03.2020	For the year ending 31.03.2019
Depreciation / Amortization for the year		
a) Tangible Assets	24210.25	8,383.11
b) Intangible Assets	286.25	199.23
Total	**24,496.50**	**8,582.34**

Note No. 28 - Other Expenses

(INR in lakhs)

Particulars	For the year ending 31.03.2020	For the year ending 31.03.2019
Printing & Stationery Expenses	61.39	60.63
Computer Running & Maintenance Expenses	47.46	100.52
Telephone , Internet & Communication Expenses	91.00	57.95
Books,Periodicals,Newspapers & Magazines Expenses	0.65	0.73
Auditors Remuneration	3.80	3.79
Advertisement & Publicity Expenses	141.26	144.09
Office Running & Maintenance Expenses	39.18	30.25
Office Supplies & Utilities Expenses	3.23	22.16
Postage & Courier Expenses	1.29	0.85
Miscellaneous Expenses	0.23	0.85
Travelling & Conveyance Expenses	162.41	186.93
Training & Recruitment Expenses	11.41	692.10
Hospitality & Refreshment Expenses	76.55	94.32
Outsourcing & Job Work Expenses	172.78	156.14
Statutory Expenses	3.54	0.19
Seminar, Ceremony, Conference Expenses	102.62	151.97
Commission & Brokerage	0.73	0.49
Licence, Legal & Other Expenses	18.88	11.81
Professional & other services	183.81	151.39
Rent, Rates & Taxes	61.01	45.16
Guest House Expenses	0.47	-
Interest Expense on Right to use Assets	2.70	-
Fair Value Adjustments	8.18	4.22
Effect of Forex Fluctuations	1.49	0.13
Total	**1,196.08**	**1,916.68**

NOTES TO ACCOUNTS

Note No. 29 Company Information and Significant Accounting Policies

29.1 CORPORATE INFORMATION

Uttar Pradesh Metro Rail Corporation Limited (referred to as "the Company"), formerly Lucknow Metro Rail Corporation Limited, is domiciled and incorporated in India (CIN: U60300UP2013SGC060836) with 50:50 equity participation of the Government of India (GoI) and the Government of Uttar Pradesh (GoUP). The registered office of the company is located at Administrative Building, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh.

It was formed as a special purpose vehicle (SPV) on 25th November 2013 to execute Mass Rapid Transit System (MRTS) in Lucknow city by providing Metro Rail. The Corporation successfully implemented Phase 1A –North South Corridor (23Km) within strict timelines and commenced commercial operations on 8th March 2019. The Government further mandated it to implement the upcoming projects in other cities of Uttar Pradesh. Hence forth the constitution and name of the Company was changed to Uttar Pradesh Metro Rail Corporation Limited (UPMRCL) on 23rd October 2019. Presently the Company, apart from running Metro Rail services in the Lucknow, has commenced construction activity in Kanpur (32.385 Kms) and Agra (30.45 Kms).

29.2 Significant accounting policies:

The significant accounting policies applied by the Company in the preparation of its financial statements are listed below. Such accounting policies have been applied consistently to all the periods presented in these financial statements, unless otherwise indicated.

a) Statement of compliance

The financial statements have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (referred to as "Ind AS") prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, as amended from time to time and other relevant provisions of the Act.

b) Basis of preparation of financial statements

The financial statements have been prepared under the historical cost convention with the exception of certain assets and liabilities that are required to be carried at fair value by Ind AS. Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The financial statements are presented in Indian Rupee ('INR'), which is also the functional currency of the Company.

c) Use of estimates and critical accounting judgements

In the preparation of financial statements, the Company makes judgements, estimates and assumptions about the carrying values of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates. Estimates and underlying assumptions are reviewed on an on-going basis. Revisions to accounting estimates are recognised in the period in which the estimate is revised

and future periods affected. Key source of estimation of uncertainty at the date of financial statements, which may cause material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year, is in respect of impairment, useful lives of property, plant and equipment and intangible assets, valuation of deferred tax assets, provisions and contingent liabilities, fair value measurements of financial instruments and retirement benefit obligations as discussed in below paragraphs.

Estimation of uncertainties relating to COVID-19

Post declaration of COVID-19 as a pandemic by the World Health Organization, the Government in India have taken significant measures to curtail the wide spread of virus, including country wide lockdown and restriction in economic activities. In view of such lockdowns, operations of the company were also withheld. In view of the impact of COVID-19, the Company has assessed the carrying amounts of property, plant and equipment, right of-use assets, intangible assets, inventories, trade receivables, investments and other financial assets. In assessing the recoverable value of such assets, the Company has considered various internal and external information such as existing long-term arrangements, long-term business plans, cash flow forecasts and possible future uncertainties in economic conditions because of the pandemic including lockdowns. As per the Company's current assessment of recoverability of these assets, other than the impairment recorded, no significant impact on carrying amounts of these assets is expected. The eventual outcome of the impact of the global health pandemic may be different from those estimated as on the date of approval of these financial statements and the Company continues to closely monitor the situation including any material changes to future economic conditions and consequential impact on its financial statements.

d) Fair value measurements of financial instruments

When the fair value of financial assets and financial liabilities recorded in the balance sheet cannot be measured based on quoted prices in active markets, their fair value is measured using valuation techniques including Discounted Cash Flow Model. The inputs to these models are taken from observable markets where possible, but where this is not feasible, a degree of judgement is required in establishing fair value. Judgements include considerations of inputs such as liquidity risks, credit risks and volatility. Changes in assumptions about these factors could affect the reported fair value of financial instruments.

e) Property, plant and equipment

i. An item of property, plant and equipment is recognised as an asset if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and its cost can be measured reliably. This recognition principle is applied to costs incurred initially to acquire an item of property, plant and equipment and also to costs incurred subsequently to add to, replace part of, or service it. All other repair and maintenance costs, including regular servicing, are recognised in the statement of profit and loss as incurred. When a replacement occurs, the carrying value of the replaced part is derecognised. Where an item of property, plant and equipment comprises major components having different useful lives, these components are accounted for as separate items. Property, plant and equipment is stated at cost or deemed cost applied on transition to Ind AS, less accumulated depreciation and impairment. Cost includes

all direct costs and expenditures incurred to bring the asset to its working condition and location for its intended use. Trial run expenses (net of revenue) are capitalised. Borrowing costs incurred during the period of construction is capitalised as part of cost of qualifying asset.

ii. Capitalization of the assets for new section to be opened for public carriage of passengers is done after ensuring its completeness in all respect as per Standard operating procedures as defined in the company, administrative formalities and compliance of requirements stipulated by Commissioner of Metro Railway Safety imperative for the opening of such section for public use.

iii. In the case of assets put-to-use, where final settlement of bills with contractors is yet to be affected, capitalization is done on provisional basis subject to necessary adjustment in the period / year of final settlement. However, any expenditure / subsequent costs included in Capital work- in -Progress, which could not be reliably measured while the particular asset is put to use, are recognized as and when they are reliably ascertained in accordance with Ind AS 16.

iv. Payments made towards permissions for construction of Station Entry and Exit from various land-owning agencies is capitalized as intangible asset and amortized over the useful life of the asset.

v. Expenditure on major inspection, overhauls and replacing part of an item of property, plant and equipment shall be capitalized, if it is probable that the future economic benefits embodied in it will flow to the company and its cost can be measured reliably.

vi. Gain and losses on disposal of an item of Property, plant and equipment are determined by comparing the proceeds from disposal with the carrying amount of the item and are recognized net within Statement of Profit & Loss.

vii. Assets & Systems common to more than one section of the project is capitalized based on technical estimates / assessments.

f) Intangible assets

Software costs and Rights for using Land are included in the balance sheet as intangible assets when it is probable that associated future economic benefits would flow to the Company. In this case they are measured initially at cost of acquisition and then amortised on a straight-line basis over their estimated useful lives. All other costs are expensed in the statement of profit and loss as and when incurred. Expenditure on research activities is recognised as an expense in the period in which it is incurred. Subsequent to initial recognition, intangible assets with definite useful lives are reported at cost or deemed cost applied on transition to Ind. AS, less accumulated amortisation and accumulated impairment losses.

g) Capital Work-in-Progress includes

i. Cost of capital assets which are under construction and not ready for intended use, include other direct and indirect expenditure directly attributable to the project / asset.

ii. Administrative, indirect and general overheads (net of income) directly attributable to the projects are allocated in the ratio of assets capitalized.

iii. Amounts pertaining to construction period such as Price Variation, Final Penalty Interest on temporary deployment of fund etc. have been adjusted against the expenditure during construction.

S. No.	Asset	Useful life (In years)
A.	Rolling Stock	30
A1	Components of Rolling Stock- Power supplies, Auxiliaries, Brakes, Air-conditioning system, Interiors, On board controls, Announcement and CCTV system	18
B	Escalators	30
B1	Components of Escalators- Handrail	7
B2	Components of Escalators-Step and Chain Roller, Relay, Timers and Control Gear	8
B3	Components of Escalators- Remaining Components	15
C	Elevators	30
C1	Components of Elevators-Traction Machine /Motor, Governo, Anti Creep Device	20
C2	Components of Elevators-Safety Gear Rope, Hoisting Chain/Rope	8
C3	Components of Elevators-Contactors, Relays	10
C4	Components of Elevators-Remaining Components	30
D	Components of AFC	
D1	CSC (Contactless Smart Card)	7
D2	CST (Contactless Smart Token)	5
D3	Remaining Components	10
E	Mobile Handset	3
F	Signages	2
G	Tubewells	15

iv. Claims including price variation are accounted for on approval and acceptance. Liquidated Damages are accounted for on settlement of final bill.

v. Capital Work-in-Progress are inclusive of the expenditure and subsequent costs which could not be reliably ascertained when the asset is put to use and capitalized when the costs are reliably measured.

h) Allocation of Interest during Construction

Interest During Construction (IDC) in respect of qualifying assets commissioned during the year, is allocated in the ratio which the value of commissioned assets bears to the qualifying CWIP as at the end of the month of commissioning. In other cases, IDC is allocated based on the date of capitalization of the last section.

i) Depreciation and amortisation of property, plant and equipment, right-of-use assets and intangible assets

Depreciation or amortisation is provided so as to write off, on a straight-line basis, the cost/ deemed cost of property, plant and equipment and intangible assets, including right-of-use assets to their residual value. These charges are commenced from the dates the assets are

available for their intended use and are spread over their estimated useful economic lives or, in the case of right-of-use assets, over the lease period, if shorter. The estimated useful lives of assets, residual values and depreciation method are reviewed regularly and, when necessary, revised. Depreciation on assets under construction commences only when the assets are ready for their intended use.

The estimated useful lives for main categories of property, plant and equipment has been taken as prescribed in Schedule II of the Companies Act, 2013 except in respect of following assets/components of assets, where useful life is determined based on technical assessment by the company.

For these class of assets, based on internal assessment and independent technical evaluation carried out by chartered engineers, the Company believes that the useful lives as given above best represents the period over which the Company expects to use these assets. Hence the useful lives for these assets are different from the useful lives as prescribed under Part C of Schedule II of the Companies Act, 2013.

Parameters considered for identification of components of assets:

- Assets having value of INR 10 Lakhs & above and components of value more than 10 % in relation to the main asset have only been considered for componentization.
- The maximum life of component has been restricted to the life of principal asset.
- Significant components of assets having same useful life have been clubbed together irrespective of the percentage in relation to principal asset. Remaining components or insignificant items have combined with the principal asset.
- Land, Track Work (Permanent Way) and Intangible Assets are not componentised as identification of separate components is not possible.
- Vehicles. Temporary Structures, Survey / Safety Equipment, IT System, Office equipment, Furniture and Fixture and related assets have not been componentized as their value in relation to the total assets of the company is quite insignificant.
- Property, Plant & Equipment and Intangible Assets costing INR 5000/-or less have been depreciated/amortized fully in the year of purchase considering the materially aspect.
- The residual value of 5% of the original cost of the asset has been considered and deducted for charging depreciation as per Schedule II of Companies Act, 2013.
- Depreciation has been provided on pro-rata basis from the day on which assets were ready for use. Depreciation on addition to / deduction from an existing asset which forms integral part of main assets is charged over the remaining useful life of those assets.
- Major overhaul and inspection costs, which have been capitalized, are depreciated over the period until the next scheduled outage or actual major inspection/ overhaul, whichever is earlier.
- Considering the future economic benefits from software, they have been capitalized as Intangible Assets and amortized over a period of 5 years on Straight Line Method.
- Expenditure on the items, ownership of which is not with the Company is charged off to revenue in the year of incurrence of such expenditure.

j) Impairment

At each balance sheet date, the Company reviews the carrying value of its property, plant and equipment and intangible assets to determine whether there is any indication that the carrying value of those assets may not be recoverable through continuing use. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is reviewed in order to determine the extent of impairment loss, if any. Where the asset does not generate cash flows that are independent from other assets, the Company estimates the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs. Recoverable amount is the higher of fair value less costs to sell and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted. An impairment loss is recognised in the statement of profit and loss as and when the carrying value of an asset exceeds its recoverable amount. Where an impairment loss subsequently reverses, the carrying value of the asset is increased to the revised estimate of its recoverable amount so that the increased carrying value does not exceed the carrying value that would have been determined had no impairment loss been recognised for the asset in prior years. A reversal of an impairment loss is recognised in the statement of profit and loss immediately.

k) Provisions

A provision is recognised when the Company has a present obligation as result of a past event and it is probable that the outflow of resources will be required to settle the obligation, in respect of which a reliable estimate can be made. These are reviewed at each balance sheet date and adjusted to reflect the current best estimates. Provisions are determined based on management estimate required to settle the obligation at the balance sheet date and are not discounted at present value.

l) Contingent liabilities/Assets

Contingent Liabilities are disclosed in respect of possible obligations that arise from past events but their existence will be confirmed by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Company or where any present obligation cannot be measured in terms of future outflow of resources or where a reliable estimate of the obligation cannot be made. Contingent liabilities / assets are disclosed based on judgment of management/independent experts, wherever required. These are reviewed at each balance sheet date and are adjusted to reflect the current management estimate. Contingent assets are not recognized but disclosed in notes to accounts.

m) Retirement benefit obligations:

The Company's retirement benefit obligations are subject to number of judgements including discount rates, inflation and salary growth. Significant judgements are required when setting these criteria and a change in these assumptions would have a significant impact on the amount recorded in the Company's balance sheet and the statement of profit and loss. The Company sets these judgements based on previous experience and third party actuarial advice.

n) Re-measurements, comprising of actuarial gains and losses

The effect of asset ceiling, excluding amounts included in the net interest on the net defined benefit liability and the return on plan assets (excluding amounts included in net interest

on the net defined benefit liability), are recognized immediately in the balance sheet with a corresponding debit or credit to retained earnings through OCI in the period in which they occur. Re- measurements are not reclassified to profit or loss in subsequent periods.

o) Leases

Ind AS 116 "Leases" replaces Ind AS 17 "Leases" with effect from April 1st, 2019. The adoption of this new Standard has resulted in the Company recognising a right-of-use asset and related lease liability in connection with all former operating leases except for those identified as low-value or having a remaining lease term of less than 12 months from the date of initial application. The new Standard has been applied using the modified retrospective approach, with the right-of-use asset recognised at an amount equal to the present value of lease liability, adjusted by the amount of any prepaid or accrued lease payments relating to those leases. Prior periods have not been restated. For contracts in place at the date of initial application, the Company has elected not to carry forward the definition of leases as per Ind AS 17 and has therefore, applied the definition of a lease as per Ind AS 116 to all such arrangements. On transition, for leases previously accounted for as operating leases with a remaining lease term of less than 12 months and for leases of low-value assets the Company has applied the optional exemptions to not recognise right-of-use assets but to account for the lease expense on a straight-line basis over the remaining lease term.

The Company as lessee

The Company accounts for each lease component within the contract as a lease separately from non-lease components of the contract and allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of the relative stand-alone price of the lease component and the aggregate stand-alone price of the non-lease components. The Company recognises right-of-use asset representing its right to use the underlying asset for the lease term at the lease commencement date. The cost of the right-of-use asset measured at inception comprises of the amount of initial measurement of the lease liability adjusted for any lease payments made at or before the commencement date. Certain lease arrangements include options to extend or terminate the lease before the end of the lease term. The right of-use assets and lease liabilities include these options when it is reasonably certain that such options would be exercised. The right-of-use assets is subsequently measured at cost less any accumulated depreciation, accumulated impairment losses, if any and adjusted for any remeasurement of the lease liability. The right-of-use assets is depreciated using the straight-line method from the commencement date over the shorter of lease term or useful life of right-of-use asset. Right-of-use assets are tested for impairment whenever there is any indication that their carrying amounts may not be recoverable. Impairment loss, if any, is recognised in the statement of profit and loss. Lease liability is measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date of the lease. The lease payments are discounted using the interest rate implicit in the lease, if that rate can be readily determined. If that rate cannot be readily determined, the Company uses incremental borrowing rate. The lease liability is subsequently remeasured by increasing the carrying amount to reflect interest on the lease liability, reducing the carrying amount to reflect the lease payments made and remeasuring the carrying amount to reflect any reassessment or lease modifications. The Company recognises the amount of the remeasurement of lease liability as an adjustment to the right-of-use asset. Where the carrying amount of the right-of-use asset is reduced to zero and there is a further reduction in the measurement of the lease liability, the Company recognises any remaining

amount of the remeasurement in statement of profit and loss. Variable lease payments not included in the measurement of the lease liabilities are expensed to the statement of profit and loss in the period in which the events or conditions which trigger those payments occur.

The Company accounts for sale and lease back transaction, recognising right-of-use assets and lease liability, measured in the same way as other right-of-use assets and lease liability. Gain or loss on the sale transaction is recognised in statement of profit and loss.

The Company as lessor

(i) **Operating lease –** Rental income from operating leases is recognised in the statement of profit and loss on a straight-line basis over the term of the relevant lease unless another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset is diminished. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying value of the leased asset and recognised on a straight-line basis over the lease term.

(ii) **Finance lease –** When assets are leased out under a finance lease, the present value of minimum lease payments is recognised as a receivable. The difference between the gross receivable and the present value of receivable is recognised as unearned finance income. Lease income is recognised over the term of the lease using the net investment method before tax, which reflects a constant periodic rate of return.

p) Financial instruments

Financial assets and financial liabilities are recognised when the Company becomes a party to the contractual provisions of the instrument. Financial assets and liabilities are initially measured at fair value except for those financial assets which are classified at Fair Value Through Profit & Loss (FVTPL) at inception. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of financial assets and financial liabilities (other than financial assets and financial liabilities at fair value through profit and loss) are added to or deducted from the fair value measured on initial recognition of financial asset or financial liability. The transaction costs directly attributable to the acquisition of financial assets and financial liabilities at fair value through profit and loss are immediately recognised in the statement of profit and loss.

Effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortised cost of a financial instrument and of allocating interest income or expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts future cash receipts or payments through the expected life of the financial instrument, or where appropriate, a shorter period.

(I) Financial assets

Cash and bank balances

Cash and bank balances consist of:

(i) **Cash and cash equivalents -** which includes cash on hand, deposits held at call with banks and other short-term deposits which are readily convertible into known amounts of cash, are subject to an insignificant risk of change in value and have original maturities of up to three months. These balances with banks are unrestricted for withdrawal and usage.

(ii) **Other bank balances -** which includes balances and deposits with banks having maturity of more than three months but up to one year.

Financial assets at amortised cost

Financial assets are subsequently measured at amortised cost if these financial assets are held within a business model whose objective is to hold these assets in order to collect contractual cash flows and the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Financial assets measured at fair value

Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income if such financial assets are held within a business model whose objective is to hold these assets in order to collect contractual cash flows or to sell such financial assets and the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Financial assets not measured at amortised cost or at fair value through other comprehensive income are carried at fair value through profit and loss.

Interest income

Interest income is accrued on a time proportion basis, by reference to the principal outstanding and effective interest rate applicable.

Dividend income

Dividend income from investments is recognised when the right to receive payment has been established.

Classification and Subsequent Measurement of Financial assets

For the purpose of subsequent measurement, financial assets are classified into the following categories upon initial recognition:

- Financial assets at amortized cost using effective interest method (EIR)
- Financial assets at fair value through profit or loss (FVTPL)
- Financial assets at fair value through other comprehensive income (FVOCI)

All the financial assets except for those at FVTPL are subject to review for impairment at least at each reporting date. There are no Financial Assets, which are designated at FVTPL in the company.

Impairment of financial assets

Loss allowance for expected credit losses is recognised for financial assets measured at amortised cost and fair value through other comprehensive income. The Company recognises life time expected credit losses for all trade receivables that do not constitute a financing transaction. For financial assets (apart from trade receivables that do not constitute of financing transaction) whose credit risk has not significantly increased since initial recognition, loss allowance equal to twelve months expected credit losses is recognised. Loss allowance equal to the lifetime expected credit losses is recognised if the credit risk of the financial asset has significantly increased since initial recognition.

De-recognition of financial assets

The Company de-recognises a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or it transfers the financial asset and substantially all risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Company neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Company recognises its retained interest in the assets and an associated liability for amounts it may have to pay. If the Company retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Company continues to recognise the financial asset and also recognises a borrowing for the proceeds received.

(II) Financial liabilities and equity instruments

Classification as debt or equity

Financial liabilities and equity instruments issued by the Company are classified according to the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and an equity instrument.

Equity instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of the Company after deducting all of its liabilities. Equity instruments are recorded at the proceeds received, net of direct issue costs.

Financial liabilities

Trade and other payables are initially measured at fair value, net of transaction costs, and are subsequently measured at amortised cost, using the effective interest rate method where the time value of money is significant.

Interest bearing bank loans, overdrafts and issued debt are initially measured at fair value and are subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method. Any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the settlement or redemption of borrowings is recognised over the term of the borrowings in the statement of profit and loss.

Classification and Subsequent measurement of financial liabilities

Financial liabilities are measured subsequently at amortized cost using the effective interest method, except for financial liabilities held for trading or designated at FVTPL, that are carried subsequently at fair value with gains or losses recognized in profit or loss. All derivative financial instruments are accounted for FVTPL. There are no financial liabilities, which are designated at FVTPL in the company.

De-recognition of financial liabilities

The Company de-recognises financial liabilities when, and only when, the Company's obligations are discharged, cancelled or they expire.

Effective Interest Rate (EIR) is calculated as follows

- Financial Assets & Financial Liabilities, which are, interest bearing at market rates: EIR in these cases are equivalent to instrument's interest rate.

- For other financial assets or financial liabilities: SBI-MCLR/ Base rate at beginning of financial year for highest available period.

q) Employee benefits

Defined contribution plans

Contributions under defined contribution plans are recognised as expense for the period in which the employee has rendered the service. Contribution towards provident fund and employee state insurance is made to the regulatory authorities, where the Company has no further obligations. Such benefits are classified as Defined Contribution Plans as the company does not carry any further obligations, apart from the contributions made on a monthly basis. Such contributions are charged to the Statement of Profit and Loss for the period of service rendered by the employees.

Defined benefit plans

The Company has a defined benefit gratuity plan. The Company funds the Plan through annual contributions to Life Insurance Corporation of India. Company's liability is actuarially determined at the end of each year. Liability is recognized based on Actuarial Valuation of Gratuity Liability.

Re-measurements, comprising of actuarial gains and losses, the effect of asset ceiling, excluding amounts included in the net interest on the net defined benefit liability and the return on plan assets (excluding amounts included in net interest on the net defined benefit liability), are recognized immediately in the balance sheet with a corresponding debit or credit to retained earnings through OCI in the period in which they occur. Re- measurements are not reclassified to profit or loss in subsequent periods.

Accumulated leaves, which are expected to be availed or en-cashed within twelve months from the end of the year, are treated as short term employee benefits. The obligation towards the same is measured at the expected cost of accumulating leaves as the additional amount expected to be paid as a result of the unused entitlement as at the year end.

Accumulated leaves, which are expected to be availed or en-cashed beyond twelve months from the end of the year, are treated as other long-term employee benefits. The Company's liability is actuarially determined at the end of each year.

r) Inventories

Inventories are stated at the lower of cost and net realisable value. Cost is ascertained on a weighted average basis. Costs comprise direct materials and, where applicable, direct labour costs and those overheads that have been incurred in bringing the inventories to their present location and condition. Net realisable value is the price at which the inventories can be realised in the normal course of business after allowing for the cost of conversion from their existing state to a finished condition and for the cost of marketing, selling and distribution. Provisions are made to cover slow-moving and obsolete items based on historical experience of utilisation on a product category basis, which involves individual businesses considering their product lines and market conditions.

s) Cash flows are reported using the indirect method, as prescribed in Indian Accounting Standard (Ind AS – 7) on 'Statement of Cash Flows', whereby profit for the year is adjusted for the effects of transactions of a non-cash nature, any deferrals or accruals of past or future operating cash receipts

or payments and item of income or expenses associated with investing or financing cash flows. The cash flows from operating, investing and financing activities of the Company are segregated. The Company considers all highly liquid investments that are readily convertible to known amounts of cash to be cash equivalents.

t) Current versus non-current classification:

The Company presents assets and liabilities in the balance sheet based on current/ non-current classification. All assets and liabilities have been classified as current or non- current as per the Company's normal operating cycle and other criteria set out in the Schedule III to the Companies Act, 2013. Based on the nature of products and the time between acquisition of assets for processing and their realization in cash and cash equivalents, the Company has ascertained its operating cycle as twelve months for the purpose of current/ non-current classification of assets and liabilities.

u) Onerous contracts

A provision for onerous contracts is recognised when the expected benefits to be derived by the Company from a contract are lower than the unavoidable cost of meeting its obligations under the contract. The provision is measured at the present value of the lower of the expected cost of terminating the contract and the expected net cost of continuing with the contract. Before a provision is established, the Company recognises any impairment loss on the assets associated with that contract.

v) Grants in Aid

Grants from the Government/Non-Government or other authorities towards Capital Expenditure for creation of assets are initially shown as 'Deferred Revenue'. These are subsequently recognized as income each year over the life of the relevant assets in proportion to depreciation on those assets.

Grants from the Government/ Non-Government or other authorities towards revenue has been recognized in the Statement of Profit & Loss under the head 'other income'.

Where the Company receives non-monetary grants, the asset and the grant are recorded gross at fair amounts and released to the income statement over the expected useful life and pattern of consumption of the benefit of the underlying asset.

The Financial Assistance received from Government of Uttar Pradesh for State Taxes has been adjusted/ deducted from Capital work in Progress (CWIP).

w) Taxation

Current Tax

The tax currently payable is based on taxable profit for the year. Taxable profit differs from net profit as reported in the statement of profit and loss because it excludes items of income or expense that are taxable or deductible in other years and it further excludes items that are never taxable or deductible. The Company's liability for current tax is calculated using tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Current tax are recognised as an expense or income in the statement of profit and loss, except when they relate to items credited or debited either in other comprehensive income or directly in equity, in which case the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in equity.

Deferred Tax

Deferred tax is the tax expected to be payable or recoverable on differences between the carrying value of assets and liabilities in the financial statements and the corresponding tax bases used in the computation of taxable profit and is accounted for using the balance sheet liability method. Deferred tax liabilities are generally recognised for all taxable temporary differences. In contrast, deferred tax assets are only recognised to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which the temporary differences can be utilised.

The carrying value of deferred tax assets is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be recovered.

Deferred tax is calculated at the tax rates that are expected to apply in the period when the liability is settled or the asset is realised based on the tax rates and tax laws that have been enacted or substantially enacted by the end of the reporting period. The measurement of deferred tax liabilities and assets reflects the tax consequences that would follow from the manner in which the Company expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying value of its assets and liabilities.

Deferred tax assets and liabilities are offset to the extent that they relate to taxes levied by the same tax authority and there are legally enforceable rights to set off current tax assets and current tax liabilities within that jurisdiction.

Deferred tax are recognised as an expense or income in the statement of profit and loss, except when they relate to items credited or debited either in other comprehensive income or directly in equity, in which case the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in equity. The extent to which deferred tax assets can be recognized is based on an assessment of the probability of the Company's future taxable income against which the deferred tax assets can be utilized. Thus deferred tax asset has not been recognised.

Deferred tax assets include Minimum Alternate Tax (MAT) paid in accordance with the tax laws in India, which is likely to give future economic benefits in the form of availability of set off against future income tax liability. MAT is recognised as deferred tax assets in the balance sheet when the asset can be measured reliably and it is probable that the future economic benefit associated with the asset will be realised.

x) Revenue Recognition (Ind AS 115)

In accordance with IND AS 115 the company recognizes the revenue as under:

i. Revenue from tickets/tokens are recognized on the date of its purchase and in case of smart cards based on money value of the actual usage.

ii. The interest income on Flexi Deposits and TDRs / FDRs is recognized on time proportion basis, considering the amount invested, rates applicable and interest accrued as per the interest certificates issued by the banks. The interest earned on FDRs is recognized in the Statement of Profit and Loss.

iii. Rental Income in case of property and space let out is recognized based on terms and conditions of the contract agreement with licensee/lessee/concessionaire, etc.

iv. Revenue accrued from advertisement for the space utilized is accounted for on accrual basis based on the contract terms.

v. Some items that are recognized on cash basis as under:

- Income from sale of scrap is accounted on realization basis.
- Insurance claims are accounted for on the basis of acceptance of claim
- Interest on tax refund is recognized when it is received or adjusted with any other liability.
- Income from Sale of tender documents.

y) Foreign currency transactions and translations

The financial statements of the Company are presented in Indian Rupees ("₹"), which is the functional currency of the Company and the presentation currency for the financial statements. In preparing the financial statements, transactions in currencies other than the Company's functional currency are recorded at the rates of exchange prevailing on the date of the transaction. At the end of each reporting period, monetary items denominated in foreign currencies are re-translated at the rates prevailing at the end of the reporting period. Non-monetary items carried at fair value that are denominated in foreign currencies are re-translated at the rates prevailing on the date when the fair value was determined. Non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are not translated. Exchange differences arising on translation of long-term foreign currency monetary items recognised in the financial statements before the beginning of the first Ind AS financial reporting period in respect of which the Company has elected to recognise such exchange differences in equity or as part of cost of assets as allowed under Ind AS 101 "First-time adoption of Indian Accounting Standards" are added/deducted to/ from the cost of assets as the case may be. Such exchange differences recognised as part of cost of assets or recognised in the statement of profit and loss on a systematic basis. Exchange differences arising on the re-translation or settlement of other monetary items are included in the statement of profit and loss for the period.

The loan from European Investment Bank (EIB) has been received as Pass through assistance (PTA) from Government of India (GoI) in INR. Any forex fluctuation on repayment will be recognized on transaction basis on advice from Government of India(GoI) when making repayments as it has been received by the Company as Pass through assistance (PTA) provided by GoI in Indian currency securitizing it through its sovereign guarantee

z) Borrowing costs

Borrowings costs directly attributable to the acquisition, construction or production of qualifying assets, which are assets that necessarily take a substantial period of time to get ready for their intended use or sale, are added to the cost of those assets, until such time as the assets are substantially ready for the intended use or sale.

Investment income earned on temporary investment of specific borrowings pending their expenditure on qualifying assets is recognised in the statement of profit and loss.

All other borrowing costs are recognised as expenses in the period in which it is incurred.

aa) Earnings per share

Basic earnings per share is computed by dividing profit or loss for the year attributable to equity holders by the weighted average number of shares outstanding during the year. Partly paid up shares are included as fully paid equivalents according to the fraction paid up.

Diluted earnings per share is computed using the weighted average number of shares and dilutive potential shares except where the result would be anti-dilutive.

ab) Recent accounting pronouncements

Amendment to Ind AS 12 "Income Tax" - Insertion of Appendix C, "Uncertainty over Income tax treatments"

The amendment intends to bring clarity to the accounting for uncertainties on income tax treatments that have yet to be accepted by tax authorities, and to reflect it in the measurement of current and deferred taxes.

The Company has applied the amendments prospectively for annual reporting periods beginning on or after April 1, 2019. There is no material impact on the Company due to the application of the above amendment.

Amendment to Ind AS 23 "Borrowing Costs"

The amendment clarifies that if any specific borrowing remains outstanding after the related asset is ready for its intended use or sale, that borrowing becomes part of the funds that an entity borrows generally when calculating the capitalisation rate on general borrowings. The Company has applied the amendments prospectively for annual reporting periods beginning on or after April 1, 2019. There is no material impact on the Company due to the application of the above amendment. There is no new standard or amendment to the existing standards which would have been applicable from April 1, 2020.

30. Notes to Financial Statements:

a) Contingent Liabilities: (In Lakhs)

S. No.	Particulars	As at 31.03.2020	As at 31.03.2019
1.	Crossing Charges demanded by Northern Railway	124.00	124.00
2.	Penalty Charges claimed by BSNL	21.00	21.00
3.	Additional compensation for Land @ 100% of circle rate and annual concession fees for 30 years. amounting to INR 2554.00 Lakhs being demanded by U.P. State Road Transport Corporation, Lucknow for the Land transferred to UPMRCL for Metro Rail Project.	2554.00	2554.00
4.	The rent of land for Casting Yard at Lucknow Airport amounting to INR 2440.00 Lakhs. (The amount of INR 228.62 Lakhs has been booked as confirmed liability vide Letter No. 3905/UPMRC/CPM 1/ AAI/Land/2019 dated 16.07.2019. The difference of the same has been shown as contingent liability.)	Nil (Amount Paid)	2211.00
5.	Letter of Credit(s) in USD as per LC arrangement with HDFC Bank	501.50	1220.85
6.	Letter of Credit(s) in EURO as per LC arrangement with HDFC Bank	560.48	1894.33
7.	M/s Delhi Metro Rail Corporation on a/c of Revision of DPR for E-W Corridor of Lucknow Metro Rail Project.	9.00	9.00
8.	The charges payable to North Eastern Railway for temporary use of railway land during construction period was disclosed as Contingent Liability amounting to INR 14.00 Lakhs. The Amount was revised to INR 10.17 Lakhs by North Eastern Railways during the year. The amount of INR 8.50 Lakhs was paid against the demand of INR 10.17 Lakhs during the year. The difference between the demand and the amount paid has been disclosed as Contingent Liability.	1.67	1.67

9.	The charges payable to North Eastern Railway for permission to cross railway land was disclosed as Contingent Liability amounting to INR 895.00 Lakhs. The Amount was revised to INR 955.00 Lakhs by North Eastern Railways during the year. The amount of INR 780 Lakhs was paid during the year. The difference between the demand and the amount paid has been disclosed as Contingent Liability.	175.00	175.00
10.	The demand for additional compensation for Land @ 100% of circle rate amounting to INR 285.00 Lakhs by U.P. Cooperative Bank Limited, Lucknow for the Land transferred to UPMRC for Hazratganj Ramp.	285.00	285.00
11.	Regarding the court case pending before Consumer forum.	5.00	5.00
12.	Regarding the pending Court Case - Prabhu Sahani v. Qumar Infrastructure Pvt. Ltd. & UPMRC Ltd.	0.89	0.89
13.	The Contingent liability regarding the land use Hazratganj at DRM Office, Railway. The amount demanded by the Northern Railway amounts to INR 161.19 Lakhs. The amount of INR 131.65 Lakhs has been admitted as confirmed liability. The difference between the amount demanded and amount admitted has been recognised as contingent liability.	29.53	29.53
14.	Regarding the supervision charges demanded by North Eastern Railway. The Supervision Charges was demanded at 6.25% by North Eastern Railway and paid at 3.125%. The difference is due to the difference in land rates. The difference between the amount demanded and amount paid is disclosed as Contingent Liability.	26.00	26.00
15.	Income Tax Appeals (PY 2013-14 to 2016-17)	174.76	174.76
16.	Contingent Liability regarding rent payment to LDA for Casting Yard, Kalvin College for the period 21.11.2016 to 21.01.2018. The decision is pending at administrative level.	122.15	0.00
17.	Contingent Liability regarding rent payment for stores in Vrindavan Colony to UP Awas Vikas Parishad. Decision regarding fixation of rent is pending as UPMRC has requested for reduction of rent for the period of 05.01.2016 to 30.11.2019.	188.97	0.00
18.	Contingent Liability regarding rent payment for Casting Yard in Vrindavan Colony to UP Awas Vikas Parishad. Decision regarding fixation of rent is pending as UPMRC has requested for reduction of rent for the period of 4 years.	296.47	0.00

1. The issue regarding the rent payable to U.P. Co-operative Union Limited for temporary usage of Sahkarita Bhawan Land has been referred to the District Magistrate, Lucknow vide letter no. 3729/UPMRC – L -6/2014 dated 21.6.2019 for decision. The same will be accounted for when the same is finalised.

2. Liability regarding rent payment of for Administrative office (Lucknow) and project office (Agra) of UPMRC is pending due to non-renewal of rent agreement with concerned authorities.

Contingent Assets: There are no contingent assets as on date with the company.

b) Commitments: Estimated amounts of contracts including foreign currency contracts remaining to be executed on capital account and not provided for is INR 75498.06 Lakhs (PY INR 169725.00 Lakhs) as on March 31st, 2020.

c) Borrowings

The loan from European Investment Bank (EIB) has been received as Pass through assistance (PTA) from Government of India (GoI) in INR. The Pass-Through Assistance (PTA) provided by Government of India is based on the finance contract signed between EIB and Government of India (GoI) for Euro 450 Million (equivalent to INR 3,50,200 Lakh) as the borrower. The loan is secured by sovereign guarantee by the GoI. The loan has been disbursed in tranches as per budgetary provisions of Government of India. GoI gave the loan from their Plan Budget of Ministry of Urban Development (MoUD) in INR. Any forex fluctuation on repayment will be recognized on transaction basis on advice from GoI. During the year, the company has received an amount of INR NIL (PY 1,68,000 Lakhs)-as Pass through assistance from GoI. The company has provided for interest of INR 620.47 Lakhs (PY 399.72Lakh) during the year.

Subordinate Debt

Interest free subordinate debts received from GoI & GoUP are repayable after the repayment of all Non-Government Debts (i.e. Senior Debts). These debts have been recognized as long-term borrowings. The subordinate debts are interest free. As per Government Order, Company is required to make repayment of subordinate debt only after repayment of entire Senior Term Debt availed for the project. In view of the uncertainty of repayment period, the company has not considered necessary for the fair valuation of Government subordinate debt.

d) Land

i. Amount received for buying land for the company as part of interest-free Subordinate Loan for Land sanctioned to the Company, is treated as interest-free subordinate loan for land in accordance with Government guidelines in this regard.

ii. Payments made provisionally / liability provided towards cost or compensation related to the land including lease-hold land in possession, are treated as cost of the Land or Lease-hold land respectively. Payment made provisionally / liability provided towards land acquired on temporary basis has been amortized over the possession period of the land.

iii. The pieces of land purchased by UPMRCL for which possession has been obtained pending registration have been accounted for based on payment made for them.

iv. UPMRCL has received few pieces of land free of cost from Government of Uttar Pradesh. These have been capitalized as freehold land at a token amount of INR 1/- per piece of land. As these parcels of land were received prior to implementation of Ind AS, the same have been continued at nominal value of INR 1/- in accordance with the exemptions permitted in Ind AS 101.

v. Land parcels or any Land being received from Government free of cost post implementation of Ind AS 101, the ownership of which vests with UPMRCL, is to be recognized at fair value of the land received. Fair Value is to be calculated based on circle rates of that area effective on the date of receipt of such land.

vi. Land received in exchange of assets is recognized at the Fair value of the land received. Difference between fair value of land received and cost of asset given is recognized as applicable govt. grant. These grants are accounted under the head of Deferred Income and the same are amortized as per the provisions of Ind AS 20.

vii. Compensation, replacement etc. relating to the cost of rehabilitation of Project Affected Persons (PAPs) is booked to CWIP and on completion is added to the cost of related assets.

e) Payment to the Statutory Auditors: -

(in Lakh)

Particulars	2019-20	2018-19
Audit Fees	3.00	2.00
Tax Audit Fees	0.80	0.80
Total	3.80	2.80

f) The Company has accounted for State reimbursable taxes which has been adjusted in the carrying amount of PPE including CWIP to the tune of INR NIL Lakhs (INR 17100.00 Lakhs) based on details provided by the Contractors.

g) Information in respect of Micro, Small and Medium Enterprises as at 31st March 2020

(in Lakh)

Sr. No.	Particulars	2019-20	2018-19
1.	Amount remaining unpaid to any supplier: a) Principal Amount b) Interest due thereon	 NIL NIL	 NIL NIL
2.	Amount of interest paid in terms of section 16 of Micro, Small and Medium Enterprises Development Act,2006, along with the amount paid to the supplier beyond the appointed day;	NIL	NIL
3.	Amount of interest due and payable for the Period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act,2006	NIL	NIL
4.	Amount of interest accrued and remaining unpaid	NIL	NIL
5.	Amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding year, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprises, for the purpose of disallowance as a deductible expenditure under section 23 of the Micro, Small and medium Enterprises Development Act,2006	NIL	NIL

h) Disclosure in respect of Indian Accounting Standard (Ind AS)-1: Presentation of financial Statements: Capital Management.

The Primary Objective of the Company's capital management is to maximize the shareholder value. The company monitors capital using Debt: Equity ratio, which is Long Term debt divided by total owner's capital, The Debt equity ratio are as follow:

(In Lakh)

Particulars	As at March 31,2020	As at March 31,2019
(a) Total Debt	4,62,900.00	4,61,205.00
(b) Total Capital	2,02,327.23	1,89,760.09
Debt: Equity Ratio (a/b)	2.29	2.43

For the purpose of the company's capital management, capital includes issued capital and share application money pending allotment. Debt includes long term loans and borrowings.

i) Disclosure in respect of Indian Accounting Standard (Ind AS) 116 "Leases"

Company as lessee

i. The Company does not have any lease commitments towards variable rent as per the contract.

ii. Lease Liability are presented in the statement of Financial position as follows:

Particulars	As at March 31,2020
Non-Current	33.15
Current	0.32
Total	**33.47**

iii. Future minimum lease payments as on 31st March 2020 are as follows:

Particulars	As on 31st March 2020		
Minimum lease payments due	**Lease Payments**	**Finance Charges**	**Net Present Values**
Within 1 year	3.00	(2.68)	0.32
1-2 years	3.00	(2.65)	0.35
2-3 years	3.00	(2.62)	0.38
3-4 years	3.00	(2.59)	0.41
4-5 years	3.00	(2.56)	0.44
After 5 years	72.00	(40.43)	31.57
Total	**87.00**	**(53.53)**	**33.47**

iv. Lease payments not recognised as a liability

The expense relating to lease payments not included in measurement of the lease liability as company applied the exemption not to recognize right-of-use assets and liabilities for leases with less than 12 months of lease term on the date of initial application.

(In Lakh)

Particulars	As at March 31,2020
Short Term Leases	368.14
Leases of Low value assets	-
Variable Lease Payments	-
Total	**368.14**

v. Additional information on right-of-use assets by class of assets is as follows:

Particulars	Carrying Amount (Net block)	Depreciation Expense
As on 31st March 2020		
Lease hold land	32.65	1.13
Total right-of-use assets	**32.65**	**1.13**

vi. Following are the amounts disclosed in cash flow statement:

Particulars	As at March 31,2020
Cash Outflow from Leases	371.14
Total	371.14

The Company has taken on lease/rent premises for employees. These Lease arrangements are usually renewable on mutually agreed terms, during the year the company has paid lease rent amounting to INR 166.38 Lakh (P.Y INR 183.53 Lakh) and included under the head of Expenditure Lease rent for Staff Accommodations.

Company as Lessor

vii. The company has leased out its various assets to parties on operating lease basis. Future minimum lease rent receivable under non-cancellable operating lease are given as under:

(INR in Lakhs)

Particulars	As at March 31,2020	As at March 31,2019
Not Later than one Year	1039.94	961.98
Later than one year and up to five years	4412.86	3531.49
Beyond five years	3249.41	3846.64
Total	**8702.21**	**8340.11**

viii. The project office of the company is in the premises of Lucknow Development Authority (LDA) situated at 1st Floor, Janpath Market, Hazratganj, Lucknow. The issue regarding the rent of the aforesaid premises is still under consideration by LDA. Under these circumstances, no rent has been charged and will be accounted for as and when the issue is finalized by them.

ix. Company has taken land on temporary lease / rent for implementation of the Project and during this Accounting period Rs. 201.40 Lacs, (PY 100.65 Lacs) has been paid towards lease / rent in FY 2019-20.

j) Disclosure in respect of Indian Accounting Standard (Ind AS)-19" Employee Benefits"

General description of various defined employee's benefits schemes is as under:

i. Provident Fund:

The company's Provident Fund is managed by Regional Provident Fund Commissioner. The company pays fixed contribution to provident fund at pre-determined rate. The liability is recognized on accrual basis.

ii. Gratuity:

The company has a defined benefit gratuity plan. Every employee who has rendered continues service of five years or more is entitled to get gratuity @ 15 days salary (15/26* last drawn basic pay plus dearness pay plus dearness allowance) for each completed year of service on superannuation, resignation, termination and disablement or on death. A policy has been formed for this purpose.

This scheme is being managed by the Life Insurance Corporation of India (LIC) for which the company has taken a Master Policy.

The scheme is funded by the company. The disclosure of information as required under Ind AS-19 have been made in accordance with the actuarial valuation and liability is recognized based on Actuarial valuation.

However, the company is making contribution to the fund as per the demand made by life Insurance Corporation of India.

Regarding the UPMRC employees excluding those on deputation, the Company has procured gratuity plan through LIC wherein every employee is entitled to the benefit equivalent to fifteen days' salary last drawn for each completed year of service. The same is payable on termination of service or retirement whichever is earlier. The benefit vests after five years of continuous service. The fund is managed by LIC. The total liability recognized based on contribution payable to the Insurer amounting to INR 69.24 lakh PY 133.12 Lakhs during FY 2019-20, details given as below:

(INR in Lakhs)

Particulars	**FY19-20**	**FY 18-19**
Current Service Cost	60.71	126.76
LIC Premium	8.53	6.36
Total	**69.24**	**133.12**

iii. Pension:

Employee's National Pension Scheme is managed by Stockholding Corporation of India. This scheme is optional, and company's obligation is limited to pay 2.5% of Basic pay of the enrolled employee

The contribution to the scheme for the period is grouped under Employee Cost on accrual basis. In respect of deputationist employees, pension contribution is calculated as per lending organization/ Govt. of the India Rules and is accounted for on accrual basis.

Leave:

The company provides for earned leave benefits (included compensated absence) and half-pay leave to the employees of the company, which accrue annually at 30 days & 20 days respectively. Only the leave in the encashable leave account is encashable once in a calendar year while is service and a maximum of 300 days (including non-encashable portion and half pay leaves without commutation) on superannuation.

The liability on this account is recognized based on actuarial valuation. In respect of deputationist employees, leave salary contribution is payable to their parent departments @ 11% of pay drawn (Basic pay including Dearness Pay & Special Pay) and is accounted for on accrual basis.

In relation to UPMRC employees excluding those on deputation, the actuarial valuation of leave encashment was carried out by an Actuary and appropriate provisions have been made in books of accounts and financial statements accordingly as following :-

The results of the calculations of Gratuity & Leave Encashment are as under:

Net Defined Benefit obligation

Particulars		Gratuity (Funded) (in Lakh)	Leave (Non - Funded) (in Lakh)
Present value of the defined benefit obligation	C.Y.	482.41	1030.70
	P.Y.	246.45	627.69
Fair value of the plan assets	C.Y.	455.14	-
	P.Y.	437.07	-
Surplus or (deficit) in the plan	C.Y.	-27.26	-1030.70
	P.Y.	190.61	-627.69
Experience adjustments on plan liabilities	C.Y.	54.44	-62.40
	P.Y.	-152.72	-343.50
Total Net Defined Benefit obligation	C.Y.	217.88	403.00
	P.Y.	-42.94	3.42

Movement in Plan Assets

Particulars		Gratuity (Funded) (in Lakh)	Leave (Non - Funded) (in Lakh)
Fair value of assets at beginning of year	C.Y.	437.07	-
	P.Y.	286.01	-
Adjustment to opening fair value of plan assets	C.Y.	0	-
	P.Y.	0	-
Interest income (+)	C.Y.	32.78	-
	P.Y.	21.45	-
Return on plan assets, excluding amounts of interest (+/-)	C.Y.	7.94	-
	P.Y.	1.96	-
Change in asset ceiling, excluding amounts included in interest expense (+/-)	C.Y.	-	-
	P.Y.	-	-
FX rate gains (+) and losses (-)	C.Y.	-	-
	P.Y.	-	-
Contributions by the employer (+)	C.Y.	0	-
	P.Y.	127.64	-
Contributions by plan participants (+)	C.Y.	-	-
	P.Y.	-	-
Benefits paid (-)	C.Y.	-6.76	-
	P.Y.	0	-
Business combinations (+) and disposals (-)	C.Y.	-	-
	P.Y.	-	-
Settlements (-)	C.Y.	-	-
	P.Y.	-	-
Fair value of assets at end of year	C.Y.	455.15	-
	P.Y.	437.07	-

Movement in Defined Benefit Obligation

Particulars		Gratuity (Funded) (in Lakh)	Leave (Non - Funded) (in Lakh)
Defined benefit obligation at beginning of year	C.Y.	246.45	627.69
	P.Y.	265.98	624.26
Current service cost (+)	C.Y.	177.74	418.33
	P.Y.	111.28	300.11
Interest cost (+)	C.Y.	18.48	47.08
	P.Y.	19.94	46.81
Gain (-) / loss (+) from change in demographic assumptions	C.Y.	0.18	0
	P.Y.	-116.36	-241.56
Gain (-) / loss (+) from change in financial assumptions	C.Y.	48.98	22.93
	P.Y.	-110.04	-263.60
Experience adjustment (+/-)	C.Y.	-2.67	-85.33
	P.Y.	75.64	161.66
FX rate gains (-) and losses (+)	C.Y.	-	-
	P.Y.	-	-
Contributions by plan participants (+)	C.Y.	-	-
	P.Y.	-	-
Benefits paid (-)	C.Y.	-	-
	P.Y.	-	-
Business combinations (+) and disposals (-)	C.Y.	-	-
	P.Y.	-	-
Settlements (-)	C.Y.	-	-
	P.Y.	-	-
Defined benefit obligation at end of year	C.Y.	482.41	1030.70
	P.Y.	246.45	627.69

Benefit expense recognised in profit or loss

Particulars		Gratuity (Funded) (in Lakh)	Leave (Non - Funded) (in Lakh)
Current service cost (+)	C.Y.	177.74	418.33
	P.Y.	111.28	300.11
Interest cost (+)	C.Y.	18.48	47.07
	P.Y.	19.94	46.81
Interest income (+)	C.Y.	32.78	-
	P.Y.	21.45	-

Net interest on net defined benefit liability	C.Y.	-14.29	47.07
	P.Y.	-1.50	46.81
Past service cost (+)	C.Y.	-	-
	P.Y.	-	-
Settlement gains (+) or losses (-)	C.Y.	-	-
	P.Y.	-	-
Total expense recognised in profit or loss	C.Y.	163.44	465.41
	P.Y.	109.78	346.93

Amount recognized in Other Comprehensive Income

Particulars		**Gratuity (Funded) (in Lakh)**	**Leave (Non - Funded) (in Lakh)**
Total Amount recognised in Other Comprehensive Income	C.Y.	54.44	-62.40
	P.Y.	-152.72	-343.50

Category of investment in Plan assets

Category of investment	**% of fair value of plan assets**
Total Amount recognised in Other Comprehensive Income	100%

Actuarial Assumptions

Particulars		**Gratuity (Funded)**	**Leave (Non - Funded)**
Method used	C.Y.	Projected Unit Credit Method	Projected Unit Credit Method
	P.Y.	Projected Unit Credit Method	Projected Unit Credit Method
Discount Rate	C.Y.	6.90% p.a.	6.90% p.a.
	P.Y.	7.50% p.a.	7.50% p.a.
Salary escalation rate	C.Y.	8% p.a.	8% p.a.
	P.Y.	8% p.a.	8% p.a.
Employee Attrition / withdrawal rate	C.Y.	3.5% p.a.	3.5% p.a.
	P.Y.	3.5% p.a.	3.5% p.a.
Mortality	C.Y.	100% of IALM 2012-14 Ult	100% of IALM 2012-14 Ult
	P.Y.	100% of IALM 2006-08 Ult	100% of IALM 2006-08 Ult

a. Sensitivity Analysis and Expected Benefit Payments:

1. Sensitivity Analysis -Leave Encashment

Assumption	Change in Assumption	Financial Year Ending 31st March 2020 (in Lakh) – Leave Encashment
Discount Rate	0.50%	-24.85
	-0.50%	16.30
Salary Growth Rate	1.00%	39.97
	-1.00%	-41.98
Price Inflation Rate	1.00%	-
	-1.00%	-
Medical Inflation Rate	1.00%	-
	-1.00%	-
Mortality Rate	+ 3 years	-7.60
	-3 years	6.80

2. Sensitivity Analysis - Gratuity

Assumption	Change in Assumption	Financial Year Ending 31st March 2020 (in Lakh) - Gratuity
Discount Rate	1.00%	-78.01
	-1.00%	100.33
Salary Growth Rate	1.00%	94.51
	-1.00%	-77.47
Withdrawal Rate	1.00%	-16.84
	-1.00%	19.25

3. Expected Benefit Payments

Sr. No.	Year of Payment	Gratuity	Leave Encashment
1	31-Mar-21	3.06	20.09
2	31-Mar-22	19.34	7.67
3	31-Mar-23	11.42	8.00
4	31-Mar-24	16.34	8.34
5	31-Mar-25	17.92	8.71
6	31-Mar-2026 to 31-Mar-2030	99.37	49.71

k) Disclosure in respect of Indian Accounting Standard (Ind AS 21) "The Effects of changes in Foreign Exchange Rates":

i. The amount of exchange differences (net) credited/ debited to the statement of Profit & Loss is INR 1.49 Lakhs (PY INR 0.13278 Lakhs).

ii. Adjustment in PPE/ CWIP includes INR 208.31 Lakh (PY INR 1010.46 Lakh) on account of exchange differences due to translation of Monetary Items

l) Disclosure in respect of Ind AS 24 "Related Party Disclosures"

i. Key Management Personnnel:

1. Shri Kumar Keshav, Managing Director
2. Shri Sanjay Mishra, Whole Time Director (Works & Infrastructure)
3. Shri Mahendra Kumar, Whole Time Director (Rolling Stock & Systems) (upto 30th June 2019)
4. Shri Atul Kumar Garg, Whole Time Director (Rolling Stock & Systems) (w.e.f. 03.12.2019)
4. Shri Ajai Kant Rastogi, Whole Time Director (Finance) (upto 30th Jan 2020)
5. Shri Sushil Kumar, Whole Time Director (Operations) (w.e.f. 25.10.2018)
6. Smt. Pushpa Bellani, Company Secretary

ii. Disclosure of transactions of the company with related parties (Key Management Persons):

Particulars	**2019-20 (in Lakh)**	**2018-19 (in Lakh)**
Salaries & Allowances	218.82	232.80
Contribution to Provident Fund and other Funds, Gratuity & Group Insurance	29.74	20.12
Other Benefits	22.49	17.85
Total (included in Employees Cost)	270.47	270.77

iii. In addition to the above remuneration,

1. The whole time Directors have been allowed to use the Company owned car (including for private journeys) subject to recovery as per the Company's rules.
2. No other transaction with any other related parties was carried out during the FY 2019-20

m) Disclosure in respect of Ind. AS - 33: EARNING PER SHARE:

Basic earnings per share are calculated by dividing the net profit or loss for the period attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the period. For the purpose of calculating diluted earnings per share, the net profit or loss for the period attributable to equity shareholders and the weighted average number of shares outstanding during the period should be adjusted for the effects of all dilutive potential equity shares.

Particulars	2019-20 (INR in Lakh)	2018-19 (INR in Lakh)
Profit after taxation & prior period adjustment for the earlier years as per Statement of Profit & Loss (INR in Lacs)	-25026.85	-7211.16
Weighted average number of equities shares outstanding: Basic Diluted	 2036.02 2114.28	 1923.21 2021.79
Basic Earnings Per Share (INR) (Face value of INR 100/- per share	-12.29	-3.75
Diluted Earnings Per Share (INR) (Face value of INR 100/- per share)	-11.84	-3.57

n) Disclosures in respect of IND 107- "Financial Instruments: Disclosure"

i. Financial Instruments by Categories

The carrying values of financial instruments by categories are as follows

Particulars	As on 31st March, 2020			As on 31st March, 2019	
	Amortized cost (in Lakh)	FVT PL (in Lakh)	FV OCI (in Lakh)	Amortized cost (in Lakh)	FVT PL (in Lakh)
Loans	-	-	-	-	-
Other Financial Assets (Refer Note-5 & 9)	1319.80	-	-	1748.43	-
Trade Receivables	-	-	-	-	-
Cash & Cash Equivalents (Refer Note - 8)	79258.10	-	-	126579.82	-
TOTAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Borrowings (Refer Note - 14)	462900.00	-	-	461205.00	-
Other Financial Liabilities (Refer Note - 15 & 19)	16553.38	16550.44*	-	28789.60	28788.20*
Trade Payable (Refer Note-18)	1386.43	-	-	823.85	-
TOTAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* The other financial comprises of Security deposits from contractors and customers.

ii. Fair Value Hierarchy:

Financial assets and liabilities measured at fair value in the statement of financial position are categorized into three levels of fair value hierarchy. The three levels are defined based on the observability of significant inputs to the measurement as follows:

Level 1: Quoted Prices (unadjusted) in active markets for identical financial instruments that the entity can access at the measurement date.

Level 2: The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined using valuation techniques which maximise the use of relevant observable market input and minimise use of unobservable inputs.

Level 3: If one or more of the significant inputs is not based on the observables market inputs, the instrument is categorised in level 3 of fair value hierarchy.

iii. Financial Assets/Liabilities measured at amortized cost for which Fair Value are disclosed:

(In Lakh)

Particulars	Level	As on 31st March, 2020		As on 31st March, 2019	
		Amortised Cost	Fair Value	Amortised Cost	Fair Value
Financial Assets:					
Loans	Level 2	-	-	-	-
Other Financial Assets (Refer Note-5 & 9	Level 2	1319.80	1319.80	1748.43	1748.43
Total	**-**	**-**	**-**	**-**	
Financial Liabilities:					
Other Financial Liabilities (Refer Note-15 & 19)	Level 2	16553.38	16550.44	28789.60	28788.20

iv. Valuation techniques and process used to determine fair values

v. The carrying value of financial assets and liabilities with the maturities less than 12 months are representative of their fair value

vi. Fair value of the other financial assets and liabilities carried at amortized cost is determined by discounting of cash flows using a discount rate which is defined as per Accounting Policy No. 29 (p)(ii).

o) Financial Risk Management

Financial risk factors

The Company is exposed to various risks in relation to financial instruments. The company's financial asset and liabilities by category are summarized above. The main types of risks are market risk, credit risk and liquidity risk. The Company's Risk Management focus on actively securing the Company's short to medium term cash flows by minimizing the exposure to volatile financial markets. The most significant financial risks to which the company is exposed are described below:

i. Market Risk

The Company has foreign exchange risk as Market Risk. The Company does not have any interest rate risk since the loans to the company are at either NIL rate of interest or at fixed rate of interest as per disbursement notice of each tranche of loan received from EIB. Also, company does not have price risk since company is not having derivative financial asset.

The exchange fluctuation risk is due to import of Property Plant and Equipment from outside India. The company does not have any hedging instrument to cover the foreign exchange risk.

ii. Credit Risk

Credit Risk refers to the risk of default on its obligation by the counterparty resulting in a financial loss. The company exposed to this risk for various financial instruments, for example by granting advances to the employees, receivables from customers, security deposits etc. The maximum exposure to the credit risk at the reporting date is primarily from carrying amount of following types of financial assets.

- Cash and Cash equivalents
- Trade receivables
- Other financial assets measured at amortized cost.

The company continuously monitors defaults of customers and other counter parties, identifies either individually at reasonable cost, external credit ratings and/or reports on customers and the other counterparties are obtained and used.

iii. Credit risk Management

- **Cash and cash equivalent**

  Credit risk related to cash and cash equivalent is managed by placing funds in schedule commercial banks which are subject to the regulatory oversight of the Reserve Bank of India, and these banking relationships are reviewed on an ongoing basis.

- **Other financial assets**

  Other financial assets are measured at amortized cost and there is no impairment.

- **Expected credit losses**

  Company provides expected credit losses based on the following:

- **Trade Receivables**

  Trade receivables are impaired when recoverability is considered doubtful based on the recovery analysis performed by the company for individual trade receivables. The company considers that all the above financial assets that are not impaired and past due for each reporting dates under review are of good credit quality.

Other financial assets measured at amortized loss

Credit risk related to employee loans are considered negligible since loan is secured against the property for which loan is granted to the employees. Credit risk related to these other financial assets is managed by monitoring the recoverability of such amounts continuously, while at the same time internal control system in place ensure that the amounts are within the defined limits. There are no impairment provisions as at each reporting date against these financial assets. We consider all the above financial asset as at the reporting dates to be of good credit quality

iv. Liquidity Risk

Our liquidity needs are monitored based on monthly and yearly projections. The Company's principal sources of liquidity are cash and cash equivalents, revenue generated from operations, Long term loan from EIB, Interest free subordinate debt, share capital and grant.

We manage our liquidity needs by continuously monitoring cash inflows and by monitoring cash and cash equivalents, Net cash requirements are compared to available cash in order to determine any shortfalls.

Short term liquidity requirement consists of mainly of sundry creditors, expense payable, employee dues, retention and deposits arising during the normal course of business as of each reporting date. We maintain a sufficient balance in cash and cash equivalents to meet our short-term liquidity requirements.

We assess long term liquidity requirements on a periodical basis and manage them through internal accruals. Our non-current liabilities include EIB loan, Interest free subordinate debt, retention & deposits and liabilities for Employee benefit.

p) Segment Reporting (Ind AS 108)

The Company's operations comprise only one business segment – Running & Maintenance of Metro Rail Facility. In the context of reporting business segment as required under Ind AS 108 - Operating Segments the company generates some revenue from other sources also such as space sale, sale of tender forms etc. It has been termed as non-cash box revenue.

Based on the "management approach" as defined in Ind-AS 108 - Operating Segments, the Chief Operating Decision Maker evaluates the Company's performance and allocates resources based on an analysis of various performance indicators by business segment. Accordingly, information has been presented along these business segments which have been defined based on the Quantitative thresholds in paragraph 13 of Ind-AS 108-Operating Segments.

Information about Services.

(in lakhs)

Particulars	2019-20	2018-19
Fare Box Revenue	5473.31	1079.96
Non-Fare Box Revenue	1278.97	424.05

Geographical Segment

Presently the Company operates within the city of Lucknow only and does not have operations in any other city having economic environments with different risks and returns. Hence, it is considered operating in single geographical segment.

Information about major customers.

Revenue from customer – M/s Jagran Prakashan Limited and M/s Abhi Advertising contributed INR 606.77 lakhs and Rs. 167.11 lakhs respectively that is 10% or more to the company's Non-fare Box revenue for year ended on 31.03.2020

q) Previous year's figures have been regrouped/ rearranged/ reclassified, wherever felt necessary, so as to make them comparable to the current year's presentation.

In terms of our separate report of even date annexed

For: D. S. Shukla & Co.
Chartered Accountants
FRN: 000773C

Sd/-
(R. K. Srivastava)
Partner
Membership No: 078783
UDIN: 20078783AAAABX4585

Place: Lucknow
Date: 26.10.2020

For and on Behalf of the Board

Sd/-
(Kumar Keshav)
Managing Director
DIN: 02908695

Sd/-
(Sheel Kumar Mittal)
Director (Finance)
DIN: 08821866

Sd/-
(Pushpa Bellani)
Company Secretary

सत्यमेव जयते

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (आडिट–प्रथम)
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GNERAL (AUDIT-1)
U.P., ALLAHABAD

स्पीडपोस्ट / गोपनीय / By hand

पत्रांकः PAG(Audit-I)/AMG-IV/PSU/UPMRCL/A.A./cs/2019-20/625
दिनांक : 20/01/2021

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि.
प्रशासनिक भवन (निकट भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल),
विपिन खंड, गोमती नगर,
लखनऊ–226010

विषय : उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टीका–टिप्पणियां।

महोदय,

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अधीन **उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, उखनऊ** के वर्ष 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के प्रावधानों के अनुसरण में कम्पनी की वार्षिक सामान्य बैठक के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अग्रेषित की जा रही हैं। कृपया वार्षिक सामान्य बैठक के समक्ष इन टिप्पणियों के प्रस्तुत किए जाने की वास्तविक तिथि की सूचना इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें। कृपया पत्र की पावती भेजें।

संलग्नक यथोपरि।

भवदीय,

20/1/21

(अवनींद्र कुमार राय)
उप–महालेखाकार
ए.एम.जी. IV

'सत्यनिष्ठा भवन' 15–ए, महर्षि दयानन्द मार्ग, इलाहाबाद–1, दूरभाष : (कार्यालय) 2420441 फैक्स : 0532–2424102
'Satyanishtha Bhawan" 15-A, Maharshi Dayanand Marg, Allahabad-1, Ph. Off. : 2420441 Fax : 0532-2424102

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143 (6)(B) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE ACCOUNTS OF UTTAR PRADESH METRO RAIL CORPORATION LIMITED (FORMERLY LUCKNOW METRO RAIL CORPORATION LIMITED) FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2020.

The preparation of financial statements of Uttar Pradesh Metro Rail Corporation Limited (Formerly Lucknow Metro Rail Corporation Limited). Lucknow for the year ended 31 March 2020 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the Management of the Company. The Statutory Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act are responsible for expressing opinion on the Financial Statements under Section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. this is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 26 October 2020.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India. have conducted a Supplementary Audit of financial statements of Uttar Pradesh Metro Rail Corporation Limited, Lucknow for the year ended 31 March 2020 under Section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and Company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

Based on my supplementary audit. I would like to highlight the following significant matters under Section 143(6)(b) of the Act which have come to my attention and which in my view, are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related audit report:

A. Comment on Profitability

Statement of Profit & Loss

Income

1. Other Income (Note 23): ₹ 80.63 crore

The Company is entitled to receive interest on security deposit against its electricity connection with Vrindavan Division of Madhyanchal Vidyut Vitran Nigam Limited (MVVNL) at bank rate applicable as on 1st April of applicable financital year as per Clause 4.20 (i) Of U.P. Electricity Supply Code 2005.

However, the Company has not accounted interest receivable amounting to ₹ 35.33 lakh[1] for the period October 2016 to March 2020 on its security deposit[2] with MVVNL in respect of its electricity connection at Vrindavan Division.

As a result, Other Income and Current Assets are understated by ₹ 35.33 lakh each and Loss for the period is overstated by the same amount.

1. Calculated at Bank Rate of 7.75 per cent lor 2016-17. 6.50 per cent tbr 2017-18 and 2018-19 and 5.65 per cent for 2019-20.
2. 21.50 crore from Oct 2016 to October 2019 and 2.16 crore From Nun ember 2019 to March 2020.

B. Comments on Financial Position

Balance Sheet

Current Liabilities

2. Other Financial Liabilities (Note 19): ₹ 143.53 crore

(i) Northern Railways demanded crossing charges for railway land between Badshahnagar and Daliganj Railway station amounting to ₹ 9.55 crore from the Company in the year 2018-19 as per Railway Board's policy. However, the Company paid ₹ 7.80 crore and shown the remaining amount of ₹ 1.75 crore as Contingent Liability in the accounts. As the Company is bound to pay these charges to Northern Railways, the balance payable amount should have been booked as Current Liability instead of as Contingent Liability. This has resulted in understatement of Intangible Assets (Rights for using Land) and Current Liabilities by ₹ 1.75 crore each.

Despite similar comment of the C&AG of India on the accounts of the Company for the years 2017-18 and 2018-19, no corrective action has been taken by the Management.

(ii) Northern Railways demanded (May 2019) permission charges of ₹ 1.61 crore for use of land for Charbagh-Hazratganj underground stretch by the Company in Divisional Railway Manager Office Campus, Hazratganj as per the policy guidelines issued by the Railway Board. The Company has unilaterally accepted a liability of ₹ 1.32 crore and capitalised the right for using land as Intangible Assets. The remaining amount of ₹ 0.29 crore has been depicted as Contingent Liability. As the Company is bound to pay these charges to Northern Railways, the balance payable amount should have been booked as Current Liability instead of as Contingent Liability. This has resulted in understatement of Intangible Assets (Rights for using Land) and Current Liabilities by ₹ 0.29 crore each. Despite similar comment of the C&AG of India on the accounts of the Company for the year 2018-19, no corrective action has been taken by the Management.

(iii) Northern Railway (February 2018) demanded crossing charges of ₹ 34.30 crore from the Company for permission to cross Railway land at four locations. Out of that. the Company had deposited ₹ 33.06 crore during 2015-16. The remaining pending balance of ₹ 1.24 crore has been shown as Contingent Liability. Since the Company is bound to pay this amount and the same has also been acknowledged by the Management in its records. the amount should have been shown as Current Liability instead of Contingent Liability in the Accounts. This has resulted in understatement of Current Liabilities well as Capital Work in Progress (CWIP) by ₹ 1.24 crore each.

Despite similar comment of the C&AG of India on the accounts of the Company for the Years 2017-18 and 2018-19, no corrective action has been taken by the Management.

Notes to Financial Statements (Note 30)

3. Contingent Liabilities

Airport Authority of India (AAI) vide its letter dated 22.04.2016 has allotted 60,000 square meter of land on lease to the Company for establishment of casting yard for the period 01.10.2014 to 31.03.2017. AAI vide its letter dated 18.01.2017 demanded rent payable amounting to ₹ 24.40 crore from the Company. Further UP Government vide letter dated 26.06.2019 has directed to the Company to pay the dues of AAI in co-ordination with them.

The Company paid an amount of ₹ 2.29 crore to AAI on 29.12.2019 as per calculation based on circle rate which was not acceptable to AAI. As there is disagreement between AAI and the Company, the balance amount of ₹ 22.11 crore should have been shown as Contingent Liability till the final settlement. The Notes to Financial Statements are deficient to the extent of non-disclosure of the above Contingent Liability.

C. Comments on Disclosure

4. Other Equity (Note 13): (₹ 175.38 crore)

The Company received a total amount of ₹ 35 crore from UPSIDC during the years 2014-15 and 2015-16 for equity participation and the same has been shown in the accounts of the Company as "Share application money pending, allotment" under "Other Equity" till the previous year (2018-19). In the current year the Company has transferred this amount (₹ 35 crore) from the head "Share application money pending allotment" to the head "Other Current Liabilities". This being material financial information, disclosure in this respect should have been made in the Notes to Accounts. However, the same has not been done.

5. Property Plant and Equipment (Note 1) : ₹ 6,284.12 core

The Company has utilised 4000 sqm. of land of Rajkiya Mahila Polytechnic. Lucknow and 48.03 sqm. land of Rajkiya Polytechnic, Lucknow for the construction or a receiving substation and viaduct. However, signing of leash and sub lease agreements related to the above said land is still pending. This material fact has not been disclosed in the Notes to Accounts.

For and on behalf of the C&AC of India

Place : Allahabad

Date : 20.01.2021

Principal Accountant General

Management Replies in reference to CAG report under Section 143(6)(b) of the Companies Act 2013 vide letter No. 381/UPMRC/F/A/CAG/Supplementary Audit 2019-20 Dated : 02 February, 2021

Sr. No.	Audit Observation (FY 2019-20)	Management's Reply
1.	**A. Comment on Profitability** **Statement of Profit & Loss** **Income** **1. Other Income (Note 23): ₹ 80.63 Crore** The Company is entitled to receive interest on security deposit against its electricity connection with Vrindavan Division of Madhyanchal Vidyut Vitran Nigam Limited (MVVNL) at bank rate applicable as on 1st April of applicable financial year as per clause 4.20 (i) of U.P. Electricity Supply Code 2005. However, the Company has not accounted interest receivable amounting to ₹ 35.33 lakh[1] for the period October 2016 to March 2020 on its security deposit[2] with MVVNL in respect of its electricity connection at Vrindavan Division. As a result, Other Income and Current Assets are understated by ₹ 35.33 lakh each and loss for the period is overstated by the same amount. [1]**Calculated at Bank Rate of 7.75 per cent for 2016-17, 6.50 per cent for 2017-18 and 5.65 per cent for 2019-20.** [2] **₹ 1.50 crore from Oct 2016 to October 2019 and ₹ 2.16 crore from November 2019 to March 2020.**	Regarding interest on security deposit from MVVNL, an amount of ₹ 33.89 lakh being interest (at 6 percent per annum) for the period from October 2016 to March 2020 has been received as adjustment from electricity expenses payable for the month of Nov-20 (Annexure-1). Above interest has been properly accounted for in the books of Accounts and henceforth accounting of Interest receivable is noted for compliance in coming financial years.

	B. Comments on Financial Position **Balance Sheet** **Current Liabilities** **Other Financial Liabilities (Note19): ₹ 14352.26 lakh**	
	(i) Northern Railways demanded crossing charges for railway land between Badshahnagar and Daliganj Railway station amounting to ₹ 9.55 crore from the Company in the year 2018-19 as per Railway Board's policy. However, the Company paid ₹ 7.80 crore and shown the remaining amount of ₹ 1.75 crore as Contingent Liability in the accounts. As the Company is bound to pay these charges to Northern Railways, the balance payable amount should have been booked as Current Liability instead of Contingent Liability. This has resulted in understatement of Intangible Assets (Rights for using land) and Current liabilities by ₹ 1.75 crore each. Despite similar comment of the C&AG of India on the accounts of the company for the year 2017-18 & 2018-19, no corrective action has been taken by the Management.	(i) Northern Railway is considering enhancement of 7% per annum on circle rate issued by DM/Lucknow in 12/2015 in view of Para 5.2 (Annexure-2) of Railway Boards Policy Letter No.2005/LML/18/8 dated 10.02.2005 on licensing of railway land. However, Para 5.3 (Annexure-2) of the above circular states that licence fee should be fixed after obtaining the current value of land. As per Sub Registrar letter no. 198/Sub Registrar(ii)/2019 dated 21.06.2019, the rate of land is still same as in 12/2015. Further it does not specify for any enhancement Therefore, while calculating the land cost, LMRC is not accounting the enhancement of increase in rate @7% per annum. Since LMRC has not accepted the contention of NR in this regard and no liabilities has been confirmed hence treated as contingent liability as per Ind AS-37. It is brought to the notice of Audit that the company has accounted for INR 7.80 Cr. as Intangible Assets (Permissions). However, the claim by N.R. is not in line with railway board letter date No.2005/LML/18/8 dated 10.02.2005 also elaborated in point above. The demand of INR 1.75 Cr. by N.R hence, not in line with the guidelines issued by railway board and subject to settlement hence rightfully disclosed as Contingent liabilities. Therefore, the audit may kindly appreciate that correct position is taken by company as it was earlier commented upon by CAG also. (Refer Note No. 30 of Notes to Accounts) In lieu of the above no corrective action is envisaged for the FY 2018-19 and for the current financial year i.e. FY 2019-20 as requisite disclosure were already carried in the accounts in line with Ind AS 37.

	(ii) Northern Railways demanded (May 2019) the permission charges of ₹1.61 crore for use of land for Charbagh-Hazratganj underground stretch by the Company in Divisional Railway Manager Office Campus, Hazratganj as per the policy guidelines issued by Railway Board. The Company has unilaterally accepted a liability of ₹ 1.32 crore and capitalised the Right for using land as Intangible assets during the year. The remaining ₹ 0.29 crore has been depicted as contingent liability. As the Company is bound to pay these charges to Northern Railways, the balance payable amount should have been booked as Current Liability instead of Contingent Liability. This has resulted in understatement of Intangible Assets (Rights for using land) and Current liabilities by ₹ 0.29 crore. Despite similar comment of the C&AG of India on the accounts of the company for the year 2018-19, no corrective action has been taken by the Management.	(ii) The demand of ₹ 1.61 crore raised by Northern Railway considering enhancement of 7% per annum on circle rate issued by DM/Lucknow in 12/2015 in view of para 5.2 (Annexure-2) of Railway Boards Policy Letter No.2005/LML/18/8 dated 10.02.2005 on licensing of railway land. However, Para 5.3 (Annexure-2) of the same circular states that licence fee should be fixed after obtaining the current value of land. As per Sub Registrar letter no. 198/Sub Registrar(ii)/2019 dated 21.06.2019, the rate of land is still same as in 12/2015. Further it does not specify for any enhancement. Considering the above mentioned facts company (UPMRC) has re-calculated and accounted the liability of ₹ 1.32 crore which has also been paid to Northern Railway on 23th Oct 2019. The demand of ₹ 0.29 crore raised by Northern Railway is not inline with the guidelines issued by the railway board and subject to settlement hence rightfully disclosed as Contingent liabilities. Hence, the audit may kindly appreciate that correct position is taken by company in compliance with Ind AS-37 (Refer Note No. 30 of Notes to Accounts) Further a letter (Letter No. LMRC/LKCC-06/CPM-2/Project File dated 18th July 2019 (Annexure-3), containing above mentioned facts was also sent to Northern Railway but NR have neither reverted nor raised any demand till date. In lieu of the above no corrective action is envisaged for the FY 2018-19 and for the current financial year i.e. FY 2019-20 as requisite disclosure were already carried in the accounts in line with Ind AS 37.
	(iii) Northern Railway (February 2018) demanded crossing charges of ₹ 34.30 crore from the Company for permission to cross Railway land at four locations. Out of that, the Company had deposited ₹ 33.06 crore to NR during 2015-16. The remaining pending balance of ₹ 1.24 crore has been shown as Contingent Liability.	(iii) Regarding demand of crossing charges, Northern Railway after considering the UPMRC's request to charge LMRC for permission to cross Railway Land at different locations, for the land to be utilised by UPMRC for operational purposes (not for Commercial use) at the rates as published in the D. M's list of land rates, reduced the charges for crossing Railway Land to INR 34.30 Cr. including GST charges.

	Since, the Company is bound to pay this amount and the same has been acknowledged by the Management in its records, the amount should have been shown as Current Liablity instead of Contingent Liability in the Accounts. This has resulted in understatement of current liabilities as well as Capital Work in Progress (CWIP) by ₹ 1.24 crore each. Despite similar comment of the C&AG of India on the accounts of the company for the years 2017-18 & 2018-19, no corrective action has been taken by the Management.	UPMRC had already paid INR 33.06 Cr. to NR for permission to cross Railway land during 2015-16 when service tax @ 15% was applicable. In the Meantime, GST came into force w.e.f. 01-07-2017 so the difference of amount of INR 1.24 Cr. pertains to GST which as per UPMRC was not payable to railways since payment was made in 2015-16 itself. Management in LMRC is of the view that the matter be reviewed. The matter is still under consideration. The charges demanded by NR have so far not been accepted by LMRC. As stated above since the liability is not confirmed at this stage hence amount of Rs. 1.24 Cr. has been disclosed under contingent liability in the Financial Statement of FY 2019-20 and that is appropriate based on application of Ind AS-37. (Refer Note No. 30 of Notes to Accounts) Further a letter (Letter No. LMRC/D(W&I)/ Railways/2018) dated 28th Oct 2019 (Annexure-4), containing above mentioned fact was also sent to Northern Railway and but NR have neither reverted nor raised any demand till date. In lieu of the above no corrective action is envisaged for the FY 2018-19 and for the current financial year i.e. FY 2019-20 as requisite disclosure were already carried in the accounts in line with Ind AS 37.
3	**Notes to Financial Statements (Note No.30)** **Contingent Liabilities** Airport Authority of India (AAI) vide its letter dated 22.04.16 has allotted 60,000 Square meter of land on lease to the Company for establishment of casting yard for the period 01.10.14 to 31.03.2017. AAI vide its letter dated 18.01.2017 demanded rent payable amounting to ₹ 24.40 crore from the Company. Further UP Govt. vide letter dated 26.06.2019 has directed to the Company to pay the dues of AAI in co-ordination with them. The Company has paid and amount of ₹ 2.29 crore to AAI on 29.12.2019 as per	The demand of Rs. 24.40 crore raised by Airport Authority of India (AAI) is based on Rs. 50,000/- per square meter whereas actual cost of land as per local authority is Rs. 7,700/- per square meter for area upto 1000 square meter and 30% less for area beyond 1000 square meter. Based on the rates given by Deputy Registrar office (Circle rate as per letter no. 712/D.R.First/2017 dated 18.05.2017), total amount payable is Rs. 2.29 Crore which has already been paid to Airport Authority of India vide DD No. 011310 dated 29.11.2019. In this connection, Additional Chief Secretary, Department of Housing and Planning, Govt of

	calculation based on Circle rate which is not acceptable to AAI. As there is disagreement between AAI and the Company, the balance amount of ₹ 22.11 crore should have been shown as Contingent Liability till the final settlement. The Notes to Financial Statements are deficient to the extent of non-disclosure of the above Contingent Liability.	U.P. vide, D.O. No. 919 Sa/A.C.S.H/2018 dated 30.01.2018 (Annexure-5) addressed to Chairman, Airport Authority of India may also be referred stating that rent of Rs. 24.40 Crores claimed by AAI towards temporary lease charges is not correct and at best it can be Rs. 2.29 Crores based on circle rate notified by local authority. The additional demand of Rs. 22.11 crore (Rs.24.40 Cr. – Rs. 2.29 Cr) is unilateral by Airport Authority of India as the amount of Rs. 2.29 crore is based on rate notified by local revenue authority which is correct. However, company has accepted the observation raised by the audit and the same shall be disclosed in financial statement of FY 2020-21.
4	**C. Comments on Disclosure** **Other Equity (Note 13) : (₹ 175.38 Crore)** The Company received a total amount of ₹ 35 crore from UPSIDC during the years 2014-15 and 2015-16 for equity participation and the same had been shown as "Share application money pending allotment" under "Other Equity" till previous Year (2018-19). In the current year the Company has transferred this amount (₹ 35 crore) from the head "Share application money pending allotment to the head "Other Current Liabilities". This being material information disclosure in this respect should have been made in the Notes to Accounts. However, the same has not been done.	The Government of Uttar Pradesh constituted UPMRC (erstwhile LMRC) as SPV under Companies Act on 25/11/013 to execute Metro Rail project in Lucknow. The project got "In Principal approval" from GoI for Phase 1A vide MoUD letter no. 14011/27/2013-MRTS dated 27/12/2013. The approved DPR envisaged equal equity participation, i.e., 50:50 from GoUP and GoI. Hence, the project envisioned equity participation of GoUP and GoI only and no other Corporation or local body could engage in Equity Contribution. According to approved DPR the Innovative Financing envisaged infusion of Rs. 350 crores from other Government and local bodies relating to Phase 1A. GoUP vide G.O. No. 3282/Aath-1-3-27 LDA/13 dated 19/11/2013 (Annexure-6) proposed to provide funds to SPV for implementation of project through U.P. Awas and Vikas Parishad- Rs.200 crores, LDA-Rs.100 Crores and UPSIDC –Rs. 50 Crores totaling to Rs. 350 crores. Copy of the order is enclosed for your perusal (please refer enclosure-2). Regarding receipts from UPSIDC the following amounts were received:

S.No.	Date	Amt (Rs in Crores)
1.	17/01/2015	10.00
2.	20/04/2015	10.00
3.	23/07/2015	10.00
4.	15/12/2015	5.00
	TOTAL	**35.00**

		It also significant to note that Cabinet approval of GoI for LMRC Phase 1A received vide letter no. K.14011/27/2013-MRTS-IV dated 25/01/2016 also confirmed the financing pattern of 50:50 equity participation between GoUP and GoI. Hence, in view of the DPR Finance Model Equity share could not be allotted to them, UPSIDC being a Corporation. As UPSIDC requisitioned it to be issued in Equity, the same had been shown as "Share Application Money pending allotment" under the note- "Other Equity" in its account till previous financial year (2018-19) considering it to be equity participation of GoUP. However, on receipt of the Equity from GoUP during the FY 2019-20, the same was transferred to Current Liabilities in alignment with prudent accounting norms. As far as disclosure in Notes to accounts is concerned, the observation raised by Audit is accepted by the company and the same shall be disclosed in financial statement of FY 2020-21.
5	**Property Plant and Equipment (Note 1): Rs. 6,284.12 Crore** The Company has utilized 4000 sq.mtr. of land of Rajkiya Mahila Polytechnic, Lucknow and 48.03 sqm Rajkiya Polytechnic, Lucknow for the construction of receiving substation and viaduct. However, signing of lease and sub lease agreements related to the above said land is still pending. This material fast has not been disclosed in the Notes to Accounts.	The process of signing of Lease and Sub lease related to Rajkiya Mahila Polytechnic, Lucknow and Rajkiya Polytechnic of 4000 sq. mtr. and 48.03 sq.mtr. respectively is to be done at the level of Government of Uttar Pradesh (GoUP). The same is under consideration at the level of Housing and Urban Planning Department, Government of Uttar Pradesh. This will be accounted in books of accounts of LMRC, once the decision to this effect is taken at the level of Government of Uttar Pradesh. Moreover, the said land is to be transferred to the company for a lease period of 99 Yrs. at the cost of INR 1.00. Therefore, considering the pendency of the signing of the lease and sub-lease agreement and materiality of the financial implication which is only Rs. 1/- the same has not been disclosed in Notes to accounts.

NOTE

NOTE

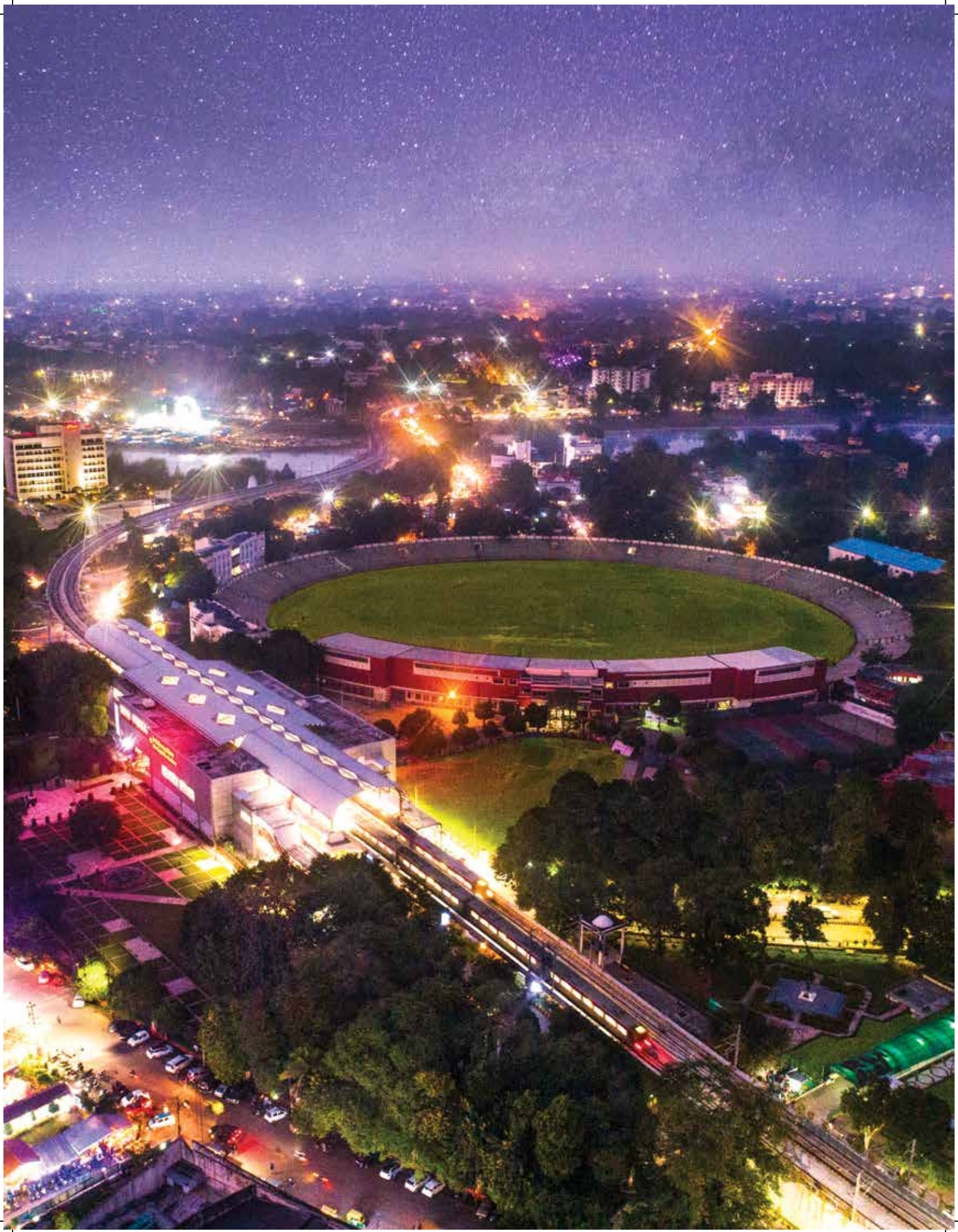

उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड
प्रशासनिक भवन
निकट डॉ. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल
विपिन खंड, गोमती नगर, लखनऊ–226 010
फोन : 0522- 2304014, 2304015; फैक्स : 0522-2304012
वेबसाइट : www.upmetrorail.com

Uttar Pradesh Metro Rail Corporation Limited
Administrative Building
Near Dr. Bhimrao Ambedkar Samajik Parivartan Sthal
Vipin Khand, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Tel.: 0522- 2304014, 2304015; Fax: 0522-2304012
Website : www.upmetrorail.com

www.paromita.org